राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] नवम् विधान सभा के प्रथम सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

गुरुवार,

दिनांक 22 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 23

चिकित्सा विभाग में स्थानान्तरण

23. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवा रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में गत 5 वर्षों में भारी स्थानांतरण हुए हैं ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किये गये स्थानांतरणों की वर्षवार सख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है, कि इन स्थानांतरणों में भयंकर अनियमितता एवं घपला हुआ है और अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही भी करनी पड़ी है ?

(3) क्या एक से अधिक बार भी काफी स्थानांतरण किये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में संस्थापन की कुछ टेबल्स पर लंबे समय से लिपिक कार्यरत हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और राज्य सरकार के भी यह निर्देश हैं कि तीन साल से अधिक समय तक कर्मचारी को एक सीट पर नहीं रखा जावे। यदि हां, तो उक्त विभाग में इन निर्देशों की अनुपालना होने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 23 स्थगित कर दिया गया है क्योंकि उसमें पांच साल से ट्रांसफर्स की सूचना मांगी है आपने और मैं समझता हूं कि उन्होंने समय मांगा है बीस दिन का।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतना गंभीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। पहले सुनिये आप। प्रश्न स्थगित हो गया है क्योंकि आपने जो सूचना मांगी है, वह पांच साल तक सारे स्थानांतरणों की स्वास्थ्य विभाग की मांगी है। तो उसको कलेक्ट करने में उनको समय चाहिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर : मेरा निवेदन यह है कि इतना गंभीर मसला है। इसमें लाखों रुपये तो इस सरकार ने इस तरह कमा लिये हैं और ऐसे कर्मचारियों के स्थानांतरण हुए हैं, जो आत्मदाह करने को वे तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रश्न इसी सत्र में आ जाये। माननीय श्री अमीन खां।

Page No. 2

(2)

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के नलकूप

24. श्री अमीन खां (बाड़मेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में विगत पांच वर्षों में भारत सरकार के संबंधित विभाग द्वारा कितने नलकूप खुदाये गये हैं ? तहसीलवार व वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में इसी अवधि में राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा कितने नलकूप प्रतिवर्ष खुदवाये गये ? तहसील व वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार के विभाग द्वारा तैयार कराये नलकूप अभी तक क्रियाशील हैं, व उनका डिस्चार्ज भी अच्छा है, जबकि राज्य सरकार के विभाग ने जो नलकूप खुदवाये हैं, अधिकांश असफल हो गये और जो क्रियाशील हैं, उनका डिस्चार्ज कम है ?

(4) ऐसे विफल नलकूपों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और कब तक ?

मंत्री, भू-जल विभाग (श्रीमती सुमित्रा सिंह) :

(1) विगत पांच वर्षों में भारत सरकार के उपक्रम केन्द्रीय भू जल मंडल के द्वारा बाड़मेर जिले में 15 परीक्षण नलकूप तथा 6 डिपोजिट नलकूप जलदाय विभाग बाड़मेर के लिये खोदे गये हैं। जैसलमेर जिले में उपरोक्त अवधि में कोई भी नलकूप केन्द्रीय भू जल मण्डल द्वारा नहीं खोदा गया है। तहसीलवार एवं वर्षवार सूची परिशिष्ट-एक सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बाड़मेर जिले में भू-जल विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में (वर्ष 1984-85 से 1988–89 तक) कुल 257 नलकूप खोदे गये हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-दो, सदन के पटल पर रख दी गई है।

जैसलमेर जिले में इस अवधि में कुल 76 नलकूल खोदे गये हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-तीन सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं, भारत सरकार के विभाग द्वारा खोदे गये सफल नलकूप और राजस्थान राज्य सरकार के विभाग द्वारा खोदे गये नलकूपों का डिस्चार्ज समकक्ष है तथा वे क्रियाशील हैं।

(4) जी, प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से पूछा था। लेकिन प्रश्न का उत्तर भू-जल विभाग के मंत्री से आया है। इस प्रश्न के भाग-4 में जो "प्रश्न ही नहीं उठता है"– यह बिल्कुल विभाग द्वारा गलत सूचना आयी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की यही शिकायत है और योजनाओं के फेल होने का कारण भी यही है कि जो योजनाएं स्वीकृति के तहत जितने ट्यूबवेल्स लेने थे, उसने ट्यूबवेल्स खोदे गये। मिसाल के तौर

Page No. 3

(श्री अमीन खां)

पर मैं कहता हूं कि ई. डी. ओ. के ट्यूबवेल दस हजार प्रति घंटा देते हैं, जिसको आपने माना नहीं है। अब मैं मंत्री महोदया, आप बहुत अपने को ग्राम और ग्रामीणों का हितैषी बताती हैं, लिख कर देता हूं कि साउथ गराल सलारिया योजना, गराल खरीन योजना, कोपलियां योजना के अन्दर ई. डी. ओ के और राज्य सरकार के नलकूपों के डिस्चार्ज में अन्तर हैं, पी. एच. ई. डी. बता दे और मैं कहता हूं वह सही है तो आप क्या करेंगे ? अगर मैंने यह गलत बात आपसे पूछी है और कहा है तो कहेंगे, जैसा कर दूंगा। सरासर धोखा है। खानियानी के अन्दर एक से छः नलकूप बिल्कुल विफल हो गये, वे आज की तारीख में चालू नहीं हैं और गत वर्ष वहां भारत सरकार की जो यूनिट है, उससे दो नये नलकूप खुदे हैं, तो वह योजना चालू है। साउथ गराल सलारिया योजना है, फैल भी इसलिये हुई है कि यहां छः ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं, आप नट गये।

श्री अध्यक्ष : एक तो माननीय सदस्य मैं बताऊं, आपने अपने प्रश्न में जी. डब्ल्यू. डी. संबंधित भारत सरकार के विभाग और खोदे गये नलकूप के बारे में पूछा है, इसलिये यह केन्द्रीय सरकार का है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं इन्हें जवाब दे दूंगी, अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें स्पष्ट कर देती हूं....

श्री अध्यक्ष : इनका जो प्रश्न है, वह उससे संबंधित है, इसलिये मैंने इनको बताया। जवाब तो आपको ही देना है, दीजिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य इस बात से मेरा अन्तर आप समझ लें। आप ने जो प्रश्न पूछा है, वह यह पूछा है कि इन दोनों के डिसचार्ज में कोई अन्तर है क्या ? मैं फिर आपसे कह रही हूं, मेरी सूचना के मुताबिक जो विभाग से मेरे पास आयी है, इन दोनों का, चाहे भू-जल मण्डल यहां राजस्थान के द्वारा खोदे गये हों, चाहे सेंट्रल बोर्ड के द्वारा खोदे गये हों, कोई अन्तर नहीं है। यह मैं मानती हूं कि दोनों ही के द्वारा खोदे गये कई नलकूप जो हैं, वे असफल हुए हैं, जिन्हें आवंटन कर दिया गया है। यह तो आप अन्तर समझ लीजिये। लेकिन डिस्चार्ज में मेरी सूचना के मुताबिक कोई अन्तर नहीं है और यदि फिर भी आप मुझे कोई इस तरह की लिखित में सूचना देंगे कि अमुक गांव का नलकूप जो सेंट्रल भूजल बोर्ड के द्वारा खोदा गया या राजस्थान के भूजल मण्डल द्वारा खोदा गया है, इन दोनों के डिसचार्ज में कोई अन्तर है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उस बारे में मैं निश्चित तौर से जांच कराऊंगी और जांच कराने के बाद उचित कार्यवाही करूंगी।

श्री अमीन खां : मैं लिख कर देने के लिये तैयार हूं। तीन योजनाओं के उदाहरण के साथ। भारत सरकार के विभाग द्वारा जो ट्यूबवेल खोदे गये, उसका डिस्चार्ज दस हजार प्रति घंटे का है, उसी ग्राम में राजस्थान सरकार के जी. डब्ल्यू. डी. विभाग के द्वारा जो खोदे गये, उनकी कम से कम पांच सौ गैलस और ज्यादा से ज्यादा चार हजार गैलन घटे उसी ग्राम के अन्दर है, कई गांवों में। ऐसे तीन चार गांवों की मैंने मिसाल लिख कर के रखी है, आपकी मार्फत पेश करता हूं और जिन्होंने

Page No. 4

(श्री ग्रमीन खां)

गलती की है ग्रौर गलत सूचना दी है, उन पर ग्राप क्या कार्यवाही करवाना चाहेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर ग्राप एक ग्रन्तर ग्रौर समझ लीजिये। एक ही गांव के ग्रन्दर यदि राज्य सरकार के भूजल मण्डल द्वारा ग्रौर दूसरा दो नलकूप ही खोदे गये हैं, ग्रौर दूसरा खोदा गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें ग्रगर कोई ग्रन्तर है, तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं। लेकिन ग्रलग-ग्रलग गांवों के ग्रन्दर डिसचार्ज की क्षमता ग्रलग-ग्रलग किस्म की होती है।

श्री ग्रमीन खां : नहीं, नहीं, एक ही गांव में पचास कदम की दूरी पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ग्राप लिख कर दें, मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगी, ग्राप लिख कर दें।

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया दोनों साथ-साथ खड़े होकर न बोलें। विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उनका ग्राशय यह है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो ट्यूबवैल खोदे गये हैं, मेरे ख्याल से मशीनों की क्षमता ज्यादा होने से पांच सौ फीट से ज्यादा खोदे गये होंगे ग्रौर ग्रपनी जो मशीनें हैं, वह तीन सौ फीट से चार सौ फीट के बीच में खोदती हैं, इसलिये इसका डिसचार्ज कम है। इसलिये ग्राप इस पर जिद क्यों करती हैं, ग्राप मालूम क्यों नहीं करती हैं कि जो ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं, उनकी केपेसिटी मशीन की क्या थी ग्रौर उनकी केपेसिटी क्या थी ग्रौर कितना खोदने से ज्यादा पानी डिसचार्ज होता है इसका यह ग्राप मालूम कर लें। जिद करने से तो कोई फायदा नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ग्रापने मोटर कितना हॉर्स पावर का लगा रखा है, इस पर डिसचार्ज डिपेंड करेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय मंत्री महोदया, एक ट्यूबवैल को खोदने में सरकार के चार-पांच लाख रुपये खर्च होते हैं। पांच लाख रुपये। ग्रगर डिसचार्ज हजार पन्द्रह सौ गैलन ही होता है, तो पानी तो पूरा पड़ता नहीं है, इसलिये दस हजार गैलन का डिसचार्ज यदि हो सकता है ग्रौर वाकई में पांच सौ फीट से ज्यादा गहराई में खोदा जाना चाहिये तो ग्रपने को भी डायरेक्शन देने चाहिये ताकि ग्राइन्दा भविष्य में जो भी ट्यूबवैल खोदे जायें उनकी क्षमता कम से कम पांच सौ फीट से ज्यादा हो ताकि पानी का डिसचार्ज ज्यादा मिल सके।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डिस्चार्ज, मैंने ग्रापसे कहा कि मोटर के ऊपर निर्भर करता है कि कितना होर्स पावर का मोटर लगा हुग्रा ग्रौर फिर भी मैंने कहा कि यदि ग्राप लिख कर देंगे तो मैं निश्चित तौर से उसकी जांच करवाऊंगी।

श्री ग्रमीन खां : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है। मोटर डिस्चार्ज ? पी. एच. ई. डी. टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यह कैसे गलती कर देगा कि दस हजार गैलन एक घंटे में पानी लेना है, उसके लिये मोटर कोई लगते होंगे ग्रौर एक हजार गैलन पानी लेता है, वह एक मोटर लगाते होंगे, यह गलत बात है।

(श्री ग्रमीन खां)

उसी गांव में पचास कदम पर दस हजार गैलन ट्यूबवैल पानी दे रहा है, एक पन्द्रह सौ गैलन दे रहा है। यह मैंने तीन जगह लिख करके दिया है और उसमें अगर गलती पायी गयी, आपके खुद के पास सबूत मिल जाये, तो आप क्या करना चाहेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीया मंत्री जी, आप बैठिये थोड़ा। यह लोग और पूछ रहे हैं.... पहले आप....

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : ऐसी भी जानकारी मिली है कि पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जो नलकूप खुदवाये गये, उनमें गड़बड़ हुई है, वह ऐसे कि कागजों में पांच सौ फीट की खुदाई दिखाई गयी, पैसा पांच सौ फीट की खुदाई के नाम पर उठाया गया, खुदाई वास्तव में दो सौ या तीन सौ फीट ही की गई। माननीया मंत्री महोदया, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात की भी जांच करवायें तो डिस्चार्ज में क्यों कमी है, अपने आप सामने आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय चंपालालजी.... मैं नाम ले लूंगा। (व्यवधान) आप कृपया बिराजें।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय मंत्री महोदया, क्या यह बताने का कष्ट करेंगी कि कुछ स्थानों के ऊपर जो भू-जल विभाग के लोग नलकूप खोदने के लिए जाते हैं वह गांव वालों से न पटने के कारण, उनकी आवभगत में कमी होने के कारण उनको ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं। गांव वालों की यह शिकायत रहती है कि इसमें पानी बहुत अधिक है और पास में जो नलकूप खुदे हुए हैं उनके अन्दर भी इस तरह की बात है। खनोड़ा गांव की इस प्रकार की शिकायत आई है आप उसकी जांच करवायें और बड़ाऊ जाटी में सौ लोगों ने पानी-बिजली के कनेक्शन मांगे हैं। उन गांवों में खूब पानी है लेकिन निजी तौर पर पानी निकाल रहे हैं। जो आपके नलकूप लगे हुए हैं उनके बारे में यह रिपोर्ट बताई जाती है कि उनके अन्दर पानी की कमी है। इन सारे मामलों की आप जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी) : माननीय अध्यक्षजी, प्रश्न के भाग चार में माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि क्या नलकूप विफल हुए ही नहीं या विफल हो गये और सरकार का उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है, इसको जरा स्पष्ट करके बतायें।

श्री रतना राम (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जगह की यही शिकायत है जैसे हमारे जिले में भी कई प्राइवेट नलकूप खुदे हुए हैं। उसमें नलकूप बताये गये 500 फीट और खोदे गये 300 फीट, 10 की मोटर लगानी थी वहां ढाई की मोटर लगी। नलकूप फैल थे और गरीब आदमी, काश्तकारों को अंगूठे दे करके उनको हैण्ड-ओवर कर दिया। इसमें कई काश्तकार रूल गये। इसलिए बराबर हमारे

(श्री रतना राम)

श्री वहां जैसे मेड़ा में एक बाबा चौधरी का नलकूप जिसमें ढाई की मोटर है और रिकार्ड में बोल रही है 10 की मोटर और कुड़ा में हमारे यहां तीन-चार नलकूप खोदे गये, उनको सबको गवर्नमेंट ने फेल माना परन्तु अभी तक उनका जो पैसा लगा हुआ है और गरीब आदमी को हैण्ड-ओवर कर दिया गया, उन पैसों का अभी तक उनको चुकारा नहीं किया गया। बैंक उन पर बराबर कुड़कियां जारी कर रही हैं। इसलिए कृपा कर जहां-जहां यह नलकूप खोदे गये हैं और धोखाधड़ी हुई है उनकी जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि नलकूप के बारे में जो यह बात सामने आई है, राजस्थान में अधिकांशतः पोलिटिकल बेसिस पर हैण्ड पम्प बोरिंग किये गये हैं। जियोलोजिकल वालों से दिखा करके, जांच करा कर कि पानी है या नहीं है, क्योंकि धरती में तो बैल्ट अलग-अलग जाती है तो मेरा यह निवेदन है कि अधिकांश जगह बिना जियोलोजिकल जांच किये कुएं इस तरह से खुदवाये जिस कारण कई गांवों में चार-चार, छह-छह बोरिंग हो गये और बेकार गये। मेरा यह निवेदन है कि क्या हम इस तरह के कारगर प्रयत्न करेंगे जिसके आधार पर जियोलोजी वाले जहां बतायें, हम वहीं खोदें। पोलिटिकल बेसिस पर यदि खोदेंगे तो यह डिस्क्रिमिनेशन भी होगा और कारगर उपयोग भी नहीं होगा और पानी भी नहीं आयेगा। क्या मंत्री महोदया इस बारे में आश्वासन देंगी कि भविष्य में जो भी हैण्ड पम्प बोरिंग करेंगे तो जियोलोजी वालों का पूरा उपयोग लेकर जहां वह बतायें वहीं इस तरह का करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आयेंगे। क्या यह आश्वासन दे सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पोलिटिकल प्रेशर से कहीं नहीं खोदे जाते हैं। यह तो बिल्कुल जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट है कि यहां पर नीचे पानी है उसी हिसाब से नलकूप खोदे जाते हैं। गुढामलानी से आने वाले माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा कि विफल हुए नहीं क्या, विफल हुए हैं ? कुल 333 नलकूप खोदे गये थे जिनमें से करीब 31 नलकूप असफल हुए हैं, 304 ही सफल हुए हैं। लेकिन यह विफल का जो मैंने जवाब दिया है वह इन रेफरेन्स टू नं. तीन दिया है। तीन में यह पूछा था कि भारत सरकार के द्वारा जो खोदे गये हैं और राजस्थान सरकार के अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने जो खोदे हैं, उन दोनों में कोई अन्तर है क्या और उस हिसाब से विफल है क्या ? इसका जवाब मैंने दिया है कि प्रश्न नहीं उठता। लेकिन आपने जैसा फरमाया कि अन्तर है तो आप उन गांवों का, उन कुओं का मुझे विवरण दीजिए, मैं उसकी निश्चित तौर से जांच कराऊंगी और जांच कराने के बाद इस संबंध में कार्यवाही करूंगी।

श्री अमीन खां : जांच में गलत हुआ तो आप क्या करेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत हुआ तो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जिन लोगों ने मुझे सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो शिकायतें आई हैं आप उनकी जांच करवा लीजिए कि गहराई में है, रिकार्ड में आ गया 500 फीट और खोदा गया 300 फीट पर ही। इस तरह के जो मामले हुए हैं उनमें जांच करवा लीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है। अभी मंत्री महोदया ने एक चीज कही है कि जो पहले कुएं खोदे गये हैं राजस्थान की एजेन्सी के द्वारा या केन्द्र की एजेन्सी के द्वारा, उनमें पोलिटिकल प्रेशर नहीं था। मैं इसको सही नहीं मानता। टेक्निकल काम हमारे राजस्थान में और तरह के भी हुए हैं। हमने महसूस किया है कि पोलिटिकल प्रेशर से, इस तरह से कुएं भी खोदे गये, पोलिटिकल प्रेशर से केन्द्र सरकार को इस्तेमाल करके करोड़ों रुपयों का नुकसान राजस्थान की सरकार को किया गया। मैं समझता हूं, इसमें मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि क्या उनको स्पष्ट पता है कि जितने ट्यूबवैल्स पहले खोदे गये हैं उनमें सब में कहीं पक्षपात नहीं था? कहीं राजनीतिक प्रेशर से असरदार लोगों ने अपने क्षेत्र में नलकूप खुदवा लिये चाहे उसमें राजस्थान सरकार का पैसा लगा। दो-तीन जगह बोरिंग होने के बाद भी पैसा खराब गया। इस तरह की जो घटनाएं हैं वह राजस्थान में व्यापक पैमाने पर घटी है और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ट्यूबवैल्स पर कितना पैसा खर्च हुआ है, किस-किस रूप में खर्च हुआ और उसका रिजल्ट क्या है? कितने नलकूप चल रहे हैं? मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदया इसके बारे में स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : यह जो प्रश्न आपका है वह इससे अपरोक्ष रूप से संबंधित है मगर इसकी जांच उनको करवानी चाहिए। मैं मंत्रीजी से कह देता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय श्री लक्ष्मीचन्दजी।

सांचोर तहसील के दोषी सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

25. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जालोर जिले की सांचोर तहसील में किस-किस सरपंच के खिलाफ फर्जी मस्टरोल भरने व गबन करने के प्रकरण जेर तजबीज हैं?

2. क्या यह भी सही है कि श्री भीखाराम सरपंच पुर व श्री हेमाराम सरपंच सांकड़ के खिलाफ भी फर्जी मस्टरोल भरने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो उनमें चालान कब तक पेश किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उद्योग मन्त्री (गृह मंत्री के स्थान पर) (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :

1. सांचोर तहसील (जिला-जालोर) के किसी भी सरपंच के खिलाफ फर्जी मस्टरोल (गबन) के प्रकरण जेर तजबीज यानि अण्डर ट्रायल नहीं है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

2. जी हां, इन प्रकरणों में तफ्तीश जारी है। तफ्तीश पूर्ण होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : भीखाराम सरपंच के खिलाफ कितने प्रकरण जारी हैं?

श्री रामसिंह विश्नोई : वोट नहीं दिये क्या ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : भीखाराम सरपंच पुर के खिलाफ छह केसेज विचाराधीन हैं। छह केसेज चल रहे हैं और उनमें अभी अनुसंधान चल रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : इसके मुत्तलिक आपने मस्टरोल कब्जे में कर लिये हैं या नहीं किये हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह सच है कि जो भीखाराम सरपंच के खिलाफ छह मुकदमों में तफ्तीश चल रही है उनमें जो संबंधित कागजात हैं वह बावजूद कोशिश के विभिन्न विभागों से तफ्तीश-कुनिन्दा को नहीं दिये गये और इसलिए उसमें बड़ी कठिनाई आ रही है। साथ-साथ यह भी सच है कि इन सारे केसेज के अन्दर अभियोग नं. 36 दिनांक 21.4.88 धारा 467, 468, 477, 420, 409, 120 आई. पी. सी. तीन बार जो तफ्तीश कुनिन्दा था, उसको समय समय पर बदला गया। इसी प्रकार से दूसरे केस, अभियोग संख्या 64 दिनांक 1.7.88 में भी तफ्तीश-कुनिन्दा को, जो-जो भी तफ्तीश के लिए लगाये गये, कोभी पांच बार उस जगह से हटा दिया गया। इसी प्रकार से अभियोग संख्या 73 दिनांक 29.7.88 में भी तफ्तीश-कुनिन्दा को, जो तफ्तीश करने के लिए लगाये, पांच बार उनको वहां से हटा दिया गया। चौथे केस, अभियोग संख्या 89 दिनांक 19.7.88 में भी तफ्तीश-कुनिन्दा को पांच बार वहां से हटाया गया और केस नं. 593 दिनांक 1.9.88 उसके अन्दर भी तफ्तीश-कुनिन्दा को जिनको लगाया गया था पांच बार हटाया गया। केस नं. 6 इस प्रकार यह सारे केसेज हैं। इनको देखने से लगता है कि जो भी तफ्तीश-कुनिन्दा हैं तफ्तीश के लिए एम्बेजलमेंट के केसेज में मस्टरोल में फर्जी दस्तखत करके अंगूठे लगाकर, फर्जी बिल बनाकर पैसा उठा लिया या पैसा खर्च कर दिया गया। उनकी जो शिकायतें हुई हैं और जब-जब भी तफ्तीश प्रारम्भ की गयी तफ्तीश-कुनिन्दा को बदल दिया गया।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : बार-बार हटाने का क्या कारण रहा। राजनैतिक कारणों से मिस्टर खन्ना डी. आई. जी. ने फाइल मंगाकर अपने पास रख ली थी।

श्री रामसिंह विश्नोई : धार्मिक कारण है।

श्री अध्यक्ष : राजनीति में धर्म आ जाये तो बहुत अच्छा है, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए।

श्री जुबेर खां : आ तो रही है लेकिन गलत तरीके से आ रही है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो वस्तु स्थिति थी वह कागजात को देखने से लग रही है वह आपको बता दी। अब जैसा माननीय सदस्य को जानकारी है कि किन कारणों से तफ्तीश बार-

Page No. 9

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बार हटायी गयी राजनीतिक कारण थे या कोई दवाब थे। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को यही कहूंगा कि इस संबंध में जांच कर ली जायेगी और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि तीन महीने के अन्दर ये जितने भी फर्जी कार्य हैं, केसेज हैं, उनका अन्तिम निपटारा कर दिया जायेगा।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जांच अधिकारी बदले गये क्या उसमें किसी मंत्री के आदेश से भी बदले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच के लिए कह दिया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जानकारी कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

राज्य में नये जिले

26. रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में नये जिले बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने व कौन कौन से जिले ?

(2) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो कब ? क्या इस समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रशासनिक दृष्टि से बारां को जिला बनाना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक बारां को जिला घोषित कर दिया जायेगा।

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) बड़े जिलों को पुनर्गठन कर नये जिले बनाने के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु शासन द्वारा वर्ष 1981 में राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट वर्ष 1982 में प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) भाग 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, सरकार के विचाराधीन जिला बनाना नहीं था तो यह समिति क्यों बनायी गयी थी। जनता शासनकाल में समिति बनी थी, समिति पर धन व्यय हुआ। क्या समिति ने यह रिपोर्ट दी है कि बारां को जिला बनाना अत्यन्त आवश्यक है ?

श्री नत्थी सिंह : मैंने कहा वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान विचाराधीन नहीं है। 1981 में कमेटी बनी थी और 1982 में रिपोर्ट आयी। तत्कालीन सरकार ने सन् 1986 में उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर ने बजट पर बहस के समय कह दिया कि अपने

Page No. 10

(श्री नत्थी सिंह)

राज्य की स्थिति को देखते हुए नये जिले बनाने के सम्बन्ध में असमर्थ है।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्त्ता को समाप्त करने दें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सन् 1986 में जब मंत्री ने कह दिया उसको ही आप दोहरा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जनता शासनकाल में समिति बनी और कमेटी की रिपोर्ट यह है कि बारां को जिला बनाना आवश्यक है। जब भैरोंसिंह शेखावत की सरकार थी तब यह समिति बनायी गयी थी। लगभग निर्णय हो चुका था। एस.पी. और कलक्टर को ले जाकर बैठाने की बात हुयी उन्होंने कोई जवाब दे दिया आप उससे बाध्य हैं क्या? कांग्रेस के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं, क्या?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पहले खड़ी हुयी थी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने पहले अनुमति मांगी आपसे, पहले उधर देखा।

श्री परसादी लाल मीणा : यह जयपुर का नहीं दौसा का है।

श्री अध्यक्ष : आप से भी पहले उन्होंने इजाजत मांगी है। आपको मौका मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दौसा के बारे में और गंगानगर के हनुमानगढ़ के बारे में बात कर रही थी। न केवल बारां इसके अलावा और भी जिले बनाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको सवाल नहीं पूछना है। पूछना है तो बैठिए।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या समिति ने दौसा को जिला बनाना उचित माना है। दौसा को जिला कब तक बना देंगे, दौसा को जिला बनाने का स्वरूप क्या होगा? सवाईमाधोपुर, महुआ तथा टोडाभीम को भी दौसा जिले में मिलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। क्या सरकार ने चुनाव से पहले राजस्थान में कुछ जिले बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था और लगभग घोषणा हो गयी थी परन्तु हमारे अपोजिशन के नेता के विरोध के कारण की चुनावों की घोषणा हो गयी है उसके कारण उनको रोक दिया गया था। यह कहां तक सही है।

श्री शांतीलाल (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ जिले इतने बड़े हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से मेनेजेबल नहीं है। उसके कारण उन क्षेत्रों का जो समुचित विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और आपका ध्यान 77–80 में जनता सरकार ने प्रस्तावित किया था उसकी ओर दिलाना चाहूंगा कि उस समय जितने बड़े बड़े जिले थे उनमें से चन्द जो बड़े जिले थे उनके कस्बे हैं उनको जिला बनाने का एक मुद्दा विचाराधीन था और उसमें राजसमन्द भी था। उदयपुर जिला इतना बड़ा है कि बड़े होने के कारण जो विकास के कार्य होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उसके बारे में

(श्री शांतीलाल)

तत्काल कोई निर्णय लें तो उचित रहेगा। उस क्षेत्र का विकास हो पायेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने जवाब में साफ कहा है कि राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी कमेटी जो 81 में बनी है, तो रघुवीर सिंह कौशल ने जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने जिक्र किया कि भैरोंसिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में 1977 से 1980 में ऐसा मुद्दा उठाया गया था लेकिन राजस्व मंत्री के स्पष्ट जवाब से जाहिर होता है कि 77-80 के बीच में कोई भी इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं था। यह बात साफ हो गयी है। मंत्री महोदय, इसको स्पष्ट करें।

दूसरी बात 1981 के अन्दर जो कमेटी बनी उसकी राजस्व मण्डल के अध्यक्ष ने जो रिपोट दी है उसमें ऐसा लगता है कि राजस्व मण्डल ने करौली को जिला बनाने की उसमें रिकमण्डेशन नहीं की है। वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गयी हैं उसको हम देख लेंगे। लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री की ओर खास तौर से मुख्य मंत्रीजी को सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार वाकई में इन नये जिलों को बनाना ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में पान खाकर आना और पान खाकर बोलना....

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि कृपया सभी सदस्य यहां के नियमों की जो प्रक्रिया है, उसको पढ़ लें, नये सदस्यों से गलतियां हो रही हैं। अभी-अभी हेतरामजी बोल रहे थे तो माननीय सदस्य इधर से निकल गये यह भी नियमों के विरुद्ध है कि स्पीकर और वक्ता के बीच से नहीं जाना चाहिए। बहुत सी बातें हैं आप पढ़ लेंगे तो ध्यान में आ जायेंगी। फिर यह बात यहां उठायें अच्छी नहीं है, आप स्वयं ही जानकारी कर लें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : टौंक से आये माननीय सदस्य नये नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय को मालूम है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं निवेदन कर रहा था कि जो कमेटी बनी उसमें राजस्व मण्डल के अध्यक्ष ने करौली को जिला बनाने की राय नहीं दी है। जैसा मुझे विदित हुआ है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों केबिनेट के अन्दर इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा की और अखबारों के अन्दर तीन जिलों को बनाने की रिपोर्ट आती रहीं, स्पष्ट घोषणा हुई, जिसमें बारां, राजसमन्द और दौसा का जिक्र किया गया था जो कि अखबारों में छपा था। उस समय करौली का नाम नहीं रखा गया था। लेकिन बाद में आवश्यक प्रतिनिवेदन स्वीकार करने पर राज्य सरकार ने उन जिलों को भी रोका और करौली को जिला बनाने की मंशा राज्य सरकार ने इंगित की थी और इस

Page No. 12

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

बार माननीय सदन के नेता भैरोंसिंह जी जब करौली गये थे तो उन्होंने भी जनता के बीच में यह वायदा किया कि हमारी सरकार बन जाती है तो हम करोली को जिला बनायेंगे, करौली के हजारों लोगों ने इस बात को सुना। ऐसी स्थिति में माननीय नेता महोदय से चाहूंगा कि क्या अब सरकार की मंशा नये जिले बनाने की है। या कोई नयी कमेटी बनाने का विचार रखती है या कोई केबिनेट में निर्णय करके पुरानी राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर ही जिले बनाने की मंशा रखती है। या नेता महोदय जो वायदा कर आये हैं उससे मुकर जायेंगे ? इसलिए इस बात का स्पष्ट सरकार आश्वासन दे। मैं चाहता हूं कि नये जिले बनाये जाने नितांत आवश्यक है। क्योंकि जियाग्राफिकल दृष्टि से कई जगह बड़ी दिक्कतें हैं और करोली डकैतीग्रस्त एरिया है बरसात के अन्दर आवागमन के कोई साधन नहीं हैं। एस.पी. और कलक्टर करौली पहुंच नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। आपका सवाल हो गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : डकैतियां पड़ती रहती हैं। राजस्व रिपोर्ट पर ध्यान न देकर उसको जिला बनायें। नयी तहसीलें बनाने की बात भी है जिसमें मंडराय और मांसलपुर को तहसील बनाने की बात है। इन सारे जिलों के बारे में सरकार की क्या नीयत है कृपया सदन को स्पष्ट करें तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह बात सच है कि पार्टी के अन्दर और पार्टी के बाहर इसके अतिरिक्त विधान सभा में हम ही लोग जिले बनाने की मांग करते रहे हैं। उदयपुर बहुत लम्बा जिला है, गंगानगर बहुत लम्बा जिला है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह कोटा में बारां के लिए बात आई थी और जयपुर में दौसा की बात बार-बार चली है। यह मांग करना, मुझे लगता है पुराना जो उत्तर सरकार का था वह यहां पढ़ दिया। मैं आग्रह करूंगी कि यह जिले बनाये जावे। आपने कोई काम नहीं किया है, पता नहीं आप बात करने की कैसे हिम्मत कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी यह हमारी मांग है हम मुख्य मन्त्री महोदय से और मन्त्री महोदय से आग्रह करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो बात कहनी है वही बात आपको सदन में कहनी चाहिए....

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रीमान, आप से मेरी कोई लड़ाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसे आप वाद-विवाद का समय मत बनाइये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सुरक्षा करेंगे, मैं किसी के बीच में बोली नहीं....

श्री राजेन्द्र पारीक : उन्होंने बारां को जिला बनाने की घोषणा की थी सरेआम विधान सभा में लेकिन माननीय मंत्री जी ने....

Page No. 13

(13)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बारां, दौसा, राजसमन्द, करौली और हनुमानगढ़ इनको जिला बनाया जाना चाहिए। यह इस कमेटी की रिपोर्ट है। अगर यह इसको शो नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार से हो, जिला बनाया जाना चाहिए यह बहुत आवश्यक है जिससे प्रशासन सम्भले।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हो गया है। माननीय हीरा सिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां....

श्री अध्यक्ष : आप सीधा-सीधा सवाल करिये भाषण मत दीजिए। अब आप इतिहास बना रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां देशी रियासतें थीं उन्हीं को जिला बनाना आवश्यक था। जिस-जिस राज्य में देशी रियासतें थीं उन्हीं के अनुसार कर दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर कहां स्थित है। ब्यावर से साठ किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर जिला शुरू होता है। अजमेर जिले से जुड़ा हुआ जो हमारा सुमेर और पापड़ा बिल्कुल ब्यावर से 20 कि.मी. अन्दर जाना पड़ता है वहां से पाली जिला शुरू होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस जिले का निर्माण जो वर्षों पहले किया गया था तो उनका पुनर्सीमन किया जाये या नये जिले बनाये जाये। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाये और इसमें ब्यावर अपने आप में जिला बनने लायक स्थान है और पिछले विधान सभा सत्र में यहां के सात विधायकों ने जैतारण, रायपुर, आसीन्द, भीम और मसुदा के लिए लिख कर दिया था कि इन जिलों को बड़ा किया जाये तो यह मेरा निवेदन है कि ब्यावर जिला, पहाड़ी क्षेत्र है और पिछड़ी जाति है उसके विकास के लिए ब्यावर जिला बनाया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। माननीय सदस्य इस तरीके से भाषण देंगे तो मैं मौका नहीं दूंगा। सवाल पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसके विकास के लिए भी ब्यावर जिला बनाया जाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : भाषण देंगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा, सवाल पूछिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पृष्ठभूमि तो रखनी पड़ती है, पृष्ठभूमि इसलिए रखनी पड़ती है कि क्यों उपयुक्त है, क्यों आवश्यक है इसलिए मैंने, श्रीमान् जी, निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : आप कमेटी की मांग कर रहे हैं, रिआर्गेनाइजेशन की मांग कर रहे हैं। तो वह सब बात जांच करेगी।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के नेता को यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि ब्यावर को जिला बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये हो गया। श्री चम्पा लालजी।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय

Page No. 14

(श्री चम्पालाल बांठिया)-

से यह पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर जिले के जितना क्षेत्रफल वाला कोई जिला देश में या प्रदेश में है क्या ? जिले के एक छोर से दूसरे कोने तक जिला मुख्यालय तक जाने में कितने पैसे की बरबादी होती है यह कभी आपने विचार किया है वहां के लोगों की क्या स्थिति है। मेरा निवेदन यह है कि क्या राज्य सरकार पुन: समिति बना कर इस बारे में विचार करेगी ? बाड़मेर और जैसलमेर के बीच बालोतरा और पोकरण दो जिले बनाये जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय शांतिलाल चपलोत।

श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिला एक सिरे से दूसरे सिरे तक....

श्री अध्यक्ष : आप कौन से जिले की मांग कर रहे हैं ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : पहले बात सुन ली जाये। खैरवाड़ा से भीम और भीम से आगे तक ब्यावर होकर जाना पड़ता है। इस तरीके से करीब-करीब दोनों की तीन सौ कि.मी. दूरी पड़ती है। मेरा निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी तरफ दृष्टिपात करिये आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे जनता को बड़ी कठिनाई होती है, आने जाने में तकलीफ होती है कुछ हिस्से ऐसे हैं मावली क्षेत्र के जो भीलवाड़ा में होकर जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आप कौनसा जिला चाहते हैं। आप भाषण मत दीजिए।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं कहना चाहता हूं, उदयपुर जिले को दो भागों में बांटा जाय और राजसमन्द को एक जिला घोषित कराया जाय।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, डाइल्यूट किया जा रहा है। बहुत गम्भीर प्रश्न है, हमारे क्षेत्र के भविष्य का निर्धारण होना है।

श्री अध्यक्ष : जो सवाल सामने आये हैं उनमें दो प्रमुख है एक तो नये जिले बनाने का और दूसरा रिआर्गेनाइजशन करना, यह दो प्रमुख सवाल है यह सवाल आपने उठा लिये इसलिए स्वाभाविक होता है हर सदस्य जो किसी नये जिले में इन्ट्रेस्टेड है या जो चाहते हैं, वह अपना सुझाव दे रहे हैं। सरकार ने इस बात को मंजूर कर लिया, इसके लिए कमेटी बना कर विचार करेगी तो आपके दिये हुए सुझाव उनके काम आयेंगे यह डाइल्यूशन नहीं हो रहा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सरकार के तो विचाराधीन ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप यदि हाथ उठाते रहेंगे तो मंत्री महोदय को मौका नहीं मिलेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपका विचार रतनगढ़ को जिला बनाने के बारे में है,....

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से बीच में खड़े होना ठीक नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, आप तो अभी मांग कर नहीं सकते है इस वास्ते सदन के नेता से मैं

(श्री चन्दनमल बैद)

रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग कर रहा हूं।

श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : मेरा हनुमानगढ़ का है।

श्री अध्यक्ष : हनुमानगढ़ का आ गया है। डॉ. हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना को देखते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक कमेटी बना लें और यदि बनी हुई है तो उसी कमेटी को काम में लेकर के और इस बारे में पूर्ण रूप से विचार कर ले कि कहां पर जिला बनाना है और कहां नहीं बनाना है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री ने जो घोषणा की है कि हम उस पर टिके रहेंगे। हमारे राजस्थान में यह हुआ है कि जब तक चुनाव नजदीक आते हैं हर एक नेता जिलों का एलान करता है। मैं ऐसे जिले से हूं। राजस्थान में गंगानगर जिला सबसे बड़ा जिला है। 30 लाख की आबादी का है और पाकिस्तान व पंजाब के बोर्डर के साथ साथ है। जिले जहां भी बनाये वह महत्वपूर्ण है। उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जिले हैं मैं समझता हूं गंगानगर जिले की एक मांग उठी है हनुमानगढ़ की दूसरी मांग उठी है, सूरतगढ़ की। इस तरह से हर जिले में दो-दो मांगें उठी हैं। वहां किस को बनाया जाये। अब शायद अनूपगढ़ की उठ जाये, अनूपगढ़ वाले कहें। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में राज्य सरकार अपनी स्पष्ट नीति तय करे कि प्रशासनिक दृष्टि से और जो हमारे प्रदेश के अन्दर सीमान्त के जिले हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से बैठ कर प्रशासन चलाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि, करौली में आम सभा में इस प्रकार का मैंने कोई कमिटमेण्ट किया था। मैं समझता हूं इस प्रकार का कमिटमेण्ट मैं कर देता तो ये यहां नहीं आते और शिवचरण सिंह जी जीत जाते।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो कमिटमेण्ट नहीं है यह तो साफ हो गया इससे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है, मैंने आम सभा में कोई कमिटमेण्ट नहीं किया और मैं समझता हूं आपके पास भी टेप रिकार्ड होगा मेरे पास भी है उसमें से यह निकाल दें। खैर, ठीक है, मैं मान गया, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, मगर राजनीतिज्ञ वही है जो पहले कुछ कहते हैं और बाद में यह जवाब देते हैं कि क्यों नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजनीति सही बात कहने की है और अगर राजनीति को इस अर्थ में लिया जायेगा तो हमारा भविष्य क्या होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता।

श्री अध्यक्ष : यह जवाब भूतपूर्व प्रधान मंत्री चर्चिल ने दिया था कि ऐसा करेंगे और बाद में कहते हैं ऐसा क्यों नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे चर्चिल से प्रेरणा नहीं लेनी है मगर उन्होंने यह बात कही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि जनता शासन कुछ जिले बनाना चाहता है विचार किया गया है उस विचार के परिणामस्वरूप धौलपुर को जिला बना दिया है। हमने और भी कई जिले बनाने की बात की थी। उसके बाद में कमेटी बनी और कमेटी ने भी मैं समझता हूं उसी आधार पर अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये उसके बाद में राज्य सरकार ने जिला बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। वित्तीय कारण विशेष रूप से इसमें सामने आये हैं। यह बात सही है कि राजस्थान की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति आज है उस वित्तीय स्थिति में नये जिले बनाने का खर्च हम तुरन्त वहन कर सकते हैं इस प्रकार की स्थिति में हम नहीं हैं। यह जानते हुए भी कि प्रशासनिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से कई जिलों का विभाजन होना आवश्यक है लेकिन उसके उपरान्त भी जिला बनाना, आखिर जिला बनाने के लिये खर्च करना पड़ेगा। इस समय हमारे पास पैसा नहीं है। एक-एक पैसा किस प्रकार से बचा रहे हैं उसके बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी होगी साधन उपलब्ध होंगे तो जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन सुझावों के आधार पर भी इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। साधनों के अभाव में विचार कर मैं पैंडोरा बाक्स को खोलना नहीं चाहता जिसके कारण राजस्थान में और प्रकार की विषय स्थितियां उत्पन्न हों।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय ने यह कहा है कि राजस्थान सरकार के विचाराधीन नये जिले नहीं थे यह बात बिल्कुल गलत है। क्या नेता महोदय यह बता सकते हैं कि आपकी पार्टी के लोगों ने चुनाव कमीशन को जो कम्पलेंट की उसमें यह कहा कि इस समय नये जिले खोलना राजनीति से प्रेरित है इसलिये नये जिले नहीं खोले जायें। यह मुद्दा आपकी पार्टी के लोगों ने राइटिंग में कम्पेलेंट की है और इसकी वजह से जिले नहीं बने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछली सरकार ने इस सारे प्रश्न के ऊपर विचार किया और इस मामले को ड्राप कर दिया। मैं समझता हूं सरकार के कई प्रतिनिधि यहां होंगे और वह अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नहीं कहता कि पिछली सरकार ने विचार नहीं किया, पिछली सरकार ने विचार किया और विचार करने के बाद ही इस प्रश्न को उन्होंने ड्राप कर दिया। कारण मैं समझता हूं, फाइलें देखी नहीं हैं लेकिन कारण वहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य : चुनाव का कारण था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं हैं। यह चुनाव के कारण से जिले खोलना चाहते थे और चुनाव के कारण से लोगों ने विरोध किया तो आपत्ति की बात नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अब तो नेता महोदय घोषणा कर दो, अब तो खोलने का वायदा करो।

श्री अध्यक्ष : रामकिशोर सैनी।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : डूंगरराम जी आप बिराजिये। इतने लोगों को मौका दिया उस समय तो आप चुप रहे। रघुवीर सिंह जी, क्या कह रहे थे आप ?

श्री रघुबीरसिंह कौशल (बारां) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट है इसलिए नहीं खोलना चाहते आप कमिटटेड हैं इस बात के लिए स्वच्छ और चुस्त प्रशासन देंगे। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि बारां को जिला बनाना इसलिए आवश्यक है कि वह ट्राइबल एरिया है, डेकोइट एरिया है, कम्युनली सेंसिटिव एरिया हैं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। जनजाति के उत्थान के नाम पर करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं उसको लोग खा गये तो क्या आप इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते। स्वच्छ और चुस्त प्रशासन के लिये मेरे क्षेत्र का भविष्य बारां जिला बनाने पर निर्भर करता है। यह मेरी ड्यूटी हो जाती है कि मैं उसके जिला बनाने के लिए अपनी बात यहां सदन में रखूं। आज मैं क्षेत्र में जाकर क्या जवाब दूंगा जब यह सवाल आयेगा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि हमारे सामने विचाराधीन ही नहीं है जिला बनाना।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुख्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है उससे अलग कहना चाहते हैं तो बात दूसरी है बाकी उसमें सारी बात साफ हो गयी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुख्य मन्त्री जी ने तो यह दिया कि जिला बनाना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं कहा है। इन्होंने फाइनेन्शियल रिसोंसेज इकट्ठे करने की बात कही है। वह होते ही इस पर विचार किया जायेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तो क्यों यह कमेटी बनी थी, क्यों कमेटी पर खर्च किया गया था, कमेटी की रिकमण्डेशन को सरकार क्यों नहीं मान रही है ? बारां में सारे में सारे दफ्तर मौजूद है केवल कलेक्टर और एस. पी. की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : आपने देख लिया है कि यह केवल बारां का सवाल नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैंने प्रश्न केवल बारां का किया है। केवल बारां जिला बनाने का प्रश्न है मेरा। पर्टिकूलरली बारां के लिये है।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। श्री रामकिशोर जी सैनी।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 27 दूर है और आदिवासी क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अन्तिम बार कह रहा हूं कि इस तरह से बीच में खड़े होकर बोलना नियम के विपरीत है और यह ठीक नहीं है। आप सत्ता पक्ष में हैं। श्री रामकिशोर सैनी।

जयपुर जिले के गांवों में सड़क निर्माण

27. श्री राम किशोर सैनी (बांदीकुई):

(श्री राम किशोर सैनी)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अथवा अन्यथा जयपुर जिले में गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए कौन-कौनसी नयी सड़कें बनाये जाने की क्या योजना है और ये कितने-कितने किलोमीटर लम्बी होंगी ? इनमें डामर रोड कितने-कितने किलोमीटर व कच्ची सड़कें कितने-कितने किलोमीटर बनवाने का प्रस्ताव है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने का क्या प्रस्ताव है ?

(3) उक्त क्षेत्र में नयी पक्की व कच्ची कौन-कौन सी सड़क बनवाये जाने की योजना है तथा उक्त सड़कें कितने-कितने किलोमीटर लम्बी होंगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :

(1) जयपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु बनाई जा रही स्वीकृत सड़कों की सूची "अ" संलग्न है। जिसके अनुसार कुल 587.45 किलोमीटर डामर की सड़कों की स्वीकृति है। कच्ची सड़कों का निर्माण अभी नहीं किया जा रहा हैं।

(2) बांदीकुई क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य सालाना सड़कों के रख-रखाव के बजट से किया जाता है। वर्ष 1989–90 में जो कार्य इस बजट से स्वीकृत किये गये हैं, उनकी संलग्न सूची "ब" में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त साधारण मरम्मत के कार्य जैसे पेच रिपेयर, पटरी की मरम्मत का कार्य आदि नियमित रूप से किये जाते हैं।

(3) बांदीकुई क्षेत्र में जिन सड़कों की योजनाएं स्वीकृत हैं, उन्हें सूची "स" में दर्शाया गया है। सूची "स" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामकिशोर सैनी : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार केवल नादौती सिकन्दरा राजगढ़ रोड़, जो कि केवल एक रोड़ है, इसी की मरम्मत करा कर अपने कार्य की इति श्री मानती है जबकि मोराडी प्रतापपुरा वाली सड़क का निर्माण कार्य बरसों से बन्द पड़ा है और सड़क का कुछ हिस्सा पक्का है शेष हिस्से में जो कच्चा है, ढाई-ढाई फीट के गड्ढे हैं। लोग आ जा नहीं सकते वहां पर गाड़ियां बिल्कुल नहीं चलतीं। इसी प्रकार पण्डितपुरा वाली सड़क पर भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है काफी वर्षों से, इसका क्या जवाब है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य सड़कों के रख-रखाव के बजट से किया जाता है, जैसा मैंने कहा, 1989-90 में जो बजट स्वीकार हुआ है, जो कार्य प्रगति पर है वह मैं आपकी जानकारी के लिये रखना चाहता हूं:–

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1) डामर का कार्य कि.मी. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 4, 9 नादौती सिकन्दरा राजगढ़ रोड, दस किलोमीटर का, स्वीकृत राशि 3 लाख रुपये।

(2) डामर का कार्य कि.मी. 58, 59, 60, 70, 71, 72, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93 नादौती सिकन्दरा राजगढ़ रोड, 15 किलोमीटर, 7 लाख।

(3) डामर का कार्य गुढा कटला सड़क कि मी. 6, 7 तथा बांदीकुई बडियाल सड़क कि मी. 1 से 5 तक, 6 किलोमीटर 3 लाख रुपये।

(4) सड़क को डामर, व चौड़ा करने का कार्य कि.मी. 78 नादौती सिकन्दरा राजगढ़ रोड, 1 किलोमीटर 1 लाख 30 हजार।

मैं यह आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं कि 14 लाख 30 हजार रुपया मरम्मत का कार्य इस क्षेत्र के लिए दिया गया है। राजस्थान की सारी स्थिति में जितना इस नाते से आता है उसका विभाजन उस नाते से किया जाता है। सड़कें तो बहुत खराब रही होंगी, होंगी भी। जैसे जैसे धन उपलब्ध होगा निश्चित रूप से आपकी भावना के कारण उसको कराने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामेश्वर जी गुर्जर।

श्री रामेश्वर गुर्जर (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से दो बातें पूछना चाहता हूं। यह जो 500 किलोमीटर की लम्बाई दर्शायी है जयपुर जिले में, क्या यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनकी रोड्स को भी इसमें सम्मिलित किया गया है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो साल का बजट विभागीय रोड पर खर्च किया जाता है वह निश्चित नहीं है। क्या यह कागजों की दूरी है या वास्तविक जो रोड बनी हैं उनकी दूरी है?

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : प्रस्तावित जो डामर की सड़कें हैं इन्होंने सूची में जो जयपुर जिले की दर्शायी है मैं उसमें से पूछना चाहता हूं कि किस-किस सड़क का स्वीकृति के बहुत लम्बे समय के बाद भी आज तक शुरू क्यों नहीं हो पाया? जबकि उन एक-एक सड़क के तीन-तीन चार-चार बार टेण्डर हो गये। क्या इसमें कोई कमीशन कमती बत्ती है, क्यों नहीं हो पाया? इसका मन्त्री जी स्पष्ट कारण बतायें। पीपलाद सड़क आज से 5 साल पहले से मंजूर है। उसके तीन या चार बार टेण्डर हो चुके, पर उस सड़क पर आज तक भी काम शुरू नहीं किया गया। इसका स्पष्ट उत्तर दें, पांच साल सड़क की स्वीकृति को हो गये, उस पर काम बिल्कुल शुरू नहीं किया गया, तो उसका काम कब तक शुरू करा देंगे, कब तक पूरा करा देंगे?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : जितनी सड़कें बतलायी गयी हैं उनमें एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. और अकाल राहत के तहत जो अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं उनके बारे में भी सरकार कोई विचार कर रही है? जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर श्रीमहावीर जी से टोडाभीम

(श्री रामस्वरूप मीणा)

की रोड का मामला है, क्या सरकार उन पर कोई विचार कर रही है ? एन. आर. ई. पी. और अकाल-राहत वगैरह के तहत जो सड़कें बन रही हैं, क्या इनके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है, यह प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि सवाल किसी विशेष जिले से सम्बन्धित है तो उस जिले के बारे में आप पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। अपनी-अपनी बात कहेंगे तो फिर सारा राजस्थान आ जायेगा।

डूंगररामजी। इसी जिले, जयपुर जिले के बारे में बोलिये।

श्री डूंगरराम पंवार : जिला गंगानगर की....

श्री अध्यक्ष : जयपुर जिले के बारे में पूछ रहे हैं क्या ?

श्री डूंगरराम पंवार : जयपुर जिले के बारे में नहीं।

श्री अध्यक्ष : फिर आप बिराजिये। रामेश्वर जी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जयपुर जिले के गांवों को सड़कों से जोड़ने की जो योजना बनायी है उसका मानदण्ड क्या है ? क्या कोई पापूलेशन का बेस लिया है, या पंचायत हैडक्वार्टर का लिया है, या दूरी का लिया है, या आबादी उससे कितनी प्रभावित होगी, उसका बेस लिया है ? इसका मानदण्ड क्या है जिस आधार पर आपने यह योजना बनायी है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस योजना के अन्दर आपने ऐसे इण्टीरियर के गांवों को भी शामिल किया है जहां 10–10, 15–15 किलोमीटर तक सड़क नाम की कोई चीज नहीं है ? देश आजाद होने के बाद उन गांवों के अन्दर यातायात के साधन या रोड नाम की कोई चीज उपलब्ध नहीं हुई है। क्या ऐसे गांवों को आपने प्राथमिकता के आधार पर लिया है, यह स्पष्ट बताने का कष्ट करें। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे चौमूं क्षेत्र के अन्दर किशन-मालपुरा, नांगल-गोविन्द और भूयेड़ा ऐसे गांव हैं जहां पर बीमार होने के बाद नजदीकी हास्पिटल ले जाने में कम से कम 6 घण्टे लगते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शायद फिर वह बात दोहरानी पड़ेगी जो मैं परसों दोहरा चुका हूं। केन्द्र सरकार की जो योजना है उसके अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक की आबादी वाले गांवों में छठी पंचवर्षीय योजनांत तक, यानी 1985 तक, सड़कों से जोड़ा जाना था। इसी प्रकार जनजाति क्षेत्र एवं मरु क्षेत्र में एक हजार की जनसंख्या के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था। किन्तु छठी पंचवर्षीय योजना गयी, सातवीं चली गयी 1990 तक, उसके बाद भी, मैंने वह दोहराया था कि उतने गांव अभी तक शेष हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सड़कों के विस्तार की दृष्टि से बहुत पीछे है। राज्य सरकार की यह मंशा है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के जो निर्देश हैं उनको तो हम पूरा करें ही, किन्तु आगामी पंचवर्षीय योजना में और भी आगे बढ़कर छोटे-छोटे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गांवों तक निश्चित रूप से पहुंचें। किन्तु जैसे-जैसे धन की उपलब्धि होगी, उस-उस प्रकार का प्रयत्न किया जायेगा।

जमवा रामगढ़ क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया था उसमें 381.95 किलोमीटर सड़कें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में हैं, यानी ये वे सड़कें हैं जो 1500 की आबादी से जुड़ने वाले छोटे गांवों की हैं। उसी प्रकार केन्द्रीय निधि की जो सड़कें हैं, इस सारी सूची में इस प्रकार का दिया हुआ हैं। जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में आने वाली सूची है, उसमें मैंने 381.95 आपके सामने बतायी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चम्पालाल बांठिया। प्रश्न संख्या 28। (व्यवधान) अब आप आगे चलिये। रूलिंग पार्टी में हैं आप तो, बैठकर मंत्री से डिस्कस कर लेना।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से कर लेना डिस्कस।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं केवल इतना-सा पूछना चाहता हूं कि इस प्रायोरिटी के अनुसार आप पंचायत मुख्यालयों को अपने कार्यकाल में सड़कों से जोड़ देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में यह कहा है.... (व्यवधान) पहले आप सुन तो लीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मानदण्ड के आधार पर नहीं कहा है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, जो बैकलाग है, हम पिछड़ गये हैं पंचवर्षीय योजनाओं में, उनको तो वह पूरा करेंगे ही, उससे भी आगे जो नयी नवीं पंचवर्षीय योजना बनेगी, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हम कहते हैं कि चार हजार की आबादी के जो पंचायत मुख्यालय हैं उनको जोड़ने का प्रावधान रखा जाय, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ली जाय।

श्री चन्दनमल बैद : धन की उपलब्धि के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : वह तो है ही, धन के बिना तो होगा नहीं काम। (व्यवधान) आप बिराजिये, देखिये इसका अन्त नहीं आयेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह योजनायें कागजों में हैं और सड़कें खराब पड़ी हैं। मंत्री महोदय जांच करके ठीक करा देंगे, इतनी-सी बात है और कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : उजलाजी, आप इतनी पुरानी सदस्य हैं, आपको बार-बार कहते हुए मुझे शर्म आती है। यह तरीका नहीं है बीच में बोलने का।

पचपदरा क्षेत्र में नये विद्यालय खोलना

28. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को गत 5 वर्षों में माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है ? किन-किन विद्यालयों को इस वर्ष क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कितने गांवों में कुल कितने प्रकार के विद्यालय हैं ?

(3) कितने नये ग्रामों में किस-किस स्तर के नये विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) गत पांच वर्षों में 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इनमें से इस वर्ष क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त क्षेत्र के 176 गांवों में कुल 234 विद्यालय निम्न प्रकार से हैं : प्राथमिक विद्यालय – 169, उच्च प्राथमिक विद्यालय – 50, माध्यमिक विद्यालय – 11, उच्च माध्यमिक विद्यालय – 3 और नवोदय विद्यालय – 1।

(3) नये गांवों में सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं, अन्य किसी स्तर के नहीं। इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा केन्द्र ही खोले गये हैं तथा अब शिक्षा सत्रान्त में किसी भी स्तर के विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री चम्पालाल बांठिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष खोले गये माध्यमिक विद्यालयों की सूची जो इन्होंने दी है उसमें मेरे क्षेत्र में 4 माध्यमिक विद्यालय बनाये गये हैं। प्रश्न के अन्तिम खण्ड में उत्तर दिया गया है कि जो राजस्व गांव हैं उन्हीं में प्राथमिक विद्यालय पहले खोले जाते हैं। क्या यह सही है कि मूलजी-की-ढाणी गये वर्ष ही नया राजस्व गांव बना, उसके पहले वर्ष प्राथमिक विद्यालय वहां खोला गया ? फिर उसको भी उच्च प्राथमिक विद्यालय कर दिया गया और गये वर्ष में पक्षपात करके उसको माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया जबकि बड़े-बड़े गांव, पंचायत मुख्यालय के गांवों कोरणा, सरवड़ी, ठोड, कापरा और बरेऊ की उपेक्षा की गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला शिक्षा अधिकारी की भी सिफारिश नहीं थी। केवल भूतपूर्व विधायक की मंशा के आधार पर उस गांव के पंचायत मुख्यालय के स्कूल को मिडल स्कूल तक क्रमोन्नत नहीं करने दिया और अपने घर, अपनी ढाणी के स्कूल को माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया। क्या यह सही था ? अगर सही नहीं था तो अब आप क्या करना चाहते हैं ? जिन गांवों की उपेक्षा की गयी है वहां पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने मूलजी-की-ढाणी के विषय में जो कहा, वह बात सच है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन विद्यालयों को खोलने में राजनीतिक कारण बहुत आड़े आये हैं और उनकी अनुपालना की गयी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, इसमें शेम की क्या बात है ? आखिर माननीय सदस्य यह

(श्री अध्यक्ष)

चाहते हैं कि वह जहां चाहे वहां खुले, उन की इच्छा ही तो है, ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : राजनीति में रहने वाले राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ?

श्री चम्पालाल बांठिया : आबादी में एक हजार नहीं है, 10–10 हजार के गांवों को छोड़ दिया गया यह आपके राज में इस तरह से हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं, खड़े हैं। फिर पूछ लेना।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब दे रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं गांव मूलजी की ढाणी गया हूं। बालोतरा में मेरे ख्याल से बाड़मेर जिले के अन्दर मूलजी की ढाणी के अन्दर जो स्कूल भवन बना हुआ है ऐसा जिले के अन्दर आपको स्कूल भवन नहीं मिलेगा ? कम से कम 4–5 तहसीलों के नीचे पड़ता है।

श्री चम्पालाल बांठिया : आबादी कितनी है, विद्यार्थी कितने हैं ? यह पता है आपको ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चम्पालालजी बैठें। माननीय सदस्य, आपस में यह क्या कर रहे हैं ? आपस में बहस क्यों कर रहे हैं ? मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक जानकारी और सदन को देना चाहता हूं कि 7वीं योजना में लक्ष्य था 300 माध्यमिक विद्यालय खोलने का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 824 विद्यालय खुले किन्तु .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जरा आगे किन्तु तक प्रतीक्षा करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किन्तु आप देखिये कि पहले साल में एक विद्यालय नहीं खुला, दूसरे साल में राजस्थान में 53 बालिका विद्यालय खुले, तीसरा साल गोल हो गया, चौथा साल फिर गोल हो गया और 5 वें साल में 771 विद्यालय खुले। चुनाव का साल था। अध्यापक नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अगर यह कहते हैं कि चौथा साल हो गया तो हायर सैकण्डरी स्कूल्स जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये गये, आप इस तथ्य को छुपा गये....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: विराजिये, मैं पूरा कर देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 771 जो खोल दिये गये, अध्यापकों के बिना तो हैं ही, एक बड़ी समस्या यह पैदा हो गयी कि इनको चलाने, इनके रख-रखाव और इनके सारे कारण आगे के दो साल में केन्द्रीय दृष्टि से कोई मदद नहीं मिलेगी, और राजस्थान की ऐसी हालत कर देंगे, यह स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी। (व्यवधान) माननीय हेतराम जी बोल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह जो 771 इन्होंने एक साल में खोल दिये, एक साल में नहीं शायद 2-3 महीनों में खोल दिये, आप इनको बन्द करेंगे या चलायेंगे ? अगर आप यह सोचते हैं कि गलत खोल दिये, गलत जगहों पर खोल दिये, ढाणियों में खोल दिये या किसी एक आदमी ने मकान बना दिया वहां पर हाई स्कूल खोल दिया। इस तरह के हाई स्कूल चलायेंगे जिनमें 20-20 किलो मीटर से बच्चे पढ़ने के लिये आयेंगे ? उन बच्चों के साथ क्या सलूक होगा, किस तरह से स्कूल चलायेंगे ? इसके बारे में आपकी सरकार की क्या राय है !

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया। आप विराजिये। प्रश्नकाल समाप्त हो गया। आप बोलिये, मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो खुल गये वह चलेंगे, अध्यापक लगाये जायेंगे उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं लाई जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है। मैं दोनों हाथ ऊंचे करके खड़ा हुआ हूं। यदि आपको दिखाई नहीं देता हो तो मैं दोनों हाथ ऊंचा करके खड़ा हुआ हूं। नहीं तो फिर आप क्यों खड़े होते हैं जब मैं खड़ा हुआ हूं। आपको बार-बार कहा है कि या तो प्रक्रिया के नियमों को पढ़िये और आपको नियमों का पालन नहीं करना है तो उनमें परिवर्तन कर लीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब तक यह नियम लागू है, जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं ? प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट 2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को बोनस

21. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 1987-1988 व 1988-1989 के लिए 27 दिन का तदर्थ बोनस दिये जाने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश के अनुसार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों के 1987-1988 व 1988-1989 के प्रकरण तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे हैं ? यदि हां, तो जिला शिक्षा अधिकारियों को किन-किन शिक्षण संस्थाओं के प्रकरण प्राप्त हुए हैं ? उनमें से किन-किन के प्रकरण निपटाकर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेजे गये व कितने शेष हैं ? यदि नहीं भेजे गये तो क्या कारण हैं और सरकार जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त आदेशोपरान्त भी यदि शिक्षण संस्था के

(श्री रामनारायण वर्मा)

प्रबन्ध मण्डल या समिति द्वारा बोनस के प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे ही नहीं जावें तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 के लिए 27 दिन का तदर्थ बोनस दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त आदेश के अनुसार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से वर्ष 1987-88 के प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त होकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेज दिए गए हैं। सूची संलग्न है। वर्ष 1988-89 के बोनस सम्बन्धी आदेश दिनांक 3.3.90 को ही प्रसारित हुए हैं अतः प्रकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही कर दी जावेगी। त्वरित गति से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं द्वारा बोनस के प्रकरण नहीं भेजे जाने की स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने पर बोनस राशि की सीमा तक अनुदान राशि रोक कर भुगतान करा दिया जायेगा।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य सेवा में भर्ती हेतु आयु सीमा

22. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने सरकारी नौकरियों के लिये आयु सीमा में बढ़ोतरी करके 31 वर्ष से 33 वर्ष करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त आयु सीमा बढ़ाने की घोषणा के सन्दर्भ में क्या आदेश किए गए ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणाओं के साथ बेरोजगारों को नौकरी हेतु परीक्षा/साक्षात्कार के लिए मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में राज्य सरकार से क्या आदेश प्रसारित हुए ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब कब तक उक्त आदेश जनहित में जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। प्रतियाँ संलग्न हैं।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। प्रति संलग्न है।

(3) आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(आदेश की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

23. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जुबेर खां)

(1) अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कितने ग्राम व ढाणियों का विद्युतिकरण कर दिया गया है और कितने विद्युतिकरण से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युतिकृत ग्रामों और ढाणियों में घरेलू और कृषि उपयोगार्थ विद्युत कनेक्शन किस वर्ष तक के दे दिये गये हैं? शेष को कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि गत राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 37,000 के स्थान पर 50 हजार विद्युत कनेक्शन इस वर्ष दिये जावेंगे? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में किस-किस प्रकार के कितने-कितने विद्युत संबंध दिये जावेंगे और कब तक?

उत्तर

(1) अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 1971 की जनगणना अनुसार कुल 206 ग्रामों में से 123 ग्रामों को माह फरवरी, 1990 के अन्त तक विद्युतिकृत किया जा चुका था। सूची संलग्न "अ" है। ढाणियों का विवरण जनगणना पुस्तिका में अलग से अंकित नहीं होता। विद्युतिकरण मुख्यत: ग्राम का किया जाता है जिसके अन्तर्गत उस ग्राम की ढाणियां भी सम्मिलित होती हैं।

(2) विद्युतिकृत ग्रामों में कृषि उपयोगार्थ कनेक्शन जुलाई, 1980 से पूर्व के तथा घरेलू कनेक्शन जुलाई, 1987 पूर्व के दिये जा चुके हैं। मार्च, 1982 तक के कृषि आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद उन्हें मार्च, 1990 के अन्त तक कनेक्शन देने का लक्ष्य प्रस्तावित है। बचे हुये शेष कृषि कनेक्शन उपलब्ध वित्तीय साधन एवं वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर दिया जाना सम्भव हो सकेगा। घरेलू कनेक्शन योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों तथा आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद शीघ्र दिये जा सकेंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा 30,000 के स्थान पर कृषि विद्युत कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की घोषणा माह दिसम्बर, 1989 के अन्त में की गई थी। 30,000 कृषि विद्युत सम्बन्धों का आवंटन पंचायत समितिवार किया गया था। परन्तु 50,000 कुओं का आवंटन जिलेवार किया जा सका। इस विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली पंचायत समितियों में 30,000 कनेक्शनों के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य निम्न थे :–

श्रेणी	पं.स. रामगढ़	पं.स. गोविन्दगढ़
1. लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम	–	–
2. स्पिंकलर	2	2
3. जलधारा	–	–
4. एस. टी.	8	30
5. एस. सी.	24	11
6. विलेजेज हैविंग नो कनेक्शन	5	81
7. ग्रीन कार्ड होल्डर्स	1	–
8. हैण्डीकेप्ट	2	1
9. ट्यूबवैल	–	–
10. डिफेन्स पर्सनल	1	–
11. सिंगल पोल	6	3
12. जनरल	56	20
योग	105	148

(ऊर्जा मंत्री)

माह मार्च, 1990 के अन्त तक प्रस्तावित कृषि कनेक्शनों को उक्तानुसार देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पटवारियों की पदोन्नति

24. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि काफी अर्से से पटवारियों के रिक्त उच्च पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) जिलेवार पदोन्नति योग्य कितने मामले हैं और उन्हें पदोन्नति कब तक मिल जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य में भू-अभिलेख निरीक्षकों व अन्य समकक्ष पदों को पटवारियों को पदोन्नति से ही भरा जाता है। राजस्व मण्डल से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे लगभग 1579 पदों में से वर्तमान में 389 पदों को छोड़कर शेष पदों को गत वर्षों में पटवारियों की पदोन्नति से भरा जा चुका है। रिक्त पदों की जिलेवार स्थिति संलग्न है। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इस हेतु दिनांक 22–3–90 को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 3-देखें।)

टोंक जिले की विद्युतिकरण योजनाएं

25. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विगत 5 वर्षों में टोंक जिले में विद्युतिकरण हेतु कौन-कौन सी योजना कब-कब आरम्भ की गई ? योजनाओं की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि योजनानुसार विद्युतिकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त जिले में कुल कितने ग्रामों में से कितने ग्राम विद्युतिकृत हो चुके हैं ?

(4) वर्ष 1989 50 में कौन-कौन से ग्राम विद्युतिकृत हो जावेंगे और 1990-91 में कौन-कौन से गांवों को कब-कब विद्युतिकृत करने का लक्ष्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में टोंक जिले में ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु निम्नांकित ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाएँ आरम्भ की गई हैं:–

क्र.सं.	योजना का नाम	श्रेणी	स्वीकृति वर्ष
1.	पं.स. टोडाराय-सिंह	आर.एम.एन.पी.	1984-85
2.	पं. सं. देवली	एम.एन.पी.	1985-86
3.	पं.सं. उनियारा	एम.एन.पी.	1986-87
4.	पं.सं. मालपुरा 1 व 2	एम.एन.पी.	1387-88
5.	पं.सं. टोंक	एस.यू.	1988-89

(ऊर्जा मंत्री)

योजनाओं की रूप रेखा "अ" संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु योजना मद में आवंटित वित्त एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप वर्षवार ग्रामों का विद्युतिकरण करना वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित किया जाता है। अतः योजना मद में उपलब्ध सीमित वित्त के कारण स्वीकृत योजना के फेजिंग के अनुरूप ग्रामों का विद्युतिकरण कर पाना सम्भव नहीं है।

(3) टोंक जिले में कुल 1089 ग्रामों में से 691 ग्रामों को माह फरवरी, 1990 के अन्त तक विद्युतिकृत किया जा चुका है।

(4) वर्ष 1989-90 में टोंक जिले में 88 ग्रामों का विद्युतिकरण करना वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण में प्रस्तावित किया है जिनकी सूची "ब" संलग्न है। उपरोक्त में से 80 ग्रामों का विद्युतिकरण तो चालू वर्ष में माह फरवरी, 1990 तय किया जा चुका है। कार्यक्रम में प्रस्तावित शेष 8 ग्रामों का विद्युतिकरण माह मार्च, 1990 के अन्त तक हो जाने की संभावना है। वर्ष 1990 91 का वार्षिक कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है। अतः वर्ष 1990-91 में किन-किन गांवों का विद्युतिकरण किया जा सकेगा यह बताना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 4-देखें।)

राज्य में विद्युत उत्पादन

26. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में इस समय कुल कितनी बिजली उत्पन्न हो रही है? कृषि उद्योगों एवं गृह कार्यों में वर्तमान में कितनी विद्युत् की मांग है?

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में कितनी विद्युत् की आवश्यकता होगी तथा किन-किन साधनों से कितनी-कितनी विद्युत् प्राप्त होने की सम्भावना है? इस समय विद्युत् की कितनी कमी है तथा राज्य सरकार इस कमी की पूर्ति हेतु क्या प्रयास करने जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य में इस समय कुल 280.74 लाख यूनिट बिजली विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो रही है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

योजना का नाम	उपलब्धि (लाख यूनिट प्रतिदिन)	
	राज्य में स्थित स्रोतों से	राज्य के बाहर स्थित स्रोतों से
चम्बल सतपुडा तंत्र	0.50	9.00
राजस्थान अणु विद्युत परियोजना	57.00	–
कोटा तापीय विद्युत परियोजना	88.00	–
भाखडा ब्यास परियोजना	–	51.43

(ऊर्जा मन्त्री)

सिंगरोली तापीय विद्युतगृह	–	56.77
अन्ता गैस परियोजना	12.54	–
माही पन परियोजना	3.00	–
नरोरा अणु विद्युत परियोजना	–	2.50
कुल योग	161.04	119.70

कृषि, उद्योगों एवं गृह कार्यों में क्रमशः प्रतिदिन लगभग 176, 120 व 42 लाख यूनिटों की मांग है।

(2) 13 वें वार्षिक सर्वेक्षण (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) के अनुसार आठवीं योजना के अन्त तक अर्थात् वर्ष 1994-95 में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता 19,872 मिलियन यूनिट होगी जो अनुमानित मांग से लगभग 35 प्रतिशत कम रहेगी।

विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा उपलब्धि का सही-सही आंकलन करना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान में मुख्यतः आठवीं योजना में राज्य स्तर पर केवल कोटा तापीय विद्युतगृह की पांचवीं इकाई (210 मेगावाट) स्थापित होने की सम्भावना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान को विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की प्रत्याशित उपलब्धि का विवरण संलग्न तालिका "अ" में दर्शाया गया है।

राज्य में विद्युत संसाधनों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्र से केन्द्रीय परियोजनाओं में अधिक हिस्सा देने के लिये अनुरोध किया है व इसके अतिरिक्त रावी-व्यास नदियों में जल-वितरण के आधार पर राजस्थान ने जल विद्युत गृहों में भागीदारी के लिये अपना दावा केन्द्र में भेजा हुआ है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-5 देखें।)

वन मण्डल टोंक में श्रमिकों को भुगतान

27. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन मण्डल टोंक द्वारा वर्ष 1985-86 से वर्ष 1989-90 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने-कितने श्रमिकों से वर्षवार कार्य करवाया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कार्यों का प्रत्येक वर्ष में कुल कितने-कितने श्रमिकों को कितना-कितना भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यों के अन्तर्गत हजारों श्रमिकों को लाखों रुपयों का भुगतान किया जाना शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) बकाया भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) टोंक वन मण्डल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से 1989-90 (फरवरी, 1990 तक) नियोजित श्रमिकों की संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(वन मन्त्री)

(2) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों को भुगतान की गई राशि परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) जी हां। राशि के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका है।

(4) सम्बन्धित एजेन्सियों से राशि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर बकाया भुगतान कर दिया जायेगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट–6 देखें।)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

28. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कोलायत एवं गजनेर जलोत्थान योजनाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं? यदि हां, तो अब तक इन दोनों परियोजनाओं का खुदाई एवं लाइनिंग का कितना कार्य हुआ है एवं इन जलोत्थान योजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि फलोदी, पोकरण जलोत्थान योजनाएं वर्ष 1977-80 के मध्य निरस्त कर दी गई? यदि हां, तो इन्हें अब कब प्रारम्भ किया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के अन्तर्गत स्वीकृत जलोत्थान योजनाओं के हैडवर्क्स के बारे में नक्शे स्वीकृत नहीं हुए? यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृति दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, इन योजनाओं पर खुदाई एवं लाइनिंग का हुआ कार्य निम्नानुसार है–

जलोत्थान योजना	खुदाई	लाइनिंग
1. गजनेर	50 लाख घनफुट	0.1 कि.मी.
2. कोलायत	55 लाख घनफुट	0.5 कि.मी.

वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धि होने पर इन जलोत्थान योजनाओं को 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जा सकने की सम्भावना है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। साहवा योजना के हैड रेगूलेटर का नक्शा दिनांक 18.1.90 को स्वीकृत किया जा चुका है व गजनेर, कोलायत, फलोदी योजनाओं के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 में नक्शे स्वीकृति हो जायेंगे। पोकरण योजना के हैड रेगुलेटर के नक्शों की स्वीकृति इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त प्रदान कर दी जायेगी।

न्यायाधीशों के रिक्त पद

29. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामनारायण बैरवा)

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद हैं ?

(2) राज्य में न्यायाधीशों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार द्वारा इनकी पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से पेशकश की गई है ? यदि हां, तो क्या प्रगति है ?

(3) राज्य में बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या को देखते हुए क्या सरकार न्यायाधीशों की स्ट्रेन्थ को बढ़ाने की दिशा में केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क साधे हुए हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में कार्यवाही की कब तक सम्भावना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की संख्या 28 है।

(2) राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 10 पद रिक्त हैं। इनमें से 5 पदों पर तो प्रथम नियुक्ति ही नहीं हुई है। शेष पांच पद रिक्त हैं, जो 2 माह से लेकर एक वर्ष तक की अवधि से रिक्त हैं। ये रिक्त पद केन्द्र सरकार स्वतः ही भरती है क्योंकि यह उनके ही क्षेत्राधिकार का मामला है। अतः इस बारे में राज्य सरकार कुछ नहीं करती है। आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तर पर वार्ता की जाती है।

(3) न्यायाधीशों की स्ट्रेन्थ बढ़ाने का मामला केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है - अतः इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा भू-खण्ड आवंटन

30. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा स्कीम नं. 8 में आवंटित एक भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 213.33 वर्ग गज था को परिवर्तित कर आवंटियों को बदले में 2 भू-खण्ड जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, मधुबन कालोनी में न्यास के अधिकारियों के मकान के निर्माण के लिए आरक्षित थे, आवंटित कर दिए गए ?

(2) क्या एक भू-खण्ड के स्थान पर बदले में दो भू-खण्ड देना नियमों के अनुसार है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आवंटन को रद्द कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

उत्तर

(1) जी हां, एक आवंटी श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, को भूखण्ड संख्या 58 योजना नं. 8 के विनिमय में न्यास की बैठक दिनांक 22.4.89 में लिये गये निर्णयानुसार मधुबन कालोनी में भूखण्ड संख्या 110 एवं 111 जिसका क्षेत्रफल 406.89 वर्ग गज आवंटित किया गया।

(2) नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की कीमत अलग-अलग हो सकती है। विनिमय में भूखण्ड

(नगरीय विकास मंत्री)

का आवंटन न्यास की बैठक दि. 22.4.89 में लिये गये निर्णय अनुसार किया गया है।

(3) इस प्रकरण की जांच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर विकास न्यास, अलवर में वाहनों का दुरुपयोग

31. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1989 से फरवरी, 1990 की अवधि के दौरान नगर सुधार न्यास अलवर के किन-किन अधिकारियों द्वारा न्यास के वाहनों से किस-किस उद्देश्य से जयपुर एवं दिल्ली की यात्राएं की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त यात्राएं राज्य सरकार की अनुमति से की गई ?

(3) यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में धन के अपव्यय को रोकने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1989 से फरवरी, 1990 की अवधि के दौरान न्यास के वाहनों से की गई यात्राओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। सामान्यतया यात्राएं करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करली जाती है। परन्तु अत्यन्त आवश्यक कार्य होने पर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने में समय लगता है, इसलिए यात्राएं पूर्ण करने के पश्चात् न्यास द्वारा प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।

(3) राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना न्यास के वाहन से क्षेत्र के बाहर यात्रायें करने के दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में अभावग्रस्त ग्राम

32. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संवत् 2045 व 2046 में राज्य के किस-किस जिले के कितने-कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये ?

(2) इन घोषित अभावग्रस्त गांवों के लिए सरकार ने कुल कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई ? कृपया जिलेवार कुल गांवों की संख्या व कुल राशि के वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संवत् 2045 व 2046 में राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 4497 व 14015 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिलेवार घोषित ग्रामों की संख्या सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-अ)

(अकाल राहत मंत्री)

(2) अभावग्रस्त घोषित गांवों के लिये सरकार ने अकाल वर्ष संवत् 2045 में गैर आयोजना मद में 58.17 लाख रुपये का आवंटन किया है जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ब")।

आयोजना मदों में सहायता विभाग द्वारा राशि का आवंटन अभिकरणवार किया जाता है। सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा जिलेवार राशि आवंटित की जाती है। अभिकरणवार किये गये राशि 1359 लाख रुपये के आवंटन का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"स")

अभाव वर्ष संवत् 2046 के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 1677.20 लाख रुपये की व्यय सीमा स्वीकृत की गई है। इस राशि के आवंटन हेतु मामला विचाराधीन है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 7 देखें।)

दुर्घटना बीमा योजना

33. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा करने वालों के लिये दुर्घटना बीमा योजना शुरू कर दी है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त योजना की रूपरेखा क्या है तथा इससे अब तक दुर्घटनाग्रस्त लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई?

(3) सरकार की उक्त सन्दर्भ में भावी नीति क्या है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसी कोई योजना नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में राजस्थान मोटर यान प्रारूप नियम, 1989 प्रकाशित किये हैं। इसके अध्याय 9 में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम मोटर यान तृतीय पक्ष जोखिम कोष की स्थापना की गई है।

मजरावता (कोटा) लिफ्ट सिंचाई योजना

34. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले में बारां के निकट ग्राम मजरावता में एक लिफ्ट सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना की प्रक्रिया किस स्तर पर है?

(2) इस योजना के पूर्ण होने पर कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी? इस योजना का बी. सी. रेश्यो क्या है?

उत्तर

(1) कोटा जिले में बारां के निकट ग्राम मजरावता में स्वतन्त्र रूप से लिफ्ट सिंचाई की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। पानी की कमी के कारण पार्वती नहर के आधुनिकीकरण योजना में एक ऐसा प्रस्ताव बनाया गया है कि मजरावता के निकट

(सिंचाई मंत्री)

पार्वती नदी की देह (पूल) से पानी लिफ्ट करके राजवाह ब्रांच की टेल पर पानी डाला जावे। आधुनिकीकरण की योजना केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति हेतु भेजी गई थी और उनके आक्षेप प्राप्त हुए हैं जिनकी पूर्ति की जायेगी।

(2) चूंकि स्वतन्त्र रूप से कोई लिफ्ट सिंचाई योजना नहीं बनाई गई है अतः सिंचित भूमि व बी. सी. रेश्यो नहीं निकाला गया है। वैसे उपरोक्त प्रस्ताव से राजवाह ब्रांच की टेल के गांव मजरावता, तेजगढ़, रीढोद, साहीगढ़, सरोती तथा कोयला की लगभग 2250 एकड़ भूमि में सिंचाई संभावित है।

राज. को-ओपरेटिव स्पिनिंग लि. गुलाबपुरा

35. श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रबन्ध संचालक राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. गुलाबपुरा ने अपने पत्र-क्रमांक एफ/समय विभाग/ट्राइज्म/89-90/3881 दि. 8.7.89 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर से मिल्स में ट्राइज्म प्रशिक्षण हेतु आशार्थियों की सूची मांग कर दिनांक 26.7.89 को अजमेर जिले के आशार्थियों को गुलाबपुरा मिल्स में साक्षात्कार हेतु बुलाया था?

(2) यदि हां, तो कितने लोगों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया। क्या चयनित लोगों को मिल्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो अभी प्रशिक्षण चालू नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर द्वारा भेजी गई सूची में से ट्राइसम प्रशिक्षणार्थियों हेतु किसी भी आशार्थी का चयन नहीं किया गया इसलिये प्रशिक्षण देने का प्रश्न नहीं उठता। मिल्स के प्रबंधकों ने भीलवाड़ा जिले (गृह जिले) से ट्राइसम आशार्थियों को चयन के समय प्राथमिकता दी थी। भीलवाड़ा जिले के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा

36. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) एवं श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रावी, व्यास और सतलज नदियों पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कितने-कितने मेगावाट के हाइडल बन रहे हैं तथा किस-किस स्थान पर और उनमें कितनी विद्युत उत्पादन होगी? उस बिजली में राजस्थान का कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि नाथपा, झाकड़ी, थीन बांध, पोंग तथा अन्य बांधों से राज्य का हिस्सा निर्धारित किये बिना ही निर्माण कार्य चल रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर?

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(3) इन बांधों से उत्पन्न होने वाली बिजली के लिये क्या राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपना दावा दायर करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र के लिये गठित कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के अनुसार रावी, व्यास एवं सतलज नदियों पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण तालिका–"क" पर संलग्न है। इन सभी परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(2) जी हां, यह सही है कि नाथपा-झाकड़ी पर हिमाचल प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा एवं थीन बांध पर पंजाब द्वारा राज्य का हिस्सा निर्धारित किये बिना ही निर्माण कार्य चल रहे हैं। जहां तक पोंग बांध के जल पर आधारित विद्युत गृहों का प्रश्न है, इसमें राज्य का 58.5 प्रतिशत हिस्सा पहले से ही तय है।

(3) दिनांक 10.5.1984 को हुए एक समझौते के अनुसार थीन बांध जल विद्युत परियोजना एवं शाहपुर काण्डी जल विद्युत परियोजना में राजस्थान राज्य के हिस्से के दावे को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था। राज्य सरकार ने उपरोक्त परियोजनाओं में अपने हिस्से के दावे का केस बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु केन्द्र सरकार को भेज दिया है। (इसमें आनन्दपुर साहिब–134 मेगावाट, मुकेरिया 207 मेगावाट व यू.बी.डी.सी.–1145 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, जिन पर कि पंजाब द्वारा निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है एवं इससे उत्पन्न विद्युत का वह उपयोग कर रहा है। केन्द्र सरकार ने अभी तक राज्य के दावे को सर्वोच्च न्यायालय में नहीं भेजा है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 8 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों को दिये गये ऋणों को माफ किये जाने की घोषणा के उपरांत भी उनसे वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में स्कीम नम्बर 14 गंगा जमुना मुरलीपुरा व नांगल जैसा बोहरा क्षेत्र में पुलिस मदद से जोर-जबरदस्ती कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तानी सीमा पर हथियारों की तस्करी व उग्रवादी गतिविधियों के बढ़ने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तीन दिन के अन्दर जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाली विधान सभा क्षेत्र में बारवा गांव में नरबलि हरीश काण्ड के सम्बन्ध में।

(2) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का-थाना उप खण्ड में ग्रामदानी गांवों की जनता में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री बालचन्द आर्यवीर सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में पीने के पानी की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री मनोहरसिंह इन्दा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना पंचायत समिति में नवें वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृत राशि के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगाने एवं पूर्व विधायक श्री हेमाराम चौधरी के आमरण अनशन के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगंज मंडी में पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

(7) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के तहसील नोखा के ग्रामीण क्षेत्र एवं नोखा कस्बे में पानी की सप्लाई ठप्प होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में पीने के पानी की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर में प्रशिक्षित अध्यापकों को हटा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर कोआपरेटिव आयल सीड प्रोसेसिंग मिल गजसिंहपुरा मण्डी आर्थिक संकट से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। कुछ सदस्य जो पहले भी इन पिछले 2-3 दिनों में बोल चुके हैं उन्होंने दुबारा प्रस्ताव दिये हैं। यहां प्रक्रिया यह अपनायी जा रही है कि एक सप्ताह में सदस्य एक बार 295 के अन्तर्गत उल्लेख कर सकते हैं। इसलिये उनके प्रस्ताव अगले हफ्ते के लिए हमने रोक लिये हैं।

श्री अमृतलालजी परमार।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : अध्यक्ष जी, 1989 के अन्दर बारवा गांव बाली के पास दिनांक 19.4.1989 को

Page No. 37

(श्री अमृतलाल परमार)

शाम को एक नरबलि काण्ड हुआ था हरीश कुमार का। दिनांक 19.4.1989 की शाम को ही उसको घर से उसको बुलाकर....

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रखें, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था दें। अध्यक्ष महोदय, 295 के अन्तर्गत जब वहां धौलपुर में डकैती पड़ जाय और प्रद्युम्नसिंह जी को बोलना जरूरी हो जाय तो क्या उनको ...

श्री अध्यक्ष : उसके लिये और प्रक्रिया है, 295 एक ही नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : ऐसा है कि धौलपुर में डकैती पड़ जाय तो मैं एक शुभ सूचना देना चाहता हूं कि आप का प्रवेश वहां पर बन्द करवा देऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : उसमें भी आपका प्रवेश बन्द करना पड़ेगा।

श्री अमृतलाल परमार : बारवा गांव के अन्दर से ठीक शाम को 8 बजे हरीश-कुमार और देवीशंकर नाम का आदमी गये। उसके बाद 10 दिन तक हरीश कुमार का पता नहीं लगा। नहीं मिलने पर उसके घर वालों ने ठीक 12 बजे ढूंढा, रात तक हरीश कुमार का पता नहीं लगा तो उसके घर वालों को मालूम पड़ा तो उसके पिताजी और उसका चचेरा भाई ढूंढने के लिये गये और रात को ढूंढने के बाद उनको पता लगा कि कुछ आदमी उसको बुलाकर ले गये हैं जो वांदी है वह बाहर का आदमी था तांत्रिक आदमी था और सूरदास है उसका नाम मूलसिह था....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ रहे हैं या वैसे ही बोल रहे हैं।

श्री अमृतलाल परमार : तथ्य मेरे पास हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह एड-जोर्नमेंट मोशन या 295 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आते हैं, उनको आप असेप्ट करें या चर्चा करें। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रक्रिया में अगर थोड़ा सुधार हो जायें तो सदन को उन विषयों पर चर्चा करने का अधिक समय मिलेगा। प्रक्रिया में जिस प्रकार की व्यवस्था है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो, या बजट के ऊपर चर्चा हो, सामान्यतया 295 में न तो चर्चा होती है, न एडजोर्नमेंट मोशन लिये जाते हैं, लेकिन पिछले वर्षों से इस प्रकार की प्रक्रिया चल पड़ी, हमने इस प्रकार से 295 पर भी चर्चा की है और एडजोर्नमेंट मोशन पर भी चर्चा की है। लेकिन उसका एक परिणाम निश्चित रूप से निकलता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जितनी चर्चा के लिए समय मिले उतना समय नहीं रहता। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि एडजोर्नमेंट मोशन हो या 295 हो, यदि आप लोग इसको आज स्वीकार करने को तैयार हों, कि गवर्नर के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एड्रैस के ऊपर अगर माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में भाग लेने के लिए ज्यादा समय मिले तो हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जीरो ग्रावर को हम समय तक ही निश्चित करके चलें कि अमुक समय पर जीरो ग्रावर समाप्त हो जाना चाहिए, और उस समय में कितने माननीय सदस्यों को 295 में या एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर बोलने की अनुमति दी जा सकती है, अध्यक्ष महोदय, उसका निर्धारण कर लें।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं है आप लोग मिल लीजिए। सारे नेताओं को स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, उचित होगा कि आपके चैम्बर में नेता महोदय और हमारी पार्टी के लोग बात कर लें क्योंकि हम भी चाहेंगे कि इसमें परिवर्तन हों।

श्री अध्यक्ष : मैंने यही कहा है। चैम्बर में आप तय कर लीजिए। जो आप तय करेंगे वही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

श्री यदुनाथ सिंह : 295 पढ़ा हुआ समझ लिया जाय, इनके पास जवाब पहुंच जायेगा। वह समय बचेगा।

श्री अध्यक्ष : आज तो बोलने दीजिए।

श्री अमृत लाल परमार (बाली) : यह पता लगा कि, बाली थाने में 22 तारीख को इसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। उसको थाने में बुलाया, उसको दो दिन तक वहां रखा, उसके बाद थाने से फरार हो गया। थानेदार से पूछा कि कैसे हो गया तो....

श्री अध्यक्ष : आप उसमें से पढ़िये, जो आपने लिखा है उसको पढ़ दीजिए। इससे समय कम हो जायेगा।

श्री अमृत लाल परमार : 24.4.89 को बागसिंह, मूलाराम रेबारी तथा उसकी पत्नी तथा नारायण लाल व छोगालाल से पूछताछ की किन्तु चिमनीराम वादी गांव में नहीं मिला। 26.4.89 को चिमनीराम वादी को दूदनी गांव वालों ने पुलिस को सुपुर्द किया। अगले ही दिन चिमनीराम वादी थाने से फरार हो गया।

नरबलि में काम आने वाला सामान पुलिस द्वारा बरामद किया गया जिसमें एक नारियल, कपड़े के टुकड़े, नेल पालिश, फटा पायजामा, नीम्बू, इत्र की शीशी तथा अन्य तांत्रिक विद्या का सामान भी मिला।

श्री अध्यक्ष : पढ़ लिया आपने।

श्री अमृतलाल परमार : जी,

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। आपको जवाब उसी का मिलेगा जो आपने लिखा है।

श्री अमृतलाल परमार : मैं वही बोल रहा हूं। 1.6.89 को नारियल की जटा खून से सनी हुई मिली। 2.6.89 को पेड़ के नीचे छीण का पत्ता (डेढ फीट लम्बा) खून से सना हुआ मिला। सभी सामान पुलिस द्वारा बरामद किया गया। 19.4.89 को बागसिंह ने जो वादी के व्यापारी से इत्र की शीशी, नारियल तथा 40 किलो नमक खरीदा। जो उसके खाते में उधार लिखा है। ग्रामीणों द्वारा अन्धे साधु मूलसिंह के स्टेटमेंट लिये गये जो टेप किये गये हैं। साधु

(श्री अमृतलाल परमार)

मूलसिंह ने कहा कि उन्होंने धन के लालच में हरीश की बलि चढ़ाने की बात मंजूर की है उस टेप के अन्दर इतने पुख्ता सबूत होने के पश्चात् भी पुलिस नहीं मान रही है कि हरीश की बलि चढ़ा दी गई है या नहीं। जबकि निम्न तथ्य यह साबित करते हैं कि हरीश की बलि चढ़ा दी गई है।

दिनांक 20.4.89 को पूछताछ करने पर बागसिंह द्वारा आपत्ति करना। बागसिंह के पुत्र द्वारा हरीश की जानकारी होने की बात सहपाठी को बताना। बागसिंह के पुत्र और अन्धा साधु मूलसिंह तांत्रिक विद्या द्वारा चिमनीराम बांदी व उसकी पत्नी का होना। बागसिंह ने इनको अपने कुएं पर क्यों ठहराया? क्या किया इनके बीच? श्री हरिसिंह के यहां दिनांक 19.4.89 को ही मांगीलाल व चिमनीराम द्वारा उनके घर पर जाकर इत्र मांगना तथा बाद में व्यापारी से इत्र व 40 किलो नमक खरीदना। ये सारी चीजें सही पाई गई हैं। उसके बावजूद भी आज दिन तक पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : जो लिखा है आपने उसी का जवाब मिलेगा।

श्री अमृतलाल परमार : मैं यही चाहता हूं कि इसकी जांच अविलम्ब कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री फूलचन्द जी गुर्जर। इसको पढ़ दीजिए। ताकि आपको समय और मिल जायेगा।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मामला बहुत गम्भीर है और पिछले पांच साल से इस मामले को मैं बार-बार उठा रहा हूं और पढ़ना और न पढ़ना बराबर हो रहा है। नीम का थाना में 46 ग्रामदानी गांव हैं। और 61 से 66 तक यह गांव चयनित हुए थे, और आज तक उन गांवों की यह हालत हो गई कि गोद के बेटे से भी बुरी हालत हो रही है। न तो वहां कोई काम होता है, न उनको अनुदान ही मिलता है, न राजस्व में पटवारी वगैरह होते हैं, न वह जमीन का लोन ले सकते हैं। यानि ऐसा काला कानून बन गया और 1984 में इसी को ध्यान में रखकर ग्रामदानी एक्ट में संशोधन करके धारा 37(2) में यह प्रावधान कर दिया गया था कि 51 प्रतिशत जनता अगर लिख कर दे देती है कि हम पंचायत राज में शामिल होना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिए। आप को अभी आपके नेता ने कहा है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं पढ़ ही रहा हूं। मामला इतना गम्भीर है कि सदन में बनाये हुए नियमों की पालना नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : आपके बोलने से हो जायेगी? अगर पढ़ने से नहीं होगी तो बोलने से भी नहीं होगी। आप पढ़ दीजिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं यही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां पढ़िये।

श्री फूलचन्द गुर्जर : 46 ग्रामदानी गांव हैं। लम्बे समय से जिनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। यह क्षेत्र विकास से जुड़े हुए नहीं हैं। न नियमानुसार यहां चुनाव

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

होते हैं, न कोई मीटिंग होती है। न यह लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। और न कोई जमीन बिक्री कर सकते हैं, न राजस्व संबंधी कोई काम-काज होता है। इसलिए बड़ी भयंकर दिक्कत है। काफी ग्रामदानी गांव पंचायत राज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जैसे धारा 37(2) में इसी सदन में प्रावधान किया था कि 51 प्रतिशत जनता अगर लिखित में सूचना देती है तो पंचायत राज में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भी कम से कम 5 साल के पहले के गांव के काफी लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश कर रखे हैं कि हमको पंचायत राज में शामिल किया जाय। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है, कि 46 गांवों का भविष्य अन्धकार में है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिससे कि उन 46 गांवों का विकास रुक गया है, न उनको अनुदान मिलता है, न समय पर बैठकें होती हैं, न समय पर चुनाव होते हैं जबकि चुनाव का प्रावधान है कि तीन साल में चुनाव होने चाहिए। एक अध्यक्ष दो बार से ज्यादा नहीं चुना जायेगा। लेकिन ऐसी हालत है कि एक-एक अध्यक्ष 20-20 साल से चुना गया है। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्व मंत्री महोदय तो नहीं हैं, लेकिन वरिष्ठ मंत्री महोदय बैठे हैं, क्या इसी सदन में कोई नियम बन गया हो....

श्री अध्यक्ष : आपने पढ़ लिया। मैं आपकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं, आप पढ़िये।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं यही पढ़ रहा हूं। इसी सदन में अगर नियम बन गया हो कि 51 प्रतिशत लोगों के लिख कर देने पर पंचायत राज में शामिल होने का प्रावधान है और इसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो वह 46 ग्रामदानी गांवों के लोग कहां जाय, जिससे कि उनका सुधार हो। इसलिए मैं आपकी मार्फत एक ही व्यवस्था चाहता हूं कि आज कितना लम्बा समय और लगेगा? उनकी हालत यह हो गयी है कि अब लोग-बाग आंदोलन पर होंगे और धरने दिये जायेंगे। गांव वालों के विकास की सुनवाई नहीं हो रही है। न वह जमीन मोर्डगेज कर सकते हैं, न लोन ले सकते हैं, न उनका विकास होता है। इसलिए मंत्री महोदय से आपकी मार्फत व्यवस्था चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, आपकी तरफ से। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री फूलचन्द गुर्जर : माननीय मंत्री महोदय, कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : जो मुद्दा अभी माननीय सदस्य ने उठाया वाकई में ही वह बहुत गम्भीर है और इस विषय के ऊपर हम निश्चित रूप से इन ग्रामदानी गांवों को वापिस पंचायत के अन्दर जो लेने की बात है ताकि उनको लाभ मिल सके उन योजनाओं का, हम उस पर विचार करेंगे और शीघ्र ही उस पर निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

पांच विधान सभा क्षेत्र हैं और पांचों विधान सभा क्षेत्रों में पीने के पानी की भयंकर किल्लत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डग विधान सभा क्षेत्र में जो भवानीमंडी कस्बा है अभी उसमें वर्तमान में ही पीने के पानी की किल्लत हो चुकी है और जनता में हाहाकार मचा हुआ है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाये, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधीसागर बांध भी हमारे निकट पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से भी यदि सरकार चाहे तो पीने के पानी के लिये वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सुनेल क्षेत्र है जो पिड़ावा क्षेत्र में पड़ता है। सुनेल भी जहां पर, हमारा भवानीमंडी और सुनेल में सागल डेम है, आहू नदी पर पड़ता है उसी से सारा पानी की सप्लाई होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर व्यवस्था की जाये क्योंकि भयंकर पीने के पानी की समस्या हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरोद, कुडियाग्राम, मनोहरथाना क्षेत्र, झालरापाटन क्षेत्र में भी पीने के पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में पीने के पानी का भयंकर अभाव है। गंगधार, चौमेला और डग में भी भयंकर पीने के पानी की किल्लत हो रही है। यदि सरकार ध्यान देगी, माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे, इस प्रकार की शीघ्र व्यवस्था होगी तो जनता को पानी मिल सकेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सदस्य अभी शपथ लेने को बाकी रह गये हैं। मैं चाहता हूं अभी बीच में शपथ दिला दी जाये ताकि वह भाग ले सकें। माननीय श्री दलजीत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर सिंह।

श्री मनोहर सिंह इन्दा (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति बड़ी भयंकर बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ता रहता है। इसी वर्ष पश्चिमी राजस्थान भयंकर अकाल की चपेट में है तथा पूर्व सरकार ने किसी भी जगह अकाल राहत कार्य नहीं खोले, विशेषकर जोधपुर का पश्चिमी भाग, शेरगढ़, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर में। पूर्व सरकार द्वारा किसी भी जगह अकाल राहत कार्य नहीं खोलने के कारण लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि भीषण अकाल से निपटने के लिये जल्दी ही इस क्षेत्र में अकाल राहत कार्य खोलने की कृपा करें जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोग अपना भरण पोषण कर सकें तथा उनको राहत मिल सके। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में कच्ची सड़कों का निर्माण अधूरी पड़ी सड़कों को वापिस खोलकर तथा तालाबों का निर्माण

(श्री मनोहरसिंह इन्दा)

करके इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दे। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर पानी की भयंकर समस्या है तथा लोगों को पानी के लिए 10 या 12 कि.मी. दूर-दूर तक जाना पड़ता है तथा पानी के लिए लोग शेरगढ़ इलाके में बूंद-बूंद के लिए तरसते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि शेरगढ़ तहसील की विशेष योजना बनाई जाये तथा यहां के इलाके के लोगों को पानी के लिए राहत पहुंचायी जाय। लोग एक तरफ से अकाल की भयंकर चपेट में हैं तथा दूसरी तरफ पानी की भयंकर समस्या है जिससे लोगों को इस इलाके को छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शेरगढ़ तहसील में अकाल राहत कार्य व पानी की विशेष व्यवस्था करावें जिससे लोगों को राहत मिल सके। मुझे ऐसी उम्मीद है कि नई सरकार पश्चिमी राजस्थान के लिये अकाल राहत कार्य व पानी के लिये विशेष कार्य करके लोगों को राहत पहुंचायेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: शपथ। श्री दलजीतसिंह।

शपथ एवं प्रतिज्ञान

श्री दिनेशचन्द्र दवेला (सचिव, राजस्थान विधानसभा): माननीय श्री दलजीतसिंह।

(श्री दलजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा (बाड़ी) ने हिन्दी में ईश्वर के नाम से शपथ ली।)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना पंचायत समिति को भारत सरकार ने सीमा विकास के तहत शिक्षा विकास के लिए धोरीमन्ना पंचायत समिति में 92 प्राथमिक विद्यालयों के भवन व 122 प्राथमिक विद्यालयों के शौचालय के निर्माण हेतु 72 लाख रुपये नवें वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत 21 प्राथमिक विद्यालय के भवन स्वीकृति राशि 21 लाख कुल 93 लाख के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा दिया और बाड़मेर जिले के विद्यालयों, शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों की नियुक्ति, पदों पर पाबन्दी लगने से जिले के ग्राम ग्रामीणों में भारी असंतोष व रोष को देख कर गुढामालानी के पूर्व विधायक श्री हेमाराम चौधरी दिनांक 13.3.90 से आमरण अनशन पर बैठ गये हैं। अतः आपकी मार्फत सरकार से मेरा निवेदन है कि इस ज्वलंत समस्या को शीघ्र समाप्त करवाया जाये।

(12.28 म.प.)

(श्री रामेश्वरदयाल यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमंडी): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने इस विशेष उल्लेख से रामगंजमंडी क्षेत्र में पेयजल का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, गम्भीर होता जा रहा है उस पर सदन की मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रामगंज मंडी की पेयजल समस्या के विषय में गत 5 वर्षों से सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित करता रहा हूं

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

किन्तु खेद है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का रुख उदासीनता का ही रहा। रामगंज मण्डी में आहू नदी से पानी लाने की पेयजल की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 15 वर्ष पूर्व 10 हजार की आबादी को दृष्टि में रखते हुए की गई थी जबकि अब वहां की आबादी 25 हजार से अधिक हो गई है आहू नदी में प्रतिवर्ष पानी सूख जाता है। इस वर्ष तो फरवरी के अन्त में ही पानी सूख गया है। खानों के गड्ढों से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खानों से पानी पहुंचाने के साथ ही खानों से पानी पहुंचाने की वित्तीय स्वीकृति भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक वहां नहीं दी गई है इसलिये वहां पर पेयजल की समस्या दिन प्रति दिन भयंकर होती जा रही है। पानी के लिये यदि स्थिति इसी प्रकार की बनी रही तो एक माह के अन्दर-अन्दर रामगंज मण्डी शहर को खाली कर देना पड़ेगा। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि यह सारा खनन क्षेत्र है तथा खानों की 200, 250 फीट की गहराई के कारण कुओं का पानी सब खानों में चला जाता है और वहां से डी-वाटरिंग कर दिये जाने के कारण सारे कुए सूख जाते हैं। यही स्थिति इस क्षेत्र में हैण्डपम्पों की भी बन गई है। इस भीषण समस्या को ध्यान में रखकर गत सरकार ने रावतभाटा से पानी लाने की योजना तैयार की थी। यह योजना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। इस योजना के लागू पर सारे क्षेत्र की समस्या का पूर्णत: हल हो सकेगा। मैंने सरकार को यह भी सुझाव दिया था कि जयसमंद से उदयपुर पेयजल योजना का पाइप बेकार पड़ा सड़ रहा है तथा धीरे-धीरे यह सब समाप्त हो जायेगा। अगर इन फालतू पाइपों का उपयोग कर रावतभाटा योजना में लगा दिया जाये तो 3/4 व्यय भी कम हो जायेगा तथा बेकार पड़े पाइपों का सदुपयोग भी हो सकेगा। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि विभाग द्वारा सावन-भादो योजना तैयार की जा रही है जो पूर्णरूप से अव्यावहारिक है। क्योंकि सावन भादो योजना में पानी पर्याप्त मात्रा में आ सकेगा यह भी सन्देहयुक्त है। इस बांध में प्रतिवर्ष पर्याप्त पानी मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि रामगंज मण्डी की पेयजल समस्या के हल के लिये रावतभाटा पानी योजना को अविलम्ब स्वीकार किया जाये ताकि वहां पर पानी के इस भीषण संकट से स्थायी रूप से निपटा जा सके। धन्यवाद

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

(अनुपस्थित)

श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में पेयजल की स्थिति के बारे में, माननीय जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किशनगंज-शाहबाद सहरिया आदिवासी क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र में 40–45 प्रतिशत सहरिया निवास करते हैं। पूरे क्षेत्र में वर्षा के अभाव के कारण घोर अकाल व पेयजल की परेशानी है। क्षेत्र के सभी कुएं, बावड़िया, तालाब सूख गये हैं। यहां तक कि नदियां सूख गयी हैं। जल-स्तर नीचे चले जाने तथा मरम्मत के अभाव में लगभग 75 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द हो गये हैं। इस क्षेत्र

(श्री हेमराज मीणा)

के 24 गांवों में पेयजल का कोई स्रोत ही नी नहीं है। जलदाय विभाग ने भी इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है तथा जनजाति विकास आयुक्त को इन गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिये पत्रावलियां भेजी हुई है किन्तु स्वीकृति के अभाव में अभी तक इन गांवों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस क्षेत्र में ऐसे कई मजरे व ढाणियां हैं जो ग्राम की परिभाषा में नहीं आने के कारण वहां पर पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में कभी योजना नहीं बनायी गयी है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनको पानी सीमा से लगे मध्य प्रदेश के गांवों से लाना पड़ता है। हैण्ड पम्पों में 150 फीट के स्थान पर 90 फीट की लाइन डाली गई है। 250 फीट की जगह 150 व 200 फीट ही गहरे किये गये हैं। इसमें ठेकेदार व अधिकारियों की पूर्ण मिलीभगत रही है। मेरे क्षेत्र में मांगरोल में बोहत, किशनगंज में जलवाड़ा, पटानियां तथा रामगढ़ ऐसे कस्बे हैं जिनकी जनसंख्या चार से छः हजार होने के बावजूद भी यहां जल प्रदाय योजना नहीं बनायी गयी है। जिसमें रामगढ़ कस्बे में तो यह हालत है कि इस गांव में केवल मात्र एक कुआ है उसमें से पानी लेने के लिये 150 फीट लम्बी रस्सी लगती है। वहां पर पानी भरने के लिये रात्रि के 2 बजे से महिलाएं कुएं पर एकत्रित होती हैं तब जाकर उनका नम्बर 7 बजे आता है वर्तमान में हैण्ड पंपों की मरम्मत के लिये सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है उसकी भी बड़ी विचित्र स्थिति है। हैण्ड पम्पों के स्पेयर पार्ट्स जलदाय विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं किन्तु मरम्मत का काम पंचायत समितियों के माध्यम से होता है। दोनों का सही तालमेल नहीं होने से हैण्ड पम्प खराब रहते हैं। हैण्ड पम्प मिस्त्री पंचायत समिति की देखरेख में काम करते हैं किन्तु विभाग से छः छः माह तक वेतन का भुगतान उनको नहीं होता है। इससे भी पेयजल की परेशानी होती है क्योंकि मिस्त्रियों को रोजी रोटी का सवाल आता है। वह मन लगाकर काम नहीं कर पाता है। मिस्त्रियों को विभाग द्वारा टूल किट भी नहीं दिया जाता है। जलदाय विभाग द्वारा समय पर अपेक्षित स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं जो उपलब्ध कराये जाते हैं वे घटिया किस्म के होते हैं और उनके लगाने के कुछ दिनों बाद ही हैण्ड पम्प वापिस खराब हो जाते हैं। इसका एक नमूना मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने जो नियम 295 में प्रस्ताव दिया है, आप कृपया उसी को पढ़ें।

श्री हेमराज मीणा : एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। एग्रो-इण्डस्ट्रीज का एक वाशर 12/– रुपये में आता है और यूनिसेफ द्वारा डिजाइन किया है वह भी 12/– रुपये में आता है परन्तु एग्रो-इण्डस्ट्रीज से प्राप्त जो वाशर है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, जो नियम 295 में दिया है कृपया उसी को पढ़ें।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, यह उसी से सम्बन्धित है। उसी को रख रहा हूं।....

श्री सभापति : सम्बन्धित नहीं, जो आपने प्रस्ताव दिया है कृपया उसी को पढ़ें।

श्री हेमराज मीणा : ऐसी घटिया किस्म की सामग्री प्राप्त होती है। इसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है। यूनिसेफ का वाशर अच्छा है और उसकी कीमत तथा एग्रो इण्डस्ट्रीज के वाशर की कीमत बराबर है। यूनिसेफ का वाशर 6 महीने सर्विस देता है और यह दूसरा वाशर 7 दिन की सर्विस देता है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 295 में जो प्रोविजन है आप उसका अनुसरण करें। आपने जो प्रस्ताव दिया है आप उसी को पढ़ें।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि यदि इस समस्या के बारे में चिन्तन नहीं किया गया तो अकाल मौतें होंगी, पशु तो मरेंगे ही, आदमी भी मरेंगे। जब पशु मरेंगे तो सड़न पैदा होगी और बीमारियां फैलेगी। इसलिये पेयजल के यथोचित उपाय किये जाने अति आवश्यक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। 295 में आपने जो प्रस्ताव दिया है उसको पढ़िये।

श्री हेमराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि पानी का शीघ्र इन्तजाम मेरे क्षेत्र के लिये किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैं जिला सवाईमाधोपुर के क्षेत्र टोडाभीम की पेयजल समस्या के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जिला सवाई माधोपुर में इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ रहा है। विशेषकर विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अत्यन्त भयानक स्थिति पैदा हो गई है। इसमें पीने के पानी की यह स्थिति हो गई है कि कुए सूख गये हैं जनता को, ग्रामवासियों को 5 किलोमीटर तक जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। इसमें विशेष कर वह स्थान जिसमें हमारा नादौती तहसील का जो माड इलाका के नाम से प्रसिद्ध है, यह वह इलाका है जहां पर पीने का पानी वर्षा के अलावा कुओं में बिलकुल भी नहीं है। जिसमें विशेष तौर से केलवा गांव, रोशी गांव, नादौतीसर, गडाचन्द्रजी, गुडाबेडा, गुढाचन्द्रजी, गडाबेडा, गढमोरा आदि गांवों में पीने का पानी की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण वहां का पशुधन मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं। इस प्रकार टोडाभीम तहसील के अधिकांश ग्राम जिसमें टोडाभीम कस्बा भी है, पीने के पानी की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। बूंद बूंद पानी के लिये ग्रामीण चिल्ला रहे हैं। पिछले सालों में वर्षा नहीं होने के कारण जलस्तर नीचे चला गया है। पिछली सरकार ने हैण्ड पम्प लगाये, नल योजनाएं चालू कीं पर आज जल स्तर नीचे जाने के कारण हैण्ड पम्प बंद पड़े हैं। जो नल योजनाएं अधूरी रह गई है उन्हें पूरा करवाया जावे। जल स्तर बना रहे इसके लिये एनीकट, बनाये जायें और पेयजल

(श्री रामस्वरूप मीणा)

योजना की क्रियान्विति युद्ध स्तर पर की जावे अन्यथा भयंकर स्थिति पैदा होगी और लोग भूख, प्यास से मरने लग जायेंगे।

माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर एवं विषम परिस्थिति पर कुछ कहें और खराब हैण्ड पम्प तुरत ठीक करवाये। कुओं को पीने के पानी के लिये सहायता देकर गहरा करवावें। इसके लिये मेरी तरफ से सुझाव है कि पाताल तोड़ बोरिंग लगाये जायें और जो नल योजनाएं हैं उन्हीं को पूरा करवाया जाये क्योंकि हैण्ड पम्प बार बार खराब हो जाते हैं।

माननीय मंत्री जी का और सदन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अगर इस भयंकर स्थिति का समय पर ठीक नहीं किया गया तो वहां पर रोष पैदा होगा और जानें जाने लगेगी। कोई मरने को तैयार नहीं होता है परन्तु वैसे ही मरना पड़ेगा। हम संघर्ष कर के मरने को तैयार हो जायेंगे। इसलिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि टोडाभीम भी इस पानी की समस्या को तुरन्त हल करें। पशुधन और मानव दोनों को, जो नुकसान हो रहा है उसको बचावें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आपने लिखित में दिया है नियम 295 में, उसी को पढ़ने की अनुमति दी जाती है। उसके बाहर आप बोलने का कष्ट न करें। माननीय श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत डूंगरपुर जिले में प्रशिक्षित अध्यापकों को हटा देने से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी दूर करने एवं रिक्त पदों को भरने के लिये ट्रेण्ड अध्यापकों का चयन किया था लेकिन वर्तमान सरकार ने उन आदेशों को निरस्त कर दिया है। श्रीमान्, वैसे भी राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर चुकी है और ट्रेण्ड अध्यापक लम्बे समय से ट्रेनिंग लेकर बेकार भटक रहे हैं। साथ ही पर्याप्त अध्यापक नहीं होने से बच्चों को भारी नुकसान हो रहा है। चूंकि आगामी माह में वार्षिक परीक्षाएं भी होने जा रही हैं अतः आपसे निवेदन है कि बेरोजगार ट्रेण्ड अध्यापकों को अतिशीघ्र चयन किया जाये ताकि बेरोजगार अध्यापक रोजगार पा सकें और पढ़ने वाले बच्चों को भी समय रहते फायदा मिल सके।

श्रीमान, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त ट्रेण्ड अध्यापकों में अधिकांश एस. टी. एस. सी. के हैं तथा उदयपुर डिवीजन के हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इन अध्यापकों का शीघ्रातिशीघ्र चयन करावें तथा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन ट्रेण्ड अध्यापकों को कब तक चयनित कर लिया जावेगा, इस बारे में कृपया इसी सत्र में जवाब देने की कृपा करावें। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीयसभापति महोदय, यदि आपकी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आज्ञा हो तो मैं माननीय सदस्य ने जो अभी आप के सामने प्रश्न उठाया है उसकी एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य 295 में आपको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बिराजें।

माननीय श्री हेतरामजी बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में इस विशेष उल्लेख की प्रक्रिया के द्वारा माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में एक मात्र सहकारी आयल मिल है और गंगानगर जिले में बार्डर पर स्थित है। राजस्थान के पाकिस्तान की बार्डर पर गंगानगर जिले की गजसिहपुर मंडी में, गंगानगर कोआपरेटिव आयल सीड प्रोसेसिंग मिल्स राजस्थान में सहकारिता पर आधारित अपनी तरह की एक ही मिल है और आर्थिक संकट के कारण बंदी के कगार पर है। 210 लाख रुपये की लागत वाली इस मिल की आज कीमत 450 लाख रुपये है। इसमें 300 परिवारों को रोजी मिलती है और इलाके के किसानों का बिनोला, सरसों, मूंगफली 10-15 रुपये प्रति क्विंटल महंगा बिकता है। इस क्षेत्र में पूरे गंगानगर जिले में दस लाख टन के लगभग तिलहन की पैदावार होती है। मिल में घोटालों के कारण लगातार घाटा हो रहा है। लगभग एक करोड़ रुपये का घोटाला आज तक हुआ है। इसके आधुनिकीकरण के लिये राष्ट्रीय विकास निगम ने 6.5 करोड़ रुपये की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने की योजना तैयार की थी, पर दो साल से रिफ़ाइण्ड तेल बनाये जाने की योजना बीच में लटक रही है। राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र की इस मिल को वनस्पति का लाइसेंस केन्द्र से दिलवाने का प्रयत्न किया था पर असल में जो उस वक्त की तत्कालीन सरकार थी आज उसके मंत्री महोदय इधर बैठे हैं विरोध में, उन्होंने वास्तव में उसमें कोशिश की थी कि वह लाइसेंस उस मिल को मिल जाय जो एकमात्र राजस्थान की सहकारी आयल मिल है। पर हमारे जो केन्द्र में सत्ता में लोग बैठे थे उनके भूतपूर्व गृहमंत्री बूटासिंह अपने पुत्रों को वह लाइसेंस दिलाने में कामयाब हो गये और अलवर के पास उनको एक वनस्पति उद्योग लगाने की परमिशन मिल गई जिस वजह से यह उद्योग पूरी तरह से उससे वंचित रह गया। जून, 88 में यह लाइसेंस उन्हें दे दिया गया। इस मिल के साथ कैटल फीड प्लांट का भी प्रावधान था। गंगानगर क्षेत्र के तिलहन पैदा करने वाले किसानों व इस उद्योग के प्रभावित कर्मचारी मजदूरों के रोजगार बचाने के लिये इस मिल को चालू रखा जाये। जमा पूंजी समाप्त कर चुकी इस मिल के भ्रष्ट अधिकारियों व कुछ असरदार उद्योगपति इसको वास्तव में बंद करना चाहते हैं। राज्य सरकार इसको अब क्योंकि राजस्थान में परिस्थिति दूसरी है, मैं समझता हूं, इस सदन के नेता हैं वह इतने प्रभावशाली भी हैं कि वह जो वनस्पति लाइसेंस है वह दिलवाने के प्रयत्न में कामयाब होंगे। इसको वनस्पति लाइसेंस दिलाया जाये जिससे यह मिल बच सके और आधुनिकीकरण की योजना बनी है उस पर भी अमल किया जाय।

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दो-तीन दिन से जब से विधान सभा चल रही है, पेयजल का संकट राजस्थान में है उस पर काफी यहां विचार हो रहा है। माननीय सदस्यों को बड़ी चिन्ता है और सरकार को भी बहुत चिन्ता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि आप वह सुझाव हमको तुरन्त दे दीजिये जिनको आने वाली इस गर्मी तक पूरा किया जा सकता है। कोई छोटी-मोटी रिपेयर होती है या कोई छोटी सी योजना जोड़ने से ही बाकी रह गई है, यह भी आप सरकार के ध्यान में लायेंगे ताकि आने वाली गर्मी में निपट सकें इस समस्या से, तो यह एक लाभ की बात होगी। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने यह समस्या यहां रखी है या नहीं रख पाये हैं तब भी उनकी समस्या है, वह तुरन्त जिनका हल किया जा सकता है, कोई पुराने सोर्स हों जो काम में लेने चाहिये नहीं लिये जा रहे हैं, आदि आदि कई बातें हो सकती हैं, यदि उसकी जानकारी देंगे तो मैं समझता हूं लाभ होगा, उसको करने की कोशिश करेंगे। यह मेरा निवेदन है।

एक माननीय सदस्य : अभियान के रूप में ठीक करवाया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आप दे दें, मुझे दे दें।

श्री सभापति : वह आप अलग से सूचना दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह दे दें आप मुझे।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। मेरा निवेदन करना यह है कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यहां बोलने के लिये नियमों में प्रावधान है, 295 में आपका कुछ नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आसन की इजाजत से साधारणतः निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : किस बारे में ?

श्री रामनारायण वर्मा : हम यहां सदन में बैठे हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, हम यहां बैठे हैं, किसानों का दम भरने वाली सरकार के मंत्री उस साइड में बैठे हैं। किसानों की फसल बरबाद हो रही है। चम्बल सिंचाई विभाग की नहरों की टेल पर पानी नहीं है। यदि पानी नहीं दिया गया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियमों में प्रावधान है, आप जिसमें प्रस्ताव देना चाहें, नियमों के तहत दीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : जो स्थिति पैदा हो गई है वह स्थिति कभी भी सुधरने वाली नहीं है। वह लोग गांव छोड़ रहे हैं।

श्री सभापति : आप नियमों में जो प्रावधान है उसके तहत में दीजिये, आपको पूरा मौका मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, इस विषय में विचार करना बहुत आवश्यक है। (व्यवधान) जनता मरी जा रही है जिसके बारे में सुनेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : गम्भीर समस्या है, फसलें बरबाद हो रही हैं, इस पर सुना जाय। इस पर विचार किया जाय। पानी छोड़ा जाय।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, इस बारे में तुरन्त विचार करें।

श्री रामनारायण वर्मा : जो नहर बारहमासी कहलाती है, उसमें दो-दो महीने से पानी नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियमों में प्रावधान है, नियमों के तहत आप प्रस्ताव कोई लायें, उस पर विचार किया जायगा, आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, नियमों से तो हमारा नम्बर आयेगा ही नहीं बोलने का।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह भी नहीं चाहते कि आदमी की प्यास बुझायी जाय। जो मर रहे हैं प्यास से उनको बचाया जाय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य इस बात को लेकर आसन से विशेष आग्रह कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लाखों एकड़ जमीन में फसलें सूख रही हैं और टेलीग्राम पर टेलीग्राम किसानों के आ रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें। मेरा निवेदन यह है कि जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत आप जो भी प्रस्ताव देंगे, इस सदन के अन्दर किसानों के प्रति आप जो भी बात लायेंगे उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी, उस का निराकरण करेगी। लेकिन आप नियमों के तहत आइये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री जगतसिंहजी दायमा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्यों ने जो अभी चम्बल नहर के सम्बन्ध में एक सूचना दी है, यह सत्य है कि पानी नहरों में न होने के कारण फसलें सूख रही हैं। लेकिन यह प्रश्न सिंचाई मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी गंभीरता से अपने हाथ में लिये हुए हैं। वस्तुस्थिति यह है कि गांधीसागर का जो पानी स्तर है, बहुत नीचे चला गया है और डर यह है कि अगर और ज्यादा छोड़ा गया तो कहीं कोटा सरीके शहर के अन्दर भी पीने के पानी की स्थिति खराब नहीं हो जाय। फिर भी मुख्य मंत्रीजी निरन्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी से सम्पर्क बनाये हुए हैं और स्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार पानी खेतों में छोड़ा जाय। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : वहां की योजनाओं के लिए गांधीसागर बांध से पानी एम. पी. सरकार से बात करके लिया जा सकता है। सरकार कब बात करेगी जब फसलें बरबाद हो जायेंगी ? काश्तकार बरबाद हो जायेंगे, उनको गांव छोड़ना पड़

(श्री रामनारायण वर्मा)

जायगा ? उस स्थिति में बात करेगी क्या ? सभापति महोदय, यह बहुत अहम् मसला है। यह एक आदमी का मसला नहीं है कम से कम 100 गांवों का मसला है और जो भावना मैं प्रकट कर रहा हूं वही सभी पक्षों के सदस्यों की भावना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण वर्मा : कम से कम सरकार से वक्तव्य तो दिलाया जाय। यह साधारण मसला नहीं है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने जैसा बताया, मैं समझता हूं कि सदन इसको गम्भीरता से ले रहा है। सरकार अपनी तरफ से कोई वक्तव्य दे तो उचित होगा। श्री जगतसिंह दायमा।

एक माननीय सदस्य : वक्तव्य कब आयेगा जब फसलें सूख जायेंगी, सभापति महोदय ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह हो जायगा। सरकार को कह दिया। श्री जगत सिंह दायमा। आर्डर प्लीज। आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, आपने जो आदेश दिया वह तो शिरोधार्य है कि राज्य सरकार इस पर कोई वक्तव्य दे और जैसा उद्योग मंत्री जी ने बताया कि इसके पहले, कैनाल एरिया डवलपमेंट मेरे पास ही है, मैंने इसकी जानकारी की और चाहा कि कुछ क्षेत्र के लोगों को पानी मिले। खास तौर से समस्या टेल एण्ड के लोगों की है। उनको पूर्व में भी पानी नहीं मिला। उनको पानी मिलना आवश्यक है। आज स्थिति यह है कि हम पानी छोड़ भी देंगे फिर भी आशंका यही है कि टेल एण्ड तक पानी नहीं पहुंचेगा, बीच के ही काश्तकार फिर पानी ले लेंगे।

दूसरा जो बताया कि पानी का लेवल नीचे चला गया है। जब तक हम एम.पी. सरकार से बात कर रहे हैं, वह पानी देंगे तो निश्चित रूप से हम जल्दी ही एक दो दिन में इसकी व्यवस्था करके सदन को जानकारी देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था के उपरान्त परम सम्माननीय मंत्री जी ने कुछ जानकारी दी उसका मैं आभारी हूं लेकिन आपको वक्तव्य तो देना ही पड़ेगा। आसन की व्यवस्था हो गई है। अगर वक्तव्य से सरकार बचना चाहेगी तो काम तो चलेगा नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं। मैंने कहा आपसे, आसन की व्यवस्था सिर माथे पर है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर भी परनाला वहीं गिरेगा....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, इस तरह से नहीं। श्री जगतसिंह दायमा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, एक तो आजादी मिली

(श्री जगतसिंह दायमा)

तो विरासत में देश के लोगों को गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली, कम रोजगारी मिली और आय और सम्पत्ति में बहुत असमानता मिली। एक और सबसे भयानक रोग जो हमें मिला वह है काम न करने की प्रवृत्ति। होना तो यह चाहिए था, सभापति महोदय, कि इन समस्याओं पर सबसे पहले ध्यान देकर इनका निराकरण करना चाहिये था। देश का विकास समाजवादी आधार पर किया जाना चाहिए था ताकि तीव्र गति से आर्थिक समृद्धि की जा सके। रोजगार के अवसर जुटाने चाहिए थे। आय और सम्पत्ति की असमानता को कम किया जाना चाहिए था। आर्थिक शक्ति को एकत्र होने से बचाना जाना चाहिए था। स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित समाज के मूल्यों और प्रवृत्तियों का सृजन किया जाना चाहिए था। पं. जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले इन बातों पर ध्यान देना चाहिए था, उल्टे इस बात के लिए कि इनका निदान कैसे हो सकता है बजाय कृषि के भारी उद्योग लगाने की उन्होंने रूपरेखा बनाई/और योजनाएं तैयार कीं और यहीं से इस देश का दुर्भाग्य शुरू होता है। जो कार्य पंडित नेहरू को करने चाहिये थे वह नहीं किये बल्कि उल्टे उन्होंने घोड़ी को गाड़ी के पीछे लगा दिया। होना तो यह चाहिए था कि कृषि को प्राथमिकता दे कर और उसके बाद में कोई दूसरा कार्य करते परन्तु उन्होंने रूस की सहायता लेकर टेक्निकल इंजीनियरी आदि की बात मान करके भारी उद्योग इस देश में लगाये और आज यह हालत है इस देश की कि इन्हीं कारणों से आज देश के हालात खराब होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो गिरावट आई वह इस देश के राजनीतिज्ञों में आई और प्रशासन में आई। उन्होंने इन समस्याओं का निदान करने के बजाय भ्रष्टाचार का पौधा इस देश में लगाया और भ्रष्टाचार पैदा करके दोनों हाथों से इस देश को लूटना शुरू कर दिया।

पंचवर्षीय योजनाएं बनाई इसलिए गई थीं कि इन समस्याओं का निराकरण होगा, उल्टे इन योजनाओं में जो धन खर्च करना था उस धन में से उन्होंने हिस्सेदारी शुरू करके धन, सम्पत्ति लूट करके अपने घर भर लिये।

सभापति महोदय, आज हम जिस विभाग को भी लें, उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पनपता दिखाई दे रहा है। आज हम चिकित्सा को लें, किसी हास्पिटल में हम जायं, तो आम व्यक्ति जो +++ बीमार होता है उसको सबसे पहले डाक्टर को 3–3, 4–4 बार फीस देनी पड़ती है। यही नहीं लापरवाही के कारण कितनी ही मौतें आज बड़े-बड़े अस्पतालों में हो रही हैं। मैं अलवर का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों अलवर के हास्पिटल में अपनी कुछ मांगों को लेकर हमारे जनता दल और भा.ज.पा. के कुछ नुमाइन्दे गये और सी.एम.एच.ओ. से वहां के अस्पताल की बिगड़ती हुई हालात देख कर कुछ मुद्दे रखे। एक मुद्दा हमारा था कि एक शिशु का अस्पताल में जन्म हुआ उस शिशु के पिता की उसके जन्म से तीन महीने पहले अकस्मात् मौत हो गई थी और तीन महीने बाद वह जन्मा तो उसकी मां उस वक्त

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

बेहोश थी, उस बच्चे को कुत्ता उठा कर ले गया।

सभापति महोदय, एक विधवा जिसका 25 साल का लड़का था, उसके पैरों में जख्म हो गये, टेटनस बन गया, उसे इंजेक्शन नहीं लगाया। वह विधवा आज बिलखती डोल रही है और उसका पुत्र समाप्त हो गया। इसी प्रकार, सभापति महोदय, इंजेक्शन को लेकर डाक्टरों और कम्पाउंडरों में बात यहां तक आ गई कि जो डाक्टर घर पर फीस ले करके बेगार की पर्ची लिख कर भेज देते हैं उस पर्ची का समाधान, निदान अस्पताल में कम्पाउण्डर करते हैं तो उनका कहना है कि डाक्टर तो फीस ले लेते हैं और हमें उनकी पर्चियों की बेगार ढोनी पड़ती है। यह पूछने पर कि आप क्या चाहते हो, उन्होंने बताया कि डाक्टर जो फीस लेते हैं उसका चौथाई हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर जनरल हास्पिटल, अलवर में एक बार 2-3 घंटे तक किसी भी मरीज को इंजेक्शन नहीं लगाया गया। जब इन बातों को लेकर सी. एम. एच. ओ. के पास गये तो उल्टी हमारी बात सुनने के बजाय स्टाफ और उन्होंने चारों तरफ से कमरे बन्द कर दिये, बिजली की जो लाइन थी वह काट दी, पानी उन्होंने बन्द कर दिया और तीन घंटे तक हम वहां पर प्यासे, भूखे मरते रहे और जब प्रशासन आया तो प्रशासन ने बाहर से सांकल खोल करके हमसे कहा कि पीछे से निकल जाओ। हमने कहा कि हम चोर नहीं हैं, पीछे से क्यों निकल जायं, पब्लिक की मांगों को लेकर हम यहां पर आये हैं। सभापति महोदय, बड़ा बखेड़ा वहां पर हुआ और अन्त में यहां आना पड़ा। उन्होंने प्रशासन की मदद से हमें बाहर निकाला। पत्थरबाजी वगैरह हुई, गाली गलौज हुआ और उसके बावजूद भी भूख-हड़ताल हुई, उन लोगों ने यह मांग रख दी की यहां पर यह प्रतिनिधिमण्डल क्यों आया।

इसी तरह से दूसरे विभाग में आप ले लीजिये। यह सरकार कांग्रेस की आयी। भ्रष्टाचार का पौधा इस तरह से पनपाया कि पढ़े-लिखे लोगों द्वारा, प्रशासन के द्वारा, किस तरीके से इन गरीब लोगों को लूटा जाय। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे गांव में गरीब जो रहता है उसका रोज काम है। तहसील में और थाने में उसका रोज काम पड़ता है। तहसीलों में जाते हैं तो तहसीलदार लूटता है, थाने में रिपोर्ट करवायी जाती है तो थानेदार लूटता है। सभापति महोदय, कोई भी काम आप ले लीजिये। भूमि का आवंटन हुआ तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, भूमि जो खाली पड़ी हुई है उसका आवंटन तो इसलिये किया जाता था कि जिनके पास भूमि बहुत कम है या नहीं है उनको भी भूमि दी जानी चाहिये परन्तु अलवर जिले में उल्टा हुआ। पिछले साल मुद्दा हमने यहां पर उठाया था, आपने भी सुना होगा। हमने कहा था कि पूर्व लोक सभा के अध्यक्ष माननीय बलराम जाखड़ ने 300 बीघा जमीन अपने नाम से करायी। सभापति महोदय, उस वक्त कांग्रेस जो आज विपक्ष में बैठी है, वह सत्ता पक्ष में थी। उस वक्त बड़ी आपस में रस्साकसी हुई और यहां तक कह बैठे कि अगर यह बात सच्ची है तो आप बतायें, आपके पास क्या सबूत है। सभापति

(श्री जगत सिंह दायमा)

महोदय, जब अलाटमेंट होता है तो उसकी भी प्रक्रिया होती है। राजस्थान का निवासी होना चाहिये, उस इलाके का होना चाहिये, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिये, यह सारी चीजें होनी चाहिये। जिन दस व्यक्तियों के नाम से पट्टे जारी किये गये उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, वहां के रहने वाले नहीं। सभापति महोदय, वह जमीन अलाट की गई....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, बोलते हुए पांच मिनट ही नहीं हुए और आपने घंटी बजा दी। आज सड़कों के निर्माण की बात लेकर हम देखते हैं तो सड़कें हमारे यहां बनायी नहीं जातीं और अगर बनायी जाती हैं तो अधिकारी उसमें भी लूटते हैं। मेरा सुझाव है कि जब पी.डब्ल्यू.डी. सड़कें बनाये तो उसके लिए जिस इलाके में वह सड़कें बनायी जाती हैं उस इलाके के नुमाइन्दे को, वहां के सरपंच या पंच को उस कमेटी में लेना चाहिये ताकि उसमें गबन नहीं हो सके। लेकिन भ्रष्टाचार का पौधा पनपा तो इस कदर तक कि इस देश की हालत गिर गई। तो आम आदमी को रोटी के भी लाले पड़ गये। सभापति महोदय, मुझे दुःख होता है कि 40 और 45 साल के लम्बे अरसे के बाद भी मेरे देश के नागरिक, मेरे देश के लोग, मेरे देश के बच्चे आधा खाना खाकर रात को सोते हैं, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है और जब बात की जाती है कांग्रेस भाइयों से कि आपने इस 45 साल में क्या किया, तो बड़ी-बड़ी बातें कहने लगते हैं। शर्म आनी चाहिये इन लोगों को कि 45 साल के बाद भी इस देश का नागरिक प्यासा और भूखा है। तो आपने किया क्या ? अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो जापान और जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं। वहां पर बमों से और एटम बमों से बन्दरगाह समाप्त कर दिया, सड़कें, पुलिया समाप्त कर दी गईं और जो चिकित्सालय थे उनको भी समाप्त कर दिया गया, सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स समाप्त कर दी गयीं। मतलब पूरे देश को एक तरह से भूखे मरने की नौबत में लाकर छोड़ दिया गया। उस देश ने 10 वर्षों के अन्दर-अन्दर इतनी प्रगति कर ली कि उस देश में.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगतसिंह दायमा : जैसे पहले देश था वैसा ही वहां पर हो गया। क्या कारण इसका ? इसका कारण सीधा यह है कि जो हमें राजनीतिज्ञ मिले, +++ और राजनीतिज्ञों ने कभी यह नहीं सोचा कि सबसे पहले इस देश के लोगों की भूख और आपस की लड़ाई मिटायी जाय। मुझे शर्म आती है यह बात कहते हुए कि आज हमारे देश के 90 पर्सेण्ट बच्चे हैं वे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं और जाने के काबिल होने वाले नहीं हैं। उन 90 पर्सेण्ट बच्चों की जो लम्बाई है वह उतनी लम्बाई नहीं हो पाती जितनी कि अमेरिका में 10 पर्सेण्ट बच्चों की होती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जगत सिंह दायमा: सभापति महोदय, मेरे को 5 मिनट का समय और दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप को 12 मिनट हो चुके हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : 12 मिनट तो हुए हैं पर 12 मिनट तो बहुत कम हैं।

श्री सभापति : समय की पाबन्दी है। माननीय सदस्य और भी बोलने वाले हैं। मेहरबानी करके समाप्त करें।

श्री जगत सिंह दायमा: समाप्त ही कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 45 साल के बाद भी आज हम गांवों में जाते हैं तो गांव का बच्चा-बच्चा खड़ा होकर यह कहता है कि हम प्यासे मर रहे हैं। 45 साल के राज में भी प्यास कंठों की बुझ नहीं पायी, तो उनका क्या अधिकार ? आज इस बात को कहना चाहिये कि 45 साल में क्या किया। हमारा तो सिर्फ 2-3 महीने सेन्टर में राज हुआ है और 15 दिन यहां हुआ है, उसके बावजूद भी आज यहां पर मनचाही जैसी बात की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को जिन्होंने गांधीवाद की बात की है। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है। गांव में रहने वाले जो अन्तिम व्यक्ति हैं, जो इकाई है, गांव का जो विकास होना चाहिए था वह कांग्रेस ने नहीं किया और उन्होंने शहरों का विकास किया, गांवों का विकास नहीं किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भैरोंसिह जी, मुख्य मंत्रीजी को जिनका ध्यान सबसे पहले गांवों की तरफ गया और उन्होंने सबसे पहले पशुपालन पर भी ध्यान दिया और किसान पर भी ध्यान दिया। एक तो उन्होंने गोपाल नाम की एक योजना बनायी उसका मैं स्वागत करता हूं और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगत सिंह दायमा : दूसरी जो योजना गणेश नाम से चलायी है उसका भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं क्योंकि अन्तिम व्यक्ति को उन्होंने सबसे पहली पंक्ति में लिया, विकास के लिए उसको चुना है। सभापति महोदय, मैं इन्हीं बातों को लेकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। गांधी जी के जो सपने थे, वे कांग्रेस ने पूरे नहीं किये और आज जो हमारे जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार है, वह पूरे करने जा रही है। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं ...

एक माननीय सदस्य : सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री का तो बोलो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

कंटीन्यू इट।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने प्रारम्भ भी नहीं किया, उससे पहले आप बोलने लग

(श्री रमाकान्त शर्मा)

गये, कोई तरीका है यह ? शुरू नहीं किया मैंने, उससे पहले सीमेंट फैक्ट्री आ गयी।

मैं राज्यपाल महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभिभाषण दिया, वह लीक से हट कर है। पहले जितने अभिभाषण हुआ करते थे, उनके अन्दर थोथी घोषणाएं हुआ करती थीं, इतनी सड़कें बन जावेंगी, इतने हम स्कूल खोलेंगे, इतनी मिलें खोलेंगे और वे कभी पूरी नहीं हुआ करती थी। परन्तु इस बार के अभिभाषण में जो कुछ आज स्थिति है, उसी की सारी की सारी सच्चाई दृढ़ता के साथ दी गयी है। किसी प्रकार की कोई....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, या बिराजें....

श्री रमाकांत शर्मा : स्थिति का स्पष्ट चित्रण है। इसमें कभी कभी मेरे सामने विपक्ष के बैठे हुए सदस्यों को जरा बुरा लग सकता है, क्योंकि सत्य बड़ा कटु होता है। इसमें समस्या का चित्रण है, अभिभाषण के अन्दर दृढ़ नीतियों का परिचय दिया गया है, यह बताया गया है कि हम गरीबों का उत्थान इन आने वाले वर्षों के अन्दर किस प्रकार से करने वाले हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के द्वारा कुछ ऐसा पता लगता है कि उनकी आंखों के सामने से एक क्षण भी गरीब ओझल नहीं होता। गरीबों की बात उन्होंने बहुत सोची, गांव को उन्होंने विकास का केन्द्र बिन्दु बनाया है, किसान को उन्होंने इस अभिभाषण के द्वारा विकास का केन्द्र बिन्दु बताया है। बड़े ताज्जुब की बात है कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, वे कम हो रहे हैं, मगर राजस्थान ही एक मात्र प्रदेश है, जहां ऐसे लोग बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर अन्त्योदय योजना जो उन्होंने प्रारम्भ करने की बात कही है, उससे आज गांव-गांव के अन्दर गरीबों में एक उल्लास है कि फिर दस साल बाद में उनकी सुनने के लिये कोई आया है। तो इस अभिभाषण के अन्दर जो खास तौर से गरीब, किसान और गांव की बात कही गयी है, यह बहुत ही उत्साहजनक है और इससे गरीबों में बहुत खुशी पैदा हुई है। कल जब अभिभाषण पर बातचीत हो रही थी तो विपक्ष के सदस्यों ने यह बात कही कि "प्रजातन्त्र की जड़े मजबूत होंगी", ऐसी बात क्यों कही गयी ? मेरा निवेदन यह है कि चुनावों के लिये इस प्रकार की थोथी घोषणा की जाये कि 50 हजार बिजली के नये कनेक्शन्स दे दिये जायेंगे, जब कि पिछले आठ महीने के अन्दर सात हजार कनेक्शन भी नहीं हुए, चार साल के अन्दर दो स्कूल खोले जायें और पांचवें साल के अन्दर कागजों पर आठ सौ स्कूल खोल दिये जायें, कई प्रकार के जानवरों के अस्पताल खोलने की घोषणा की जाये, रेफरल अस्पताल खोलने की घोषणा की जाये, चुनावी वर्ष के अन्दर; यही नहीं, जिस समय चुनाव हो रहे हों, चुनाव चालू हों, उस समय बिजली के लट्ठे डलवाये जायें, चुनाव जिस दिन हो रहा हो 27 तारीख को, उस रात को बिजली जला कर देखें और चले जावें, उस रोज हैण्ड पम्प और उनकी पाइप गांव-गांव के अन्दर डाली जाये; यही नहीं, पैसे बांटे जायें और शराब

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बांटी जाये, क्या यही प्रजातंत्र था सारा का सारा ? क्या गरीबों से वोट खरीदने का नाम प्रजातन्त्र है ? इस प्रकार का प्रजातंत्र चल रहा था। यदि वह प्रजातंत्र था, तो मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति है, उस स्थिति में तब्दीली आयेगी, निश्चित ही प्रजातंत्र की जड़ें तो अब मजबूत होंगी। प्रजातंत्र को तो खोखला करके रखा हुआ था उस समय।

एक बात और, कल नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने रावी-व्यास के मामले में बहुत कुछ कहा था कि राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं हो सकी। उन्होंने अपना भाषण केवल रावी-व्यास तक ही सीमित रखा। सच बात तो यह है कि अन्तर्राज्यीय मामलों के अन्दर जितनी राजस्थान की उपेक्षा हुई है, जितना अन्याय हुआ है, वह पाप की सीमा के अन्दर आता है। अन्तर्राज्यीय जितना भी जल है, उस सारे जल का यदि हम आधा भी प्राप्त कर लेते तो इतने वर्ष के अन्दर जो इतना अकाल की समस्या से हम जूझ रहे हैं और सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये हमने खर्च कर दिये हैं, उतना पैसा हमारा खर्च नहीं होता। माही के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत छोटा एग्रीमेंट है, एक पूरे पेज का भी नहीं है, उसके अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस समय नर्मदा से पानी गुजरात को मिल जायेगा, उस समय जो कड़ाना, गुजरात को पानी जाता है; वह हमारे लिये वापस उपलब्ध हो जायेगा और हम बाड़मेर के लिये उस पानी को दे देंगे और बाड़मेर, जो सारा रेगिस्तान है, वह हरा भरा हो जायेगा। क्यों नहीं दिया गया उस पानी को ? क्या दिक्कत है उस पानी के लिये ? किससे पूछना है ? कहां विवाद है ? वह तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, कहीं उस एग्रीमेंट में ऐसी बात नहीं है कि कोई "इफ" यह होगा, "बट" यह होगा, कोई "इफ" और "बट" नहीं है। उसके अन्दर कोई विवाद नहीं है, तो भी विवाद हमने खड़ा किया है। हमने स्वयं ने जाकर के सी. डब्ल्यू. सी. से बात कही है, इरिगेशन मिनिस्ट्री से जाकर बात की है और उन्होंने हमको घास नहीं डाला। मेरे पास रिकार्ड है। एक महीने के अन्दर पांच-पांच बार मीटिंग हुई, मीटिंग केन्सल हुई; क्यों ? हम यह नहीं कह सकते कि एक साथ यह मीटिंग क्यों केन्सल हो गयी ? दस दिन बाद दुबारा फिर मीटिंग हो रही है, फिर वह क्यों केन्सल हो गयी ? मध्य प्रदेश का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, पंजाब का मामला हो, टेलीफोन पर बुला लिया जाये राजस्थान के मुख्य मंत्री को, तत्काल फैसला हो जाये, तत्काल ट्रिब्यूनल में रेफर हो जाये, परन्तु राजस्थान का मामला हो, आज दस वर्ष से माही का पानी नहीं मिला। जबकि हमने वहां पर एक बात और की है कि साहब, गुजरात की तरफ से पानी हमें नहीं मिलेगा, हम अपनी तरफ से ही पानी ले लेते हैं कड़ाना से। तो चार सर्किल कायम किये गये....

श्री परसराम मदेरणा : आपकी सरकार बाड़मेर में पानी कब ले आयेगी ? यह मैं मान लेता हूं कि पिछली सरकारें कारगर साबित नहीं हुई और कड़ाना एग्रीमेंट को भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बहुत सिम्पल एग्रीमेंट है और मीटिंग्स पोस्टपोन नहीं होनी चाहिये। आप

(श्री परसराम मदेरणा)

जानते हैं कि हम कोताही तो करेंगे नहीं, और आप जैसे बुद्धिमान आदमी और सलाहकार जब आ गये हैं सरकार के साथ, तो मुझे यह बता दीजिये, आप समय निर्धारित कर दीजिये कि कड़ाना का पानी बाड़मेर जालौर में कब तक पहुंच जायेगा और किस महीने में किस तारीख को पहुंचेगा ?

श्री रमाकान्त शर्मा : जब मैं अभिभाषण पर बोल रहा हूं तो उसके मायने यह है कि....

श्री परसराम मदेरणा : अन्तर्राज्यीय विवाद का मामला इतना हुआ है, जनाब, कि यह अभी लफ्फाजी कर रहे हैं और इस के बाद में पांच साल बाद में मुंह लटका कर जायेंगे ।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिये । पांच साल का सवाल नहीं, हम तो 25 साल रहेंगे यहां पर । पांच साल किस ने कहा है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन का बहुत जिम्मेदार सदस्य हूं, इतने काम्प्लीकेटेड और उलझे हुए मामले हैं कि इनको हल करना आसान काम नहीं है ।

श्री रमाकान्त शर्मा : कुछ काम्प्लीकेटेड नहीं है । बात तो यह है कि उनको यहां सुलझाने में टाइम लगेगा, यह बात तो बिल्कुल ठीक है ....

श्री परसराम मदेरणा : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, प्लीज कंटीन्यू ।

श्री परसराम मदेरणा : एक ही मामले को सुलटा कर आप राजस्थान के हित में फैसला तो करवाइये....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मदेरणा साहब, आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, जब सदस्य बोल रहे हैं तो काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कंटीन्यू ।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं तो यह बता रहा हूं कि पहले क्यों नहीं हुआ । साथ ही साथ मौजूदा सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह होना चाहिये । इसलिये आप मेरे से यह बात मांगें कि मैं तारीख दूं, इसका कोई मायने नहीं है । मैं तो एक आपके जैसा सदस्य हूं, मैं अपनी भावनायें व्यक्त कर रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, पूर्ण सहयोग रहेगा, विवादों को भी सुलझाने के अन्दर हमारा रचनात्मक सहयोग रहेगा, हमारा कारगर सहयोग आपके और आपकी सरकार के साथ रहेगा ।

श्री रमाकान्त शर्मा : बहुत बहुत धन्यवाद । मेरा निवेदन यह है कि आज तक स्थिति यह थी कि यहां राजस्थान बैकवर्ड प्रदेश तो है, परन्तु राजस्थान के मुख्य मंत्री की साख भी बैकवर्ड रही है ।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दिल्ली के अन्दर कोई बात रही तो किसी ने पूछा नहीं, +++ वहां किसी बात के अन्दर। आज राजस्थान के जो मुख्य मंत्री हैं, यदि वे चाहें तो शाम को प्रधान मंत्री से मिल सकते हैं, इसलिये स्थिति में परिवर्तन है।....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, तो मेहरबानी करके बीच में इन्ट्रप्ट न करें। जब आपके बोलने का मौका हो तब बोलें। मेरा इस तरफ और विपक्ष के माननीय सदस्यों से यह कहना है कि आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, आप तो सदन की जो परम्पराएं हैं उनको बरकरार रखें। अगर इन परम्पराओं को आप तोड़ेंगे, मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा।

माननीय सदस्य, कन्टीन्यू।

श्री रमाकान्त शर्मा : सभापति महोदय, माही का ही प्रश्न नहीं है, चम्बल की बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश.... । (व्यवधान) मैंने साख शब्द कहा था, +++ मैंने कहा था – साख नहीं रही वहां।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आप असत्य बोल रहे हैं, आपने कहा था कि +++ प्रोसिडिंग्स में देखिये आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : आप जरा कान ठीक कराइये। मैंने कहा था - साख ...

श्री राजेन्द्र पारीक : आप असत्य बोलते हैं। आपने कहा था कि +++। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आपने कहा था +++ प्रोसिडिंग्स देखिये.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज़।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप असत्य बोलते हैं। आपने कहा था +++

श्री रमाकान्त शर्मा : आपने सुनने में गलती की होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आसन की तरफ इंगित करके कहिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, चम्बल के मामले में भी मध्य प्रदेश में जो आया जो बना लिया जाता है। कहीं पर कोई एनीकट, कहीं पर कोई बांध, हमसे पूछते नहीं हैं। हमने कभी-कभार इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने किसी को नहीं सुना। परन्तु हमारे पास से करीब नौ मिलियन एकड़ फीट पानी जमुना में जाता है और उसके बारे में हमारे पास चार प्रस्ताव हैं, लिये बैठे हुए हैं उनको कि भारत सरकार से अनुमति नहीं मिली हुई है और उस मामले के अन्दर भी सारे का सारा पानी काम में नहीं आ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनी हुई है, उसमें लिखी हुआ है, मैं केवल मात्र एक सेन्टेन्स ही आपके सामने निवेदन कर रहा हूं :

"Water should be made available to water deficit areas by

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

transfer from one river basin to another river basin purely on requirement basis."

राजस्थान से ज्यादा पानी की आवश्यकता किस प्रदेश को हो सकती है दुनिया के अन्दर, और गंगा एवं जमुना के पानी के लिये हमें आज तक कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता है। हमने बराबर वहां से बातचीत की कि हमें पानी मिलना चाहिए। कभी कोई चर्चा नहीं की वहां पर इस विषय के अन्दर। जमुना के तो हम ट्रिब्यूटरी भी हैं। वह लोग इस देश के अन्दर गंगा-जमुना का पानी मांग रहे हैं जो ट्रिब्यूटरी नहीं हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है। हमारी तो चम्बल जमुना के अन्दर जाती है, हम तो ट्रिब्यूटरी भी हैं। नरोना के अन्दर, वहां से पानी सकता है, करनाल के पास से पानी मिल सकता है और वह पानी झुन्झुनू, अलवर, भरतपुर, चूरू, इन सब जिलों को सिंचित कर सकता है। परन्तु हमने इस गंगा और जमुना के पानी के बारे में भी अभी तक कोई बातचीत नहीं की है।

मैं आपसे एक और बहुत मुख्य विषय पर निवेदन करना चाहूंगा। आज चाहें भ्रष्टाचार है, चाहे सरकार के अन्दर काम नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं परन्तु सबसे ज्यादा जो दुःखी जीव है वह है गांव का किसान, और वह दुःखी है राजस्व प्रशासन से। सच बात तो यह है कि हिन्दुस्तान स्वतंत्र हो गया परन्तु किसान अभी तक परतंत्र है। किसान को राजस्व नियमों के तहत हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हुई हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व प्राप्त करना प्रारम्भ किया था, उसके बाद में टोडरमल आया और उसके बाद अंग्रेजों ने शुरू किया। वही परिपाटी सारी की सारी चलती रही। ठीक है, आजादी से पहले मैन राजस्व किसानों से प्राप्त होता था, और कोई राजस्व प्राप्त करने का तरीका नहीं था इसलिए सारा का सारा उसका शोषण होता चला जा रहा था और वही मुख्य बिन्दु था जिससे सरकार को पैसा आया करता था। इसलिए एक इस तरह का कन्सेप्ट बना लिया गया था कि सारी की सारी जो जमीनें हैं, यह सरकार की हैं और इसलिए ऐसा कानून बना दिया गया। एक किसान अपना घर, जो दस लाख का है, एक आदमी से दूसरे आदमी को बेचे तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, साधारण सिविल राइट्स के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। परन्तु एक बिस्वा या दो बिस्वा जमीन बेचता है तो उसको इतनी परेशानी है। बाप से उसको मिलती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय की पाबन्दी है।

श्री रमाकान्त शर्मा : वह सही है, मगर माननीय सदस्य 15 मिनट बोल चुके हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 15 मिनट हो चुके हैं। कम्प्लीट करिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : अच्छा श्रीमान्, मैं बाद में कह दूंगा। मैं इसमें निवेदन कर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

देना चाहता हूं कि जो आज का हमारा सारे का सारा सीलिंग लॉ या हमारा टेनेन्सी एक्ट है या हमारा लेन्ड रेवेन्यू एक्ट है, इस के अन्दर किसानों को इतनी भारी परेशानियां हैं कि हम कितनी ही प्रक्रियाओं में तब्दीली ला दें, कितने ही बाबुओं को हम सस्पेन्ड कर दें, डरा दें, तबादला कर दें, इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक यह सारे का सारा जो एक्ट है, इसके अन्दर मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा और दिमाग के अन्दर यह बात नहीं आयेगी कि अब किसानों के विकास का समय आ गया है, अब उससे राजस्व प्राप्त करना या जमीन का लेन-देन मुख्य विषय नहीं रह गये हैं।

मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। एक तो आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर कि सौ बच्चे पढ़ने वाले हैं और प्राइमरी स्कूल नहीं है। हमारे संविधान के अन्दर डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स के अन्दर यह लिखा हुआ है कि दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष के लड़कों और लड़कियों को सारी की सारी अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी और उस का प्रावधान कियाजायेगा, उसकी फेसिलिटी दी जायेगी। परन्तु आज 45 वर्षों के बाद में भी जब गांवों में जाकर देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल के लिए लोग रो रहे होते हैं तो यह बड़ी दुविधा का प्रश्न है। मेरा सुझाव है कि जिस क्लास में जहां-जहां पढ़ने वाले लड़के हैं उसके अन्दर स्वीकृति का प्रश्न नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सारे के सारे खुल जाने चाहिए।

एक सेन्टेन्स और अर्ज कर देना चाहता हूं। सड़कों को आज तक लग्जरी माना आवश्यक चीज है। जितनी उत्पादन जरूरी गया है। सड़क किसान के लिए अत्यन्त चीज है, उसी प्रकार से उत्पादन का उसको उचित मूल्य मिले, वह जरूरी चीज है। आज सड़क के भीतर जिसके खेत हैं उसको मिलता है बाजरे का 130 रुपया और जहां सड़क नहीं है तो उसको 90 रुपया मिलता हैं। एक-एक गांव को पांच-पांच, चार-चार लाख रुपये का नुकसान होता है और उनके छप्पर के छप्पर रह जाते हैं। इसलिए सड़कों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है सारे के सारे गांवों के अन्दर। दूसरी बात यह है कि जो कुओं का जल स्तर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन को सहयोग करें।

श्री रमाकान्त शर्मा : दो सैकण्ड, यदि कुओं का जल स्तर ऊंचा करना है तो हम को एनीकट पर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजनीति के के दृश्य के बदलाव का द्योतक है। इस सत्ता के परिदृश्य का बदलाव नहीं, इस सत्ता के राजनीतिक सामन्तों का बदलाव नहीं, इस सम्पूर्ण परिवेश और राजनीति के चरित्र और उसकी संस्कृति के बदलाव का द्योतक है। प्रदेश की जनता पर चालीस साल तक जिस सरकार ने राज किया, वह उसको लोकतंत्र नहीं दे पाई। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अन्दर लोकतंत्र की आत्मा का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जो निवास होना चाहिए था, वह निवास नहीं हो पाने की स्थिति से त्रस्त होकर, उनके क्रिया-कलापों से त्रस्त होकर, यह कोई परिस्थितिजन्य परिवर्तन नहीं था, यह एक प्रक्रिया थी परिवर्तन के सोच की और सोच की प्रक्रिया में धराशाही हो गये वह लोग जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पर चालीस साल तक लोकतत्र का गला घोंटा। आप चाहे प्रदेश की नीतियों की बात करें, प्रदेश की प्लानिंग की बात करें, चाहे राष्ट्रीय विकास की बात करें हर जगह पर समझौते हुए हैं। यह नदियों के पानी के बटवारे का मामला ही नहीं है, आप इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी को ले लीजिए, उनके को-आर्डिनेशन को ले लीजिए न केवल समझौते हुए बल्कि नाकाबलियत भी आई है। हमारी वर्तमान सरकार न केवल एक रेस्पान्सिबल गवर्नमेंट होगी बल्कि रेस्पोन्सिव गवर्नमेंट भी होगी। जब राजनीतिक निरंकुशता पैदा होती है, जब तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा होती है तो संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और जब संवेदनशीलता खत्म हो जाती है तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। भ्रष्टाचार के जन्म के अन्दर दिल्ली से थोपे हुए मुख्य मंत्री जब मिल जाया करते हैं और उसमें नाकाबलियत जुड़ जाया करती है, तो विनियोजन जो होता है वह वास्तविक विनियोजन नहीं, किसी और की जेब के अन्दर जाने वाला विनियोजन होता है। और जब प्लानिंग की कमी उसमें जुड़ जाय, अगर उसमें कोआर्डिनेशन की कमी जुड़ जाय तो स्थितियां वही हो जाती हैं जो कि आज स्थितियां हैं। तिजोरी की चाबी आपके हाथ में है लेकिन तिजोरी खाली है। यह तिजोरी का खाली होना कोई तकलीफ की बात नहीं। अगर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन का अगर यूटिलाइजशन हो पाता और तिजोरी तब खाली हो गई होती, तो तिजोरी के खाली होने की तकलीफ किसी को नहीं हुई होती। लेकिन तिजोरी के खाली होने पर जो मिला है वह खालीपन है, और भरापन है वह और बाहर है।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि गत सरकार ने कानून और व्यवस्था किस तरह की दी तो यह सर्वविदित है। अभिभाषण में यह कहा गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की स्थिति लायी जायेगी। मैं चाहूंगा जिस तरह का संवेदनशील नेतृत्व चुना है, प्रदेश की जनता ने जिस तरह की सरकार चुनी है, जिस तरह की मूल्यों पर आधारित राजनीति को चुना है, यह मूल्य वह नहीं हैं जो बोफोर्स के मूल्य हैं, यह मूल्य जीवन दर्शन के मूल्य हैं, राजनीति के मूल्य हैं, लोकतंत्र के मूल्य हैं, जिनकी पुनर्स्थापना के लिए इस बार जनता ने वोट दिये हैं।

जहां तक इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट की बात है, जहां तक एग्रीकल्चर डवलपमेंट की बात है, माननीय भैरोंसिंह शेखावत की पुरानी सरकार ने, 1977 की सरकार ने नयी इण्डस्ट्री पालिसी को लागू किया था जो लेबर इन्सेंटिव टेक्नीक पर आधारित थी। उसको बदल दिया गया। सम्पूर्ण संविधानकी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया और केपिटल इन्सेंटिव टेक्नीक को लागू किया गया। कोटेज इण्डस्ट्री का गला काटा गया, स्माल स्केल इण्डस्ट्री का गला घोंटा गया, टाइनी इण्डस्ट्री का गला घोंटा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गया और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह रही कि इण्डस्ट्री के लिये तब पैसा ज्यादा दिया गया जब पावर कम थी। इस बात के को-आर्डिनेशन के लिये आर.एफ.सी. और रीको जरूर बनाये गये। लेकिन आर. एफ. सी. और रीको के लिये जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की परमीशन गयी सरकार ने दी, वहां पर डिस्बर्समेंट पूरा होने से पहले ही यूनिट सिक हो जाती है। इस तरह की पालिसी को बदलना होगा।

जहां तक एग्रीकल्चर पालिसी का ताल्लुक है, जल की समस्या काफी साफ है। सिंचित एरिया बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, उसको भी बढ़ाना होगा। यहां के लोकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना होगा। जहां पर प्रदेश के हितों के साथ कम्प्रोमाइज हुआ है, उस कम्प्रोमाइज को ठीक करना होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में जितना योगदान पुरानी सरकार का रहा है, आज अर्थव्यवस्था को ठीक करने का उतना ही दायित्व हमारा है।

मुझे आश्चर्य है इस बात का कि इलेक्टोरल इण्ट्रेस्ट के लिए, जब प्रदेश का पब्लिक डेब्ट आल टाइम हाई था, उस वक्त की सरकार ने एक्सट्रा बजटरी प्रोविजन करके कुछ योजनाओं की घोषणाएं की। अगर उस वक्त, जब पब्लिक डेब्ट आल टाइम हाई था उसके अन्दर 250 करोड़ और जोड़ दिया जाय, तो इस स्थिति के पब्लिक डेब्ट के बीच में जिस तरह की योजनाओं का डिक्लेरेशन किया गया, वह लोकतन्त्र के लिये घातक है। दिल्ली से भी थोपी गयी योजनायें। जवाहर रोजगार योजना। पंचायत राज को मार दिया गया, जो 40 साल में मार दिया गया था, लेकिन जब वोट की बात आयी तो पंचायत समिति, पंचायती राज याद आया, रोजगार याद आया। तो दिल्ली से सीधा पैसा सरपंचों को भेजा गया, प्रदेश की आटोनोमी पर अतिक्रमण किया गया, परन्तु यहां पर सरकार चुप बैठी रही क्योंकि चीफ मिनिस्टर थोपे जाते रहे हैं। राजनैतिक अस्थिरता पांच साल में थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, गयी बार विधान सभा के चुनाव होने वाले थे तो माननीय शिवचरण माथुर थे मुख्य मंत्री। माथुर साहब के बाद देवपुरा साहब आये देवपुरा साहब के बाद हरिदेव जी जोशी आये, जोशी साहब के बाद फिर माथुर साहब आये, माथुर साहब के बाद फिर जोशी साहब पधारे। पांच साल के अन्दर पांच बार मुख्य मंत्री बदले और राजनैतिक अस्थिरता रही, उस राजनैतिक अस्थिरता के बीच में इस तरह की योजनाएं दी गयीं, एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजन किया गया। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि श्रीमान् भैरोंसिंह शेखावत प्लानिंग कमीशन की पावर्टी की डेफिनेशन को, पावर्टी के फार्मूले को बदलने के लिये लगातार बात करते रहे, फाइनेंस कमीशन के इन्डेक्स को बदलने की बात करते रहे हैं। फाइनेंस कमीशन का इन्डेक्स बदला है, उसमें पुरानी सरकार का भी योगदान रहा है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे नेता ने विपक्ष के नेता होने की हैसियत के अन्दर राज्य के हितों के लिये जिस प्रकार की एडवोकेसी की, जिस प्रकार का दबाव राज्य सरकार पर बनाये रखा, उससे फाइनेंस कमीशन से जो फण्ड्स ट्रांसफर होने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वाले हैं वह इस बार ज्यादा ट्रांसफर होंगे; न केवल वह वेल्यू में ज्यादा होंगे बल्कि पर्सेन्टेज भी बढ़ेगा। इस बात के लिए मैं पुरानी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और विपक्ष के नेता की भूमिका का भी आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से अपील करूंगा कि न केवल फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर इन्क्रीज किये जायं बल्कि प्लानिंग कमीशन के ट्रांसफर भी इन्क्रीज किये जायं। साथ में डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर भी इन्क्रीज किये जायं।

नया जो प्लान आया है, दण्डवते साहब जो प्लान लाये हैं, एम्प्लायमेंट के बारे में जो प्लान आया है, ड्राट प्रोन एरिया के लिए मिलने वाला पैसा, ग्रान्ट इन ऐड का, जो प्रोविजन फाइनेंस कमीशन में आया है, इस तरह के कुछ प्रोविजन, उनका समावेश प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाय, तो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुयी है उस पर चेक लगाया जा सकता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिये न केवल व्हाइट पेपर को प्रिपेयर करना होगा, बल्कि हमें पालिसी पेपर भी डिक्लेयर करना होगा, पालिसी पेपर प्रिपेयर किया जाना चाहिए। आने वाले समय में हमें एप्रोच पेपर की तैयारी करनी होगी। प्रदेश की राजनीति और प्रदेश के विकास में आने वाले बीस सालों में, आने वाले तीस सालों के अन्दर एक वाइडर केनवास कैसा होना चाहिए उस केनवास की तस्वीर के लिये हमें एक एप्रोच पेपर तैयार करना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिये भी।

मेरी स्पष्ट मान्यता है कि लोकप्रिय बजट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लोकप्रिय योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना लोकहित की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। मैं उम्मीद करता हूं वर्तमान सरकार से कि पिछली सरकार की तरह तालियां पिटवाने के लिये लोकहित से समझौता नहीं करेगी। नीतियों की बात करेगी, नीतियों के निर्धारण की बात करेगी। इस बात की बड़ी खुशी है कि पुरानी सरकार ने, जिसका 7 हजार करोड़ रुपये के करीब डेफिसिट होना चाहिए था, उसने एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजन करके, यह रोजगार योजना, नेहरूजी के नाम पर की या जवाहर के नाम से की, वह डेफिसिट जो सात हजार करोड़ होना चाहिए उसको 11 हजार करोड़ के लगभग कर लिया। जिस तरह से नेशन के बजटरी सिस्टम को डेमेज करने की कोशिश की गयी उस तरह की कोशिश को रोका जाना चाहिये।

मुझे बड़ी खुशी है दिल्ली के बजट को देखते हुए, जो इस बात का संकेत करता है कि सम्पूर्ण देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, नया बदलाव आने वाला है। वह इस बात का संकेत है कि बजटरी प्रोविजन्स में जो डेफिसिट दिया गया है उस डेफिसिट पर स्टिक करेगी। उसका कोई एक्सट्रा बजटरी प्रोविजन नहीं होगा। बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और 7 हजार करोड़ का जो डेफिसिट दिखाया गया है उस डेफिसिट के अन्दर कोई बदलाव नहीं होगा और अगर बदलाव हुआ, तो फिर पूरी क्लीयरेन्स ली जायेगी आर.बी.आई. और पार्लियामेंट की। लेकिन पिछली बार जो एक्स्ट्रा प्रोविजन सरकार ने दिल्ली से किया, उसमें न आर.बी.आई. की क्लीयरेंस

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ली न उनसे कन्सल्टेशन किया गया न प्लानिंग कमीशन से बात की गयी, यहां तक कि लगता है कि केबिनेट से भी बात नहीं की गयी। लेकिन केबिनेट में प्रोविजन रखनी पड़ी होगी, वह केबिनेट वन मेन होती थी।

नगर नियोजन की यहां बात करें, तो प्रदेश की सरकार, जो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अरबन एरियाज में आ रहे थे और जिस तरह का अरबनाइजेशन हो रहा था, उस अरबनाइजेशन के अन्दर हाउसिंग प्रोब्लम कितनी एक्यूट हो जायेगी, उसको फोरसी नहीं कर पायी। लगता है राजनैतिक उठा पटक से वक्त नहीं मिला होगा। उसके बाद फिर फोरसी नहीं करने से सहकारी समितियां आयीं। सहकारी समितियां आने के बाद तस्कर पैदा हुए और लैण्ड स्मग्लर्स से राजनीतिज्ञों की मिली भगत हो गयी, जिसका परिणाम यह हुआ कि चुनावों से पूर्व सरकार ने इस तरह की चीज पास की, इस तरह का कानून पास किया, इस तरह के प्रोविजन रखे, जिसमें खुला निमंत्रण दिया गया सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने का। जिस तरह की स्थिति रही, शहरों में नियोजन के साथ में खिलवाड़ किया गया, जो जयपुर पूरी दुनिया के अन्दर पिंक सिटी नाम से जाना जाता था, जो जयपुर जयसिंह ने शिल्प शास्त्र पर आधारित बनाया था, उस जयपुर के साथ कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर इस तरह का विनाश किया। 20 साल में नगर नियोजन के नाम पर एक कैंसेरियन ग्रोथ की गयी, उस कैंसेरियन ग्रोथ को ठीक करना होगा। जो स्थिति ला दी गयी है कांग्रेस सरकार के द्वारा भू तस्करों के और राजनीतिज्ञों के बीच अण्डर-दी-टेबल डील्स के द्वारा, उस स्थिति को बदलना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जहां तक सम्पूर्ण परिवेश का ताल्लुक है, मैं सोचता हूं कि एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील नेतृत्व का जो एक दस्तावेश पेश होना चाहिए, यह अभिभाषण उस जन आस्था की बात करता है, उसका एक प्रोजेक्ट देता है, बड़ी क्लियर पिक्चर देता है, लोकहित की बात करता है। उस तरह के प्रस्ताव को मैं समझता हूं कि ध्वनि मत से ही पारित कर दिया जाय।

धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री शिवचरण माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़): सभापति महोदय, 15 मार्च, 1990 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर दिया उसके संबंध में चर्चा सदन में चल रही है। मैं अपनी बात आरम्भ करूं उससे पहले मेरे पूर्व वक्ता, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य राजपाल सिंह शेखावत को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेडन स्पीच उन्होंने इस ढंग से दी, मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। सही मायने में यदि उनको इस अभिभाषण को लिखने की बात कही जाती तो शायद वह ज्यादा अच्छा भाषण लिख सकते थे लेकिन यह हुआ नहीं। दरअसल इस अभिभाषण में जिस प्रकार की बात कही गयी है वह शेखावत जो बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य हैं....

श्री सभापति: वह भी शेखावत हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उनकी भावनाओं से बिल्कुल विपरीत है। मैं ऐसा मानता हूं कि चुनावों की प्रक्रिया एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, दूसरी पार्टी हारती है, यह दुनिया की एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी में अनहोनी बात नहीं मालूम पड़ेगी। आज ब्रिटेन की डेमोक्रेसी जो करीब 8 सौ साल पुरानी डेमोक्रेसी है, उसमें एक पार्टी सत्ता में रहती है, दूसरी पार्टी उसके मुकाबले में तैयारी करती रहती है, बल्कि यहां तक कि उनकी शेडो केबिनेट होती है और उस की जनता कुछ खास मुद्दों को लेकर एक पार्टी को सत्ता में बैठती है और दूसरी पार्टी को विपक्ष में भेजती है।

मैं ऐसा मानता हूं कि यदि वह स्थिति हमारी डेमोक्रेसी की आ जाये तो फिर आपको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि पहले वाली पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया और हमने जो कुछ भी जिम्मेदारी ली है उसको हम निभाना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हिन्दुस्तान की 38 साल की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के पश्चात् भी हमारे देश में ऐसी स्थिति अभी नहीं बन पाई कि जिसमें कि हम कुछ नीतियों के आधार पर, कुछ मुद्दों के आधार पर एक पार्टी को बाहर भेजें और एक पार्टी को अन्दर लायें।

सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब-जब भी सरकारों का बदलाव हुआ है वह एक लहर के आधार पर हुआ है। एक लहर आयी 1977 में। उस लहर में एक मुद्दा बनाया गया फेमिली प्लानिंग को और उसके जरिये से जनता पार्टी की सरकार बनी, वह भी एक कान्गिलोमरेशन था। अगर एक विचारधारा की, एक नीति में विश्वास रखने वाली पार्टी की सरकार बनती, तो शायद सम्भव होता कि 1977 से ही यह प्रक्रिया चालू हो जाती। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के सौगन्ध खाई कि हम एक रहेंगे, एक पार्टी का स्वरूप बना करके इस देश की सरकार को चलायेंगे, देश के प्रति जो हमने विश्वास दिया है उस विश्वास को निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, वह प्रक्रिया बहुत दिनों नहीं चली। उस सरकार को पांच साल के लिये देश की जनता ने चुन कर के भेजा था लेकिन वह सरकार तीस महीने से ज्यादा नहीं चल सकी। क्या हुआ, उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि यदि एक मोनोलिथिक विचारधारा रखने वाली पार्टी के हाथ में सरकार आती तो शायद वह प्रक्रिया 1977 में चालू हो गयी होती लेकिन चूंकि कांग्रेस का विरोध एक सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के, जितनी भी देश की विरोधी पार्टियां थीं, उन्होंने इकट्ठा होकर के हमारा विरोध किया, कि चाहे जैसी बात कहें, कोई नारे दें, कोई भी वजह दें, लेकिन कांग्रेस को हटा दो। यह मुद्दा निश्चित रूप से 1977 के चुनावों में बना। उसकी परिणति में जिस सरकार का निर्माण हुआ उसका वही परिणाम हुआ जो, मैं समझता हूं, शायद आने वाले कुछ वर्षों में आपकी सरकार का भी होने वाला है, क्योंकि वही स्थितियां आज भी देश में बनी हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं लहर की बात कह रहा था। इस बार भी कुछ तीन-चार

(श्री शिवचरण माथुर)

मुद्दों को लेकर के दो-तीन साल से लगातार देश की विरोधी पार्टियों ने, कांग्रेस को किस प्रकार से हटाया जाये, यह मुद्दा बना करके, संगठन इकट्ठा करने की बात कही। उसमें कोई नीति का सवाल नहीं, कोई आइडियोलोजी का सवाल नहीं, कोई विचारधारा का सवाल नहीं, अजीब बात है। भारतीय जनता पार्टी जो एकमत में विश्वास करने वाली पार्टी, जिसका लेसिज फेयर में विश्वास है, जिसका विश्वास यह है कि हर व्यक्ति को बढ़ने का मौका दिया जाये। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जो समाजवादी सिद्धान्तों में विश्वास करती है। वह कहती है कि जितने भी सार्वजनिक उत्पादन के साधन हैं उन पर कब्जा सरकार का होना चाहिए। वह दोनों पार्टियां, चूंकि कांग्रेस का विरोध उनका एक सोच था, उस सोच को लेकर के इस चुनाव के मौके पर इकट्ठी हो गयीं और बीच में हममें से निकलने वाले हमारे कुछ साथी इकट्ठे हो गये, उनकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कुछ शिकवे हो सकते हैं, वह शिकायतें शिकवे लेकर के उन्होंने एक नेशनल फ्रंट बना लिया। इस प्रकार से एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स., कम्युनिस्ट पार्टी इण्डिया और जितनी भी प्रगतिशील कहलाने वाली वामपंथी सभी पार्टियां दूसरी तरफ दक्षिण पंथी कहलाने वाली पार्टी बी.जे.पी., बीच में मध्यम भाग अपनाने वाले हमारे साथी जिन्होंने नेशनल फ्रंट बनाया, तीनों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस के विरोध में एक वातावरण बनाने की कोशिश की। इस वातावरण बनाने में भी यदि सामान्य तौर पर कुछ सिद्धान्त पर एग्रीमेंट हो जाता, समझौता हो जाता नीतियों और मूल्यों पर, तो भी बात समझ में आती। लेकिन नीतियों और मूल्यों पर समझौता नहीं हुआ। सबने यह सोचा कि कांग्रेस को किस प्रकार से हराया जाये। इसके लिये जो भी मुद्दे बन सके और जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जा सके, जिस प्रकार से लोगों को कांग्रेस के विरोध में लिया जा सके वह सभी मुद्दे सामने लाने वाली बात कही। मैं उन पर बहुत ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहूंगा। हमने रचनात्मक सहयोग की बात मुख्यमंत्री जी से कही है, इसलिये मैं अधिक समय उन प्रश्नों पर देना चाहूंगा। लेकिन मुझे दुःख यह हुआ कि इस अभिभाषण में जो भावना अभी राजपाल सिंह जी ने कही, कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आती, इसमें कहीं दिशा नहीं है, यह दिशाहीन भाषण है जिसमें सिवाय इसके कि पुरानी गवर्नमेंट ने यह किया, हम उसमें यह करना चाहते हैं और कुछ नहीं। करना क्या चाहते हैं यह भी दिशा नहीं है। केवल एग्जम्पट बनाने वाली बात उन्होंने यहां पर कही है। क्या करेंगे, पोजीटिव एक-दो प्रोग्राम को लेकर यदि इन्डीकेशन दे देते तो हमारी समझ में बात आती कि कुछ करना चाहते हैं। लेकिन पुरानी सरकार ने यह बुरा किया हम उसको ठीक करना चाहते हैं। और आंकड़े भी जब मैं आपको बताऊंगा, आंकड़े भी बिल्कुल गलत उन्होंने राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से कहलवाये। आंकड़े भी अगर सही देते तो बात समझ में आती। आंकड़े भी ऐसे गलत दिये हैं, तो मैं समझता हूं इसी सरकार के आंकड़े हैं। सरकार हमने चलाई उसके बाद आपने उसको इनहैरिट किया। मैं आपका दोष नहीं मानता। जो आंकड़े हैं वह तो कम से कम सही देते। लेकिन

(श्री शिवचरण माथुर)

आंकड़ों को आपने सही नहीं दिया और राज्यपाल महोदय को आपने विवश किया कि वह गलत आंकड़े यहां सदन में पेश करें।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो लहर की बात आज मैंने कही, दरअसल में अगर आप कभी समुद्र में गये होंगे तो मालूम पड़ा होगा कि वहां ज्वार भाटा आता है, वेव आती है और जिसको कहते हैं Riding on the crest of the wave। जब लहर ऊंची चढ़ती है और जब भाटा ऊपर आता है कहर का जो उबार आता है, तो जिस चीज को आप जहां से शुरू कर रहे हैं उस क्रेस्ट आफ दी वेव पर राइड करने वाला व्यक्ति वापस उसी जगह पर आ जाता है। मैंने स्वयं देखा है और आपने भी महसूस किया होगा कि नारियल को रख दीजिए समुन्द्र के किनारे पर वह जब वेव आयेगी बहुत ऊंचा चला जायेगा और जब वापस उतर आयेगा तो ज्यों का त्यों वहीं उतर आयेगा। इसी प्रकार से क्रेस्ट आफ दी वेव पर चढ़कर, कांग्रेस विरोध को एक मुद्दा बता करके, देश की सभी विरोधी पार्टियों ने एकमत होकर के अबकी बार चुनाव लड़ा है। और उसमें जो मुद्दे उन्होंने सामने रखे हैं, सभापति महोदय, उन मुद्दों के आधार पर जो चुनाव लड़ा गया है उससे देश को क्या दिशा हमारी उस समय की विरोधी पार्टी, आज की सरकार में बैठने वाली पार्टी दे सकेगी, मुझे शंका है। यदि हमारे खिलाफ यह कहते कि इन्होंने जनहित के कार्यों में यह पालिसी अपनाई वह गलत थी। तो बात समझ में आती।

अमेरिका की डेमोक्रेसी में छोटी सी लाइन आफ डिमार्केशन पालिसी में वहां की जनता तय करती है, न्यूक्लीयर पालिसी क्या होनी चाहिए उस पर एक प्रेसीडेण्ट ने कुछ बात कही, उस पर रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ कहा, उस पर जनता बहुत सूक्ष्म बातों पर भी फैसला कर लेती है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया चुनाव के दरमियान में? तीन बातें खास तौर से कही गयीं। कोई सिद्धान्त की बात नहीं थी, कोई आइडियोलोजी की बात नहीं थी, कोई पालिसी की बात नहीं थी, कोई नीति की बात नहीं थी। तीन मुद्दे खास तौर से कहे गये। एक मुद्दा तो कहा गया कि राम जन्म भूमि में जो राम का मन्दिर है वह सरकार बनने नहीं देना चाहती। हमने निवेदन किया देश की जनता से और सब विरोधी पार्टी के लोगों से कि राम के भक्त जितने आप हैं उससे ज्यादा भक्त हम लोग हैं। हमारे यहां हर हिन्दू के घर में रामायण मिल जायेगी। रामचरित मानस का पाठ हम करते हैं। लेकिन जो एक डिस्प्यूटेड जमीन है उस पर फैसला कोई सरकार नहीं कर सकती। उसमें कुछ दिक्कतें हैं, प्रशासनिक कठिनाइयां हैं उसके लिये अदालत को निर्णय करना होगा और जो अदालत निर्णय करेगी उस निर्णय को सब को मानना होगा। यह बात हमने कही। लेकिन उसको लेकर जुलूस निकाले गये, राम शिलाएं इकट्ठी की गई और न जाने कितने लोगों से पैसा इकट्ठा करके बनारस में उसे पैसे को ले जाया गया। मुझे पता नहीं उस पैसे का आज क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं द्वारिका के शंकराचार्य जी का एक बयान मैंने जरूर

(श्री शिवचरण माथुर)

पढ़ा अखबारों में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वह बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, धर्म गुरू हैं, उनका एक वक्तव्य अखबारों में निकला। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले भी हिन्दू धर्म के बहुत समर्थक लोगों से बात कही थी कि राजनीति में मेहरबानी करके धर्म को शामिल मत कीजिए। लेकिन राजनीति में धर्म को शामिल किया गया और यहां तक किया गया कि राम को भी उसमें बीच में ले आये। राम जो एक जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन की हर चीज आदर्श मानी जाती है, उनके जीवन के हर पहलू को आदर्श पहलू मानकर के आज उनका अनुकरण करते हैं, राम के जीवन को अगर आप देखें तो सहिष्णुता की सीमा को उससे अधिक कहीं और नहीं पाते। उस राम के नाम को भी राम जन्म भूमि के जरिये से उठाया गया और द्वारिका के शंकराचार्य जी ने कहा कि मैंने राजनीति में राम को शामिल करने की बात नहीं करने के लिये कहा था लेकिन माने नहीं लोग और इसमें शामिल किया गया। अब वह राम शिलाएं वहां पर जिस स्थिति में पड़ी हुई हैं उस पर हम सबको अफसोस होता है। मैंने तो लोगों को भी भेजा कि जाकर देख तो आइये किस प्रकार से वहां पर राम शिलाएं पड़ी हुई हैं। मुझे मालूम पड़ा कि वहां अभी तक कीचड़ में पड़ी हैं कोई पूछने वाला नहीं है.... (व्यवधान) जितनी चौपाइयां मैं यहां पढ़ सकता हूं, शायद पूरा काण्ड मुझे याद है आप पढ़वा लीजिए, मैं बोल सकता हूं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को धर्म का मतलब समझाइये।

श्री शिवचरण माथुर : मेहरबानी कर के इसका दावा मत कीजिए। अपना मत अपना धर्म अपना विवेक अलग-अलग व्यक्ति के सामने है, लेकिन जहां तक सत्ता का सवाल है, देश की राजनीति का सवाल है, वहां पर धर्म किसी प्रकार से आड़े नहीं आता है, वहां हर व्यक्ति को अपने-अपने धर्म को मानने की इजाजत है। कांग्रेस की सबसे बड़ी देन है तो वह यही है कि हमने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार किया। हमने यह कहा और हमारी कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने इस बात को स्वीकार किया, इस देश के संविधान में हमने यह स्वीकार किया है कि इस देश को चलाने वाली सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इस देश में रहने वाले हर एक धर्मावलम्बी को, हर धर्म के मानने वाले को इजाजत है, आजादी है कि वह अपने धर्म का पालन करे। यह हमने हमारे संविधान में सिद्धान्त के तौर पर स्वीकार किया। कांग्रेस की जो चार मुख्य देन हैं उसमें से एक देन यह है कि हमने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को न केवल संविधान में शामिल किया बल्कि उस जीवन में अपनाया, उसको प्रतिपादित किया, उसके अनुसार सरकार को चलाया। एक बड़ी देन हमने प्रजातन्त्र की दी। प्रजातन्त्र की आप बहुत बातें करते हैं, जनादेश की बातें करते हैं लेकिन कांग्रेस संविधान में प्रजातंत्र की बात नहीं कहती और इस प्रकार से प्रजातंत्र को स्वीकार करने वाली बात नहीं करती, तो आज ईस्ट यूरोप और यूरोपियन कन्ट्रीज में दूसरी धारा चल निकली है, मैं आपसे कह सकता हूं कि उस समय कांग्रेस इस स्थिति में थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय

(श्री शिवचरण माथुर)

यदि चाहती कि एक पार्टी का राज रहे सारे देश में तो इस प्रकार का संविधान में प्रावधान कर सकती थी टेढ़े-मेढ़े ढंग से। लेकिन हमने सोचा कल हम भी गलती कर सकते हैं। देश की जनता को हमने सर्वोपरि माना और देश की जनता के हाथ में यह सत्ता सौंपी कि वह पांच-पांच साल के बाद अपने मन मुताबिक सरकार बनाये, चलाये और यदि मन में आये तो सरकार को बदलने की क्षमता उसमें रहे। यह देन भी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने प्रजातंत्र दिया। जिस जनादेश की बात आप करते हैं आज, यदि कांग्रेस प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को संविधान में स्वीकार नहीं करती तो जनादेश के आधार पर यह जो आप उस तरफ बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष में, वह नहीं आ जाते। सत्ता पक्ष में किस प्रकार से बैठे हुए हैं उस पर भी मुझे शक है। देश की जनता ने, हम तो उसको सर्वोपरि मानते हैं. मालिक मानते हैं, मालिक यदि नाराज हो गया, हमको चांटा मार कर इधर बैठा दिया, हमें स्वीकार है। हम उसके फैसले को सर्वोपरि मानते हुए स्वीकार करते हैं। मेरे देश की जनता ने, मेरे देश के मालिक ने, एक फैसला किया उधर बैठने वालों के पक्ष में। मुझे थोड़ासा दुःख जरूर हुआ कि एक हंग पार्लियामेंट बना दी। अब हंग पार्लियामेंट को हिन्दी में क्या कहा जाय मुझे मालूम नहीं। त्रिशंकू शब्द ठीक रहेगा। 530 मेम्बर्स की संसद में 141 मेम्बर्स अपने पक्ष में रखने वाली पार्टी आज सरकार चला रही है और दो बैसाखियां उनके पास नहीं हों, एक भैरोंसिंह जी साहब की पार्टी, बी जे.पी. की बैसाखी नहीं हो उनके पास में और एक कम्युनिष्ट पार्टी की बैसाखी इनके पास में नहीं हो, तो जिस दिन सहयोग उन्होंने वापस खींच लिया, अडवाणी साहब ने तय कर लिया हम जनता दल की सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, उस दिन सरकार गिर जायेगी। मैं बहुत गम्भीर बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिये, आपके हित में है। मैं तो चाहूंगा कि अगर पूरे तौर से एक पार्टी की सरकार बन जाती तो शायद समस्या हल हो जाती। उस हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकू पार्लियामेंट का नतीजा यह हुआ कि तीन महीने का समय नहीं गुजरा हमारी नई सरकार के, सौ दिन पूरे होने के छः दिन बाद में 108वें दिन हमारे देश के ताऊजी ने एक नया बेड़ा उठा लिया। मैं तो सर्वोपरि हूं, मैंने सरकार को बनाया है, मेरे कारण वोट मिले हैं. जो मैं कहता हूं वह बात क्यों नहीं कही जाती। इस पर उन्होंने तय किया और इस्तीफा देने का फैसला किया। मेरी समझ में नहीं आता अगर 108 दिन में यह स्थिति आ सकती है,....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, एक आपत्ति है। माथुर साहब ने कहा है "ताऊ ने इस्तीफा दे दिया".... हम ताऊ नहीं मानते, यह मानते होंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं उनकी इज्जत करता हूं। बहुत बुजुर्ग हैं, किसानों के नेता भी हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जो स्थिति उन्होंने पैदा की है तीन महीने के अन्दर, वह इस बात का सबूत देती है कि आने वाले समय में, जब कि मुद्दों पर, प्रश्नों पर, मैटर्स आफ पालिसी पर, सवाल आयेंगे और जब मतभेद और डिफरेन्सेज

(श्री शिवचरण माथुर)

कायम होंगे, तब उस समय सरकार का क्या होगा, मुझे इस बात की तकलीफ है। मैं कहना चाहता हूं, इसी प्रकार का जनादेश यहा पर मिला। भैरोंसिह जी की पार्टी यदि पूरे तौर से आ जाती तो हमें खुशी होती। एक पार्टी बैठ कर कम से कम पांच साल तो शासन चलाती।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मदद कर देना।

श्री शिवचरण माथुर : हम तो अपनी रोटी सेंक रहे हैं, मदद करने वाली बात नहीं। प्रश्न यह है कि अगर एक पार्टी की सरकार बन जाती तो कम से कम यह सन्तोष तो होता कि पांच साल तक इस पार्टी से निपटना है। हम नीतियों के आधार पर अगली बार आयेंगे तब इस सरकार से निपट लेंगे। लेकिन हुआ क्या ? आप 85 सदस्यों को लेकर बैठे हुए हैं।

श्री चन्दनमल बैद : दो जगहों से जीते थे यह।

श्री शिवचरण माथुर : अब तो 84 रह गये। आप दो जगहों से लड़े तो एक जगह से आपने इस्तीफा दे दिया। अब 84 मैम्बर्स की पार्टी को आप लेकर बैठे हैं। एक पार्टी के लिए कम से कम 17 आदमी चाहिए और एक और चाहिए। कम से कम 18 आदमी होने चाहिए। जनता दल का जो हिसाब है, टाइम्स ऑफ इण्डिया की फ्रन्ट लाइन में आपने पढ़ा होगा। जनता दल का क्या हिसाब से उसको देख लीजिए। इस स्थिति में यह हंग असेम्बली बन गयी और उसमें, मैं समझता हूं यह व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे, और हमारे इधर बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य चाहते हैं, कि आप की सरकार पूरे पांच साल निकाले। हमें उसमें फायदा है। हम चाहते हैं आप पांच साल निकालें तो कम से कम जनता को महसूस तो होगा कि हमने जिस पार्टी को निकाला उसकी क्या गलती थी। इस पार्टी ने क्या दे दिया। हम चाहते हैं खुद आप लोग पूरे तौर से इस समय को निकालें। मुझे शका है, मुझे सन्देह है, कि आप पांच साल नहीं निकाल पायेंगे। उसके कारण बन गये हैं। मैं इसको लोजिकल कन्क्लूजन तक ले जाना चाहता हूं। आज उसके कारण यह हैं कि केन्द्र में जिस दिन आपकी दो बैसाखियों में से एक बैसाखी टूट गयी, और अभी भी केन्द्रीय बजट मधु दण्डवते ने जो पेश किया मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, केन्द्र के नेता ने, स्टेट के नेताओं ने उसका विरोध किया। "We have been let down." यह उनके शब्द हैं। जो बात हम कह रहे हैं, वह बात आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी जी ने कही, और उन्होंने कहा, "We have been terribly let down." यह उनके शब्द हैं। यह विरोध की असल भाषा है।

वहां बैठने वाले बाहर से समर्थन दे रहे हैं। मैं समझता हूं दुनियां की डेमोक्रेसीज हिन्दुस्तान में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए हम बाहर से सहयोग दें, अन्दर हम अपने में स्वतंत्र हैं यह नेशनल फ्रण्ट की जो सरकार बनी हुई है, वह जो भी कदम उठायेगी, उसके गुण दोष पर अपने विवेक से हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन बाहर से उनका

(श्री शिवचरण माथुर)

सहयोग कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आती यह परिभाषा डेमोक्रेसी की जो हिन्दुस्तान में नई अविष्कृत हुई है उसका क्या इम्प्लीमेन्टेशन होगा, क्या हश्र होगा ? आज मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी की प्रक्रिया, जो चलनी चाहिए, वह ठीक नहीं चल पा रही है।

सभापति महोदय, मैंने निवेदन यह किया कि एक पहला मुद्दा जो इस सारे कान्गिलोमरेशन, क्योंकि इसमें बी.जे.पी. तो शामिल नहीं थी, सबने मिल कर एक कांग्रेस विरोधी नारा हमारे देश को दिया, इस कान्गिलोमरेशन के सामने राम जन्मभूमि का मसला पहले रखा गया। राम जन्म भूमि के मसले पर आज हुआ क्या, विधान सभा चुनाव के 6 या 7 दिन पहले विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं से बातचीत होती है, उस के पहले उनके स्टेटमेंट आते हैं। विश्व हिन्दू परिषद के नेता कहते हैं कि हम किसी बात को मानने वाले नहीं हैं। चाहे चुनाव हो या नहीं हो, हम तो इस पर अटल हैं। तारीख 14 फरवरी उन्होंने दी थी। 14 फरवरी को हम वहां मंदिर बनाने के लिये चले जायेंगे। लेकिन उनके समझौते थे आपस में कि विधान सभा के चुनाव से निपट लेने दें, फिर जो कुछ करना हो कर लेना। विश्व हिन्दू परिषद के जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उन्होंने अपनी बात कह दी कि ठीक है। हम तो राष्ट्रीय आधार पर जो बात होगी उसको मान लेंगे। और पांच सात दिन बाद यह निर्णय किया गया कि चार महीने इसे और टाल दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा किया। आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि आप यह चाहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद ने जो कहा था कि 14 फरवरी को निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए, उस पर टिके रहते ?

श्री शिवचरण माथुर : हम तो यह कह रहे थे कि आप बना नहीं सकते जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाय, अदालत का निर्णय नहीं हो जाय। जो बात तब सम्भव नहीं थी वह बात आज डेमोक्रेसी में सम्भव नहीं है। आटोक्रेसी या तानाशाही में सम्भव हो सकती है लेकिन आज प्रजातंत्र में यह बात सम्भव नहीं है। जब देश की सर्वोच्च अदालतें बैठी हुई हैं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके गृह मंत्री ने क्यों कहा ? बूटासिंह जी ने जालोर में सब जगह यह भाषण दिया कि मन्दिर मैं बनाऊंगा, हमारी सरकार बनायेगी। गृह मंत्री चुनाव लड़ रहे थे।....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : विश्व हिन्दू परिषद के पांच हजार +++ काम कर रहे थे।

श्री शिवचरण माथुर : वह संन्यासी नहीं थे लेकिन संन्यासी का भेष बदल कर वहां लोग आये हुए थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने थे यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री रामसिंह विश्नोई : +++ गुमराह करने के लिए कुछ कहना पड़ता है।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, बूटासिंहजी ने जो कहा वह तो मान ही गये। लेकिन अगर संन्यासियों की बात आप कह रहे हैं, जो सही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लेऊ कि सही है तो बूटासिंहजी लोगों को संन्यासी बनाकर लाये और वह संन्यासी असली रूप में पकड़े गये। यह भी आपकी जानकारी में होगा।

श्री शिवचरण माथुर : शेखावत साहब, मैं यह कह रहा था कि जो बात हमने कही थी अन्तिम रूप से आप भी उसी बात पर आये। हमने भी यह बात कही थी कि अदालत का फैसला हो जाने दीजिये, हम इसको स्वीकर करेंगे। अन्तिम रूप से उसी बात पर आप भी आये, लेकिन आपने फायदा उठा लिया। हम को उधर से इधर भेज दिया और आप वहां बैठ गये, धोखा देकर। जनता के साथ एक जबर्दस्त धोखा हुआ। मैं इसको बहुत लम्बा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना है। मैं जो भी बोलूंगा, अपनी पार्टी के समय में बोलूंगा।

दूसरी बात, सभापति महोदय, चुनाव के मौके पर यह वायदा किया गया कि 10 हजार रुपये तक के किसानों के कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। बड़े जोरों से सीकर के चुनाव में कहा गया, पार्लियामेंट के चुनाव में कहा गया। किसान यह समझता था कि बड़ा अच्छा है, 10 हजार तक के कर्ज से छूट जायं, हमें क्या बुराई है। हम लगातार यह कहते थे चुनावों में कि 10 हजार रुपये तक के किसानों के कर्ज तभी छूट सकते हैं जब कि सरकार 14 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा करा दे। अगर बैंकों में जमा नहीं करायेगी तो यह बैंकिंग सिस्टम फेल हो जायेगा। सरकार को अधिकार है, वह विकास के कामों को टाल दे कि हमको पांच साल विकास नहीं करना है, कोई और योजना नहीं लेनी है, हमको तो केवल किसानों का कर्जा माफ करना है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 15 हजार तक के कर्जे माफ किये थे उसकी क्या तुक थी ?

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, हमने हमेशा चुनाव के भाषण में यह कहा है, कर्जे माफ करने में हमारा भी विश्वास है, मैंने भी मेरे वक्त में, जब में मुख्य मंत्री था तब कर्जे माफ किये थे। लेकिन हमने एक बात कही थी, 'कि अकाल के वक्त के जो कर्जे हैं उनको हमने माफ बिल्कुल नहीं किया था' उनको हमने आठ साल के लिए डेफर किया था और यह कहा था कि इसमें इण्ट्रेस्ट का पार्ट सरकार अपने तौर पर भुगतेगी और जो कुछ मूल धन है उसको हम आठ साल की किश्तों में लेने का वायदा करते हैं। हमने उस इण्ट्रेस्ट को चुकाने के लिए साढ़े सात करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया। आप देख लीजिए, अब तो आप वित्त मंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं। हमने उसका प्रावधान किया और हमने यह कहा कि हम कर्जा पूरा नहीं छोड़ सकते क्योंकि कर्जे छोड़ेंगे तो बैंकिंग सिस्टम फेल हो जायेगा। बैंकों में पैसा कोई सरकार का नहीं होता है, वह आम जनता का होता है। छोटी-छोटी बचतें जो होती हैं, कोई 100 रुपये बचाता है, कोई 200 रुपये बचाता है, तो कोई 500 रुपये बचाता है, वह इकट्ठी होकर आज करीब डेढ़ लाख

(श्री शिवचरण माथुर)

करोड़ रुपया बैंकों में इकट्ठा है। उसको कोई सरकार कैसे छोड़ सकती है? यदि सरकार छोड़ना चाहे तो अपने खजाने से पैसा दे दे, अपने विकास के कामों को कम कर दे। करने का अधिकार है, नीति बनाने का उनको अधिकार है। तो हमने कहा, 14 हजार करोड़ रुपये आप रखिये, तब 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ हो सकते हैं। मुझे जानकारी पूरी नहीं है, मुझे किसी ने कल ही बतलाया कि दिल्ली हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति ने रिट की है। उसमें यह कहा है कि किसानों के 10 हजार रुपये तक के कर्जे छोड़ सकते हैं तो गरीब के 10 हजार तक के कर्जे छोड़ने में सरकार को क्या एतराज है। यह रिट दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, किसी ने कहा उसी आधार पर मैं आप से कह रहा हूं। यदि इस प्रकार सब कर्जे छोड़ने का हिसाब लगाया जाय देश के स्तर पर तो आज करीब 26 हजार करोड़ रुपए क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन, दूसरे गरीब आदमियों और हाउसिंग लोन, सब मिला कर आज के एस्टीमेट, आज की प्राइसेज के हिसाब से करीब 26 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अब की बार मधु दण्डवतेजी ने जो बजट पेश किया है 1900-91 का, सैण्ट्रल का जो प्लान बजट है, मैं समझता हूं वह 26-27 हजार करोड़ रुपए का है। उसमें भी जो हमारा पिछले साल का प्लान का बजट था और इस साल का जो बजट है, उसमें 185 करोड़ रुपयों की कमी है। इसका मतलब यह है कि लास्ट ईयर का जो प्लान आउट ले था उससे 185 करोड़ रुपए प्लान आउट ले में आपने कम प्रावधान रखा है। जब आप 185 करोड़ रुपए कम रखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कण्टीन्युइंग स्कीम्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जहां देश के सामने इतने फाइनेंशियल कांस्ट्रेण्ट्स हैं और आप 26 हजार करोड़ रुपए का एक सैण्ट्रल प्लान बनाते हैं, स्टेट प्लान की बात छोड़ दीजिए, और उस प्लान में भी आप 185 करोड़ रुपए कम करते हैं फाइनेंशियल कांस्ट्रेण्ट्स की वजह से, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि 26 हजार करोड़ रुपए के कर्जे आप कैसे छोड़ना चाहते हैं। वह कर्जा छोड़ने वाली बात जब सामने आयी, हमने सोचा कि मधु दण्डवते साहब जब बजट पेश करेंगे, शायद 14 हजार करोड़ तक का कर्जा छूट जायेगा। बड़ी आशाएं लगाकर हम भी बैठे हुए थे। मैंने लगातार चार घण्टे तक उस प्री बजट कमेण्ट्री को भी सुना, जो 2-3 घण्टे पहले से लगातार आ रही थी। उस कमेण्ट्री में एक्सपर्ट्स का जो पैनल था वह लगातार यह उम्मीद करके बैठा था सिवाय फाइनेंस सैक्रेटरी नितिन देसाई के, वह जरूर कमेण्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको तो मालूम था कि बजट में क्या है। पैनल के जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब यह कह रहे थे कि जो वायदा किया गया है उसको पूरा करने के लिए सरकार निश्चित् तौर पर कुछ न कुछ करेगी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

श्री चन्दनमल बैद : वह भी मरी हुई।

श्री शिवचरण माथुर : 14 हजार करोड़ रुपए के बदले, जब दण्डवते साहब ने पहला समाजवादी बजट देश की संसद में प्रस्तुत किया तो उसमें प्रावधान रखा गया एक हजार करोड़ रुपए का। उस एक

(श्री शिवचरण माथुर)

हजार करोड़ में भी कई इफ्स एण्ड बट्स हैं। एक बात कही गयी, जमीन की कोई लिमिट उसमें निर्धारित नहीं की गयी है। इसका मतलब दो एकड़ जमीन वालों को भी कर्ज की माफी होगी और 50 एकड़ वालों को भी माफी होगी। लैण्ड की कोई सीलिंग नहीं रखी गयी। यह कहा गया कि कोई लैण्ड की सीलिंग नहीं, सबके लिए माफ। आपने दावत सब को दे दी और रसद में आपके पास खाना नहीं है। एक हजार करोड़ रुपए पर भी कई इफ्स एण्ड बट्स लगा दिये। उसमें कहा गया कि जो हैबीचुअल डिफॉल्टर्स हैं, आदतन पैसा नहीं देने वाले लोग हैं उनकी छंटनी की जायेगी। अब यह क्या प्रक्रिया होगी ? हैबीचुअल डिफाल्टर्स आप कैसे निकालेंगे ? हैबीचुअल डिफाल्टर्स निकालने जब आप जायेंगे, शेखावत साहब, आप आखिर कितने ही बुद्धिमान हों, मैं जानता हूं कि आप बहुत जागरूक हैं, सचेत मुख्य मंत्री हैं। इसको कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन फिर भी जब आप मशीनरी को इम्प्लीमेण्ट करने के लिए भेजेंगे तो प्रक्रिया बनाने में इस मशीनरी का बहुत बड़ा हाथ होगा। मुझे मालूम है, मैं करीब पौने छः साल तक इस प्रदेश का मुख्य मंत्री रहा हूं। हम केबिनेट में कोई निर्णय लेते हैं ...

अनेक माननीय सदस्य : देश का नहीं प्रदेश का।

श्री शिवचरण माथुर : प्रदेश कहा है, देश नहीं प्रदेश कहा है। आखिर आपको इस प्रक्रिया को बनाने की बात कहीं तय करनी पड़ेगी। मुझे बताइये, हैबीचुअल डिफाल्टर्स के लिए आप क्या प्रक्रिया तय करेंगे ? उस समय हम आप से जानना चाहेंगे कि हैबीचुअल डिफाल्टर्स का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। हैबीचुअल डिफाल्टर्स को भी उसमें शामिल कर लिया गया, एक हजार करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान रखा गया, जो शायद 14 साल में भी पूरा नहीं होगा 14 हजार करोड़ के हिसाब से और उसमें भी लैण्ड की कोई सीमा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी के लिए बता देऊं कि हरियाणा में हैबीचुअल डिफाल्टर की परिभाषा कर दी गयी है और कुछ लोग जिनमें प्रमुख रूप से भजनलाल जी आदि आदि आते हैं, उनका नाम लिख दिया गया है कि इस प्रकार के हैबीचुअल डिफाल्टर्स हैं।

श्री शिवचरण माथुर : भजनलालजी को तो निकाल दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : ताऊजी फिर हैबीचुअल आफेण्डर्स में हैं क्या ?

(2.08 म.प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

भजनलालजी हैबीचुअल डिफाल्टर्स में हैं तो ताऊ हैबीचुअल आफेण्डर्स में हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल, वह आफेण्डर नहीं होते तो कांग्रेस का सफाया नहीं होता।

श्री शिवचरण माथुर : सफाया तो, शेखावत साहब, आप मुझे क्षमा करेंगे, कि

(श्री शिवचरण माथुर)

सैकण्ड वर्ल्ड वार जीतकर विस्टन चर्चिल अपने देश में आये और ठीक चार महीने बाद वहां चुनाव हुआ, उस चार महीने के बाद के चुनाव में विस्टन चर्चिल हार गये और उनकी सारी पार्टी हार गयी। इसलिए हार-जीत की बात मेहरबानी करके छोड़िये, क्या पता अगली बार हम उधर होंगे और आप इधर। इसलिए हार-जीत पर मेहरबानी करके बहुत गर्व मत कीजिए। यह तो देश की जनता के मन में बात आती है, यह मैं मानता हूं। देश की जनता को कोई निहित स्वार्थ नहीं है, वह महान् हैं, वह फैसला एक तरह से करती है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : इनकी पार्टी को जीत बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए खुशी ज्यादा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : यह आपको वहां आने पर हुआ। आप अपने पुराने मुख्य मंत्रीकाल का भाषण पढ़ें तो उसमें आपने इतनी खुशियां जाहिर की थीं, उस वक्त बड़ा अहसास किया था कि हमको जनता ने समर्थन दिया है, हम जीतकर आये हैं। हमने ऐसा किया है, वैसा किया है। आप अपने पूर्व मुख्य मंत्रीकाल का जो भाषण आपने दिया है उसको यदि आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : जितना भी आपके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है वह शिवचरणजी माथुर के जमाने की क्रियान्विति का लेखा-जोखा है करीब करीब और कोई बात नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आज सुबह भंवरलालजी शर्मा साहब से कहा था कि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं पर आप आपके साथियों को कम से कम यह समझाइये कि वह इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। हमने कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं कहीं होंगी, आप मेरा भाषण उठाकर देख लीजिये, महावीर प्रसाद जी, मैं आपको चुनौती देता हूं हमने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं कहीं कि 1980 में हार कर आये, जनता ने नकार दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। हमने इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना है और आज भी मैं कहता हूं कि अगर हमने कभी भी यह बात कही होगी, मैं जिम्मेदारी की बात कहता हूं, हमने यह बात नहीं कही। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह कहना बन्द कीजिये। 18 दिन में यह सरकार, क्योंकि मैं आज सरकार को कोई रेस्पांसिबिलिटी नहीं देना चाहता हूं कुल 18 दिन में यह सरकार क्या कर सकती है? 4 तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ली उसको कुल मिलाकर 18 दिन हुये हैं, इन 18 दिनों में हम आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं करते और मैं कम से कम अपने साथियों को भी कहता हूं कि भाई यह सदन का जो अधिवेशन है इसमें आप बिलकुल बहुत ही इस तरह से निकाल दीजिये, उनको कहने दीजिये, हमको सुनने दीजिये लेकिन कुछ महीने के बाद में जब आप कसौटी पर उतरेंगे आगे उस समय निश्चित रूप से एक विपक्ष की भूमिका निभायेंगे, उसमें कहीं पर भी हम कोताई नहीं करेंगे। 18 दिन में कोई आप चमत्कार नहीं कर सकते। समझाने की तो कोई जरूरत नहीं है आप पहले इधर बैठते तो बहुत समझे हुये थे।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं भैरोंसिंह जी के लिये कह सकता हूं औरों के लिये नहीं कह सकता। लेकिन 18 दिन में हम आपसे चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन कम से कम हम एक एक्सपैक्ट करते हैं कि आप जैसे सीजन्ड व्यक्ति से, सीजन्ड पार्लियामेन्टेरियन से यह उम्मीद जरूर करते हैं कि आप अपने इन साथियों से यह जरूर कहिये कि भाई उधर बैठने की आदत छोड़ो, आप इधर बैठने की आदत सीखो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों को ही कहना पड़ेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हमने जो आपसे सीखा है और जो आपको देखते थे उसी का अनुकरण कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो मुझे कार्य दिया है उसका निष्ठापूर्वक पालन करूंगा इनको भी समझाऊंगा और उनको भी समझाऊंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : निष्ठापूर्वक जो आप इधर करते थे वही निष्ठापूर्वक हम करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : हम तो जो रचनात्मक सहयोग के लिये कहेंगे वह देने के लिये हमेशा तैयार हैं। आपने पानी के लिये कहा, हमारे जो सुझाव थे यह समझकर नहीं कि हम आपको देंगे, अच्छे सुझाव दे देंगे तो ऐसा हो जायेगा हम तो राजस्थान के व्यापक हित में सोचकर बात करना चाहते हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम हमेशा एक रचनात्मक सरकार में विश्वास करते हैं। सरकार में आप उधर बैठे हैं लेकिन राजस्थान के व्यापक हितों का उतना ही दर्द आपको है, उतना ही हमको भी दर्द है, जितना दर्द हम वहां बैठते थे दर्द था उतना ही दर्द आज भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मन्शा-वाचा-कर्मणा से राजस्थान के हितों के लिये हम लोग समर्पित हैं और उसमें जितना भी सरकार और सहयोग आप हमसे चाहेंगे वह देने के लिये तैयार हैं और देंगे।

इसलिये मैं कह रहा था कि हम आपसे 18 दिन में कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते थे लेकिन एक बात की अपेक्षा करना चाहते हैं कि आप डिबेट को कुछ लाइवली बनाइये। राज्यपाल के अभिभाषण में उस सरकार ने यह किया, उस सरकार ने वह किया इस प्रकार की बातों को छोड़कर उसे लाइवली बनाइये। मेरे बाद शायद प्रोफेसर केदार बोलेंगे। मैं उनसे उम्मीद और आशा करता हूं कि डिबेट का एक स्टेण्डर्ड बनेगा, एक हिस्सा बनेगा जिससे मैं समझता हूं कि वह डिबेट का एक स्तर बनेगा तो हम दूसरी जगह कह सकेंगे कि राजस्थान विधान सभा में एक स्तर कायम किया।

मुझे दुःख हुआ, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने आते ही शेखावत साहब को धन्यवाद दिया। उन्होंने दिशा बतायी नये सदस्य को जिस प्रकार से विधान सभा में बोलना चाहिये, मैं उनकी तारीफ करता हूं, उस नौजवान साथी की, उन्होंने दिशा दी। मैं उनको भी निश्चित रूप से धन्यवाद देता लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने जिस प्रकार से भाषण शुरू किया और वह यह समझ रहे थे कि जैसे जितने भी सारे इन्टर स्टेट के मैटर्स हैं उनको हमने कभी सम्भाला ही नहीं और कल आते

(श्री शिवचरण माथुर)

ही शेखावत साहब दिल्ली जायेंगे और वी. पी. सिंह साहब से कहेंगे कि करना हो तो करो वरना पंजाब जाय भाड़ में, हरियाणा जाय भाड़ में, मैं तो राजस्थान में बैठा हूं आप नहीं करेंगे तो देख लेंगे। इस बात को वह भूल गये कि राजस्थान एक टेल एण्ड पर आने वाली स्टेट है। जवाहरलाल जी को इस वक्त मैं याद करना चाहता हूं जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे के वक्त में पाकिस्तान ने यह कहा कि सारा इण्ड्स वाटर है, जितनी भी सारी नदियां हैं उन सब का पानी हमको मिलना चाहिये और करीब 1947 से लेकर 1960 तक विवाद चलता रहा। यह मसला आखिर में विश्व बैंक तक गया। कंवर सैन की किताब छपी है, वह किताब पढ़ लीजिये। उस किताब में जवाहरलाल जी ने यह कहा कि पंजाब और हरियाणा, अनडिवाइडेड पंजाब, उसमें चाहे इतनी जमीन नहीं हो सकती कि 3 नदियों के पानी का उपयोग नहीं कर सकते लेकिन बेसिक स्टेट के नाते राजस्थान में बहुत जमीन है, उसकी सूखी जमीन में पानी ले जायेंगे, उसमें इतनी जमीन है कि पांचों नदियों का पानी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। यह बात जवाहरलालजी ने उस वक्त कही थी। विश्व बैंक ने इस दलील को स्वीकार किया और यह तय किया कि पंजाब से निकलने वाली 5 नदियों में से 3 नदियां हमारे हिस्से में आयीं – रावी-व्यास और सतलज नदियां हिन्दुस्तान के हिस्से में आयेंगी और चिनाय, झेलम तथा सिन्ध नदियां पाकिस्तान के हिस्से में जायेंगी। अगर वह पृष्ठभूमि आप पढ़ लेते, आप तो आई.ए.एस. आफिसर रहे हुए हैं, इन्ट्रीकेट मैटर्स में, मैं तो दावत देता हूं शेखावत साहब को कि आप फाइलें उठा कर देख लीजिये, मेरे पास भी कुछ फाइलें हैं पर आफिस सीक्रेट एक्ट के मुताबिक मैं आपको यहां नहीं कहूंगा, मैं आपको रेफरेन्स बता दूंगा, हमने किस-किस वक्त में भारत सरकार को क्या-क्या चिट्ठियां लिखी हैं और अगर आप उन चिट्ठियों को फालोअप करें, जितना जोर लगा सकते हैं लगायें, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर विधान सभा में इस पर पूरी बहस रखेंगे तो हम बहस में भी हिस्सा लेंगे।

आपको मालूम होगा इन्टर स्टेट मैटर्स के बारे में आप सब लोगों को दावत दी थी, दिल्ली में बुलाया था, जितने भी विरोधी पार्टीज के नेता थे उन सब को बुलाया था। राजस्थान के हितों के लिये अगर आप हम को वहां पर ले चलेंगे तो वहां पर भी पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है इन्टर स्टेट मैटर्स जितना कि आप आसान समझते हैं कि कल ही यह बदल गयी तो हम सब कुछ ले जायेंगे। दो महीने के बाद शेखावत साहब की भाषा बदल जायेगी यह मुझे मालूम है आज तो वह कहते हैं और शायद आपकी भी भाषा बदल जायेगी कि यह कैसे हो सकता है।

आपने माही की बात कही। माही की बात का एग्रीमेंट बहुत छोटा-सा है। नाथूरामजी मिर्धा ने 1966 में एग्रीमेण्ट किया था लेकिन राजस्थान के लिये आज गुजरात क्या कहता है ? गुजरात यह कहता है कि साहब आप हाई लेवल कैनाल बनाते हैं तो 400 करोड़ रुपये पहले हमको दीजिये,

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारे पास जमा कराइये। 400 करोड़ रुपये में हाई लेवल कैनाल के लिये हमें गुजरात को जमा कराना था लेकिन कैनाल के नीचे आने वाले गुजरात का जो किसान है वह हमारा पानी आगे नहीं आने देंगे। इसलिये राजस्थान के हित में हमने यह फैसला किया कि लेवल परमिट करते हैं तो हम इस माही के पानी को कडाणा के हिस्से में नहीं करके हम अपनी टैरेटरी में लाकर बाड़मेर और जालौर ले जा सकते हैं तो हमको प्रयत्न करना चाहिये। हमने इसका एक सर्किल क्रियेट किया और 3 डिवीजन क्रियेट की और उन्होंने जो स्कीम बनाकर तय की फाइलों में स्कीम होगी, आप देख लीजिये। राजस्थान के हित में हैं हम राजस्थान की टैरेटरी में उस पानी को लेकर बाड़मेर और जालौर ला सकते हैं केवल फर्क पैसा ज्यादा लगेगा। उसमें जो पहाड़ आते हैं वहां उनमें टनल्स खोदने पड़ेंगे लेकिन बाद में पन बिजली पैदा होगी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पैदा होगी राजस्थान को उससे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन यह राजस्थान के हित में बात थी बजाय 400 करोड़ रुपये वह जमा करायेंगे। हम उस पानी को अपनी टैरेटरी में लाकर खर्च करें और बाड़मेर और जालौर में उस पानी को यूज कर सकते हैं, वहां पानी लायेंगे।

पंजाब में बी.बी.एम.बी., हैड वर्क्स आप भी सरकार में रहे हैं और शेखावत साहब को स्मरण होगा जब प्रधान मंत्रीजी के पास मसला गया, 1979 में मोरारजी देसाई के सामने....

श्री भैरोंसिह शेखावत : उन्होंने आर्डर्स कर दिये कि हैड वर्क्स ट्रांसफर किये जायं।

श्री शिवचरण माथुर : The matter was later on taken up by the Chief Minister of Rajasthan in the meeting taken up by the Prime Minister regarding Thein Dam on 3.10.77 and 14.2.79. In both these meetings the Prime Minister observed "the provisions of Punjab Reorganisation Act in this respect should be implemented immediately and union government should ensure this."

इसका क्या हुआ ? मुझे पता नहीं क्या अन्दरुनी बात थी लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसमें यह था कि प्रकाशसिंह बादल की सरकार को बचाने के लिये आप इच्छुक हो गये और दबाव आया कि इतनी शक्ति मत करो हम बी बी एम.बी. को कहेंगे कि वह अपने हैड वर्क्स पर जो कुछ भी वह शेयर स्टेट्स का है उसको डिटरमिन करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो सुनी हुई जानकारी कह रहा हूं। चन्द्रशेखरजी से आपकी मुलाकात हुई होगी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : रोज होती थी।

श्री शिवचरण माथुर : और उस समय आपके साथी प्रकाशसिंहजी बादल को बचाने के लिये बी.बी.एम.बी आपने यह कहा कि....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने किसको बचाया बाद में।

श्री यदुनाथ सिंह : खुद ही नहीं बचे।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये मैं कह रहा हूं कि बहुत इन्ट्रीकेट मेटर्स हैं, आसान नहीं है। सरकार बदली कि झट से शेखावत साहब दिल्ली गये और फौरन तय किया और यह मसले तय हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह 1981 में आपने ऐसा एग्रीमेण्ट कर लिया इसके कारण हैड वर्क्स हमारे हाथ से निकल गये।

श्री शिवचरण माथुर : उसके बारे में कहूंगा। मेरा निवेदन करने का मतलब यह था सभापति महोदय, इन मसलों पर हमको देश के परिवेश में सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि 1979 में जो प्रधान मंत्रीजी मोरारजी देसाई ने आदेश दिये थे उनका अगर इम्पलीमेन्टेशन हो गया होता तो शायद आज के परिवेश में जितनी कठिन स्थिति हमारे सामने है वह कठिनाई नहीं होती। आज पंजाब की समस्या इतनी पेचीदा है, उन पेचीदा समस्याओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और उस समय भारत की सरकार कई मुद्दों पर सोचने की बात करेगी। उस समय क्या सामने आयेगा और कितनी पेचीदगियां सामने आयेंगी, यह मामला बहुत गम्भीर है। इस में एक प्रदेश की सरकार कोई बहुत ज्यादा बात कहे, आप क्या अलग कह सकते हैं? एक स्टेट अलग हो सकती है क्या? आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सी बात सोचनी पड़ेगी और उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने के बाद में जो राजस्थान के अधिक से अधिक हित में हो सकता हो, उसमें आप भी कीजिए, हम भी तैयार हैं और आंदोलन करने वाली बात हो तो हम भी आन्दोलन करने के लिये तैयार हैं। आपने तो एक बार कहा था, (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : यह आपके बस की बात नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : एक बार आपने कहा था कि आंदोलन कीजिए।

श्री रमाकान्त शर्मा : हमने तो यह कहा था कि हाई लेवल कैनाल के बारे में जो सर्वे हुई, उसकी मीटिंग नहीं करा सके। बाद में दो वर्ष तक मीटिंग नहीं करा सके।

श्री शिवचरण माथुर : मीटिंग की थीं, बहुत की थीं।

श्री रमाकान्त शर्मा : कब कराई, यह आपकी किताब है। दो वर्ष तक मीटिंग ही नहीं करा सके।

श्री शिवचरण माथुर : आपको तो फाइलें देखने का पुराना अभ्यास रहा है। फाईल और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने देखी हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मेरा निवेदन यह है, दूसरा मुद्दा जो उठाया गया, कर्जा छोड़ने का, कर्जे छोड़ने की स्थिति यह बनी। तीसरा मुद्दा, महंगाई की बात कही है कि कांग्रेस की सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ा दी और खास तौर से दो चीजों के बारे में कहा गया, बीड़ी का बण्डल दो रुपया बीस पैसे हो गया। हमने चुनाव के मौके पर लोगों से पूछा कि बीड़ी का बण्डल आज कल क्या भाव मिलता है? किसी ने कहा

(श्री शिवचरण माथुर)

2.75 पैसे, किसी ने कहा 3 रुपया हो गया लेकिन अब तो जो यह केन्द्रीय बजट आया है इसमें तीन सोर्सेज से कुछ दिनों पहले, चाहे संसद में पेश हों या नहीं हों पोस्टल रेट बढ़ा करके पैसा इकट्ठा कर लिया टेलीकम्यूनिकेशन का। फिर जब रेलवे का बजट आया, 892 करोड़ रुपये रेलवे बजट में प्रस्तावित कर दिया इससे आमदनी हो गयी और जब केन्द्रीय बजट आया तो उसमें 1950 करोड़ रुपया अलग-अलग तौर से इकट्ठा करके, करीब-करीब कल मैंने अखबार में पढ़ा था 5 हजार करोड़ रुपया का प्रावधान तो आपने कर लिया और दण्डवते साहब ने बहुत जोरदार शब्दों में स्टेटमेंट दिया कि पुरानी सरकार ने हमको 11750 करोड़ रुपये का डेफिसिट छोड़ा था। इस डेफिसिट को कवर करने के लिये हम 7206 करोड़ पर लेकर आ गये। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि मुझे आजकल समय है इसलिये मैं टी. वी. भी देखता हूं और खास तौर से ऐसी चीजें देखता हूं। अखबार वाले ने जब पूछा तो मधु दण्डवते साहब ने यह कहा, हम इसकी गारण्टी नहीं देते यह 7206 करोड़ का घाटा रह जायेगा। हम इसका पीरियोडिकल मानीटरिंग करेंगे, और मानिटरिंग करके हम देखेंगे कि घाटा हमारा रहें, लेकिन उन्होंने कहा गारण्टी नहीं दे सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी नहीं दे सकता।

श्री शिवचरण माथुर : फिर यह कहने की क्या जरूरत थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी फाइनेन्स मिनिस्टर इस प्रकार का डेफिनेट एश्योरेन्स दे नहीं सकता।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यही कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : पहले से ही पाल बांध रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी फाइनेन्स मिनिस्टर इस तरह का वायदा नहीं कर सकता। आपको याद होगा, पिछली बार जब बजट पेश किया जितना बजट का डेफिसिट दिखाया गया उस समय भी शायद चव्हाण साहब थे, उन्होंने इस प्रकार का वायदा नहीं किया था। वह बढ़ कर 7000 करोड़ से 11000 करोड़ पर चला गया। इसलिए यह कोई अनहोनी बात नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यह कहना कि उन्होंने 11 हजार करोड़ का घाटा हम पर छोड़ा। हमने इन्फलेशनरी ट्रेण्ड को कम करने के लिये उसको रिड्यूस कर दिया। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इन्फलेशन ज्यादा बढ़ गया, 7.7 हो गया। सवा रुपया तो आपने वहां कहा लेकिन टैक्स मिलाकर 1 रुपया 42 पैसे बढ़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो साल पहले आपने भी बढ़ाया था। इसको क्यों भूल रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : हम कहां इन्कार कर रहे हैं। हमारे ही पद-चिन्हों पर चल रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पद-चिन्हों पर तो चलने का सवाल ही नहीं है । पद-चिन्हों पर चलेगा वह मरेगा । उसका तो कोई सवाल नहीं है । लेकिन आप कह रहे हो कि पेट्रोल का और सारा टैक्सेज इन्होंने ही बढ़ा दिया । पहले भी आपने कोई चीज छोड़ी जिस पर आपने टैक्स नहीं लगाया हो ।

श्री शिवचरण माथुर : हमको तो यहां पर जनता ने बिठा दिया, हमको तो उसके बदले में यहां पर बिठा दिया, आप कम से कम एक इन्तजार करते । आप कम से कम पहली साल तो इन्तजार करते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम से कम गलती तो स्वीकार करो कि पिछली बार गलती की थी ।

श्री शिवचरण माथुर : आपके उस एग्रीमेंट की स्याही भी नहीं सूखी थी। चुनाव के जो वायदे आपने किये थे, और आपने जनता पर भार डालना शुरू कर दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीनी महंगी हो गई, वह क्या किस्सा है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह कह रहा था कि इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है । अगर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी और आपने इन दिनों अखबारों में पढ़ा होगा सब चीजों की कीमत आजकल बढ़ रही हैं । कीमतों की, महंगाई की जो बात आपने कही, तीन बातें आपने खास तौर से बताई, पहला राम जन्म भूमि, दूसरा कर्जा मुक्ति और तीसरा महंगाई, यह तीनों बातें एक प्रकार से पलाप हो गई । यह धोखा साबित हुआ है, जनता के साथ में बहुत ही गहरा मजाक हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है । चौथी बात, जो राजस्थान के सिलसिले में यहां पर कही गई, जयपुर के सिलसिले में कि हम विकास शुल्क नहीं लेंगे । हर जगह यह कहा गया, मेरे पास तो कल करीब 50–60 लोग कॉलोनी के आये थे और कहने लगे कि जनता की सरकार ने विकास शुल्क की बात कही थी, अब यह विकास शुल्क कैसे ले रहे हैं । मैंने आज के अखबार में पढ़ा कि विकास शुल्क जो 45 रुपया हमारी सरकार ने तय किया था वही लिया जायेगा । केवल आपने उसकी मियाद बढ़ायी है । उसकी शायद अप्रैल की मियाद थी, उसको बढ़ाकर आपने 31 जुलाई कर दी । इसका मतलब यह हुआ कि 31 जुलाई तक 45 रुपये देते रहिये, और विकास शुल्क का खर्चा कम नहीं किया है । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मई तक बढ़ाई है ।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, जुलाई तक बढ़ाई हैं । 31 जुलाई बढ़ा दी आपने । कल केबिनेट में आपने निर्णय किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है ।

श्री शिवचरण माथुर : हमने अखबार में पढ़ा था । केबिनेट का डिसीजन तो हमारे पास नहीं है । हमने तो अखबार में पढ़ा है, 29 जुलाई तक आपने उस रकम को जमा कराने के लिए लोगों को छूट दी है । इसका मतलब यह है कि आप फैसला तो लेना नहीं चाहते, 31 जुलाई तक आप फैसला नहीं लेना चाहते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैसला करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : फैसला करेंगे तब क्या लोगों को पैसा वापस लौटायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी अगर आवश्यकता हुई तो।

श्री शिवचरण माथुर : जमा हुआ पैसा वापस लौटायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : अगर आप यह गारण्टी दे दें और यह आश्वासन इस सदन में दे दें, तो मैं समझता हूं कि मेरे दल के लोग आपका स्वागत करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्या चाहते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : आप यह कह दीजिए कि 45 रुपया अगर हमने छोड़ा तो हम उस पैसे को वापस दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताइये, विकास शुल्क के बारे में आप क्या चाहते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : हमको क्या कहना है ? हम तो जब डिबेट आयेगी तब कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सरकार ने 45 रुपये रखे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : हमारा तो रखा ही हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आपने किया है वह वाजिब मानते हैं क्या ? मैं तो यह पूछ रहा हूं कि....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नेता महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि आपने चुनावों में जीतने के लिए जनता से जो वायदे किये हैं उसमें आपने यह कहा था कि माफ कर देंगे। माफ कर दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो हम वाजिब मानते हैं इसीलिए किया था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : कालोनिया जो बना रखी हैं उसका विकास शुल्क आपने ले रखा है क्या ? गवर्नमेंट पालिसी बनायेगी।

श्री शिवचरण माथुर : जयपुर के माननीय गिरधारी लाल जी भार्गव ने क्या कहा था। मेरे को तो कॉलोनी वालों ने कहा कि शेखावत साहब आये थे राजपाल सिंहजी, उन्होंने कहा विकास के लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : विकास शुल्क के बारे में यह कहा था कि विकास शुल्क को रेशनल किया जायेगा। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम पालिसी बनायेंगे। विकास शुल्क जो सरकार ले रही हैं वह गलत है। विकास शुल्क खत्म कर दिया जायेगा ऐसी बात नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, यह गलत है। यह तो आप भाषण सुन लीजिए गिरधारी लाल जी भार्गव के, क्या कह रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सदस्य ने जो भाषण दिया वह भी सुनाऊंगा क्या मैं ?

श्री शिवचरण माथुर : हां, सुनाइये। इसमें क्या एतराज है। हमें कोई एतराज नहीं है। जिसने गलत बात कही है उसने नुकसान उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत बात कह कर जीत कर आ गये फिर क्यों बैठे हैं आप ?

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैंने चुनावों में जीत के कारण से यह जिक्र किया। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी, भूलें रही होंगी और प्रजातन्त्र में रहने वाले व्यक्ति को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, एनलाइज करना चाहिए कि हमारी क्या कमियां रहीं और हम अपनी कमियों को एनलाइज करने के लिए, मानने के लिए एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिससे हम जनता के सामने जायेंगे तो उसको ले करके जायेंगे। इसीलिए हमारी भूलें नहीं रही हों ऐसी बात हम नहीं मानते हैं। हमारी भी भूलें रही होंगी। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में एक बात कही गई, मैं आंकड़ों की बात कहता हूं प्रति व्यक्ति आय सरकार की गलत नीतियों के कारण गिर गई। 1970-71 में राजस्थान का देश के 17 बड़े राज्यों में छठा स्थान था। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान दसवें स्थान पर पहुंच गया। यह में आंकड़ों के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं। 1970 71 में पर केपिटा इनकम के लिहाज से स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का स्थान सातवां था छठा नहीं था। मैं कोई इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि आपके वक्त में क्या था। हो सकता था कि आपके वक्त में बहुत से कारण बने होंगे और ज्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन चूंकि आपने कहा है इसलिये मैं कह रहा हूं। मैं 1979-80 जो आपका वर्ष था....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह स्टेटमेंट मेरे पास है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं भी इस स्टेटमेंट के आधार पर कह रहा हूं। 1979-80 में राजस्थान का नम्बर 15वां हो गया।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : कान्स्टेन्ट प्राइस से क्या मतलब है ?

श्री शिवचरण माथुर : स्थिर मूल्य।

श्री सांवरलाल : कौन से स्थिर मूल्य ? (व्यवधान) स्थिर मूल्य से क्या मतलब है ? व्हाट इज द बेस। (व्यवधान) कौनसा आधार मूल्य जिसको स्थिर मान रहे हैं ? 1970-71 को बेस मान रहे हैं तो आगे का बताइये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बता रहा हूं आप सुनिये, 7-वां स्थान था राजस्थान का और कान्स्टेन्ट प्राइस देख कर 1979-80 में पर केपिटा इनकम के हिसाब से, राजस्थान का स्थान 15 वां आ गया और 1985-86 में 12वां रह गया। हमारे राजस्थान का स्थान कम हुआ। कारण बहुत से हो सकते हैं। किस ईयर में ड्राट की कन्डीशन पैदा हो रही है, पर केपिटा इनकम घट रही है अगर आप यह कहते तो बात समझ में आती है चूंकि 1970-71 में कान्स्टेंट प्राइस में हमारा स्थान सातवां था और अब 10 वां हो गया, मैं कहना चाहता हूं कि 1979-80 में यह स्थान 15वां था। यह कांस्टेंट प्राइसेज की स्थिति है। दूसरी बात करेंट प्राइसेज पर, करेंट प्राइसेज पर राजस्थान का पर केपिटा इनकम 1970-71 में सातवां स्थान था और 1979-80 में 18वां स्थान हो गया जबकि जनता पार्टी की सरकार थी उस समय सातवें स्थान की बजाय राजस्थान 18वें स्थान पर आ गया और अब वही घट करके आज 14वें स्थान

(श्री शिवचरण माथुर)

पर है। जैसा मैंने आपसे कहा बहुत से कारण हो सकते है किसी साल में अकाल हो गया हो, पर केपिटा इनकम इसलिये नीचे आई, यह एक ही इन्डीकेटर मैं आपको बताना चाहता हूं जो स्टेट का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। कितनी योजनायें चलीं उन योजनाओं के कारण कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट पैदा हुआ। यह मैं समझता हूं खास इन्डीकेटर हुआ करता है। पर केपिटा इनकम बड़ा भूल भुलैया है वह आपने आंकड़े राज्यपाल के अभिभाषण में दिये नहीं....

एक माननीय सदस्य : वह आप दे दें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं दे रहा हूं। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फार 1970-1971 टू 1986-87 यह राजस्थान का नया डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से राजस्थान का स्थान दसवां था और 1979-80 में 11वां स्थान रह गया और वह आज तक भी 11वां बना हुआ है। यह मूल बात है जितना भी प्रोगेस हुआ जितने फण्ड्स हमने इकनामी में डाले उसके हिसाब से जो लाभ मिला उससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में उसका असर हुआ और वह कान्स्टेंट है लेकिन आपने लिये जो काम आने वाले फिगर्स थे उनको राज्यपाल महोदय से कहलवा दिया और कहा कि पर केपिटा इनकम कांग्रेस के वक्त में इतनी थी और हमारे वक्त में इतनी है। अपने वक्त में भूल गये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने यह नहीं कहा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कान्स्टेंट बना रहा इस पर आपको क्या कहना है?

श्री शिवचरण माथुर : I am caming to that। उसका कारण यह रहा है 1901 से लगाकर 1981 तक 80 साल के आठ दशक में सबसे ज्यादा पापुलेशन इन्क्रीज हुई है तो राजस्थान के अन्दर हुई है। हमारे कैटेगरी की स्टेट्स में 231.29 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ है और यदि एक डिकेड में आप लगायें, 1971 से 1981 तक का तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पापूलेश इन्क्रीज हुई है। अब उस पापूलेशन के इन्क्रीज को रोकने की हमने कोशिश की हमको इधर बैठना पड़ा। उसका नतीजा यह हुआ कि पापूलेशन ग्रोथ रेट 1971 तक 1981 राजस्थान की 32.97 पर्सेण्ट था जबकि देश का पर्सेंटेज था 24.69। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पापूलेशन इन्क्रीज हुआ है। तो जितना नया डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा वह पापुलेशन बढ़ गया और कास्टेंट रह गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बट एबाऊट बियांड 1981 ?

श्री शिवचरण माथुर : 1981 की बात मैं कह रहा हूं। 11वां स्थान 1985-86 का बताया है और पापूलेशन ग्रोथ रेट में आज भी कमी नहीं है मुझे जो डेमोग्राफर्स ने कहा है मैंने तीन चार एक्सपर्ट्स से बात की इस डिकेड में हमारी आबादी कितनी बढ़ जायेगी। ईश्वर की दया से हमारे पर्सेंटेज में कोई फर्क नहीं जायेगा। 3.43 करोड़ की आबादी 1981 में थी 1991 के अन्त में वह जाकर के 4.57 करोड़ हो जायेगी। यह स्थिति नये डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कांस्टेंट रहने में और पर केपिटा इनकम में फर्क रहने में यह कारण

(श्री शिवचरण माथुर)

बने, यह मैं कहता हूं। मैं किसी सरकार का दोष नहीं कहता, दोष तो केवल पापुलेशन इन्क्रीज का है। यदि हम पापुलेशन को कन्ट्रोल कर लेते, हमारी 1952 की पापुलेशन होती जब से प्लान का प्रोसेस शुरु हुआ और आज की हमारी ग्रोथ रेट होती एकनामी की शायद हम दुनिया के सबसे अच्छे सम्पन्न मुल्कों में माने जाते लेकिन हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती गई यहां तक कि हमारा तीन गुणा प्रोडक्शन बढ़ गया फूड ग्रेन का, फिर भी आज हमारी गरीबी बनी हुई है क्योंकि हमारी पापुलेशन इन्क्रीज इतनी ज्यादा हुई। मैंने एक आंकड़ा देखा था आजादी के वक्त में एक व्यक्ति को 17 मीटर कपड़ा मिलता था अब इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी 17 मीटर कपड़ा आज भी मिल रहा है। उसका नतीजा यह हुआ कि आप का प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी आबादी ने उसको एक प्रकार से सतत कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं यह भी नहीं कहता हमने किसी पर अहसान किया लेकिन मैं आपको कुछ इन्डीकेटर देना चाहता हूं जिससे आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने 40 साल के अन्दर क्या किया है। हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन मल्टीप्लाई वाई थ्री फोल्ड 33 लाख टन अनाज पैदा होता था 1952 में, 1988–89 में हम एक करोड़ टन तक पहुंच गये। थ्री टाइम्ज हमारा फूड ग्रेन बढ़ गया। ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन टेन टाइम्ज बढ़ गया इर्रीगेशन पोटेन्शियल हमारे देश में 14 गुना बढ़ गया। इन्स्टालड जेनरेशन केपेसिटी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड बाई 200 टाइम्ज, 13 मेगावाट की पावर थी आज 2592 मेगावाट राजस्थान में उपलब्ध है 200 गुना हमारी पावर केपेसिटी बढ़ी। रूरल इलेक्ट्रिक मल्टीप्लाइड मोर देन 13500 टाइम्ज....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, आपके और मेरे बीच में हमेशा एक विवाद रहा है इस प्रसंग पर। मैं समझता हूं आज आपने वह प्रसंग फिर छेड़ दिया। अगर आपको तुलना करनी है तो 1947 से तुलना मत करिये....

श्री शिवचरण माथुर : मैं 1951 से कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1951 से कर लीजिये, कोई आपत्ति नहीं है, 1951 में हमारी स्थिति क्या थी बच्चा बच्चा जानता था, कितने मेगावाट बिजली मिल रही थी, कितना इर्रीगेशन पोटेन्शियल था, रोड्स की लैंग्थ कितनी थी। यदि हम उसको आदर्श बनाकर चलेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते।....

श्री शिवचरण माथुर : मैं आदर्श बनाकर नहीं चल रहा हूं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यदि कम्पेरिजन करें तो दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में क्या था ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि हमने एक ऐसा फूअर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्हेरे किया सामन्ती काल से हमने एक ऐसा फूअर इन्फ्रास्ट्रक्चर

(श्री शिवचरण माथुर)

इन्हारेट किया उसमें उसको पूरा करने में चाहे कोई भी सरकार होती, आप दो बार यहां भी बैठ जाते मैं समझता हूं स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चमन कर देते।

श्री शिवचरण माथुर : नम्बर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फ्राम 6 टू 11 इयर्स एज 17 टाइम बढ़ गया प्राइमरी स्कूलों की संख्या 8 गुना बढ़ गई.... (व्यवधान) मैंने तो तारीफ की है आपकी मैडम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इतना खर्च होने के बाद भी एज्यूकेशन में नीचे से दूसरा आया है।

श्री शिवचरण माथुर : कौन इन्कार करता है। पांच साल के बाद आप अगर आयेंगे और अगर पापुलेशन ग्रोथ को नहीं रोका तो बहुत फर्क आपको भी नहीं पड़ने वाला है, यह मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आप चाहे आज यहां पर बढ़ चढ़ कर बोल लें अगर आपने आबादी पर काबू नहीं किया, पांच साल उधर बैठ कर भी आप ज्यादा नहीं कर पायेंगे। स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। इसलिये हम को राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर चिन्तन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, यहां पर इन्टर स्टेट की बात कही गई। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये सब डाक्यूमेंट आपके पास में है और हमारे पास में है। मुख्य मंत्री जी पहली केटेगिरी में है उनको समझाने में देर नहीं लगती है लेकिन बीच की केटेगिरी वाले जो हैं उनको समझाने में बड़ी दिक्कत होती है।

श्री नत्थीसिंह : बीच की केटेगरी में आप आते हैं या कौन ?

श्री शिवचरण माथुर : आप तो उस केटेगरी में आते हैं आपको समझाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जो जानते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने अपने विवेक से जो बात समझी उसको राजस्थान के व्यापक हितों में मनसा, वाचा, कर्मणा को इम्प्लीमेण्ट करने की कोशिश की। आपके पास फाइल है। मैंने कितनी चिट्ठियां 1981 के समझौते के बारे में, 1984 के समझौते के बारे में लिखी हैं, आपको मालूम है। जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था 24 जुलाई, 1985 में, उसके बाद जो एक ट्रिब्युनल बनाने वाली बात कहीं गयी थी, इराडी ट्रिब्युनल की बात कही गयी थी। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयत्न से इराडी ट्रिब्युनल ने 1955 और 1981 का जो राजस्थान का शेयर है उसको अन-अल्ट्रेबल शेयर माना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें हमारा भी कन्ट्रीब्यूशन है।

श्री शिवचरण माथुर : आप राजस्थान के हित में कोई बात कहेंगे तो हम यहां बैठने वाले समर्थन नहीं करेंगे क्या ? हम भी कन्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं स्वीकार करता हूं कि आपने कन्ट्रीब्यूट किया था। इराडी कमीशन की बात आप कह रहे थे। इराडी कमीशन जो राजीव-लोंगोवाल समझौते के फलस्वरूप पैदा हुआ उस इराडी कमीशन की रिपोर्ट में साफ लिखा है:—

(श्री शिवचरण माथुर)

"The Tribunal upheld the contention of Rajasthan that the allocation to Rajasthan according to 1955 and 1981 agreements remains unchanged."

हमने कह कहा था कि 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी जो राजस्थान के हिस्से में आता है प्रो रेटा बेसिस पर लेकिन 15.8 मिलियन एकड़ फीट के बजाय जो 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी आया था 40 साल की प्रोसिडिंग्स के आधार पर उससे हमारा प्रो रेटा शेयर पानी का बनता है लेकिन देश के व्यापक हितों में और जब तक हम पानी का उपयोग करने की स्थिति में नहीं आ जाते हैं तब तक अगर वह पानी पाकिस्तान जाता है और अगर वह पंजाब चला जाता है तो इसमें हम को एतराज नहीं होना चाहिये। इसके ठीक कुछ दिनों बाद हमने यह कहा कि सिद्धमुख नहर से 0.47 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग करना शुरू किया है। आपको मालूम है कि सिद्धमुख नहर का काम शुरू हो गया है और वह होने के बाद में हम इस पानी का उपयोग कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारा प्री-पार्टीशन यूज है पानी का उसमें भी आप देखेंगे उसमें जो हमारा शेयर है उससे ज्यादा पानी ले रहे हैं। हम 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी के बारे में आज भी उतने ही दृढ़ हैं, उतने ही संकल्पित हैं। कोई भी प्रदेश, कोई भी सरकार हमारे अधिकार छीनने की बात करेगी तो हम जो सम्भव होगा करने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे। हमने कभी भी अपने शेयर को वापस करने की बात नहीं कही है। अगर आप इस पर एक्रास दी टेबुल बात करने की बात रखेंगे तो हमारे पास जो जानकारी है उसको हम आपको बतायेंगे और उसमें आप जो सहयोग हम से चाहेंगे वह सहयोग हम देने को तैयार हैं, राजस्थान के व्यापक हितों के बारे में हमारे और आप में कोई मतभेद नहीं है। मैं किसी की आलोचना करने के लिये आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी तकलीफ, दुःख-दर्द आपको है उससे कम हम को नहीं है, यहां बैठ करके या वहां बैठ करके उतना ही दर्द था जितना आज आप को है। यहां बैठ करके भी उतना ही हम को दर्द है जितना आज आप को है। यहां बैठ करके उतना ही दर्द है हमको राजस्थान के हितों के लिये हम सब कुछ करने को तैयार हैं। (व्यवधान) आप पहली बार आये हैं। आप दवेजी हैं क्या ? आप विधान सभा के पुराने इतिहास को उठा कर देख लीजिये। तीस, पच्चीस पर्सेन्ट से ज्यादा पुराने लोग वापस यहां पर नहीं आये हैं। आप पुराने आंकड़ों को उठा कर देख लीजिये 25, 39 पर्सेन्ट से ज्यादा पुराने लोग यहां पर वापस नहीं आते हैं। इसलिये आप सीखिये। मैं इस नौजवान की तारीफ करना चाहता हूं। इन्होंने कुछ भावनाएं बतायी हैं सीखने की, आप भी नौजवान हैं, सीखने की कोशिश करिये और इस सदन को कुछ अच्छा कन्ट्रीब्यूट कीजिये, हम आप के अहसानमंद होंगे। यहां बैठ कर के भी आपके भाषण की तारीफ करेंगे। हम किसी की आलोचना नहीं करते। आपके मुख्य-मंत्रीजी जो बात कहेंगे, आपके मंत्रीगण जो बात कहेंगे, अगर वह तारीफ करने वाली बात होगी तो हम सार्वजनिक रूप से उसकी तारीफ करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आपका परफारमेन्स बहुत अच्छा है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने स्वीकार कर लिया। आप स्वीकार कर रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अच्छा है, बहुत अच्छा है।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, एक ट्रांसफर ऑफ कन्ट्रोल ऑफ हैड वर्क्स, रोपड़, एण्ड हरिकेन, ब्यास मेनेजमेंट बोर्ड की बात कही गई। हम ने 1981 के समझौते को बहुत उठाया। 1979 में इस को आप इम्पलीमेंट कर सकते थे। लेकिन वह मौका हम चूक गये। अगर आप अन्तरात्मा से कहेंगे तो आप स्वीकार करेंगे कि 1979 का मौका हम चूक गये। उस समय इम्पलीमेंट कर दिया होता तो यह हैड वर्क्स बी.बी.एम.बी. के कन्ट्रोल में आते।

श्री यदुनाथ सिंह : 24 मार्च का नोटिफिकेशन था आप इम्पलीमेंट करवा देते तो यह नौबत नहीं आती। 24 मार्च, 1976 को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का नोटिफिकेशन निकल गया था। उसको आप इम्पलीमेंट करवा देते।

श्री शिवचरण माथुर : यह पंजाब, हरियाणा के बीच में था। हम लोग नहीं आते। 1966 में पंजाब का रिआर्गेनाइजेशन हुआ, 1966 में पंजाब और हरियाणा बंटे और 1976 में यह फैसला हुआ कि पंजाब को कितना मिलना चाहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : 1981 में हनुमान जी बन कर आप क्यों कूदे। जरूरत क्या थी बताओ।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान के हितों को ठीक समझा इसलिये हम गये। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वी वेअर इन कोर्ट। आप कूल माइंड से सोचिये। केवल विरोध का चश्मा लगा कर मत देखिये। आप ठंडे दिमाग से सोचिये। माननीय यदुनाथ सिंह कमरे में बैठ कर आप बात करेंगे तो मैं आपको कन्वीन्स करूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : यहां पर तो बराबर में हैं। कमरे में आप बुजुर्ग हो जाते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आज भी कहना चाहता हूं कि इस हैड वर्क्स के कन्ट्रोल के बारे में बी.बी.एम.बी. से आप कुछ भी बात करें, हम उसका पूरी तरह से समर्थन करेंगे जब तक यह कन्ट्रोल आफ हैड वर्क्स बी.बी.एम.बी. के पास नहीं आयेगा पंजाब धांधली करता रहेगा। अपर स्टेट है। वह पानी पहले लेता है और बचा हुआ पानी हमको देता है। यही स्थिति आप जानते हैं और जगह की होती है। जो वास्तविकता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिये इस लिये जितने परसुएशन से, जितने फोर्स से आप कर सकते हैं करें। हम आपके आभारी होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे यदि इन हैड वर्क्स के कन्ट्रोल के बारे में आप फैसला करवा देंगे। 1981 के एग्रीमेंट का जो गलत इन्टरप्रिटेशन पंजाब ने किया है उस एग्रीमेंट का सही इम्पलीमेन्टेशन आफ गवर्नमेंट आफ इण्डिया से करवा लें तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहां पर बात कही गयी, जो विद्युत गृह बनाये गये

(श्री शिवचरण माथुर)

हैं रावी और व्यास के ऊपर, सतलज का पानी तो पहले ही यूटिलाइज हो चुका था उसका सवाल नहीं है। भाखरा नांगल बन चुका था लेकिन रावी-व्यास पर बनने वाले जितने इलेक्ट्रिक पावर हाउस हैं उसमें हम ने हमेशा इस बात को कहा है और यह शायद 1955 के एग्रीमेंट में शामिल नहीं था। हमने इस बात को उठाया है। लगातार चिट्ठियों से गवर्नमेंट आफ इण्डिया को कहा है चूंकि यह कामन वाटर्स है रावी और व्यास का वाटर कामन है उनमें हरेक स्टेट्स को जितनी भी बिजली पैदा होगी उसकी कास्ट ले लें और हमारा हिस्सा हम को दीजिये। यह बात चिट्ठियों में लगातार भारत सरकार के सामने रखी है। नार्दन जोनल कौन्सिल की मीटिंग में कई बार इस बात को उठाया है और पंजाब वाले कहते थे कि आपका कोई हिस्सा नहीं है। रोपड़, मुकेरिया उन्होंने बना दिया। उन्होंने आनंदपुर साहब की नींव रख दी और उन्होंने बनाने की बात शुरू कर दी। जब रोपड़ के पानी का सवाल आया, हमने प्लीड किया और हमने कहा कि हम पानी को नहीं ले जाने देंगे। आप हमारे हिस्से का पानी ले जाना चाहते हैं। हमने इस बात को उठाया है। हमने इस बात को पिलिंग्स किया है। इसलिये उनको मजबूर होकर के बैठना पड़ा है एक जगह। 10 मई, 84 को जो फैसला हमने किया उसमें यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला करे कि हमारा शेयर इसमें बनता है और कितना शेयर बनता है। जब तक यह शेयर डिटरमिन नहीं हो जाय तब तक अनयूटिलाइज्ड पावर गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास है उसमें से राजस्थान को पावर मिलनी चाहिये। यह हमने उस एग्रीमेंट में तय करवाया है। वह एग्रीमेंट देख लीजिये, क्लाज पांच जो है उसमें है। उसका नतीजा यह हुआ कि जो आज सैण्ट्रल पावर स्टेशन है उसमें से राजस्थान को उस क्लाज के तहत आज ज्यादा पावर मिल रही है। हम को सिंगरोली से पावर मिल रही है, दूसरी जगह से पावर मिल रही है। आज अंता का पावर स्टेशन है हम चाहें तो अंता के पावर स्टेशन से ले सकते हैं। लेकिन 90 प्रतिशत पावर लेते हैं. हमको कीमत बहुत देनी पड़ती है अंता के स्टेशन पर। वह गैस्ड पावर लें तो उसमें कीमत बहुत ज्यादा आती है। अगर हम चाहें तो 90 प्रतिशत पावर आज अंता से ले सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कार्पोरेशन के अधिकारी मुझे मिले हैं। उन्होंने कहा, जितनी चाहे पावर ले सकते हैं। उस पावर को लेकर हम कम रेट पर कंजूमर को सप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमने मिनिस्ट्री आफ एनर्जी में, मिनिस्ट्री आफ गैस में इस बात को रिप्रेजेंट किया कि आपने एक गैस अथोरिटी को 300 करोड़ का फायदा दिलाने की दृष्टि से प्राइस हाइक कर दी और मनमानी प्राइस गैस की तय कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि 1.25 रुपये पर यूनिट आज नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो अंता में बना है वह हमको पावर देता है। हम 1.25 रुपये में लेकर के कंजूमर को किस हिसाब से सब्सिडाइज करेंगे, यह हमारे सामने सवाल है। हमने उनको कहा कि आप गैस की प्राइस को बहुत रेशनलाइज कीजियेगा ताकि जो कंजूमिंग स्टेट्स हैं उन पर ज्यादा वजन नहीं पड़े और हम इण्डस्ट्री को, एग्रीकल्चर को एक बहुत इक्विवलेंट तरीके से पावर दे सकें।

(श्री शिवचरण माथुर)

इस बात को भी हमने उठाया। यह मैं समझता हूं प्लानिंग कमीशन को बात कही। प्लानिंग कमीशन ने कहा, एक वर्किंग ग्रुप इस पर वाच कर रहा है, इस पर चर्चा कर रहा है। अब उनको मजबूर होकर सोचना पड़ेगा कि भारत सरकार ने हमको साफ कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था राजीवजी ने मैं यह नहीं कह सकता आज गैस अथोरिटी आफ इण्डिया इतनी बड़ी प्राइस रख ले, इस बात को प्लानिंग कमीशन में एक वर्किंग ग्रुप ने तय किया है, आप उसको फालो कीजिये। हम समझते हैं गैस की प्राइस कम होगी तो राजस्थान को अपेक्षाकृत सस्ती बिजली मिलेगी और ज्यादा पावर आपको अवेलेवल होगी। क्योंकि थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एक सिद्धान्त है, फार्मूला चाहे कुछ भी हो, लेकिन ट्रांसमिशन लासेज कम करने के लिये जहां तक हो सकता है, जो नजदीकी स्टेट होती हैं, जहां पावर हाउस स्थापित होते हैं, वहां अगर ज्यादा दे दें तो उनको एतराज नहीं होता है। अंता की पावर 400-425 मेगावाट आज पैदा है उस पावर का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। हमको और उसमें बढ़ाने की गुंजाइश है। क्योंकि गैस बेस्ट पावर हाउस में ज्यादा समय नहीं लगता है, यदि आप एक यूनिट और बढ़ाना चाहें साल डेढ़ साल में तैयार हो जायेगी क्योंकि फ्यूल तैयार है, गैस पाइप लाइन आपकी आई हुई है, सिर्फ उसको इंजेक्ट करके पावर पैदा करना है। आपको कोल बेस्ड थर्मल प्लांट लगाना है, कोल का लिंकेज आपको तय करना पड़ेगा। कहां से कोल आयेगा उसको तय करना पड़ेगा। उस के बाद पावर हाउस बनने में पांच साल कम से कम लग जाते हैं। केपीटल उसके लिये तय करनी पड़ती है। लेकिन यहां आपके यह दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात आप से कहना चाहता हूं, जो मुझे आज जानकारी मिली है। हमने चार पावर प्लांट के बारे में बात कही है। मिनिस्ट्री आफ एनर्जी को यह कहा कि बाई दी एण्ड आफ दी सैन्चुरी राजस्थान का 40-41 पर्सेन्ट जनरेशन और रिक्वायरमेंट में गैप आ जायेगा। इस बड़े गैप को पूरा करने के लिये हमको विशेष तौर से पावर देने वाली बात की जाय। हमने तीन-चार जो प्रस्ताव रखे थे उसमें यह रखा था चार तो थर्मल पावर प्लांट हमने कहे थे, एक मांडलगढ़ में, एक चित्तौड़गढ़ में, एक सूरतगढ़ में और एक धौलपुर में। यह चारों पावर प्लांट लगाने के लिये कहा था। उनकी एक-एक की क्षमता कम से कम 440 मेगावाट दो यूनिट की है। वह करीब 1600-1700 मेगावाट के होंगे। हमने यह कहा था कि आप यह करिये, टाटा कंसल्टेशन से इसकी सर्वे करवायें, जांच करवायें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की। प्लानिंग कमीशन में भेजी। उन्होंने इसको फिजीबल माना। वह केवल फाइनेन्शियल कंस्ट्रेन्ट्स की वजह से और कोल लिंकेज की वजह से अब वहां से निर्धारित नहीं हुआ है। मैंने बड़े पैमाने पर मिनिस्ट्री आफ कोल से बातचीत की, मिनिस्ट्री आफ एनर्जी से बातचीत की, आफिशियल लेवल पर बातचीत की। यह तय हो चुका था कि चार-पांच साल आपको एक प्लांट लगाने में लगेंगे, हम सूरतगढ़ के बारे में तो यह निश्चित रूप से करते हैं कि इसका कोल

(श्री शिवचरण माथुर)

लिकेज 1995 तक तय कर देंगे, 1995 में सूरतगढ़ के प्रोजेक्ट को कोल मिल जायेगा। यह बात सिद्धान्ततः फाइल पर तय हो चुकी है। मुझे आज जानकारी मिली है कि जो हमारे केन्द्रीय सरकार के नये विद्युत मंत्री हैं, हमारे में ही थे पहले, उन्होंने यह फैसला किया है कि 1995 में नहीं बल्कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसको सोचा जायेगा। मतलब सूरतगढ़ जो एक हम क्लियर कर चुके थे पूरी तरह से कोल लिकेज के लिहाज से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : क्लियर नहीं हुआ था। देखिये, आपकी जानकारी के लिये बता देऊं कि आपके हटने के बाद हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री बने उस समय ऊर्जा मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस हुई, उस कान्फ्रेंस की यदि आप प्रोसिडिंग्स देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम सब सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोल पिट हैड के ऊपर ही यह पावर प्रोजेक्ट इस प्रकार के लगेंगे। मैंने उसका प्रोटेस्ट पहले भी किया, अब भी कर रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : हमने यह दलील दी थी कि जब आप पावर सरप्लस स्टेट्स को कोल लिकेज तय कर सकते हैं, आज पंजाब जो पावर सरप्लस स्टेट है उस का 1800 किलोमीटर का कोल लिकेज तय कर सकते हैं फोर मेनी असेंसिबल रीजन्स, पंजाब की समस्या ऐसी है कि जो कुछ भी सहूलियत देनी हो, देग्रो भाई देग्रो, इसके अलावा अगर आप पावर सरप्लस स्टेट चाहे पंजाब हो, जो हमसे ज्यादा दूर है, भटिण्डा को आप कोल लिकेज तय कर सकते हो, उनके आने वाले दूसरे पावर स्टेशन पर कोल लिकेज तय कर सकते हो तो हमारे आज कोटा के थर्मल पावर प्लांट का कोल कहीं से आ रहा है वह लिकेज आलरेडी डिसाइडेड है, भटिण्डा और सूरतगढ़ में बहुत कोई फर्क नहीं है, भटिण्डा में कोल आ रहा है, सूरतगढ़ उसी दूर पर है तो आप भटिण्डा में तो कोल लिकेज तय कर सकते हो लेकिन सूरतगढ़ में कोल लिकेज नहीं कर सकते, इसमें क्या तुक है। हमने यह दलील दी, हमने कहा, यू पी. जो एक पावर सरप्लस स्टेट है, मध्य प्रदेश में तो खैर कोल पैदा होता है इसलिये उसको जरूरत नहीं है वह तो पिट हैड पर अपने आप पावर हाउस लगा ले लेकिन अगर पंजाब जो सबसे ज्यादा दूर है, हमारे से भी ज्यादा दूर है यदि भटिण्डा को आप कोल लिकेज तय कर सकते हैं तो फिर सूरतगढ़ ने क्या बिगाड़ा था, सूरतगढ़ में आप कोल लिकेज क्यों नहीं तय करते। इस बात को मान कर उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, आपका हमारे पास लैटर नहीं आया था। मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन फाइल पर यह नोटिंग है, मिनिट्स हैं, प्रोसिडिंग्स है उसकी। उसमें मिनिस्ट्री आफ एनर्जी, मिनिस्ट्री आफ कोल के अधिकारी थे, मिनिस्टर मिस्टर बनर्जी थे, यह प्रोसिडिंग्स में है। आप उन प्रोसिडिंग्स को निकलवा लीजिये। उन्होंने यह कह दिया था, 1995 में हम सूरतगढ़ का कोल लिकेज तय करते हैं। इसके लिये क्लियर करते हैं कि सूरतगढ़ का प्लानिंग कमीशन से चार पांच साल एक प्लांट को बनाने में लगेंगे तब तक आपको कोल की जरूरत होगी, हम उसका कोल लिकेज तय करते हैं।

(श्री शिवचरण माथुर)

नाइन्थ फाइव ईयर प्लान के पहले साल में यह मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के लिये उन्होंने तय करने वाली बात कही थी, धौलपुर के बारे में उन्होंने यह बात कही नहीं क्योंकि धौलपुर में एनवायरमेंट बीच में आ गया। वहां मथुरा की रिफाइनरी है एक उससे ताजमहल को नुकसान हो रहा है, यह एक और पावर प्लांट बन जायेगा तो ताजमहल को नुकसान होगा। इसलिये हमको उन्होंने लिखा, हमसे कहा कि आप धौलपुर की साइड तय करके चेंज कर दीजिये। धौलपुर के जो 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर कहीं आसपास इसकी साइट तय कर दीजिये तो हम धौलपुर के लिये भी स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। तो चारों पावर स्टेशन सूरतगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर इन चारों के बारे में एक तरह मोटे तौर पर सिद्धान्ततः बात तय हो चुकी थी। यह ठीक बात है कि हमको उसका क्लियरेंस लैटर नहीं आया, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उसमें बहुत सी बातें जो तय होती हैं, उसके नेचुरल कांसिक्वेंस फालो अप होते ही हैं। अब अगर उस सैट को पकड़ लें....

श्री भैरोंसिह शेखावत : करेंगे ही।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं समझता हूं चारों पावर प्लांट हमारे यहां आने वाले हैं।

दूसरी बात हमने यह तय की थी कि सबसे अच्छी साइट अगर राजस्थान के अन्दर है एटामिक पावर प्लांट के लिये तो वह रावतभाटा है। रावतभाटा में एक प्लांट हमारा चल रहा है, वह बीमार चलता है। एक यूनिट चलती है बड़ी मुश्किल से। दो यूनिट 275 मेगावाट की स्वीकार कर दी। हमने अपनी दलील के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार को यह स्वीकार करने पर मजबूर किया कि पांच प्लांट 500-500 मेगावाट केपिसिटी के यानी दो हजार मेगावाट केपिसिटी के नये प्लांट और 275 मेगावाट की दो प्लांट और दो हमारे पास आलरेडी हैं, ऐसे वह जो रावतभाटा का पावर प्रोजेक्ट है, 2800 मेगावाट का पावर स्टेशन बन सकता है। 2800 मेगावाट का पावर स्टेशन रावतभाटा बनेगा और 1800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट जो फिफ्थ प्लान में थे वह बनेंगे। उसके बाद भी मैंने जो सबसे मुख्य बात भारत सरकार को कही वह यह कही कि कोल की बात छोड़िये, दूसरी स्टेट से पावर आने वाली बात सोचिये। हमारे राजस्थान के अन्दर लिग्नाइट बहुत है। वह लिग्नाइट के भंडार जो हमने खोद कर निकाले हैं उसके आधार पर पलाना में, कपूरड़ी (बाड़मेर) में कम से कम 1200 मेगावाट का पावर प्लांट डाला जा सकता है। और 400-450 मेगावाट का पावर प्लांट बरसिंहसर (बीकानेर) में डाला जा सकता है। उसके बाबत प्लानिंग कमीशन से प्रोसेस तय हो गया था। मैंने कहा था कि मेड़ता में भी लिग्नाइट निकलता है। मेड़ता में लिग्नाइट इतना अच्छा निकलता है कि जो हिन्दुस्तान के नेवेली से अच्छा लिग्नाइट है हमारा। उसमें केवल मुश्किल यह है कि वह बहुत डीप निकलता है। उसमें हमें माइनिंग का तरीका बदलना पड़ेगा। मैंने कहा, मेड़ता में आप लिग्नाइट बेस्ड पावर

(श्री शिवचरण माथुर)

हाउस लगा सकते हैं, कपूरडी (बाड़मेर) में, बरसिंहसर बीकानेर में लगा सकते हैं। इसके हिसाब से करीब 2000 मेगावाट की पावर केपिसिटी हम बेस्ड आन लिग्नाइट राजस्थान के अन्दर पैदा कर सकते हैं जो सारे वेस्टर्न राजस्थान और बल्कि मैं कहता हूं थ्रू आउट साउथ वेस्ट राजस्थान को पूरी तरह से बिजली दे देगा और जो ट्रांसमिशन लासेज होता है वह बच सकेगा। इस सारी भूमि का आज सुझाव वहां पर है। आप इसको फोलो कर लीजिए। मैं समझता हूं डिमाण्ड और सप्लाई में जो पावर गैप है उसको पूरा करने में बहुत कामयाब हो जाएंगे यह मैं आपको सदन के मार्फत कहना चाहता हूं।

तो पावर प्रोजेक्ट और पावर गैप को पूरा करने के बारे में, इस गैप को मेक अप करने के बारे में हम लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया हो यह मैं समझता हूं यह कहना हमारे साथ बहुत अन्याय है। आप सत्ता में, बैठे हैं, आप जो भी कहेंगे ठीक है, कह लीजिए। कल हमारा वक्त आएगा तो हम भी आपसे कहेंगे लेकिन यह कोई सही बात नहीं है।

आप देखिये पुरानी फाइलों की हमने कोई चिन्ता नहीं की हो, इसके लिए भारत सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला हो, अपने तथ्य को बहुत साइंटिफिक तरीके से पेश नहीं किया हो तो हम उसके लिए एक प्रकार से जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन हमने किया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : अन्याय तो आपने हमारे साथ यह करके किया है कि चित्तौड़गढ़ सेंचुरी को दे दिया। एक साल हो गया। लाइसेंस मिलने के बाद एग्रीमेंट नहीं किया। अन्याय तो आप करके गये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अब आप कर लीजिए ना ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो करेंगे ही। आप अन्याय करके गये सवा साल, डेढ़ साल तक एग्रीमेंट नहीं किया और लाइसेंस दे दिया.... (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप कर लीजिए। सभापति महोदय, मैं पावर के बारे में निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में पावर पोटेंशियल तो बहुत है। राजस्थान की सिच्युएशन को देखते हुए उस पावर पोटेंशियल को एक्स्प्लाइट करके पूरी तरह से यूटिलाइज करने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके लिए आप जितनी कोशिश करेंगे, हम उसकी सराहना करेंगे।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के इरिगेशन पोटेंशियल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में हमारे इन्टरेस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बहुत जोर दिया है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आज भी राजस्थान का इतना जबरदस्त पोटेंशियल है उसके लिए हम कोशिश करें और जो कुछ हमने किया है उसको पकड़ कर आप आगे बढ़ें तो राजस्थान की वाटर समस्या बहुत हद तक पूरी की जा सकती है।

यमुना गंगा के वाटर के बारे में हमने बहुत कोशिश की। यमुना के वाटर की

(श्री शिवचरण माथुर)

हमने किसाऊ डैम के बारे में बात की। किसाऊ डैम की डिमाण्ड के बारे में जो आज के 25 साल पहले रिपोर्ट बनी थी उसको टेक-अप किया और नारायणदत्त तिवाड़ी से बात की। 2–3 मीटिंग मैंने वहां रखीं। उन्होंने अपने इन्जीनियर्स को यहां भेजा। हमने अपने इन्जीनियर भेजे और यह बात हुई कि किसाऊ डैम हम बना सकते हैं। 500 क्युसेक्स पानी राजस्थान के हक में जो बुर्जी नं. 72 से निकलता है आगरा कैनाल से गुड़गांवा कैनाल में उस पानी को लेकर आप भरतपुर जिले की बहुत मदद कर सकते हैं। हमने पिछले दो साल में इस गुड़गांवा कैनाल से इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करने के लिए सबसे अधिक बजट में प्रावधान रखा और उसके लिए सारे सिस्टम को ठीक करने की हमने काफी कोशिश की है। हमने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार से भी बात की। अब तो हरियाणा के मुख्य मंत्री का और हमारे उप प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी राजस्थान में ही हो गया है। आप हरियाणा से भी बात कीजिए, कम से कम राजस्थान के हिस्से का पानी तो आजादी से आने दें। उत्तर प्रदेश सरकार भी आपकी सहयोगी सरकार है। आप मुलायम सिंह यादव से बात कीजिए। जो हमने तय किया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले आपने नारायण दत्त तिवाड़ी से बात की थी ?

श्री शिवचरण माथुर : हां, हां, वहां तो मैं कह रहा हूं, जो मैंने नारायण दत्त तिवाड़ी से बात की उस मीटिंग की प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिए मैं दे दूंगा आपको, और यादव साहब से बात कीजिए। आगरा कैनाल से गुड़गांवा कैनाल का पानी पूरा लाइये। उसके सिस्टम को ठीक कीजिए। हमने जो सिस्टम ठीक किया उसको और इम्प्रूव कीजिए ताकि भरतपुर को पानी मिल सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नारायण दत्त जी तिवाड़ी का स्टेटमेंट है कि हम एक क्यूसेक भी पानी नहीं देंगे।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो डीग में पानी आया है आपको मालूम है 13 क्यूसेक्स पानी हमारे तालाबों में उन्होंने भरा है। हम भी कहते हैं, यह तो वास्तविकता है। आपने पता नहीं कहां से स्टेटमेंट पढ़ लिया। 13 क्यूसेक पानी उन्होंने छोड़ा है। डीग के सारे तालाब भरे हैं और पिछले साल भरे हैं। इसमें क्या दिक्कत है। आप मुलायम सिंह यादव से बात कीजिए और बात करके जो 500 क्यूसेक हमारा हिस्सा है....

श्री केदारनाथ शर्मा : आउट आफ ग्रेस दिया है उन्होंने....

श्री शिवचरण माथुर : 500 क्यूसेक हमारा हिस्सा है यमुना के वाटर से आज एक्स्प्लाइट आफ पोटेंशियल में, मेहरबानी करके उसको राजस्थान में लाने की कोशिश कीजिए और जो यमुना में 2.55 एम. ए. एफ. का कहा है एक बीगर स्टेट होने के नाते राजस्थान को 2.55 एम. ए. एफ. पानी मिलना चाहिए। यह केस हमने प्लान करके दिया है। इस केस को आप फोलो कीजिए। मैं समझता हूं कि यमुना के वाटर का भी राजस्थान को बहुत लाभ मिल सकता है।

(श्री शिवचरण माथुर)

दूसरी बात जो गंगा के वॉटर के बारे में खास तौर से हमने कही इन पिछले दो सालों में गंगा के वाटर के बारे में हमने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को काफी कहा और बताया कि 1972 में गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में यह बात तय हुई थी कि उसके फ्लड को रोकने के लिये क्या किया जाना चाहिए। हमने एक टेक्नीकल रिपोर्ट वहां पर पेश की और उसमें कहा कि 40 हजार क्यूसेक यानि 100 दिन तक जो गंगा का फ्लड वाटर आता है और तबाही मचाता चला जाता है और समुद्र में गिर जाता है उस पानी को 100 दिन तक हम को दे दीजिए 40 हजार क्यूसेक और अगर वह पानी मिल जाता है तो आपके चूरू, झुंझुनू सब जगह गंगा का पानी मिल जाएगा फिर आपको नहाने के लिए गंगा जाने की जरूरत नहीं होगी सुमित्रा जी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सुन रही हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा था कि अगर वह 40 हजार क्यूसेक पानी मिल जाता है गंगा का तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। झुंझुनू की नहर में ही गंगा का पानी मिल जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो कुछ कर नहीं सके। अब हम को मौका मिला है। हम देखेंगे। आपसे तो कुछ हुआ नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : दूसरी एक बात हमने गंगा वाटर की यह कही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा जो सब मालूम है लेकिन एक बात बता दीजिए कि 81 से लेकर आज तक आप कहीं अतिरिक्त पानी, गंगा, यमुना, भाखरा का एक भी क्यूसेक पानी लाये हैं क्या ? अगर लाये हों तो बता दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : लाये हैं, आप को वही बता रहा हूं। आगरा कैनाल का जो सिस्टम खराब था, उसको हमने ठीक करवाया और पानी लाये हैं। आगरा कैनाल से पानी राजस्थान को मिलता था। मेरे पास कितना पानी दे रहे हैं, उसके आंकड़े हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बतावें तो सही, कौन सा पानी लाये ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक क्यूसेक भी पानी नहीं आया।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा नहीं है, पानी लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानता हूं, आपने कहा था, लेकिन आपकी चली नहीं यह बात मैं मानता हूं लेकिन आप एक क्यूसेक भी पानी लाये हों तो बता दीजिये....

श्री शिवचरण माथुर : आपकी कितनी वेल्यू रहती है, हम देखते हैं आपकी आगे कितनी चलेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना बता दूं कि आपके यदि कमिटमेंट गलत नहीं होते, मैं आज कहता हूं बाइ आल सीरियसनैस....

श्री शिवचरण माथुर : कोई गलत नहीं है।-

श्री भैरोंसिह शेखावत : सारे कमिटमेंट गलत है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने तो यहीं बैठ कर सीखा है और कुछ नहीं है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : यहां बैठ कर नहीं सीखा जितना आप जानते हैं उतना मेरी जानकारी में भी है। मैंने सरकार में आने के बाद सारी पत्रावलियों का बड़ी गम्भीरता से अध्ययन किया है और इसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पिछली सरकारों ने जो कमिटमेंट किये उनसे राजस्थान का बड़ा भारी अहित हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : हमारा कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं है जो राजस्थान के हित में नहीं हो। हमारे सब कमिटमेंट राजस्थान के हित में है। यह मैंने पहले भी कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौन से कमिटमेंट ? अगर 1981 का कमिटमेंट आप नहीं करते तो हैड वर्क्स का झगड़ा ही खड़ा नहीं होता। यदि 1984 का एग्रीमेंट नहीं करते रावी व्यास, नदियों के पानी पर कारखानों में हमें जो बिजली का हिस्सा मिलता था वह मिलता रहता।

श्री शिवचरण माथुर : कहां मिलता था ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या सतलज का नहीं मिल रहा है

श्री शिवचरण माथुर : सतलज की बात छोड़िये। रावी-व्यास की बात कहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : व्यास का पानी कहां आया है ? पोंग डैम कहां बना हुआ है ? यह पानी कौन सी नदी का है ?

श्री शिवचरण माथुर : सतलज के पानी की बात है तो अलग यूटिलाइज हो गया वाटर और रावी-व्यास का अन-यूटिलाइज्ड वाटर था, कुछ तो उसका है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने एग्रीमेंट क्यों किया, क्या जरूरत थी एग्रीमेंट की ? आपने जस्टिएबल बना लिया जबरदस्ती। आज इसी का संकट है। आज सुप्रीम कोर्ट से तो हमारा हिस्सा निश्चित है ...

श्री शिवचरण माथुर : कहां निश्चित है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : निश्चित है, हमारा हिस्सा निश्चित है।

श्री शिवचरण माथुर : कहां निश्चित है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज नहीं है, आपके एग्रीमेंट से निश्चित नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : कोई निश्चित नहीं है.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन पहला एग्रीमेंट....आप फोर्थ अवार्ड देख लीजिए....

श्री शिवचरण माथुर : आप गये थे तब कहा था कि हमारा हिस्सा निश्चित है उस को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता। इराडी कमीशन ने स्वीकार किया है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : इराडी कमीशन को छोड़िये, इराडी कमीशन में भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपने 0.6 क्यूसेक पानी छोड़ दिया पंजाब को... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : 0.11 में कहां था हमारा हिस्सा ?

श्री शिवचरण माथुर : इराडी कमीशन ने एक बात और कही है कि हमने इसको डिटरमिन किया है 1.6 एम. ए. एफ. के अलावा रिम के नीचे भी 1.11 एम.ए.एफ. पानी अवेलेवल है।

श्री यदुनाथ सिंह : तो उसमें हिस्सा क्यों नहीं दिया।

श्री शिवचरण माथुर : हमने मांगा है इसको।

श्री यदुनाथ सिंह : जब उन्होंने अलाट कर दिया....

श्री शिवचरण माथुर : वह तो 1955 के एग्रीमेंट के अलावा है। हमने उसको मांगा है।

श्री यदुनाथ सिंह : 1955 के एग्रीमेंट के बाहर कोई चीज नहीं है, प्रो-रेटा बढ़ेगा, पानी की इन्टेन्सिटी बढ़ेगी।

श्री शिवचरण माथुर : नीचे जो पानी मिलने वाला है वह हमारा हिस्सा है।

श्री यदुनाथ सिंह : 1955 के एग्रीमेंट के बाद में ही तो है।

श्री शिवचरण माथुर : प्रो-रेटा आयेगा नहीं ?

श्री यदुनाथ सिंह : जब भी अवेलेवल होगा प्रो-रेटा बढ़ेगा, घटेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : नीचे जो पानी अवेलेवल है 1.1 मिलियन एकड़ फीट उसमें हमने हिस्सा मांगा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मांगने का काम कर रहे हो लेकिन आपकी मांग पर भारत सरकार ने कभी भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया।

श्री शिवचरण माथुर : अब दिलवा लीजिये ना ध्यान।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब करेंगे लेकिन आपने काम्प्लीकेशंस कितने कर....

श्री शिवचरण माथुर : हमने कोई काम्प्लीकेशंस नहीं किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत काम्प्लीकेशंस किये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : कोई काम्प्लीकेशंस नहीं किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो बातें कही है मैं समझता हूं कल गवर्नर के एड्रेस के ऊपर जवाब होगा मैं सब बातों को कह नहीं सकता।

श्री शिवचरण माथुर : आप कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन सारी बातें अगर पत्रावलियां मैं रखूं तो आपको यह जानकारी होगी कि राजस्थान सरकार ने इतने गलत कमिटमेंट करके राजस्थान का अहित किया है। यह इतिहास अब आपको और हमको किसी को बख्शने वाला नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : This is a point of discussion. आपका एक दृष्टिकोण हो सकता है। जो आप सोच रहे हो यह सही दृष्टिकोण नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपने इसी सदन में खुद ने कहा है....

श्री शिवचरण माथुर : यह दृष्टिकोण सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1981 के एग्रीमेंट पर जब चर्चा हो रही थी, आपने खुद ने इस सदन के अन्दर कहा कि हैड वर्क्स हमारे हाथ में आ गये। आप कहें तो प्रोसिडिंग्स निकाल कर दे दूं। जब मैंने आपको कहा है, पंजाब ने एक व्हाइट पेपर इश्यू किया है और उस व्हाइट पेपर में लिखा है कि हैडवर्क्स हमारे हाथ में आ गये। आपने उनके कंटेशन का खण्डन तक नहीं किया।

श्री शिवचरण माथुर : किया है। यह मेरा लैटर है जिसका मैं केवल रेफरेंस दे सकता हूं, आप पढ़ लीजिये उस लैटर को। मैंने चार पेज में लेटर लिखा है, जो व्हाइट पेपर को डिस्प्यूटे करते हुए मैंने कहा है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इस हाउस में कहा है। इस हाउस में कहा है कि माधोपुर हैडवर्क्स पर हमारा कन्ट्रोल हो गया, पानी के गेज करने के हमें अधिकार मिल गये। अब कंटेशन का डिस्प्यूट ही कहां रहा।

श्री शिवचरण माथुर : उस पर डिस्प्यूट आया है, हमने उसके कंटेशन को डिस्प्यूट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अब किया है लेकिन आपने इस विधान सभा की प्रोसिडिंग्स पंजाब सरकार अपने साथ ले गई है....

श्री शिवचरण माथुर : 1982 में आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और शिवचरणजी माथुर ने उस समय क्या कहा था उसका लाभ उठाया है।

श्री शिवचरण माथुर : 1982 में आया है। 10 नवम्बर, 1982 को हमने डिस्प्यूट किया है। तो सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि राजस्थान की सूखी धरती पर पानी आये, राजस्थान में अधिक विद्युत उत्पन्न हो, यहां की गरीबी को दूर करने के लिये हम सब लोग, यह जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो एक साधन है उनका अधिक से अधिक दोहन करके उसका विकास करें। इसमें हम आपके सभी प्रयत्नों का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इधर बैठ कर के भी जो इस तरह की बात करेंगे उसमें हम आपका समर्थन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यह कहते हुए कि इस अभिभाषण में न कोई दिशा है, न कोई गति है और केवल पुरानी सरकार के ब्लेम करने के एफीडेविट्स उसमें दिये गये हैं और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा अभिभाषण तो आपके बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य का था। यदि उनसे आप लिखवा देते तो मैं कहता हूं कि ज्यादा अच्छा होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक को तो माना।

श्री शिवचरण माथुर : हां, बिल्कुल। I am influenced by him. मैं उनकी तारीफ करता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा अच्छा होता यदि कोई दिशा दी गई होती, गति दी गई होती इस अभिभाषण में तो शायद हमको भी उसका लाभ मिलता लेकिन आपने कुछ गलत बातें इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय के मुख से जो कहलवाई है मैं समझता हूं कि उससे राजस्थान का हित नहीं होने वाला है और राजस्थान के हित में यही उचित है कि हम सब लोग मिल बैठ करके राजस्थान के व्यापक हितों के बारे में सोचें समझें और उसके अनुकूल काम करें। यही मैं कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय केदारनाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : सभापति जी, मैं तो यह सोचता था कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी अपनी हार का सही विश्लेषण करेंगे। केवल यह कह करके कि जनता दल और बी. जे. पी. को या मार्क्सवादी पार्टी को नेगेटिव वोट मिले और दिल्ली की सरकार कायम कर ली। मैं आपसे यह आशा नहीं करता था। नेगेटिव वोट 1972 में मिले, यह ठीक बात है, 1977 में मिले, यह ठीक बात है, 1984 में मिले लेकिन अब की बार वोट कुछ नीतियों के आधार पर मिले हैं। 10 साल में आपकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। यह ओवर नाइट नहीं किये नेगेटिव वोट कि रातों रात सब लोगों के मन में आया और केन्द्र में सरकार बदल दी, आपके पूर्व प्रधान मंत्री को बदल दिया। देश की नीतियों पर लोक सभा का चुनाव लड़ा। अब उसी हिन्दू बैकलेश का नाम देकर कह दो कि हम जीत गये, कर्जा माफी के नाम से हम जीत गये, कीमतें बढ़ गई उसके नाम से हम जीत गये, यहां पर शुल्क की बात कही गयी, यहां पर डवलपमेण्ट शुल्क की बात कही गई, हम जीत गये। ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा सा गहराई से सोचिये कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री बनने के बाद मैसिव मेजोरिटी मिली थी। लीडरशिप तो उन पर सजती थी लेकिन वह लीडरशिप के लायक नहीं थे। दो साल राजनीति में काम करने के बाद देश की हुकूमत को आपने उन्हें सौंप दिया, संगठन उसके हाथ में, सरकार उसके हाथ में मगर मैं माननीय माथुर साहब से निवेदन करता हूं कि 10 सालों में ऐसी कौन सी डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन है जिसकी वाइटेलिटी को चैक किया गया हो? इस देश के प्रजातंत्र के जितने पिलर्स थे उनकी सारी जड़ें आपने खोद दी। ठीक है, कुछ विकास के काम हुए, कुछ सड़कें बन गई, कुछ बिजली के लट्टू लग गये, कहीं आपने पट्टे दे दिये, कहीं आपने स्कूल, कालेज खोल दिये मगर इस देश की जो खूबी थी कि इस देश में प्रजातंत्र की सारी इकाइयां मजबूत हो, डीसैन्ट्रेलाइजेशन हो, एक व्यक्ति के हाथ में न होकर कलेक्टिव जुडिशियरी यहां पर पैदा हो, वाइस आफ डिसेंट की कीमत हो यहां पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह एक भी काम कर पाये? आप पहले जुडिशियरी की बात लें मगर कितने दबाव मिले थे आपको, यहां पर चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया गया, जजेज के तबादले, जजेज की नियुक्तियों में पक्षपात किया गया। एजीटेशन हुए, सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने

(श्री केदारनाथ शर्मा)

एजीटेशन किया। पहला सबसे बड़ा काम था हमारे देश की जुडिशियरी निष्पक्ष रहे, ईमानदार रहे और अच्छी काम करें, कार्य कुशल रहे। मैं उन जजेज की तारीफ करता हूं कि आपके इस ग्रोनस्लाट के बाद भी उन्होंने अपनी ग्राइडेन्टिटी कायम रखी, अपनी ईमानदारी कायम रखी। दूसरी प्रेस की बात हो सकती है। प्रेस के साथ क्या किया आपने ? प्रेस बिल के खिलाफ कितनी डिबेट हुए आपको मालूम है ? आपने यह चाहा था कि प्रेस हमारे हाथ में आ जाय, मास मीडिया हमारे हाथ में आ जाय मगर नहीं आयी। रेड्स किये गये, गिरफ्तार हुए, लोगों को जेलों में भेजा गया, पेपर्स जब्त किये गये फिर भी, सभापतिजी, इस देश में ऐसे अखबार है जिन्होंने अपनी आवाज, अपनी कलम को बन्द नहीं किया। मैं उनकी आज तारीफ करता हूं। तीसरी, बात, माननीय सभापतिजी, यदि इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर था, हमने अपने संविधान में उसका उल्लेख किया। रावी-ब्यास के किनारे पर बैठ कर पंण्डित नेहरू की अध्यक्षता में जब कसमें खाई गयी, संकल्प किया गया इस देश की आजादी के नाम से उस वक्त यह बुनियाद कायम की गई थी इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर होगा। इस देश की अलग अलग धर्म और जातियां, बोलियां हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। मिली जुली सरकार बन कर हम इस देश में केवल फेडरल स्ट्रक्चर से जिन्दा रह सकते हैं, देश में वही पनप सकती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं इस स्टेट की इकानामी कहां रही, स्टेट की कोई इन्डिविजुअलिटी कहां रही ? स्टेट को म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा आपने दे दिया। प्लानिंग कमीशन आपके हाथ में, फाइनेंस कमीशन आपके हाथ में, नेशनल डवलपमेण्ट कौन्सिल आपके हाथ में, कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिये। कोई कानून भी बनाकर अगर हम ले गये असेम्बली में एक राय से पास करने के बाद उसको भी आपने पास नहीं कराया। यह बंगाल की मिसाल है आपके सामने। सभापति जी, यहां पर यह भी निवेदन कर दूं कि चीफ मिनिस्टर का हाल क्या था। मैं यहां पर इस बात पर तो बाद में आऊंगा। चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, आप ईमानदारी से सोचिये कि माननीय राजीव गांधी जो आपके प्रधान मंत्री थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ ट्रीटमेण्ट कैसा किया। क्या वह अपने बराबर समझते थे आपको। एज में आप ज्यादा, अनुभव में आप ज्यादा, पालिटिकल करियर आपका ज्यादा, स्टेट ज्ञान में माहिर। उन्होंने किस ढंग से आपको ट्रीट किया। क्या आप यह सोचते हो कि यह स्थिति उन्होंने पैदा की है। उन्होंने अपने हाथ से ही जितनी भी इन्स्टीट्यूशन्स थी यहां पर उनकी सारी वाइटेलिटी समाप्त कर दी। आज हमारे सामने यह हाल है। यहां पर यही नहीं आपने हिन्दू बैकलेश की बात कही, मैं यहां पर डिटेल में नही बोलता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर बैकलेश पैदा किसने किया ? एक जमशेदपुर की कोर्ट ने फैसला दे दिया, उस कोर्ट के फैसले से फ्लेअर अप हुआ, आप लगातार फ्लेअर अप करते रहे। आपने जहां हिन्दू कार्ड प्ले किया, कहीं मुस्लिम कार्ड प्ले किया। अगर आप मुस्लिम फण्डामेंटलिस्ट के सामने ईल्ड नहीं करते, शाहबानो के केस में, उनके पर्सनल ला में दखल किया तो मेरा ख्याल है, हिन्दू बैकलेश पैदा हुआ और

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आपने मुस्लिम कम्युनिटी को सारे देश की मेनस्ट्रीम से अलग कर दिया, उनके अन्दर एक भावना पैदा कर दी, उनका बैकलेश होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर कमीशन नियुक्त कर देते, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कर देते, उसका एक रास्ता निकाल देते, कन्सेंशस लेकर के जैसा आज हमारे देश के प्रधान मंत्री कर रहे हैं और इस तरह का कन्सेंशस पैदा करते तो इतनी छोटी सी बात के लिये, इस देश में फ्लेअर अप नहीं होता, आज आपको कहने का मौका नहीं मिलता कि हिन्दू बैकलेश हैं. आज उन लोगों की उपेक्षा हुई। चौथी, सिक्ख कौम की बात की है आपने। यह भिण्डरावाला किस ने पैदा किया? आज आप कहते हैं कि इस देश में यह हवा पैदा हुई, यह भिण्डरावाला पैदा कहां से हुआ? वह सारा इनीशिएटिव कश्मीर में मिलीटेंट्स के हाथ में है। आज सारा इनीशिएटिव पंजाब में मिलीटेंट्स के हाथ में है, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ? जो गृह मंत्री थे पहले, उन्होंने दार्जिलिंग में गोरखालैंड के बारे में क्या किया? उनको प्रोटेक्शन एण्ड पैट्रोनाइज किया। जो सरकार 13 साल से राज करती आ रही थी, उसमें आप इन रोड पैदा नहीं कर पाये; उन्होंने अपनी हेजेमनी कायम की, अच्छी सरकार उन्होंने उनको दी। उसको गिराने के लिये, उसकी हवा बिगाड़ने के लिये आपने गोरखालैंड को वहां पनपाने की बात की। यही नहीं, आप ने केरल में उनको फैसिलिटी दी। अपनी सरकार कायम करने के लिये आपने त्रिपुरा में उप जाति समिति, पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं है, कौन थे वे लोग? नक्सलाइट्स, एण्टी सोशल एलीमेंट्स थे, जो इस देश के कांस्टीट्यूएशन को नहीं मानते थे, जो इसकी सोवरिनिटी को नहीं मानते थे, उनके साथ मिल कर आपने राज कायम किया वहां पर और आज हमें आप यह कहते हैं कि इसमें बैकलेश पैदा हो गया? ये सारी बातें मैं आपको इसलिये पेश कर रहा हूं कि चुनाव में हारना मामूली सी बात है, हम भी हारे हैं, मगर हारने के बाद कुछ सीख लो, आप आइंदा देश की डेमोक्रेसी की जो इन रोड्स पैदा की, स्टेट की ऑटोनॉमी का एनक्रोचमेंट किया, उसका आदर, सम्मान वापस ले आइये आप। हमारी एकता से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इस देश का बहुत बड़ा भला होगा। कितने लट्टू लगें, कितनी सड़कें बनीं, यह काम गौण हुआ करते थे देश की आजादी के समय, यदि आज देश की आजादी को खतरा पैदा हो गया, कश्मीर के सवाल पर आज हमें प्रेश कर रहे हैं आप तो दुबारा अपने फारूख को पूछिये, पहले उसको डिसमिस किया। आप को दुबारा मालूम था, फारूख के बाद कौन सा चीफ मिनिस्टर बनाया आपने? कौन था वह? जो प्रो-पाकिस्तानी एलीमेंट्स वहां पर है, जो हालत हैं, आज कश्मीर में, उसके नुमाइन्दे थे। दावत आपने दी है। आज आजाद कश्मीर में वहां पर इनफिल्टरेशन के लिये, सारे देश को डिमोरलाइज करने के लिये। सारी 90 प्रतिशत वहां की जनता प्रो-पाकिस्तानी है और वहां पर कोई भी राजनैतिक पार्टी इरेलेवेंट है। हमने कंसेंशस की बात की और पार्टियां वहां भेजने की बात की। हमने कश्मीर में एक नई मिनिस्ट्री कायम की और सारी पार्टियों की वहां एक सलाहकार समिति बनाई, तो आपके पूर्व प्रधान मंत्री नाराज हो गये। हमने एक

(श्री केदारनाथ शर्मा)

रिजोल्यूशन पास किया पंजाब के बारे में कंसेंशस लेकर। बाद में हस्ताक्षर नहीं किये, इसलिये कि हम ने विपक्ष की बात नहीं मानी। एक के बाद एक सुधार, माननीय राजीव ने अपने को सुधारा जरूर है, मगर आहिस्ते-आहिस्ते जो मसले इन्होंने पैदा किये थे, उनका हल निकल रहा है। हमारे प्रधान मंत्री, कंसेंशस के द्वारा उनमें किसी न किसी तरह कंट्रेंट्स पैदा करते आ रहे हैं ताकि रास्ता निकले नहीं, हल नहीं हो और छः महीने के बाद यह सरकार गिर जाये।

सभापतिजी हमने भी कुछ संकल्प लिये हैं। हमको ओहदा मिले न मिले, कोई कहीं रहे कि न रहे, सेंटर में कौन साथ दे, न दे, लेकिन देश के सामने एक मॉडल पेश किया है कि ऐसी सरकार दोनों ऐसी विंग्स को साथ लेते हुए जिनकी आइडियालॉजी डाई-मेट्रिकल.... (व्यवधान) देखिये आप, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपने स्टाइल आफ फंक्शनिंग बदल दी। प्राइम मिनिस्टर ने जो इनीशिएटिव लिया, आज तक जो ओवर्ट पालिटिकल एक्शन है, जो क्राइसेज के प्रति उसका रेस्पांस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है सौ दिनों की, उससे उन्होंने एक पॉजिटिव क्रेडिबिलिटी स्थापित की है इस देश में। आज उनके काम का तरीका कुछ बदला है। मैं यह भी नहीं कहता हूं आपको कि जिले से मैं आता हूं, वह बार्डर का डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब की भी सरहद लगती है। 7 तारीख को अबोहर में एक हादसा हुआ। 30 आदमी मारे गये। 80–100 आदमी जख्मी हुए। मैं जब वहां 11 तारीख को पहुंचा, मैंने माननीय भैरोंसिह जी से बात की। यह दूसरे ही दिन सारे काम छोड़ कर वहां पहुंच गये, इतनी तत्परता दिखाई। बहुत बड़ा इश्यू था। यहां पर बैठ कर के मंत्रिमण्डल का कंपोजिशन होने वाला था। राज्यपाल के शायद भाषण की तैयारी कर रहे थे अनेक और मसले थे, यहां पर सब को छोड़ कर कि बोर्डर का सवाल है, देश की आजादी का, सोवरिनिटी का सवाल है, भैरोंसिह जी सबसे पहले अपार्चुनिटी अवेल करते हुए वहां पहुंचे। देखिये, स्टाइल आफ वर्किंग में फर्क आ गया। वहां पर जा कर, वहां के लोगों ने खून दिया, इंतजाम किये, दवा दारू देकर उनका मोरल हाई था, उन को और बूस्ट किया। उसका असर पंजाब में पड़ा। पंजाब में सेंटर से मुफ्तीजी भी आ गये। पंजाब और हरियाणा के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर आ गये। हरियाणा और पंजाब में और दिल्ली में असर पड़ा। तब जा कर के अलर्ट हुए। हमारी कमेटी बोर्डर में थी। कुछ जिप्सी दी आपने, हथियार दिये आपने, कुछ और फोर्स वहां बढ़ायी और जो जखीरा पकड़ा गया, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उसको देखा।

श्री शिवचरण माथुर : सादूलशहर में बैंक डकैती के बाद में कुछ नहीं किया गया था। जिप्सी दी गयी थी, पुलिस को बढ़ाया गया था, सैकण्ड डे मैं वहां पहुंचा था, ठीक है, जाना ही चाहिये, बहुत अच्छा किया आपने, वहां गये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज करूं। उस दिन सादूलशहर में मैं भी था। सादूलशहर में पांच हजार आदमियों ने आकर घेर लिया। बैंक के अन्दर आपकी पुलिस सारी पहुंच गयी। बड़ी मुश्किल से आपने निकलने का रास्ता.... (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : आप एक मिनट सुन लीजिये। हमारी इंटेंशन को डाउन मत कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने अगर कह ही दिया है; तो सुन लीजिये। आप वहां थे। उसके बाद डी.आई.जी. आये। उन्होंने उस दीवार को, दीवार टूट सकती है पीछे से, चीफ मिनिस्टर निकल सकते हैं कि नहीं रास्ते से...

श्री बुलाकीदास कल्ला : गलत कह रहे हैं आप। खुद मैं वहां पर सादूलशहर साथ गया था। कोई पीछे से नहीं गया। आगे से गये हैं, लोगों के बीच में से गये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सादूलशहर का रहने वाला हूं। मैं बता रहा हूं। मैं जानता हूं। आप तब गये हैं, जब आपने एक लाख का ऐलान किया। तब आप बीच में से निकले हैं। नहीं तो मजबूर होकर के, आपकी सलाह थी कि दस हजार दिये जायें, बीच में डी.आई.जी. से सलाह की गयी, उसने कहा कि बिना एक लाख दिये, सीधे नहीं निकल सकते, पीछे दरवाजा है नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई बीच में नहीं था।

श्री हेतराम बेनीवाल : असेम्बली में यह चीज बोल रहे हैं आप, सच्चाई बोलिये।

श्री केदारनाथ शर्मा : यहां सादूलशहर की बात हुई। तब जाकर अपोजिशन लीडर्स ने यह निर्णय किया कि हम सादूलशहर जायेंगे। तब कि इनीशिएटिव उनके हाथों में जा रहा है, यह मौका देखेंगे, हमारी कमी, गलती भी निकालेंगे, तब जल्दी से आप जिप्सी लेकर वहां पहुंच गये। पहला बयान अपोजिशन लीडर्स की ओर से आया। बहुत बड़ी पब्लिक रीजेंटमेंट इतना माउंट हो गया था कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय जाने के। यहां तो पब्लिक रीजेंटमेंट माउंट भी नहीं हुआ था। 9 तारीख को दो आदमी मारे गये और यह 12 को पहुंच गये। 14 तारीख को शपथ ग्रहण की। दूसरी बात....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सादूलशहर में तो अपोजिशन लीडर्स गये भी थे, यह तो वहां अभी तक नहीं गये।

श्री केदारनाथ शर्मा : सभापति जी, मैं दूसरी बात जो कह रहा था – "स्टाइल आफ वर्किंग" में चेंज आया है। मैं काफी दिनों से, पैंतीस चालीस साल से यहां पर मेम्बर हूं। हम भी दो ढाई साल तक इन बेंचेज पर....जीरो आवर में कांग्रेस रेजिम में, केवल एक डिप्टी मिनिस्टर को बैठे हुए देखते थे। एडजोर्नमेंट मोशन आते थे, जीरो आवर में कई इमरजेंसी के सवाल आते थे, उठाते थे, ताकि जवाब मिल जाये लेकिन जवाब नहीं मिलते थे। आपने यहां पर कल सांप्रदायिकता के बारे में एडजोर्नमेंट मोशन पेश किया, ज्यों ही आपने पेश किया, जवाब आ गया। बिजली के बारे में पेश किया, उसी वक्त दस घंटे का ऐलान कर दिया, सारी आपको स्कीम बता दी। तो यह तत्परता रहते पांच साल तक हम रहेंगे, लेकिन स्टाइल आफ फंक्शनिंग में जो चेंज आया है, क्वालिटी में जो चेंज आया है, उससे खुशी होती है और मुझे इतना विश्वास है कि अब प्रशासन में ऐसी चीज आ जायेगी, यह सरकार संवेदनशील बन जायेगी, उस

(श्री केदारनाथ शर्मा)

की समस्यायें कम हो जायेंगी, देरी और दूरियां कम हो जायेंगी। मुझे विश्वास है कि जनता के अन्दर आज मामूली भी जो थोड़ा बहुत, जो गुस्सा है, वह भी दूर हो जायेगा। पांच साल तक यह राज लगातार चलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सभापति जी, हमने कंपोजिशन देखा है, कुछ आदमी आये कि नहीं आये, हम लोगों ने, सब ने सकल्प कर लिया है कि चाहे यों ही मंत्रिमण्डल रहे, न फैलाव हो, क्योंकि कपोजिशन बड़ा चीप है, सारे डिवीजन, सारी कास्ट्स, सारी कम्युनिटी, सारे सैक्शंस उनकी नुमाइंदगी आज हमारे बीच में है। हमने नई लीडरशिप पैदा की है। गुर्जरों में, जाटों में, अपने ग्वालों में, मालवीयों में, गरासियों में से ये लोग आये हैं। आज जो जीत कर आये हैं, उनमें से सीखे हुए नहीं हैं, मगर ओहदा सब कुछ सिखा देता है आदमी को। आप मुझे थप्पड़ मारोगे, तो मुझे अपने आप गुस्सा आयेगा, मैं गाली भी देने लग जाऊंगा। सीख जायेंगे यह। लीडरशिप ठीक और लीडरशिप के बारे में आप जानते हैं – जो शख्स 25–30 सालों से राजस्थान की समस्याओं को यहां उठाता रहा लगातार, स्कैण्डल्स को यहां पर पेश करता रहा, एक्सपोज करते रहे, कोई भी आइटम करप्शन का बर्दाश्त नहीं किया और समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद कोई हल बताते रहे। इन्टर स्टेट मसलों में उन की मास्टरी थी, बोर्डर के मसलों पर उनकी मास्टरी थी। आप क्या सोचते हैं कि उनकी लीडरशिप में राजस्थान के यह मसले हल नहीं होंगे ? पिछली विरासत में कुछ कमियां दे गये हैं आप, कुछ कह लीजिए आप कि विरासत में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, वह बाद में आऊंगा, बजट सैशन में काफी अच्छा मौका मिलेगा, हमें विश्वास है इस टीम के साथ यह सारी चीजें हल होंगी। यहां पर मेहम का सवाल भी चला, यहां पर हमारे ताऊ का भी सवाल चला। सभापति जी, 27 तारीख को मेहम में कुछ नहीं हुआ। मुझे जानकारी है, वहां पर लोग मिले, दिल्ली में अनेक लोग मिले, पक्ष और विपक्ष के भी। यह माननीय सदस्य जो आज खड़े हैं हमारे मुख्य मंत्री के खिलाफ, यह भी पहले हमारी पार्टी में थे। 28 तारीख को आठ पोलिंग स्टेशन्स पर री-पोलिंग होना था। दो स्टेशनों पर, जो पहले पूर्व कृषि मंत्री थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं, उसने अपने आर्म्ड गैंग से जब वहां हमले शुरू कर दिये तो रिटेलिएशन लोगों ने किया। उसके बाद कुछ ज्यादती हुई है, उसकी जांच के लिये हमने कमीशन नियुक्त कर दिया। हमारी पालिटिकल अफेयर्स कमेटी ने उसको कह दिया कि रि-पोल हो। हमारी ओर से कोई ऐसी बात नहीं आई कि हम अपनी जो बुराई है उसको छिपायें, हमने बुराइयों को आइन्दा बंद करने के लिये रास्ता निकाला है। ताऊ का इस्तीफा एक टी.वी. एपीसोड जैसा है। मैं आपसे कहता हू जो पार्टी, हम इकट्ठे हुए हैं यहां पर, उसमें कुछ अभी डिफरेन्सेज हैं। कोहिजन लाने के लिये एक स्टेज आया करती है। यह कोहिजन की तरफ स्टेज है ताऊजी का इस्तीफा। एक हमारे लिये बहुत बड़ा रास्ता है। आइन्दा हम लोग ज्यादा नजदीक आयेंगे। कोहिजन पैदा होगा। एक बहुत बड़ी यूनिटी पैदा होगी। इस देश में अच्छी लीडरशिप देकर हम एक रास्ता साफ करेंगे तो हिन्दुस्तान

(श्री केदारनाथ शर्मा)

की जनता हमेशा याद रखेगी कि जनता दल ने दोनों दलों के सहयोग से इस देश में एक नया प्रशासन, एक नई व्यवस्था पैदा की।

सभापतिजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी भाग्यशाली हैं, बनते ही हमारे फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी। हमारा हिस्सा 6.15 है। टोटल पैसे में से 6.15 हमें मिलेगा, इतना ही नहीं मिलेगा, हमें इसमें कुछ और भी मिलेगा। 6.15 और प्लान डेफिसिट में 960 करोड़, नॉन प्लान रेवेन्यू डेफिसिट में 486 करोड़, ग्रान्ट इन एड में 1147 करोड़, केलेमिटी फण्ड के नाम से जो सेन्टर पैसा देगा पचहत्तर प्रतिशत, उसमें हमें 460 करोड़ मिलेंगे और आप भाग्यशाली हैं कि ड्राॅट प्रोन एरिया में जो एम्प्लायमेंट की गारण्टी स्कीम लागू होगी उसमें सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा फायदा, बेनिफिसियरी निकलेंगे तो राजस्थान स्टेट के। उद्योग-धन्धे जो बिखर गये थे, जो कि बंद हैं, हमारी जो खेती के प्रोड्यूस हैं, पशु धन हैं, माइन्स हैं, इन पर आधारित होकर इस इलाके में खुलेंगे, बेकारी मिटेगी।

रेल्वे देख लीजिए आप। रेल्वे की चार ब्रोड गेज लाइनें मिली हैं। 960 करोड़ का खर्चा होगा। बहुत बड़े एम्प्लायमेंट का सोर्स होगा, शायद 1300-1400 किलोमीटर की लाईन है। बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आपके बैठते ही जो इन्डीकेशन्स आ रहे हैं, अच्छा मानसून होगा, कीमतें कम होंगी, पैदावार बढ़ेगी तो हमारे यहां जो गरीबी है इसकी रेखा से लोग ज्यादा ऊपर उठेंगे। एम्पलायमेंट के ज्यादा ऐवेन्यूज खुलेंगे और राजस्थान का भविष्य उज्जवल नजर आता है, यही कामना करके मैं चलता हूं।

सभापतिजी, यहां पर अभी इन्टर स्टेट का मसला चला। मैं नहीं चाहता था, यहां पर इस पर काफी एक्साइटेड डिस्कशन हो चुका है। 20-25-30 साल से कोई ऐसा बजट सेशन नहीं कि जिसमें इन्टर स्टेट का मसला नहीं उठाया गया हो। कई बार तो एक पूरा दिन दिया गया। बिजली का, पानी का। मैं माननीय माथुर साहब को ब्लेम नहीं देने वाला, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि जो सेन्टर के अन्दर लॉबी थी वह कांग्रेस के मुख्य मंत्री, कांग्रेस के एम.पी. कांग्रेस के आफिशियल्स की, वह लाबी नहीं क्रियेट कर पाये जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने वहां पर क्रियेट की। हमें नुकसान बहुत पहुंचा है। जैसा हमारे नेता कह रहे थे हैड वर्क्स का, आप सोचिये, कितना पानी हमारा गया पंजाब को? वह कण्ट्रोल अब भी हमारे पास है, हमें बहुत नुकसान हुआ है। आज जो .6 मिलियन एकड़ फीट पंजाब इस्तेमाल कर रहा है 1981 के एग्रीमेंट की वजह से, वह वापिस आने की हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। परमानेन्ट यूज के लिए उन्होंने अपने सारे चेनल्स कायम कर लिये। तीसरी बात, मैं 1984 की बात नहीं कह रहा, एग्रीमेंट नहीं होता, तो हमें हिस्सा मिल जाता जैसे पहले मिलता आ रहा था। चार, दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं मिला। मैं आपकी बात को मानता हूं एक बार बहस के तौर पर। मगर जो लोंगोवाल पैक्ट किया उसमें

(श्री केदारनाथ शर्मा)

9(1) क्लाज है मेरे ख्याल से, उसमें भी हमें आपने धकेल दिया। झगड़ा पंजाब और हरियाणा का, एडीशनल वाटर शेयर कितना है किसी का, जब पंजाब और हरियाणा बना था रिआर्गेनाइजेशन हुआ था 1966 में, तो सम्पत्ति का बंटवारा यह हुआ था–60 और 40 का। मैं याद रखता हूं उस एक्ट के बारे में। उसके कारण हरियाणा को पानी कम मिला, श्री पोइन्ट मिला। उसको साढ़े पांच, छह पोइन्ट मिलता रहा। झगड़ा उन्होंने रेज किया सेन्टर के आगे और हमारे स्टेट को इन्होंने धकेल दिया। इराडी कमीशन ने हमारी बात कही। अगर आप जैसा अब कह रहे थे कि हमें रीम के नीचे से पानी नहीं मिल पा रहा। अच्छा होता हम उसके हिस्सेदार नहीं बनते, इन्टेक्ट रह जाते और हमारी यह हालत नहीं होती। इन्टर स्टेट के बारे में मैं अलग-अलग बातें जब बजट सेशन होगा, तब कहूंगा। माननीय माथुर साहब ने भी काफी बातें कही और हमारे सदन के नेता इस बात में काफी एक्सपर्ट हैं, आपने जो साथ देने की बात कही है, हम कोशिश करेंगे कि जो लूप-होल्स रहे हैं हमारी ओर से, सरकार की ओर से, केन्द्र पर हम दबाव नहीं डाल पाये, परश्यूएड नहीं कर पाये, हमें जो हिस्सा नहीं मिल पाया बिजली और पानी में वह मिले ताकि राजस्थान की प्रगति में बहुत बड़ा काम हो सके।

यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में भाषण दिये गये। यह ठीक है, माननीय बैद जी बहुत अच्छा भाषण दिया और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य बहुत पुराने मैम्बर रहे हैं एवं स्पीकर भी रहे हैं, अकाल और पेयजल के बारे में बड़े अच्छे ढंग से बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने रखे क्योंकि वह हमेशा गहराई से अध्ययन करते हैं और उन्होंने वास्तविकता पेश की। हमारे सदन के नेता ने क्या किया, पेयजल के बारे में काफी यहां ह्यू एण्ड क्राई उठाई, यहां हाउस में काफी झगड़ा हो जाता मगर आपने इनीशियेटिव अपने हाथ में ले लिया। जो आप फायदा चाहते थे फायर पैदा करके, वह आपके फायर को स्टील कर लिया, चोरी कर लिया हमारे नेता ने। अपने आपको बेटी बना दिया, आपको हिस्सेदार बना दिया....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके तो माहिर हैं, गुरू हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : एक बहुत बड़ी चीज है। मैं भी मानता हूं, बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी का वक्त आ रहा है। कुओं में पानी सूखा हुआ है, कुएं गहरे हो गये हैं, बरसात अच्छी हो जाय, केनाल से पानी आ जायेगा तो हो सकता है इसका हल हो जाय। फिर भी आपने बहुत अच्छा किया–15-20 दिनों में जो भी इसमें कमी है वह पूरी करके राजस्थान को पीने का पानी मिल जाय, यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसकी भी हम तारीफ नहीं करें ? दूसरी बात अकाल के बारे में 850 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। पता नहीं पिछले आठ दस सालों में हो सकता है ढाई-तीन हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हों, आंकड़ों से मैं अपने आपको इन्क्लूड कर सकता हूं, मगर आप देखिये, अकाल का कोई हल नहीं निकला। इन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाने की बात कही–लोगों को मालूम पड़े कि पांच साल में हम क्या करने

(श्री केदारनाथ शर्मा)

वाले हैं ? ड्राई फार्मिंग के बारे में, इरिगेशन के बारे में, पशुधन के बारे में। अकाल को रिमूव करने के लिए जो अकाल के इविल इफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं ? हमारे साधनों से मैच करते हुए वह रास्ते ढूंढने के लिए इन्होंने एक पंचवर्षीय योजना बनाई। हमने कभी नहीं सुना था कि आर्थिक व्यवस्था पर कोई श्वेत-पत्र निकले। श्वेत-पत्र की बहुत बड़ी कीमत है। कौन से टैक्स और हम लगा सकते हैं, कौन से टैक्स हम ज्यादा वसूल कर सकते हैं, टैक्सेशन की मशीनरी में क्या कमियां हैं, क्योंकि कहीं मैदान के एरिया में हमारा अलग कल्चर है, पहाड़ी इलाके में हमारी इकोनोमी अलग है, रेगिस्तान की इकोनोमी अलग है और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी इकोनोमी दूसरे इलाकों से अलग है, भिन्न है। तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट इकोनोमी होने के नाते, उनको साइंटिफिक तरीके से आप हल कर पायेंगे इसके बारे में श्वेत-पत्र निकाला जाय, यह मामूली बात नहीं है। यह भी निवेदन कर दूं कि जनता ने 1978 में इंण्डस्ट्री पालिसी फ्रेम की, इतने साल हो गये उसमें कई लूप होल्स आ गये, अनेक कारखाने बंद हो गये, शिफ्ट बंद हो गयी, लेबर बेकार हो गयी, प्रोडक्शन नहीं, जो पैसा इनवेस्ट किया हमारी ओर से, सरकार की ओर से, बैंक की ओर से, उसका रिटर्न नहीं आ रहा है। उसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो इसके बारे में कोई हम एक्शन प्लान बनायेंगे, स्पेशल प्लान कह दीजिए। एक्शन प्लान बनायेंगे लघु उद्योगों के बारे में। यही नहीं कुछ फैसले और, इसको हमारे माथुर साहब कहें यह दिशाहीन है – राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, तो आपके 10 साल की कमजोरियों का अगर हम विश्लेषण नहीं करें तो नयी नीतियों का निर्माण कैसे हो सकता है ? हमारी समस्याओं का मालूम नहीं, क्यों बिगड़ी ? क्या खराबी पैदा हुई, क्या इम्पेक्ट पड़ा हमारी राजस्थान की इकोनोमी, सोशल और पालिटिकल लाइफ पर। हल तो तभी निकलेगा जब उसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण करने से नाराज न हों। विश्लेषण आपके सामने सही हुआ है और उस नाते नयी नीतियों को आपके सामने प्रतिपादन हुआ। नये डाइरेक्शन दिये हैं और मुझे मालूम है कि जब पूरा बजट सेशन होगा, हरेक डिमाण्ड पर हम बहस करेंगे, तो कोई कमी रही है हमारे इस अभिभाषण में तो उन कमियों को दूर करेंगे। चाहे हमारी ओर से, मंत्रिमण्डल के नाते यह ओपन टू रीजन है, ओपन टू करेक्शन है, मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी चीज है। आप यह मानकर चलिए सभापतिजी, कि जब लगातार एक पार्टी एब्सल्यूट पावर में चल पड़े वहां वेस्टेड इण्ट्रेस्ट पैदा हो जाते हैं। बोफोर्स के मामले में हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे क्या किया आपने। स्वीडन में हमने अकाउण्ट को सीज कर दिया है। बहुत मुश्किल काम था दूसरे कण्ट्री में जाकर सारी छानबीन करना, हमारी आई.बी.ओ. ने बहुत बड़ा काम किया वहां से मदद लेकर के, जिन पर हमें शक था उनके अकाउण्ट सीज किये।

पनडुब्बियों को लेकर तीन साल से चर्चा चलती रही पालियामेण्ट के बाहर और अन्दर। उसके बारे में एफ.आई.आर, केस

(श्री केदारनाथ शर्मा)

दर्ज हो गया है और जल्दी ही चालान होगा। जिन लोगों ने फायदा उठाया, कमीशन ली उनको आइडेंटीफाई किया है और भी आइडेंटीफाई हो जायेंगे। कोर्ट में जब केस चलेगा। हमारी ओर से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन के बारे में सीधा अटैक किया है, कहीं भी देख लीजिए। सबसे पहले आप शोर्ट करें, शार्ट में कहें तो पी. डब्ल्यू.डी. के मिनिस्टर ने एक चीफ इंजीनियर जो कि काफी मजबूत हैं उसको सस्पेण्ड कर दिया। यह मामूली बात नहीं है। यह शुरूआत हुई है जिनका गबन-घोटाले में हिस्सा है। उनको आइडेंटीफाई करके एक्शन लेंगे तो आइन्दा के लिए अफसरों को डिस्करेज करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए अन्त में यही शब्द कहना चाहता हूं कि आपने कहा हम संवेदनशील सरकार देंगे और स्वच्छ प्रशासन भी, यह बहुत बड़ा काम है। आम आदमियों का काम जल्दी हो। एक मामूली सड़क पास कराने के लिए जब मंत्री के पास जाना पड़ता है, कृषि उपज मण्डी का सैक्रेटरी पास करता है, एस.ई. पास करता है, डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, वह एप्रूव करता है फिर मंत्री के पास जाकर मोहर लगती है। वह पैसा किसानों से ले, किसान दे, किसान की खेती से आये, किसान के फायदे में सड़क आये, पुल बन जाने में इतना समय ले। एक मिसाल दी। इसके लिए दो साल लग जाये एक सड़क के टुकड़े के लिए यह तो आपको तय करना पड़ेगा आज सभापति जी, सैक्रेटरीज की संख्या 52 है, बहुत बड़ी फौज है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं लेकिन आप इस फौज की रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करें कितना काम है? कितना एक साल में काम निकलता है, क्या इतनी बड़ी फौज के लिए इतना बड़ा काम है। इसलिए आप इकानामी ड्राइव करके कोई रास्ता निकालें। जो बिना मतलब एक्सपेंडीचर हो रहा है। अन-प्रोडक्टिव खर्च को बंद करें। आइन्दा सही आदमी काम पर आयें। यह 10 सालों में सभापति महोदय, जहां ईमानदार अफसरों को ह्यूमिलेट किया गया, कुछ लोगों को तरक्की भी दी, मैं तारीफ करता हूं पर ह्यूमिलेट किया है। मुझे आप बतायें सभापति महोदय, आप ईमानदार आदमी को जो अपनी ड्यूटी पर पाबन्द हैं अगर आप उसको ह्यूमिलेट करोगे, उसको अच्छा मौका न दोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में सारी ईमानदारी समाप्त हो जायेगी। कहां से ईमानदार बनेगा जब जजेज में भी करप्शन देखने को मिलता है तो आम जजेज में यह भावना देखने को मिलती है कि जब उसका ही कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। इसलिये यह बीमारी लीप्स एण्ड बाउण्ड्स से बढ़ रही है इसको आप रोकेंगे, मैं यह विश्वास करके चलता हूं! आज देश में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दोनों विंग्स को साथ लेकर के टेलीविजन को स्वायत्तता देने का फैसला किया। 59 वें संविधान संशोधन को जो बहुत बड़ी चीज थी इमरजेंसी लागू करने की उसको वापस लिया। पोस्ट एक्ट बिल था, डाक बिल था उसको लागू न करने का फैसला किया। राइट टू इन्फार्मेशन एस्टेब्लिश किया, मजदूरों को कारखानों में पर्टिसिपेट करने के लिए राइट को एस्टेब्लिश करके अमेण्डमेण्ट मूव कर रहे हैं और देश के नौजवानों को राइट टू वर्क हो इसके बारे में काफी सोच चल रही है और मुझे विश्वास है कि

(श्री केदारनाथ शर्मा)

यह होगा। सबसे बड़ी बात क्या की है ? अपने आपको लोकपाल के दायरे शामिल कर लिया, मामूली बात है और बहुत बड़ी चीज है, इसके साथ-साथ हमारी आर. बी आई को स्वायत्तता दी, प्लानिंग कमीशन को स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया और इलेक्शन रिफार्म्स के बारे में कमेटी बना दी गयी है। यह मामले जितने भी मण्डल कमीशन की सिफारिशों के बारे में आप लगातार तीन-चार साल से एजीटेट करते आ रहे हैं उस के बारे में हमारी केबिनेट की सब केबिनेट बनाकर लागू कर रहे हैं और यह वायदा किया है कि जितनी भी जायज रिकमण्डेशन हैं उनको लागू करेंगे। यह बहुत बड़ी चीज है माइनोरिटीज के बारे में एक अलग कमेटी बना दी गयी है। यह हमारा दृष्टिकोण है, काम करने का तरीका है जो इनीशियेटिव लिये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। देश की बड़ी उलझी हुई समस्या है। उनके लिये किस तरीके से चल रहे हैं कनफ्रंटेशन नहीं, मुझे विश्वास है कि आज हमारी सरहदों पर जो झगड़े हैं, खतरे दिखाई देते हैं, हमारी फौज पर जो इतना खर्चा बढ़ाया गया है। जो उनका मोरल है वह देश की सभी पार्टीज का एक है, देश की अखण्डता को खतरा नहीं पहुंचेगा, न पहुंचने देंगे, देश के अन्दर कुछ ऐसी पालिटिकल पार्टीज हैं, कुछ एलीमेण्टस ऐसे हैं जो अलग होना चाहते हैं, अलग हिस्सा चाहते हैं। मुझे विश्वास है हम सारे लोग दृढ़ संकल्प के साथ, इस देश की चारदिवारी के अन्दर फैसला कर सकते हैं देश की कांस्टीट्यूशन की एमबिट के अन्दर पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट से बात कर सकते हैं, कश्मीर के एक्सट्रीमिस्ट से बात कर सकते हैं मगर देश के कांस्टीट्यूशन के बाहर हम कोई फैसला नहीं करेंगे यह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हुए कि आपने 10 हजार के कर्जे की बात, यह ठीक है। हम ने घोषणा की है।

घोषणा-पत्र मेरे पास है और हम ने घोषणा भी की है। मगर माननीय माथुर साहब पिछले 25–30 वर्षों में जब आजाद हुआ कितने केपीटलिस्ट को कर्जे माफ किये, कितने इण्डस्ट्रीज का लोन जो उन्होंने लिया आपने आइडल करके डैड लोन करके उनको वीड आउट किया। कितने बड़े-बड़े कारखाने खोल कर चले गये, सब्सिडी लेकर चले गये, इन्वेस्टमेण्ट कर प्रोडक्शन कर पाये या न कर पाये उनके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। माननीय ललित जी जब बजट पर आइन्दा बोलेंगे तो बतायेंगे कि कितने हजार करोड़ रुपये हमारे डूब गये। अगर हम ने पहली बार गरीब आदमी को कहा कि खजाने में तुम्हारा हक है। 10 साल तक कर्जा लेता रहा उससे अपना एम्प्लायमेण्ट क्रियेट नहीं कर सका, लाइवलिहुड को कार्व आउट नहीं कर सका, बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर पाया। आधा पैसा तो बैंक में चला गया, बांटने वाले के पास चला गया, 1/3 मिला वह आते-आते खर्च हो गया। उस के पैसे को माफ करने की बात की तो हम ने इन्सानियत की बात की। हमने उन करोड़ों लोगों की बात की जो गरीब हैं। जो पेंट अप फीलिंग्स थी हमारी आज उसको देखते हुए फैसला किया है। एक हजार करोड़ कोई ज्यादा नहीं, मैं मानता हूं इस बात को, मगर हमारे देश के नेता इसका फैसला करेंगे। मैं इस बात को मानता

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हूं कि आज देश के बजट में कमी है मगर डेफीसिट को लिमिट करने के तहत, 50 प्रतिशत खर्चा देहातों में खर्च करने, उद्योग धन्धों को शुरू करने, एम्प्लायमेंट गारण्टी स्कीम को लागू करने की बात है। यह कोई मामूली बात नहीं है।

देश की रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन इस वर्ष जो किया उन्होंने, मैं सोचता हूं डीजल और पैट्रोल, और मुझे बिश्वास है कि हमारे बाहर के जो दोनों विंग्स साथ दे रहे हैं और सेन्टर की हमारी लीडरशिप और हमारी स्टेट की लीडरशिप भी परशुएड करेगी। डीजल पर जो टैक्स लगाया वह माफ हो जाये ताकि बजट में सही तरीके से जो पैसा मिलेगा गरीब के हक में जाये। यह बात कहता हुआ, अब मैं अपने इलाके के बारे में, हमारी मन्जूरियों के जो झगड़े हैं हमारे फ्रेगमेण्ट के झगड़े हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री थे सेन्टर के, वे हमारे इलाके में एलान कर गये थे कि हमने खालों के पैसे माफ कर दिये। माननीय माथुर साहब ने कभी नहीं कहा हाउस में। हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सेन्टर से बात कर रहे हैं। मैं वह बातें याद दिलाता हूं। नेताजी उसमें शरीक थे हमेशा। खालों के पैसे माफ होंगे, मन्जूरी पर पाबन्दी हट जायेगी। बोर्डर का समुचित इन्तजाम होगा। और हालांकि जो बोर्डर पर है, लोगों में जो बहुत बड़ा मोरल है उसको बूस्ट करने का काम करेंगे। यह शब्द कह के जो प्रस्ताव पेश किये गये। हमारे नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के भाषण के पक्ष में, उनकी मैं सराहना करता हूं। मैं बड़े खुले दिल से अपनी ओर से अपने दल की ओर से ताईद करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति जी, मैं राज्यपाल महोदय के भाषण का स्वागत करते हुए जोधपुर शहर की जल समस्या पर कहना चाहती हूं। राज्यपाल महोदय के भाषण में यह कहा गया है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की समस्या वहीं की वहीं रही। जोधपुर शहर बहुत महत्वपूर्ण शहर होते हुए भी वहां पीने के पानी की इतनी भारी किल्लत है कि जोधपुर शहर की महिलायें और पुरुष पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस पूर्व सरकार ने, कांग्रेस (आई) सरकार ने, जोधपुर के साथ सौतेला बर्ताव किया और जोधपुर की हमेशा उपेक्षा की गयी। जोधपुर की जनता को पानी से भी वंचित रखा है। जोधपुर के जल स्रोतों को कभी प्राथमिकता नहीं दी। जो बाईजी का तालाब है उसके अन्दर नहर का कोई पता ही नहीं है और वहां सीवरेज लाइन अन्दर डाल दी है और कचरे से भर दिया है जो कि पूर्व महाराजा का बनाया हुआ है। आज पूर्व सरकार ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं जब कभी भी पूर्व सरकार मंत्री, या कोई भी आता, तो उनको ज्ञापन देने जाती और वे यही कहते थे कि हम इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। मगर इस सरकार की गलत नीतियों से उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। मैं इस वर्तमान सरकार से, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार से यही उम्मीद करती हूं और आशा भी करती हूं कि जोधपुर के साथ

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

पानी के मसले पर सबसे पहले ध्यान दिया जायेगा और विशेषकर जोधपुर में रेगुलर पानी की व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ ही जोधपुर की सड़कें इतनी खराब और इतनी बदतर पड़ी हैं कि लोगों को चलने-फिरने में भी असुविधा होती है और जोधपुर शहर में गन्दगी का तो साम्राज्य बना हुआ है। इसके साथ-साथ मैं कुछ और बातें कहना चाहती हूं। जोधपुर का मास्टर प्लान बना हुआ है लेकिन 1971 से 1989 तक करीब 19 वर्ष हो गये हैं, उस प्लान के अनुसार कोई भी कार्य सरकार ने नहीं करवाया। मैं भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार से यह उम्मीद करती हूं कि जो-जो मास्टर प्लान में काम लिये गये हैं उनको पूरा कराये और जोधपुर की जनता को राहत दिलायें। जोधपुर शहर में स्लॉटर हाउस चार दीवारी के बाहर बनाने की मास्टर प्लान में योजना है परन्तु पूर्व सरकार ने इस बारे में कभी भी ध्यान नहीं दिया। बार-बार कहने के बावजूद। मैं इस सरकार से यह विश्वास चाहती हूं कि स्लॉटर हाउस बाहर लगाने की व्यवस्था करें ताकि वहां पर रहने वालों को सुविधा हो सके। इसके साथ-साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूं। जहां कहीं भी बड़े शहरों में घर से बाहर निकलते हैं तो सिनेमा घरों के बाहर अश्लील पोस्टर लगे हुये होते हैं। उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगी कि इन पोस्टरों के बारे में जरूर ध्यान दें और महिलाओं के साथ में ऐसी, इस तरीके की बात होती है उसको रोके और जो पोस्टर लगाते हैं इसको भी रोका जाय। मैं जब कभी भी जाती हूं मुझे जोधपुर शहर में पानी के लिए बड़ा दुःख होता है। और मेरे को रोना भी आता है कि इस सरकार, और कांग्रेस सरकार ने जोधपुर के साथ किस तरीके से व्यवहार किया। मेरे को इस बात का बहुत-बहुत दुःख है हम जब सुबह चार बजे जाकर देखें महिलाओं के साथ कितना घोर अन्याय होता है कि वह सुबह घर का काम करती हैं फिर उन्हें पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है जहां पर एक-एक चुल्लू, लोटा भर-भर कर के पानी भरती हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है। पिछली सरकार ने कागजों में काम किये हैं मगर भैरोंसिंह जी की सरकार प्रत्यन करके आये ऐसी मेरी मान्यता है और मैं वर्तमान मंत्री महोदय से और वर्तमान सरकार से निवेदन करती हूं कि जोधपुर में रोज के रोज, पीने के पानी की व्यवस्था, जल्दी से जल्दी करायी जाय। राज्यपाल महोदय के भाषण का स्वागत करती हुई मेरा स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। गत चार महीनों के दौरान जनता ने लोकसभा और विधान सभा के चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग कर स्पष्ट जनादेश देकर पहले केन्द्र में और फिर प्रदेश में भ्रष्ट कांग्रेस(ई) कुशासन को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार बनाकर अपनी इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति की। गत वर्षों में जो प्रशासन में जड़ता आ गयी थी, सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, बेरोजगारी

(श्री कालीचरण सराफ)

निरन्तर बढ़ती जा रही थी, मंहगाई पर कोई अंकुश नहीं था, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रशासन की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। यह सत्ता परिवर्तन उसके खिलाफ जन-आक्रोश की अभिव्यक्ति है। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार है जो माननीय भैरोंसिंह जी साहब के सबल नेतृत्व में बनी है। निश्चित रूप से प्रदेश का तेजी से विकास करने एवं स्वच्छ प्रशासन देने में यह सरकार सफल होगी। प्रदेश की जनता ने जिन समस्याओं से निजात पाने के लिए नई सरकार को चुना है यदि यह सरकार भी जनता की जन-समस्याओं के निराकरण में असफल रही तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता इस सरकार को भी माफ नहीं करेगी। परन्तु महामहिम ने जो अभिभाषण में "राजनैतिक इच्छा शक्ति" शब्द का प्रयोग किया उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में न तो कोई योजना सफल हो सकती है, न प्रदेश का विकास हो सकता है और न ही जन-समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभिभाषण में कहा गया है कि मुख्य मंत्री के आचरण को भी लोकायुक्त कानून के अन्तर्गत लिया जायेगा। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को रोकने एवं प्रशासन में ईमानदारी का वातावरण बनाने की यह अच्छी शुरूआत है क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऊपर से शुरूआत करनी आवश्यक है। हो सकता है फिर भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हों और यह आशा करें कि नीचे के स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो यह सम्भव नहीं है। पिछली सरकार में माननीय राजीव गांधी जो देश के प्रधान मंत्री थे भ्रष्टाचार के सन्देह के घेरे में आ गये थे। मैं बताना नहीं चाहता कि किस प्रकार रक्षा सौदों में उन्होंने कमीशन खाया व किस प्रकार वह भ्रष्टाचार में लिप्त थे। यानि यह स्थिति आ गयी थी कि जो निचले स्तर के सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं वह बड़े बेशर्मी के साथ और खुले आम भ्रष्टाचार करते थे। जब उनको कोई रोकने की कोशिश करता तो वह बड़ी मासूमियत के साथ यह कहते कि केन्द्र में उच्चस्थ पदों पर बैठे लोग यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो हम किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त न हों। जब राजीव गांधी भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते थे तो लोग-बाग उनका उपहास उड़ाते थे। गंगोत्री से यदि पानी गन्दा आयेगा और फिर यह कहा जाये कि हरिद्वार में गंगा का पानी पवित्र किया जाये तो यह कहना गलत है। नई सरकार ने कहा है कि प्रदेश में....

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम लेकर आरोप लगाना गैर कानूनी है।

श्री कालीचरण सराफ : नई सरकार ने कहा है कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास किया जायेगा। यह प्रदेश के विकास के लिये बहुत आवश्यक है क्योंकि पिछली सरकार ने किस प्रकार लोकसभा के चुनावों के बाद हार से बौखलाकर जयपुर और कोटा जैसे शहरों को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक दिया। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानि जयपुर में तो यहां तक हुआ कि जो कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार थे, भवानीसिंह जी, वह आग को हवा देते

(श्री कालीचरण सराफ)

रहे और जहां-जहां लूट-पाट होती रही, आगजनी होती रही, उनके अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा वहां जाकर के....

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, नाथूरामजी मिर्धा का स्टेटमेंट इनको दिखाइये। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वहां साम्प्रदायिकता बी.जे.पी. ने फैलाई है....

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय को यह पता नहीं होगा कि मकराना में दंगा हुआ और उसमें दंगाइयों के खिलाफ....

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लोग कभी यह नहीं चाहते कि यह देश साम्प्रदायिकता से मुक्त हो क्योंकि आपकी फितरत ही ऐसी है, आपके जन्मजात संस्कार ही ऐसे हैं। आप जन्मजात साम्प्रदायिक हैं।

श्री सभापति : आपका नम्बर आये तब बोल लीजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा नम्बर नहीं, इनको रोकिये आप। सदन का समय बर्बाद न करें इस तरह से अनर्गल प्रलाप करके।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य बड़े उत्तेजित हो गये, इनको यह पता नहीं....

श्री राजेन्द्र पारीक : उत्तेजित होने की बात ही है। यह देश साम्प्रदायिकता से मुक्त होना चाहता है और आप इसको इसमें +++ चाहते हो इसलिए उत्तेजना की बात है। सारा सदन आपके मुंह की तरफ देख रहा है।

श्री कालीचरण सराफ : बिराजो। मकराना में दंगा हुआ, शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे। मैं माननीय सदस्य महोदय से पूछना चाहता हूं, जो उत्तेजित हो रहे हैं, उन दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे किसने दाबे? भैरोंसिह जी की सरकार नहीं थी, उस समय शिवचरणजी माथुर की सरकार थी। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहिये। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जाइये।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, सच्ची बात कड़वी लगती है। शिवचरणजी माथुर और हरिदेवजी जब मुख्य मंत्री थे तो पिछले पांच साल में कितने दंगे हुये? माननीय सदस्य महोदय से पूछना चाहता हूं जब ढाई साल भैरोंसिहजी मुख्य मंत्री थे, उस समय कितने दंगे हुये? एक दंगा नहीं हुआ और आपके शासनकाल में राजस्थान में कम से कम पचास दंगे हुये, तीन सौ निर्दोष लोगों की जान आपकी कांग्रेस की खूनी सरकार ने ली।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में नई सरकार द्वारा नगरपालिका और नगर परिषदों के चुनाव के बारे में भी वादा किया है। उसका भी मैं स्वागत करता हूं। परन्तु एक बात अभिभाषण में नहीं आयी। पांच लाख से ऊपर के जो शहर हैं उनके बारे में क्या

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

नगर निगम बनाकर के चुनाव करवाया जायेगा या नगर परिषदें रखी जायेंगी ? मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो इस बारे में निश्चित रूप से स्पष्ट करें। कई वर्षों से इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए और जयपुर में तो यह स्थिति रही है कि 1971 में इसके चुनाव हुए थे। अब 19 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। वार्डों का पुनर्सीमांकन आवश्यक है। आज जयपुर शहर की यह स्थिति है कि यहां कई वार्डों में तो दस हजार मतदाता हैं और कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या सवा लाख, डेढ़ लाख तक पहुंच गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जब चुनाव करवाये जायें तो कम से कम जो पांच लाख से ऊपर के शहर हैं वहां नगर निगम बनाकर के चुनाव करवाये जायें। वार्डों का पुनर्सीमांकन किया जाये और जनसंख्या के आधार पर बराबर के वार्ड बनें इस बात का ध्यान रखा जाये। यदि जयपुर शहर में आवश्यक हो तो वार्डों की संख्या भी बढ़ाना मेरे ख्याल से श्रेयस्कर होगा।

प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण किये हुये हैं। अभिभाषण में यह बात कही गयी है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किये जायेंगे। शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्व-रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने की बात भी कही गयी है परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले दस साल से राजस्थान में सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उसका परिणाम यह है कि आज बी. ए. और एम. ए. की डिग्रियां लेकर युवक रोजगार के लिए इधर से उधर मारा मारा फिरता है। यहां तक स्थिति है इस प्रदेश में डाक्टर्स और इन्जीनियर्स को भी रोजगार उपलब्ध नहीं है। वह भी रोजगार के दफ्तरों में चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो गये हैं। बेरोजगारी की समस्या का यदि समाधान प्रदेश में करना है तो इसके लिये आवश्यक है कि सरकारी नौकरियों पर लगी हुई रोक को हटाया जाये और जिन युवकों को रोजगार देने में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, मैं तो चालू ही नहीं हुआ उसके पहले ही आपने कह दिया। बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो बोला ही नहीं।

तो जिन बेरोजगार युवकों को रोजगार देने में सरकार समर्थ नहीं हो उनको हरियाणा सरकार की जैसे बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार में पिछले कई वर्षों से स्व-रोजगार योजना के नाम से एक योजना देश में चालू कर रखी है बेरोजगार युवकों ने सोचा था कि स्व-रोजगार योजना से कई लोगों को ऋण मिलेगा और इससे वह अपना रोजगार कर पायेंगे। परन्तु इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने स्व-रोजगार योजना का जिस तरह से भाई-भतीजावाद के आधार पर, राजनैतिक आधार पर अपने कार्यकर्ताओं का पोषण करने के आधार पर जिस प्रकार से इसका फायदा उठाया, इससे जो जरूरतमंद, वास्तव में जो रोजगारमंद युवक थे उनको फायदा नहीं मिला। मैं नई सरकार से यह अपेक्षा करूंगा कि स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों को ही रोजगार मिले। इस बात का ध्यान निश्चित रूप से यह सरकार रखेगी।

(श्री कालीचरण सराफ)

मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से विधायक बन कर आया हूं इसलिये जयपुर की कुछ 4–5 प्रमुख समस्याओं के बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर शहर की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के अन्त तक जयपुर शहर की जनसंख्या 40 लाख हो जायेगी। यदि इसी प्रकार से जनसंख्या का दबाव जयपुर शहर पर रहा तो चाहे हम कोई भी योजना विकास की जयपुर शहर के लिये बना लें धरी की धरी रह जायेगी। जनसंख्या का दबाव शहर पर कम हो, इस के लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार बम्बई के आस-पास के कस्बों को उप नगरों के रूप में विकसित किया गया उसी प्रकार जयपुर शहर के आस-पास के कस्बों–बस्सी, जमवारामगढ़, सांगानेर, आमेर को यदि उपनगर के रूप में विकसित किया जाय और उनको दूर-बस सेवा या लोकल ट्रेन से जोड़ दिया जाय तो निश्चित रूप से जयपुर शहर पर से जनसंख्या का दबाव घटेगा। जो शहरी सुविधायें होती हैं – हास्पिटल, कालेज, स्कूल, पार्क, रेस्टोरेण्ट, इन कस्बों में यदि लागू की जायं तो निश्चित रूप से जनसंख्या के दबाव को रोकने में हम सफल होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जयपुर शहर की एक जो प्रमुख समस्या है वह कृषि भूमि पर बने हुए मकानों की है। एक मोटे अनुमान के अनुसार जयपुर शहर में लगभग एक लाख मकान कृषि भूमि पर बने हुए हैं। पिछली सरकार ने कृषि भूमि रूपान्तरण के नाम पर 1981 में 28 करोड़ रुपया जयपुर की जनता से जमा तो कर लिया परन्तु आज तक उनकी जमीनों को रूपांतरित नहीं किया, नियमों की आड़ लेकर। केवल जो प्रभावशाली लोग थे, जैसे शिवचरण जी माथुर, इनके मकान श्याम नगर की जमीन किसी भी प्रकार से रूपान्तरित नहीं हो सकती थी परन्तु क्योंकि यह प्रभावशाली व्यक्ति थे, पूरी कालोनी का रूपान्तरण कर दिया गया और वहां सब मकान रेगूलराइज कर दिये गये। हरिदेवजी जोशी, उनका मकान हीरापुरा की जमीन रेगूलराइज नहीं हो सकती थी परन्तु क्योंकि वह प्रभावशाली थे, प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, सब नियमों को ताक में रख कर उनको रेगूलराइज कर दिया गया। परन्तु जन-साधारण जनता आज जे.डी.ए. इंस्पेक्टर्स के अत्याचारों का शिकार हो रही है। एक लाख लोग जयपुर शहर में इस प्रकार के हैं, जिन्होंने मकान बना लिये हैं परन्तु अभी तक उनके मकानों को रेगूलराइज नहीं किया गया है। प्रजातन्त्र में यह सम्भव भी नहीं है, कोई भी सरकार हो, कि इतने मकानों को तोड़ा जा सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार कृषि भूमि पर जो मकान बने हुए हैं उनको निश्चित रूप से रेगूलराइज किया जाना चाहिए। नियमों में इस प्रकार के संशोधन किये जाने चाहिए जिससे कि इनका नियमितीकरण हो सके।

जयपुर शहर की तीसरी प्रमुख समस्या कच्ची बस्तियों की समस्या है। आज चाहे 1971 के सर्वेधारी हों चाहे 1981 के सर्वेधारी हों, जयपुर विकास प्राधिकरण उनको समुचित रूप से बसाने में असफल रहा है। आज 1981 के कई सर्वेधारी इस

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रकार के हैं जिन बेचारों का 20 साल से सर्वे हो गया परन्तु आज भी बिना बिजली, बिना पानी, बिना सड़क और बिना सफाई की सुविधा के नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं नयी सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले ऐसे लोग जिनका 1971 में सर्वे हो गया, 1981 में सर्वे हो गया, उन को बिजली की सुविधा मुहैया करायी जाय, पानी की सुविधा मुहैया करायी जाय, सड़क बनायी जाय और उन बस्तियों को नियमित किया जाय।

गैर सर्वेधारियों की समस्या भी जयपुर शहर में एक विकराल रूप धारण किये हुए है। तत्कालीन मुख्य मंत्री जोशीजी ने घोषणा की थी कि 1985 की वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवा दिये जायेंगे। उस घोषणा का क्या हुआ, आज तक पता नहीं। उसके बाद जब चुनाव आये तो उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त, 1989 तक जितने भी मकान बने हैं, जितने भी लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं उनका सर्वे करवा दिया जायेगा। परन्तु उसका भी कुछ नहीं हुआ। मैं नयी सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आज जितने भी गैर सर्वे-धारी हैं, जिनका 1971 और 1981 में सर्वे नहीं हुआ है और जो कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं और 1990 की वोटर लिस्ट एक डाकूमेण्ट के रूप में हमारे बीच में आ गयी है तो 1990 की वोटर लिस्ट के आधार पर उनका निश्चित रूप से सर्वे होना चाहिए।

चौथी समस्या जो जयपुर शहर के नागरिकों को कचोटती है वह है सी.टी.एस. बसेज की। आज हिन्दुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं 10 लाख से ऊपर की आबादी का, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो या अहमदाबाद हो, जहां सिटी बसेज नहीं चलती हों। परन्तु जयपुर शहर में 1983 में सिटी बसेज इसलिए बंद कर दी गयीं कि इनमें घाटा होता है। अब घाटा तो आपके एस.एम.एस. हास्पिटल में जो चिकित्सा सुविधायें आप देते हो उसमें भी होता है, तो क्या हम आज चिकित्सा सुविधायें बन्द कर सकते हैं? आज घाटा तो नगर परिषद् में भी है, तो क्या हम सफाई व्यवस्था बन्द कर सकते हैं?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : दो ही मिनट ले रहा हूं, साहब। यह बीच में डिस्टर्बेंस किया इसका तो ध्यान रखो।

श्री सभापति : यह दो मिनट कब पूरे होंगे ?

श्री कालीचरण सराफ : दो मिनट बस। दो ही मिनट के बाद।

मेरा कहना यह है कि जयपुर शहर में सिटी बसें चलें, इस बारे में भी सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

अब एक अन्तिम समस्या जिसके बारे में बोलूंगा, और दो मिनट लूंगा, वह है जयपुर शहर की पेयजल समस्या। आज जयपुर शहर की 18 लाख की जनसंख्या मानी जाती है। एक व्यक्ति को 40 गैलन पानी प्रतिदिन चाहिए। परन्तु जलदाय विभाग केवल 340 लाख गैलन पानी की सप्लाई प्रतिदिन जयपुर शहर में कर रहा

(श्री कालीचरण सराफ)

है। इसका मतलब केवल 20 गैलन पानी एक व्यक्ति को मुहैया करवा रहा है। यह स्थिति तो तब है जब सर्दियां हैं। गर्मी में किस प्रकार की स्थिति होगी, इसके बारे में जलदाय विभाग के पास कोई योजना नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बीसलपुर योजना, जो चल रही है, उसके प्रथम चरण में जयपुर को जोड़ा नहीं गया है। अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, जहां पानी का गम्भीर संकट है, को प्रथम चरण में जोड़ा गया है, यह स्वागत योग्य है, परन्तु जयपुर शहर में जिस प्रकार की पेयजल समस्या है उसका निराकरण यदि नहीं हुआ, इस शताब्दी के अन्त तक जयपुर शहर की पापूलेशन 40 लाख हो जायेगी और इसके बारे में विचार नहीं किया गया तो यह पेयजल की समस्या गम्भीर रूप धारण कर लेगी। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि समय रहते बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में जयपुर शहर को शामिल किया जाय। जब तक यह योजना पूरी नहीं हो तब तक कम से कम एक हजार हैण्ड पम्प जयपुर शहर में और लगाये जायं, जिससे जयपुर शहर की पेयजल की समस्या पर कुछ कण्ट्रोल हो सके, हम पा सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अन्त में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए और इसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपने विचारों की अभिव्यक्ति सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण एक ऐतिहासिक अभिभाषण था। कांग्रेस (इ) के सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमने पहली बार ऐसा अभिभाषण पढ़ा और सुना। इस अभिभाषण में मुख्य बात थी कि इस शासन की नीति और नीयत के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया। आज तक या आज से पहले जो भी अभिभाषण थे उनके अन्दर मेरे ख्याल से राज की नीति के सम्बन्ध में, नीयत के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं हुआ था। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने, जो मुख्य मंत्री हैं, इन गलत कांग्रेसी परम्पराओं को तोड़ते हुए मुख्य मंत्री के पद को लोकायुक्त की जांच सीमा में सम्मिलित किया। यह उनका एक साहसिक और ईमानदारी का कदम है और हिन्दुस्तान की जनता के सामने एक मिसाल है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हिन्दुस्तान के संविधान का आजादी के बाद इस कांग्रेसी हुकूमत ने तोड़-मरोड़ कर जो उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, चाहे वह प्रधान मंत्री हो चाहे मुख्य मंत्री हो, न्यायालय के दायरे में जाने से पहले अलग आदेश लेने की जो व्यवस्था की है वह इस देश के अन्दर भ्रष्टाचार की शुरूआत करने का एक कदम था। इस कारण इस देश के अन्दर भ्रष्टाचार शुरू हुआ, जिसको आप हर स्तर पर महसूस कर सकते हैं। चाहे वह राजकीय भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो, चाहे थानों में जायं या रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट में जायं, चाहे बिजली विभाग में जायं, इस देश की गरीब जनता का शोषण होता है। जिसके

(श्री सांवरलाल)

पास पैसा नहीं है उसका काम नहीं होता। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि जब अकाल का वक्त था तो परिचय पत्र की व्यवस्था इस कांग्रेसी हुकूमत ने शुरू की थी। उसके अन्दर पटवारी पैसा लेता था। इस मामले में मैंने एक पटवारी को सस्पेंण्ड करवाया है कि वह पैसे लेता है केवल परिचय पत्र देने के लिए। नहरें बनती हैं साफ हो जाती हैं, टार्गेट बनते हैं पूरे नहीं होते। इसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार में पैसा जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और पैसा कम पड़ जाता है। इसी कारण यह हालत हो रही है। लोग कहते हैं, हम गरीबों के हैं, गांवों के हैं। सन् 1977 से पहले, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार का कोई भी बजट बता दीजिए जिसके अन्दर गांवों के विकास के लिये 40 पर्सेण्ट से ज्यादा पैसा सरकारी खजाने से खर्च किया गया हो। वह पहला शासन था जिसने गांवों और किसानों के प्रति सोच रखा था। चौधरी चरण सिंह का बजट है जिसके नाम पर आज यह बजट बनते हैं। चौधरी साहब का कहना था कि हिन्दुस्तान की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर निकलता है। खेत को पानी चाहिए और खलिहान को भाव चाहिए। इस कांग्रेसी व्यवस्था ने न खेत को पानी दिया न खलिहान को भाव दिया। मण्डी में आज लूट होती है। शहरों के अन्दर पानी की व्यवस्था की बातें होती हैं और गांवों के लिये सोचा जाता है, मेहरबानी पूर्वक विचार किया जाता है। ऐसा क्यों? जहां हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जतना रहती है, जो सदन को सब से ज्यादा बहुमत देकर भेजती है उसके लिये अगर हम यह सोचें कि हम मेहरबानी कर रहे हैं, यह कोई मेहरबानी नहीं है। यह उनकी ताकत है, जिसका जनक है चौधरी चरण सिंह, जिसने किसान शक्ति को जागृत किया, जिससे यह किसान मजबूत होता है। इसी से यह शासन मजबूर होता है किसानों की बात को सुनने के लिये, किसान की सुनने के लिये। आज किसान एक शक्ति बन कर उभरा है, इसलिये उनके हकों की बात की जाती है। इसका इतिहास है और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सन् 1977 के अन्दर एक बात और हुई थी, जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ था हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी जो नौकरी होती है सिविल सर्विसेज उसके लिये उम्र पहले 24 वर्ष हुआ करती थी, गांव के लोग नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि पढ़ाई शुरू करने से पहले उम्र लिख दी जाती थी, पता नहीं होता था अनपढ़ मां-बाप को कि बच्चा 24 साल तक क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। जनता पार्टी थी जिसने उस उम्र को 28 साल किया था और बाद में 1980 में मिसेज गांधी वापस प्रधान मंत्री बनीं तो उस उम्र को 26 साल किया था। यह नाइन्साफी थी उस सरकार की, यह उस सरकार की गांवों की उपेक्षा का द्योतक है, परिचायक है।

मिसेज गांधी ने भी एक बार उल्लेख किया था कि सरकारी सेवा में भर्ती की पद्धति में सुधार होना चाहिए। उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, परन्तु मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि मिसेज गांधी यह नहीं कर पायीं। 15 नवम्बर,

(श्री सांवरलाल)

1976 को लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के सम्मेलन में उन्होंने यह कहा था कि हमारी भर्ती पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो अधिकाधिक रूप से ग्रामीणोन्मुख हो, वह इसलिये नहीं कि इसके पीछे कोई आदर्शवाद है, बल्कि वह इस कठोर सत्य पर आधारित है कि हमारे अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और भविष्य में रहते रहेंगे। परन्तु मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि इस बात को वह लागू नहीं करवा सकीं। इसका कारण है कि उस समय शासन के अन्दर, सत्ता के अन्दर ऐसे लोग हावी थे जो गांवों की उपेक्षा करना चाहते थे और केवल अपने सीमित हितों के लिये, चाहे गांवों का कल्याण हो नहीं हो उसके बारे में कुछ विचार नहीं करते।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आर्थिक विकास के बारे में जो श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है यह दूसरी उनकी ईमानदारी का आदर्श है। पर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आर्थिक विकास के श्वेत पत्र में पूर्व सरकार के जो आर्थिक कार्यक्रम थे उसके बारे में भी विवेचना होनी चाहिये जिससे यह जानकारी हो सके उन्होंने सार्वजनिक धन का उपयोग कैसे कैसे और कहां-कहां पर और किस तरह से किया है?

अकाल, राजस्थान की मुख्य समस्या है। अकाल की हर साल बराबर बातें की जाती हैं। हर साल लगभग कोई न कोई हिस्से में अकाल पड़ता है, हर हिस्सा अकाल से प्रभावित रहता है परन्तु इस पूर्व हुकूमत ने कभी भी यह सोचने का प्रयास नहीं किया कि इसका कोई स्थायी समाधान किया जाय। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अकाल राहत के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना शुरू करने का जो प्रयास किया है, जो आह्वान किया है मैं समझता हूं कि अकाल के स्थायी समाधान के लिये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अकाल के समय में स्थायी समाधान नहीं होने से किसान और गरीब को गांव के गांव खाली करने पड़ते हैं, मवेशी मर जाते हैं। राजस्थान के पशुधन की हालत क्या है? इसके सम्बन्ध में मैं डेयरी की मिसाल देना चाहता हूं। राजस्थान डेयरी फैडरेशन के अन्दर 9 लाख लीटर दूध संग्रह करने की कैपेसिटी है, आज की तारीख में 4.01 लाख लीटर पर-डे चीलिंग कैपेसिटी है और मेरे ख्याल से इसमें 1985–86 में 5.50 लाख लीटर पर डे दूध आता था, 1987–88 में यह दूध 2.24 लाख लीटर पर डे एवरेज केलकुलेशन था। इसका कारण क्या है? क्यों कि इस समय में हमने पशुधन की उपेक्षा की है, हमने चारा डिपो खोले हैं और जिस तरह से उन्होंने चारा डिपो की सब्सिडी के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला किया है और उसके बावजूद अजमेर डेयरी सोसायटीज ने गांवों के अन्दर जिन्होंने चारा खरीदा और सब्सिडीज आज तक बकाया है। सैक्रेटरी उन लोगों के गहने बेच कर खाते बराबर कर रहे हैं और आज भी अजमेर कलक्टर के सामने यह मामला पैण्डिग पड़ा हुआ है।

तो मेरा निवेदन यह है कि मांडलगढ़ से आने वाले सम्माननीय सदस्य, श्री माथुर साहब ने ऐवरेज रीयल इन्कम की बात कही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर रीयल इन्कम है,

(श्री सांवरलाल)

1971 के बेसिस पर, ईवरी ईयर, 1982-83 में डिक्रीज हुई, 1983-84 में डिक्रीज हुई, 1984-85 में डिक्रीज हुई, ऐवरेज डिक्रीज ट्रेण्ड है और रीयल इन्कम जो हमेशा इसकी घटती हुई है इसका कारण क्या है ? जो रिसोर्सेज बढ़े हैं, जो आमदनी बढ़ी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांवों के अन्दर 14 रुपये हम मजदूरी नहीं दे सकते हैं। आनासागर के अन्दर जब पानी नहीं था, पानी की कमी थी तब देवीलाल जी वहां पर पधारे थे और यह निवेदन किया था कि अगर राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है तो हरियाणा सरकार की तरफ से मैं मदद कर सकता हूं। मेरा तो यह मानना है कि अगर नहीं किसी के पास है तो मदद लेने में कोई ऐतराज नहीं। परन्तु देवीलाल जी ने यह कहा था कि 14 रुपये मजदूरी दी जाय....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : राजस्थान को भिक्षा नहीं चाहिये।

श्री सांवरलाल : नहीं चाहिये तो आप व्यवस्था करते।

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां व्यवस्था है गरीबों के लिये। यह भिक्षावृत्ति आपको चाहिये, राजस्थान को कोई भिक्षा नहीं चाहिये। आप अपने शब्द वापस लीजिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सांवरलाल : हमारा राज्य गरीबों का है, गरीबों के लिये व्यवस्था की जायेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : किसी गरीब को नहीं चाहिये, पूरे सदन से कहलवा दीजिये कि भीख चाहिये इनको हरियाणा से। वरना पूरे सदन के इस अपमान के लिये इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

(4.25 म.प.)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय सदस्य अगर भीख की मांग नहीं करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि यह यहां से बाहर मजदूरी के लिये जाते हैं उनको वापस बुला लेते। क्या यह भीख नहीं है ?

श्री सांवरलाल : आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि 14 रुपये मजदूरी देनी पड़ेगी, कहने का मतलब यह है। राजस्थान के हर गरीब को और किसान विरोधी यह हुकूमत थी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर राजस्थान का हृदय है। हृदय जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक राजस्थान का विकास नहीं होगा। अजमेर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर है। ख्वाजा नगरी है, महान् पुष्कर राज तीर्थ है। देश-विदेश के लाखों लोग हर वर्ष वहां पर आते हैं पर इस कांग्रेसी हुकूमत ने अजमेर की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। बाहर से आने वाले यह सोचते हैं कि पीने को पानी मिलेगा पर वहां पर पीने के लिये पानी नहीं मिलता है, आने के लिये ब्राडगेज नहीं है। बाहर से आने वाले क्या इम्प्रेशन लेकर जाते हैं ? विकास के नाम पर आज तक

(श्री सांवरलाल)

एक उद्योग नहीं खुला है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के विकास के लिये कुछ किया जाय। अगर अजमेर का विकास होगा तो राजस्थान का हृदय ठीक हो जायेगा, सम्पूर्ण राजस्थान का विकास होगा। अजमेर में पीने के पानी की, सिचाई के पानी की व्यवस्था की जाय चाहे शासन को पाताल तोड़ कुवे खुदवाने के लिये काम करना पड़े या चाहे चम्बल से लिफ्ट करके पानी मंगवाना पड़े सिचाई के लिये पानी किसानों को दें, जो भी वाजिब होगा पैसा किसान देंगे परन्तु यह व्यवस्था किसानों के लिये शासन को करनी होगी। किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह ट्यूबवैल खुदवा सकें। अजमेर जिले की उपेक्षा का मैं आपको दूसरा नमूना देना चाहता हूं रेवाड़ी के पास में जाते हैं तो उद्योग-धन्धों की लाइन लगी हुयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि हमारे विचार भारत सरकार को पहुंचा कर अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करवाया जाय। जिससे मैं यह महसूस करूंगा कि अजमेर का विकास होगा। अजमेर का विकास होगा तो राजस्थान का विकास होगा। क्योंकि यह राजस्थान का हृदय है।

आज शिक्षा की स्थिति क्या है? नयी शिक्षा नीति के नाम पर लाखों हमारे नौजवान, जो देहाती हैं उनके साथ बहुत बेइन्साफी 10+1 को +2 में करके की गयी है। इसको क्यों तब्दील किया गया? आज लाखों नौजवानों का एक साल इन्होंने बेकार कर दिया। उसके बाद विश्वविद्यालय खुले। विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, उसके अन्दर क्या-क्या एक्टीविटीज होती हैं। जिसका इनको पता नहीं। जिसकी सजा अजमेर विश्वविद्यालय भुगत रहा है। आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो पैसा उनको देना चाहिये था वह नहीं दिया गया है। क्योंकि इनको पता नहीं है कि विश्वविद्यालय में क्या फार्मेल्टीज होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी विश्वविद्यालय खोले गये हैं उनके अन्दर जो-जो आवश्यकतायें हैं उनकी तुरन्त पूर्ति करवायी जाय जिससे वह विश्वविद्यालय का स्वरूप ले सकें। आज जो गांवों के बच्चे हैं इन बच्चों के लिये स्कूल खोलते हैं, बड़े-बड़े आंकड़े 753 पता नहीं कितने बताये इन्होंने एक साल में इतने स्कूल खोल दिये। मैं वहां पर दौरे पर गया था वहां जो सैकण्डरी स्कूल प्रमोट हुआ है वहां हैडमास्टर आना ही नहीं चाहता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो लोग वहां पर सेवा करें उनके लिये शासन की ओर से, प्रोत्साहित करने के लिये कुछ व्यवस्था की जाय जिससे लोग शहरों की अपेक्षा गांवों में सेवा करने के लिये जायं। आज चिकित्सक को वह गांवों में नहीं जाना चाहते, आप किसी को भी ले लीजिये जो सरकारी सेवक हैं वह सब शहरों के अन्दर ही रहना चाहते हैं। शहरीकरण बढ़ा है। इसका कारण क्या है? शहरों में हर सुविधा शासन उपलब्ध करवाता है। चाहे पानी की हो, लाइट की हो, 24 घण्टे में लाइट झपकी नहीं लेती तो कौन आदमी ऐसा होगा जो गांवों में

(श्री सांवरलाल)

सेवा करना चाहेगा। मेरा निवेदन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गांवों के अन्दर व्यवस्था करायी जाय।

कृषि की स्थिति बताना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, सुझाव है आज कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारा। जिस साल हमारी कृषि पिछड़ जाती है, हिन्दुस्तान का खाद्य प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता है, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इस हुकूमत ने आज तक यह नहीं सोचा कि खाद-बीज के कानून बनाये जायं। अगर कोई खाद और बीज घटिया स्तर का देता है, दवाइयां घटिया स्तर की देता है तो उस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद और बीज तथा दवाइयां किसानों के काम में आने वाली खेती के काम में आने वाले दवाइयों के लिये कानून बनाया जाय और उस कानून की सख्ती से पालना की जाय। अगर कोई मिलावट करता है, घटिया स्तर का बीज देता है, खाद देता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। अन्यथा जो हमारी आने वाली फसल है, जिसको बड़ी आशा से किसान देखता है, भारत सरकार देखती है, अनुमान लगाती है वह अनुमान धरा का धरा रह जायेगा और जो कुछ बिचौलिये मिलावट करते हैं, घटिया स्तर का सामान बेचकर पैसा कमाते हैं, उनके बच्चे तो आनन्द करेंगे और भारत सरकार और किसान की हालत गड़बड़ा जायेगी।

बीसलपुर योजना, अजमेर को पानी देने के लिए शुरू की थी। सातवीं योजना के अन्त तक उसको पूरा करने का टारगेट था, परन्तु आज तक यह पूरी नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इसको तुरन्त पूरी करने का प्रयास होना चाहिए।

माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो इस अभिभाषण में दिशा और नीयत स्पष्ट की गई, मैं सोचता हूं, यह राजस्थान सरकार की एक ऐतिहासिक मिसाल है और इस मिसाल पर चलते हुए हम किसानों, गरीबों, गांवों और ग्राम नागरिक जो राजस्थान के हैं, उनकी जो उचित समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सफल होंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और महामहिम राज्यपाल का आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मैं खड़ा हुआ हूं आपको यह शंका न हो कि बैठा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यदुनाथसिंहजी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए यह निवेदन करता हूं कि अभी जब हमारे बीच में माथुर साहब बोल रहे थे और माथुर साहब ने जिस तरीके से अपनी बात को प्रारम्भ किया और उन्होंने कहा कि जो नये सदस्य आये हैं उन नये सदस्यों को सदन की गरिमाओं के बारे में सीखना चाहिए उन सदस्यों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जब उन्होंने हमारी तरफ संकेत किया और जो यहां पर वरिष्ठ लोग इधर या उधर बैठे हुये हैं उनसे मेरा यह आग्रह है कि हमारा मार्ग-दर्शन करें। लेकिन मैं उन्हीं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ना पक्ष की ओर से, जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है उसमें व्यवधान पैदा किया जाता है। जिन लोगों को साम्प्रदायिकता की परिभाषा नहीं आती वह साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं बहुत नम्र शब्दों में, जब माथुर साहब ने कहा कि एक हिन्दू लहर थी। हिन्दू लहर में अगर उत्तर में परिवर्तन हो गया तो पश्चिम में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ ? वह आज इस समय यहां नहीं बिराजे हुये है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह इण्डिया टूडे का विश्लेषण उठाकर देख लें, जिसमें विद्वानों ने विश्लेषण करके लिखा है कि हिन्दू लहर नहीं, यह जो कुशासन था 40 वर्ष का, उस कुशासन के प्रति जनता की जन-भावनाएं थीं, शासन के प्रति जन-भावनाएं थीं।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में राजस्थान की सरकार ने ऐसी कौनसी दिशा है जिसमें अपनी बात नहीं कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो यह कह कर के छोड़ दिया गया कि हम 1951 में जिस जगह साक्षरता के आधार पर थे वहीं पर हम रह गये। उसमें लिखा जाना चाहिए था कि प्राथमिक शिक्षा का और उसके बाद में उच्च प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों में देकर के किस तरीके से शिक्षा का सत्यानाश किया गया है, किस तरीके से शिक्षा का अवमूल्यन किया गया है कल यहां पर बी. डी. कल्ला साहब ने कहा कि हम लोगों ने इतने विद्यालय खोले, मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि 6-6 महीने से उन अध्यापकों को आज तक तनख्वाह नहीं मिली है। आज तक वो तनख्वाह के लिये तड़प रहे हैं। उनके शासनकाल में जब वह शिक्षा मंत्री थे डाउटफूली जो सामान खरीदा गया, जब दामोदर दास जी आचार्य आये तो हमारे साथी गये और उनको बताया कि यह उसकी खरीद में हुआ है, यह ब्लैकबोर्ड आपरेशन की खरीद में हुआ है। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जो बच्चों के लिये लिखी गईं, अखबारी कागज पर छापी गईं। विदेशों से जो कागज उनको दान में मिला था, उसको ब्लैक में बेच दिया गया। इसकी जानकारी उनको नहीं है लेकिन यह जानकारी उनको है कि हमने स्कूल खोले। स्कूल तो खोले। श्रीमती गांधी जब प्रधान मंत्री थी तब एक दिन हमने अखबारों में पढ़ा कि थर्ड क्लास के डिब्बे खत्म हो गये। थर्ड क्लास के डिब्बे से उस लकीर को पोंछ देने से थर्ड क्लास के डिब्बे समाप्त नहीं हो गये। इसी तरीके से इन्होंने उन माध्यमिक विद्यालयों का सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम रख दिया। उससे वह सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हो गये, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उनका प्रशिक्षण होना चाहिए था। उसमें सामान होना चाहिए था, उसमें लेबोरेट्रीज होनी चाहिए थी, उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए थी। लाइब्रेरी के नाम पर जो किताबें खरीदी गयीं, महंगी-महंगी किताबें

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

खरीदी गयीं जिनमें कमीशन मिलता था लेकिन उन लड़कों के नाम पर, उन अध्यापकों के नाम पर जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता था वह किताबें नहीं खरीदी गई।

मान्यवर, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने जो माथुर साहब की स्पीच सुनी तो मेरे मन में यह बात पैदा हुई कि वह बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी और सलाह वह तब दे सकते हैं जब वह मुख्यमंत्री नहीं रहते और आज उन्होंने भैरोंसिह जी को भी बहुत अच्छी सलाह दी। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान आपका और हमारा सब का हैं। हमें इसका विकास करना है हम कहीं भी रहें लेकिन राजस्थान को हम कभी नहीं भूलें, लेकिन जब वह मुख्य मंत्री रहते हैं तो वह राजस्थान को भूल जाते हैं। तब वह बहुत अच्छी सलाह तो नहीं देते, यह प्रश्न आज मेरे मन में पैदा हुआ है। मैं कभी उनसे बात करूंगा तब उनसे पूछूंगा क्योंकि हरिदेव जोशी को उन्होंने कहा कि मैं मुख्य मंत्री होता, हम हड़ताल कर रहे थे उस समय तो कर्मचारियों की यह सारी मांगें मैं स्वीकार कर लेता। आज वह मुख्य मंत्री नहीं हैं तो भैरोंसिह जी को कह रहे हैं कि पानी की दिशाएं यों हो जायेगी और इस तरह से करेंगे तो यह मांग पूरी हो जायेगी। भैरोंसिहजी बराबर कहते रहे कि आप मांगते रहे लेकिन आपको किसी ने कुछ दिया नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सलाह दे रहे है बहुत अच्छी बात है, सलाह देनी चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह जब मुख्यमंत्री थे और उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं उसमें उनके शासनकाल में कर्मचारियों के बीच में एक संवादहीनता पैदा हो गयी और उस संवादहीनता का कारण राज्य के कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ा। आज इस डाक्यूमेंट में कहा गया है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम ईमानदारी का प्रशासन देंगे। इसमें कहा गया है कि हमें जनता की भावनाओं के अनुसार, आज उनको अपने काम के लिए एक-एक दरवाजे पर जो भटकना पड़ता है, उनको अपने काम के लिए लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं, अपने काम के लिए रिश्वतें देनी पड़ती हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं कि प्रशासन स्वच्छ हो लेकिन जब बड़े भ्रष्ट होते हैं, ऊपर वाले बेइमान होते हैं तो नीचे वालों के लिए यह अपेक्षा की जाय कि वह ईमानदार होंगे यह कभी सम्भव नहीं होता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक शासन में बैठे हुए लोग और नीचे काम करने वाले लोगों के बीच में सन्तुलन ना हों, उनके मन में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन रहता है। उन विगत वर्षों में जब आप शासन में बैठे हुये थे तब आपने उनके बीच में दरारें डाली। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसी आदमी को तो आपने बताया कि समता समिति के यह मैम्बर होंगे और जब इसमें विसंगतियां रह गई वेतनमानों के अन्दर, उन्हीं लोगों को पुनः नियुक्त कर दिया। जिसमें पहली गलती की है, अपनी गलती को कैसे स्वीकार करता। उस गलती को तो वही स्वीकार कर सकता है जो नया आदमी आता है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, भैरोंसिह जी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के बीच में

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

भी सौहार्द्र होना चाहिए, उनकी ईमानदारी पर शंका तभी की जा सकती है, जब ऊपर भ्रष्ट लोग बैठे हुए होंगे, जब ऊपर का आदमी रिश्वत खाता है, तब नीचे का आदमी रिश्वत मांगता है। आज जिस तरह की आलोचना सदन के अन्दर की गई, मुझे लगता है कि वह आलोचना आज मुखर होकर बोल रही है, जो अपने आप में जब सत्य बोलता है तो सर पर चढ़ कर बोलता है और वही सत्य आज दिखाई पड़ रहा है। मैं चाहता हूं नये शासन से कि वह संवादहीनता इस राज्य में पैदा ना करें, वह संवादहीनता अगर पैदा नहीं हुई तो राज्य का शासन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। मैं बधाई भी देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ प्रशासन चलायेंगे, निर्माण मंत्री महोदय ने जिस तरह का एक्शन लिया, विद्युत मंत्री महोदय ने जिस तरीके से सदन में जानकारी दी कि हम किसानों को बिजली देंगे, और इतने घंटे नहीं, हम इतने घंटे देंगे, इससे सरकार की संकल्प शक्ति व्यक्त होती है कि वह राजस्थान में अच्छा प्रशासन चाहती है और कुशलता चाहती है।

इसी डाक्यूमेंट के अन्दर यह कहा गया है कि पुलिस की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी हम सुधार करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि पुलिस की व्यवस्था के संबंध में, क्योंकि 1947 से पहले की जो पुलिस थी, उसका जिस तरह से इस देश में व्यवहार था उस व्यवहार में और आज के व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आया है। आज उनका व्यवहार और भी बदतर होता चला गया है। माननीय सभापति महोदय, उसका कारण तो मुझे केवल एक नजर आता है कि राजनीति में जो अपराधीकरण हो गया है, जो अपराधियों को संरक्षण देने की बात पैदा हो गई है उसकी वजह से पुलिस भी अपने हाथ बांध करके खड़ी हो गई है। डा. ज्ञानप्रकाश पिलानिया, जिन्होंने कहा, थाने अब मन्दिर होंगे, वह भी विफल हो गये, क्यों हो गये ? उसका कारण ढूंढा जाना चाहिये और मैं जब उस कारण में जाता हूं तो मुझे लगता है कि हमारा चालीस साल का जो यह परिवर्तन था, जो शासन था उसमें जिस तरह का अपराधीकरण बढ़ा है, और अपराधियों को जिस तरह से हमने संरक्षण देना प्रारम्भ किया है, उसी तरीके से पुलिस विवश होती चली गई। पुलिस का अगर बड़े से बड़ा अफसर ईमानदार होगा तो नीचे का अफसर भी ईमानदार होगा, पुलिस में जिस तरीके का भ्रष्टाचार आज दिखाई पड़ता है, जिसको सब लोग बोलते हैं, वह केवल इस कारण से है कि उस पुलिस के कांस्टेबल की, उस थानेदार की, उसके परिवार की समस्याओं की तरफ शासन ने ध्यान नहीं दिया। यदि हम चाहते हैं कि वह पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, सेवा की भावना रखे तो उन लोगों के प्रति हमको उदारता बरतनी होगी, उनकी भी मजबूरियों को समझना होगा। हम लोग केवल आई.पी.एस. और आर.पी.एस. जो अधिकारी हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते रहे और उस गरीब को भूल गये जिससे हम ईमानदारी का बर्ताव चाहते हैं तो कभी सम्भव नहीं होगा।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज डूंगरपुर की बात कही गई कि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

वहां पर शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है। मैं उस समय एक सूचना देना चाहता था, सभापति महोदय, यह केवल इसलिये हुआ कि जिस तरह से जिला परिषदों में अपाइंटमेंट किये जाने लगे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग की तो एक पद्धति थी और वहां पर तो मैरिट के आधार पर अपाईंटमेण्ट्स होते हैं, उसमें किसी बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं थी लेकिन जिला परिषदों में जिस तरीके से जिन लोगों ने अपाईंटमेण्ट्स देने के लिये जिस तरीके से इन्टरव्यू किये, मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय विधायक डूंगरपुर से आये हैं वह वहां जायें और जिला परिषद में बैठे हुए लोग और प्रशासन में बैठे हुए लोगों से जानकारी लें कि 15–15, 20–20 हजार रुपये रिश्वत देने के बाद उनको अध्यापकशिप मिली है और मैं सोचता हूं उस सरकार के लिये कलंक की बात है जिस सरकार ने इस तरह के नियमों का प्रावधान किया। मैं चाहता हूं, मान्यवर, कि इन सब की जांच कराई जानी चाहिये और जिन भ्रष्ट लोगों के द्वारा इस तरह के अपाईंटमेण्ट्स हुए हैं टीचर्स तो लगने चाहिये, शिक्षा विभाग के जिस तरह से स्कूलें खाली हैं, आज शहरों में तो शिक्षक हैं, लेकिन गांवों में नहीं हैं। हम गांवों को सुधारने की बात करते हैं, हम यहां पर बैठकर गांवों की बात तो करते हैं लेकिन गांवों के हितों की चिन्ता नहीं करते। माननीय सदस्यगण, मैं सभापति महोदय के द्वारा, आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम गांवों की तरफ मुखातिब होना चाहते हैं यदि ग्राम की उन्नति करते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा यह दो ऐसे माध्यम हैं जिनकी वजह से हम गांवों के लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सदन का ध्यान अगर शिक्षा और चिकित्सा की तरफ जाता है, उसी तरह से सिंचाई भी आवश्यक है, कृषि भी आवश्यक है, कृषि के उत्पादन की भी आवश्यकता है लेकिन शिक्षा और यह भी आवश्यक है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस डाक्यूमेण्ट के अन्दर कहा गया है, मान्यवर, कि जनजातियों और पिछड़ी जातियों के सन्दर्भ में जो शिक्षा मंत्री पूर्व के थे, उन्होंने कहा था हमने महिलाओं की शिक्षा को निशुल्क कर दिया। एक आदेश निकालने से निशुल्क नहीं हो गई। उन विद्यालयों में जिनमें लड़कियां पढ़ रही हैं; उन विद्यालयों को तो फीस नहीं मिली। वह अपना काम कैसे चलायेंगे? उनकी परीक्षायें कैसे लेंगे? शिक्षा विभाग को चाहिये था कि जो फीस माफ की गई थी वह फीस उन विद्यालयों को लौटाता, तब तो हम मानते कि आपने माफ कर दी लेकिन कैसे माफ कर दी, एक आदेश निकालने से माफ हो गई? पिछड़ी जाति और जनजाति के बच्चों की भी फीस तो माफ कर दी लेकिन समाज कल्याण विभाग ने उन विद्यालयों को और शिक्षा विभाग को उनकी फीस की एवजी में रुपया नहीं लौटाया। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके द्वारा कि किस तरह से इन विद्यालयों में काम चलता, उनका प्रशासन चलता और किस तरीके से काम चलता? योजना तो बननी चाहिये और मैं कहना चाहता हूं कि इस बीच में नान फार्मल एजूकेशन के नाम पर, प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर अपार धन केन्द्र

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

से आया है, पिछड़ी जाति के नाम पर आया, जनजाति के नाम पर आया, लेकिन फर्जी संस्थाएं इस राज्य में खड़ी हो गई। जिन लोगों ने आजादी के पहले अपनी संस्थाएं चलाई थीं और उन संस्थाओं के माध्यम से इस राजस्थान की सेवा की थी, जिन लोगों ने विकास किया था, लेकिन आज उन संस्थाओं को अनुदान के लिये भिखारी की तरह से खड़ा रहना पड़ता है, जिन्होंने सारी जिन्दगी इन संस्थाओं की सेवा में लगा दी। आज जो संस्थाएं फर्जी नई-नई खड़ी हो रही हैं, आज नये बी.एड. कालेज अलग खोल दिये गये हजारों लाखों रुपयों की रिश्वत लेकर के। कितने लोगों को हमने शिक्षित किया ? कितने शिक्षक निकले ? क्या हम उन्हें नौकरी दे सके ? यह प्लानिंग नहीं, डिफेक्टिव प्लानिंग है। कितने एस टी सी. प्राइवेट सैक्टर में खोले गये ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह प्लानिंग डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिये। आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिये। कितने शिक्षकों की आवश्यकता है ? कितने टीचर्स किस तरह के चाहिये ? आज विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में कहने के लिये आज हमारे पास क्या है ? एक विश्वविद्यालय इधर से उधर ले गये और हमने कह दिया कि हमने विश्वविद्यालय खोल दिये.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं यह कहते हुए कि इस डाक्यूमेण्ट के सन्दर्भ में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं यदि पूर्व रेफरेन्स नहीं दिये जायं, प्रसंग की बात नहीं कही जाये तो बात ठीक तरह से समझ में नहीं आ सकती और शायद इसीलिये इस डाक्यूमेंट के अन्दर पुरानी सरकार का हवाला देते हुए, उनके कार्यों का हवाला देते हुए बात कही गई है। इसलिये इस बात का रोष नहीं होना चाहिये कि इस डाक्यूमेंट के अन्दर उस सरकार की केवल आलोचना की गई है। मैं केवल आपसे निवेदन करता हुआ कि सूरदास का एक पद है, उसमें कहा गया है कि "मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो"। अगर उस सारी पंक्तियों को नहीं पढ़ा जाये और अगर केवल उसकी अन्तिम पंक्ति को पढ़ लिया जाये "सूरदास तब विहंस यशोदा लै उर कंठ लगायो" तो उस से ध्वनि निकलती है कि तब सूरदासजी ने हंसकर के यशोदाजी को गले लगा लिया। यदि पूर्व के रेफरेन्स नहीं होंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आ सकती, जनता नहीं जान सकती। इसलिये पूर्व के रेफरेन्स देना बहुत आवश्यक था।

इसलिये मैं इस अभिभाषण के प्रति अपना पूरा समर्थन करते हुए, माननीय यदुनाथ सिंहजी ने जिस प्रस्ताव को रखा है, उनके समर्थन में अपनी पूरी बात रखते हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री मिश्रीलाल चौधरी।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं दिल से समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति जी, इस अभिभाषण का मैं ही समर्थन नहीं करता हूं, राजस्थान की लाखों और करोड़ों जनता ने समर्थन किया है और जिन्होंने समर्थन नहीं किया है वह आपके सामने इधर बिराजे हैं और मैं इनको चेतावनी देता हूं कि आगे से अगर विरोध करेंगे, इस बार तो इस सख्या में हैं, अगली बार मेरे ख्याल से दर्शक दीर्घा में नजर आयेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जो राजनीति पिछले कितने सालों से चली आ रही है हमारे जैसे लोग तो पहली बार जब जनता के बीच गये तो हमें ऐसा लगा जैसे राजनीति कोई सेवा नहीं होकर कोई धन्धा हो गई हो। कोई जानकार लोगों ने हमें सलाह दी कि चुनाव जीतने के लिये कौन-कौन से तरीके अपनाने चाहिये, तो हमने साफ मना कर दिया। अगर जनता चाहती है तो हमें चुनेगी, नहीं तो हमें यह तरीके नहीं अपनाने हैं, चाहे तो जनता हमें हरा दे। ऐसी बात जब हम यह साफ तौर से जान गये कि जनता जब नतीजा लेती है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेती है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में माननीय कल्ला साहब ने विरोध पक्ष की बात रखी उसका मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करते हुए आज की राजनीति के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का थोड़ा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूं : "जनता प्रशासन से निष्पक्ष व्यवहार और न्याय की अपेक्षा करती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण प्रशासन जनहित के प्रति उदासीनता बरतने लगता है, गलत आचरण करने वाले तत्व हावी हो जाते हैं। सही कार्य भी समय पर करवाने के लिये जनता को विनती करनी पड़ती है। वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में संवेदनशील और ईमानदार प्रशासन देने की है। मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के सुझाव पर मुख्य मंत्री के आचरण को लोकायुक्त कानून के तहत लाने का निर्णय सरकार ने लिया है। कानून में इस आशय का संशोधन किया जायेगा। प्रशासन में ईमानदारी का वातावरण बनाने के लिये यह महत्वपूर्ण शुरूआत है। शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे ईमानदारी बरतें तभी वें दूसरों को सही आचरण के लिये प्रेरित कर पायेंगे तथा गलत काम करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सकेंगे।"

सभापति महोदय, हम पहली बार गये। हमारे बिलाड़ा में 40 साल के बाद

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

कांग्रेस को हटा कर जनता दल को मत दिया है। जीतने के लिये इन्होंने भी कई बहाने किये, कई घोषणाएं की गई। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को थोथी घोषणा कह रहे हैं। केन्द्र में सरकार पलटने के बाद इन लोगों ने हमारी तरह का रास्ता अपनाया और हमसे बढ़-बढ़ कर घोषणाएं की। हमने दस हजार तक का कर्जा माफ किया तो इन्होंने इससे बढ़ कर 15 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की घोषणा कर डाली। जनता ने पहचान लिया कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करेगा।

सभापति महोदय, प्रदेश और देश की तथा जिले की काफी बात होने के बाद मैं जोधपुर की जल समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पूर्व वक्ता माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी जब बात कह रही थी, वास्तव में आंसू बहाने जैसी स्थिति थी। लोग रात को जाग-जाग कर ताकते थे कि कब पानी आये। पिछले दस साल से कांग्रेस के मंत्रियों ने बार-बार यह घोषणाएं की कि 1989 में पानी नहीं आया तो वे इस्तीफा दे देंगे। उनके बाद दूसरे मंत्री आये। उन्होंने भी घोषणा की कि हम इस्तीफा दे देंगे। वे इस्तीफा देते रहे मगर जोधपुर की जनता प्यासी रही। गड्ढों से पानी भरने के लिए मजबूर किया गया और गटर का पानी पीने के लिए मजबूर हुई। इस सरकार को बार-बार कहने के उपरान्त भी सुनवाई नहीं हुई। आपके सामने चुनाव हुए और एम.पी. के चुनाव में ही जनता ने उनको पानी पिला दिया। फिर आने वाले एम. एल.ए. के चुनाव में पानी पिला कर भेज दिया।

अब मैं आपके सामने बिलाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उसके बारे में आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करना चाहूंगा। इन घोषणाओं को पूरी करें ताकि आगे कामयाबी मिले, काम करें ताकि जनता की अपेक्षा पूरी हो। बिलाड़ा क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने से रेल की एक पटरी बनी हुई है। वह बिलाड़ा आकर सकती है। बर से आगे दूसरी लाइन मिलती है। अगर बिलाड़ा की रेल लाइन को सेंदड़ा से मिला दिया जाये तो जोधपुर-जयपुर के बीच में दो घण्टे का समय कम हो सकता है। माल भाड़े में और जनता को कई तरह की सुविधा मिल सकती है।

श्री रामकरण सिंह : On a point of information. सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने हेतु समय का बंटवारा हो चुका है और उसमें निर्दलीयों को 45 मिनट मिले हैं लेकिन सभापति महोदय, यह समय हमें कब मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप की बात पर विचार किया जायेगा।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, आपने समय का बंटवारा कर दिया है। इस बारे में निवेदन है कि हमें आज टाइम दे सकें तो वैसा आप फरमा दें और कल समय दें तो कल के लिए फरमा दें। इतना ही मेरा आग्रह है।

श्री मिश्रीलाल चौधरी : सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की जब बात चलती है तो हम जोधपुर को देखते हैं। दूसरी जगह

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

का हमें पता नहीं है। किसी भी सरकारी आफिसर को, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पोस्ट हो, जब तक किसी मंत्री या एम.एल.ए. की डिजायर नहीं होती है उसकी पोस्टिंग नहीं होती है। ट्रान्सफर के बारे में भी कई तरह की अड़चनें आती हैं। एक ही सरकार होने के कारण मनमानी चलती थी। गांव में पटवारी से लेकर तहसीलदार तक यह होता था। जनता ने यह महसूस कर लिया कि यह सरकार अंग्रेजों के जमाने से अलग नहीं है। जनता सरकार से इतनी दूर हो गई और वह यह नहीं समझती थी कि यह हमारे मतों से चुने जाते हैं। यह हमारे जन प्रतिनिधि हैं। हमारा काम करेंगे। यह जनता में गलतफहमी पैदा हुई थी। हमारे बिलाड़ा क्षेत्र में स्कूल अंग्रेजों के जमाने का है। मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर की दूरी तक बच्चों को जाना पड़ता है। जनसंख्या दुगुनी, तिगुनी बढ़ गई है पर आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। किसी तरह से उन्नति की व्यवस्था नहीं की गई है कि वहां पर एक कालेज होना चाहिए। स्कूल का स्कूल ही वहां पर है। अस्पताल के लिए जनता ने 40 लाख रुपये चन्दा कर के दिया परन्तु सरकार ने यह नहीं सोचा कि यह सार्वजनिक काम है। लाखों रुपया सरकार दूसरी तरफ खर्च कर रही है लेकिन वहां की जनता को सुख सुविधा देने के लिए सरकार ने तकलीफ नहीं उठायी। तहसील कार्यालय 100 साल पुराना है। कई बार छत गिर चुकी है। इसके बाद भी दूसरी नयी बिल्डिंग बनाने की नहीं सोची जा रही है। उसमें जान खतरे में हो सकती है। अधिकारी उसमें डरते डरते काम करते हैं और रात को कोई नहीं ठहरता है। नगरपालिका की हालत तो ऐसी बना कर रख दी है न तो वह नगरपालिका है और न पंचायत में है। नगरपालिका कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाती है। हरिजन बार बार हड़ताल करते हैं। जनता को तकलीफ होती है। सड़कों पर चलने वाले और वहां पर रहने वाले माननीय रामसिंहजी विश्नोई बतायेंगे कि मैं कहां तक सही हूं। पीने के पानी के बारे में कई बार जनता कह चुकी है। हमारे पहले मंत्री दीवान साहब जो पी.एच.ई.डी. के मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा कि दांत खराब हो गये लेकिन आज तक जनता की आवाज किसी ने नहीं सुनी। फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है। इसका टैस्ट करा कर देख लें। आज से बीस साल पहले जमीन में पानी की लाइन डाली गई थी। वे सारी की सारी चाक हो चुकी है। उनमें पूरे दबाव से पानी नहीं आता है। लोगों ने बार बार कहा है पर किसी ने उनकी सुनी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से यह आग्रह करूंगा कि बिलाड़ा नगरपालिका इतनी बड़ी है परन्तु उसके आस-पास सड़क नहीं है। जैसा मास्टर प्लान में है उसकी व्यवस्था पूरी करें। इतनी मांगों के साथ मैं आपके समक्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़। (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र गहलोत। (अनुपस्थित)

श्री महीपाल यादव।

श्री महिपाल यादव (बहरोड़) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस सन्दर्भ में मैं अपने विचार निम्न प्रकार से रखता हूं।

चालीस साल से देश में कांग्रेस की हुकूमत रही। दो-ढाई साल का समय छोड़कर एक कांग्रेसी अमरबेल हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों पर फैलाई गयी। हिन्दुस्तान जो कृषि प्रधान देश है उस कृषि की सदैव उपेक्षा की गई। श्री नेहरू ने हमेश बड़े-बड़े उद्योगों पर जोर देकर देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने का काम किया। सारा पैसा बड़े-बड़े कारखानों को दिया गया। आज जितना भी करोड़ रुपया कारखानों पर खर्च किया गया है उतने ही करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है। करोड़ों रुपये की बीमार फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हैं, आज उनका कोई मालिक नहीं है। हमारे देश की जो उद्योग नीति थी, श्री नेहरू के समय में सारा पैसा बड़े-बड़े कारखानों पर खर्च करके देश के करोड़ों किसानों के हितों पर घोर कुठाराघात किया गया। पंडित नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह स्वीकार किया कि मैंने गलती की है, इस कृषि प्रधान देश को बिजली और पानी देने के बजाय मैंने सारी पूंजी बड़े-बड़े कारखानों पर लगा दी। यह अच्छा होता कि देश का जो पानी है, अन्तर्राज्यीय ग्रिड स्टेशन बना कर, नदियों के पानी को इकट्ठा करके, उनका एक जाल बिछा कर जो सूबे भयंकर बाढ़ से पीड़ित होते हैं पानी की वजह से, उन सूबों को बाढ़ से बचाया जाता और उस पानी को उस हिस्से में अन्तर्राज्यीय ग्रिड बनाकर फैलाया जाता जहां पर सूखे की वजह से देश के पशुधन और देश के किसान का जीवन तबाह होता है। अंतिम समय में पंडित नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया था।

अब चालीस साल के इस इतिहास में जनता राज में पैसा गांवों में खर्च किया गया। 30 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने जितना पैसा गांवों में लगाया, दो-ढाई साल के माननीय भैरोंसिंह शेखावत के राज में पंचायतों के मार्फत और अन्त्योदय योजना के मार्फत इतना पैसा खर्च किया गया कि गांवों की कायाकल्प होती नजर आई। (व्यवधान) वह हमारा दुर्भाग्य था कि वह राज चला गया।

एक माननीय सदस्य : फिर दुर्भाग्य आयेगा आपका।

श्री महिपाल यादव : लेकिन अब आप इंतजार करते रहेंगे।

इंदिराजी के बाद एक अपरिपक्व आदमी के हाथ में इस देश की सत्ता आई। वह अपरिपक्व आदमी जैसे प्रधान मंत्री बना वह समय आप सबको याद है। एक तरफ इंदिराजी की लाश पड़ी हुई थी, उसकी हत्या की गई थी, खून बह रहा था और राजीव गांधी इतने उतावले हो रहे थे कि मुझे इसी वक्त प्रधान मंत्री बनाया जाय। देश के करोड़ों लोगों को इस बात का अहसास हो गया कि यह व्यक्ति 12 दिन भी इंतजार नहीं कर सकता, 12 दिन भी शोक नहीं मना सकता। हिन्दुस्तान में गरीब से गरीब घर के अन्दर मौत होती है तो वह कम से कम तीन दिन या 12 दिन का शोक मनाता है, लेकिन उस बात से यह मंशा

(श्री महिपाल यादव)

जाहिर हो रही थी कि जिसको सामाजिक लोक व्यवहार का इतना भी ज्ञान नहीं है कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिये वह उस वक्त प्रधान मंत्री का तिलक लगवाने के लिये लालायित था। जिस वक्त उसने शपथ ली, इंदिराजी का खून बह रहा था।

इस पांच साल के राज में इतना खून बहा जितना कि पौने दो सौ साल के अंग्रेजों के राज में भी नहीं बहा। देश का करोड़ों रुपया फिजूल में खर्च किया गया। कभी अलवर के सरिस्का में आकर केबिनेट की मीटिंग करता है, कभी अंडमान निकोबार द्वीप में जाकर +++ इस तरीके का व्यवहार पांच साल तक उसका रहा। देश का करोड़ों रुपया फिजूल खर्च किया गया। जिस समय सरिस्का में आये (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसी बातें सदन के अन्दर नहीं कही जायं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो सदन का सदस्य नहीं हो उसके प्रति इस तरह का व्यवहार करें +++ हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इनको तत्काल वापस लें। एक्सपंज किया जाय इसको।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देश के प्रधान मंत्री के बारे में ऐसी बातें कही जायं, गलत है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक्सपंज करें इस बात को।

एक माननीय सदस्य : जो हुआ है वही कहा जा रहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक्सपंज किया जाय इस बात को।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हम ऐसी बातें सुनने को तैयार नहीं होंगे। सदन में ऐसी बातें नहीं कही जायं।

एक माननीय सदस्य : सही बात को सुनना सीखो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री सभापति : दिखवा लेते हैं, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापतिजी, एक्सपंज कीजिये।

एक माननीय सदस्य : जो हुआ है वही तो कहा है, भाई। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, क्या व्यवस्था दी आपने? यह एक्सपंज किया जाय। प्रधान मंत्री अपनी पत्नी के साथ जाता है, चीफ मिनिस्टर अपनी पत्नी के साथ जाता है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देश के प्रधान मंत्री के बारे में ऐसी बातें कहना बिल्कुल गलत है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : अंडमान निकोबार क्या किसी का शौक मनाने गये थे ? किसी की बैठक करने तो नहीं गये थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री के साथ बोला है, +++

एक माननीय सदस्य : इसको एक्सपंज किया जाय, व्यवस्था दी जाय, सभापति महोदय। इसकी व्यवस्था दी जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो आर्डर।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। बैठिये आप। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर। हम प्रोसीडिंग्स को मंगाकर देख लेते हैं और उसके बाद (व्यवधान) हम मंगाकर देखेंगे। हम प्रोसीडिंग्स मंगाकर देखेंगे, अगर कोई शब्द असंसदीय या अव्यावहारिक है तो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, मैंने स्वयं सुना है, जबरदस्ती नहीं कहा है, +++

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, आपके सामने है। आप आसन पर हैं, आपके सामने बोला गया है।(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सिट डाउन। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि हम प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लेते हैं....(व्यवधान) आप सुनिये।

श्री जगतसिंह दायमा : आप हमारी सुन लें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है, प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लेते हैं अगर कोई अव्यावहारिक बात हुई भी हैं....

श्रीमती रमा पायलट : अव्यावहारिक बात तो है। आप सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : उन्होंने कहा कि +++ शब्द असंसदीय है जिस तरह से यूज किया गया। हम चाहते हैं कि +++ शब्द को एक्सपंज कर दिया जाय इसमें से (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, पहले आप इसको एक्सपंज कीजिये। आज अगर प्रधान मंत्री वी. पी. सिंह +++ विदेश में गये तो क्या +++ के लिये गये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, आज अगर हमारे देश के प्रधान मंत्री विदेश में अपनी पत्नी के साथ गये तो क्या........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

आपसे पहले निवेदन कर दिया हम इसको देखेंगे। माननीय सदस्य, देख लेते हैं। देखेंगे हम। हम देख कर निर्णय करेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, विरोध में बैठने वाले समय की बरबादी कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन की व्यवस्था है, आप व्यवस्था को कम्पेल करके चेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैंने स्वयं सुना है माननीय महिपालजी ने जबरदस्ती का नहीं कहा, सिर्फ+++ कहा था (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : सभापति जी, आप मिनिट्स मंगा कर देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, हम मिनिट्स मंगा कर देख लेते हैं। आप तो कम्पैल कर रहे हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि देश के प्रधान मंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अब कौन-सा प्रधान मंत्री है ? (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : आप बताइये, माननीय राजीव गांधी जी क्या करने गये थे ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय जगतसिंह जी। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है, हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है ? आप इस पर आसन को कम्पेल मत कीजिए, आप तो कम्पेल कर रहे हैं। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन, माननीय सदस्य।

श्री केदारनाथ शर्मा : सभापति जी, इससे पहले कि माननीय सदस्य अपनी स्पीच को कंटीन्यू करें, आप मिनट्स मंगा कर अगर लफ्ज आपत्तिजनक है तो जरूर निकाल दें।

अनेक माननीय सदस्य : हम यही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सदन में यह दबाव की राजनीति नहीं चलेगी।

श्री चन्दनमल बैद : चलेगी, चलेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इससे पहले सदन की कोई कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : सिर्फ सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री सभापति : हमने प्रोसीडिंग्स मंगवा ली है, मैं कह रहा हूं देख लेते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : अभी मंगवाइये।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैंने साफ सुना, महीपाल जी ने जबरदस्ती का नहीं कहा, +++ कहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रोसीडिंग्स हमने मंगा ली है। उसको देखने के बाद अगर कोई शब्द असंसदीय या अव्यावहारिक भी होगा तो भी हम उसको अलग करेंगे। केवल कहने मात्र से नहीं। लेकिन इस पर आसन के निर्णय को आप कम्पेल करके परिवर्तन कराना चाहें तो यह सम्भव नहीं होगा। आप दो मिनट इन्तजार कर लें, इसमें क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, यदि कोई आपत्तिजनक बात कही गई हो उसके बारे में कोई माननीय सदस्य आपत्ति करे तो तत्काल उस पर निर्णय होना चाहिए अन्यथा अगर हम विलम्ब करते हैं तो वह बात छप सकती है और जो हानि होनी है वह हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हमारे सदन के जो वरिष्ठ सदस्य हैं और पहले स्पीकर रहे हैं और अच्छा पार्लियामेंट्री नॉलेज है, उनके अनुसरण में हमें काम भी करना है। आपने बताया कि देख लेना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। मैंने निर्देश दे दिये हैं, प्रोसीडिंग्स मंगाने के लिए और अभी आते ही देख कर मैं निर्णय दूंगा।

एक माननीय सदस्य : तब तक वेट करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कम्पेल न कीजिए। (व्यवधान)

मैंने कहा है असंसदीय ही नहीं, यदि अव्यावहारिक है तो भी हम अलग करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया है। Let the proceedings come.

श्री चन्दनमल बैद : तब तक यह बोल नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक यह नहीं बताया जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें। मैंने निर्देश दे दिया है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री सभापति : आप इन्तजार करिये।

श्री जगत सिंह दायमा : आसन ने व्यवस्था दे दी है, ठीक है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आप किसी के दबाव में मत आइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रोसीडिंग्स मंगवायी है। आपके सामने निर्देश दे दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, कब तक प्रोसीडिंग्स आयेगी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो माननीय अध्यक्ष रहे हैं, आपको तो इस

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

बात की जानकारी है कि प्रोसीडिंग्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, माननीय सदस्य, इतना कम्पेल मत करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, इसके पूर्व में भी कई बार जब माननीय विश्नोई साहब स्पीकर थे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य : उनके दबाव में आकर प्रोसीडिंग मंगवाने की कतई जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले में कोई व्यवस्था दे दें। माननीय सभापति महोदय, असंसदीय शब्दों का....

(5.22 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रोसीडिंग्स अभी मंगवाई है इसी वक्त, यदि उसमें असंसदीय या अनुचित बात कही गयी है तो उसको डिलीट कर देंगे। आ जायेगी। आप आगे कार्यवाही चलने दीजिये।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं एक मिनट चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे थे, आपने एक सेन्टेन्स कह दिया कि +++ तत्काल एतराज किया गया और तत्काल एतराज करने के ऊपर प्रोसीडिंग्स मंगवाने की जरूरत नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। यदि शब्द यह हैं कि +++ मैं उसको डिलीट कर दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें एतराज गलत किया है। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन यह दबाव की राजनीति करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य ने साफ यह बोला था कि अण्डमान निकोबार में इस नये साल में +++ करने गये। कहां गलत बोला है ? जबरदस्ती तो कहा नहीं।

एक माननीय सदस्य : आसन ने व्यवस्था दे दी है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान) आप सत्ता दल में हैं, आप बिराजें, माननीय सदस्य। महीपालजी, बोलें। कृपया भाषा पर संयम रखें। आप शुरू कीजिये ना, आप बोलिये ना।

श्री राजेन्द्र पारीक : सारे हालात देख कर यूं लगता है जैसे :-
अंधा चढ़ गया ऊंट पर, चढ़ता ही जा गिरा,
नकेल छूट गई अब राम रखवालो राजिया।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये इसमें यही है जो आपने कहा है। मैं उसको डिलीट करता हूं। +++ मैं इस को डिलीट करता हूं। और मेरा निवेदन है कि यह पब्लिक

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मीटिंग नहीं है, यह सदन है, इस राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, आपकी गरिमा और सदन की गरिमा को ध्यान में रखिये। बोलने में कंजूसी मत करिये लेकिन संयम से बोलिये।

श्री महीपाल यादव : माननीय अध्यक्ष जी, अण्डमान निकोबार वह जगह है जहां पर हमारे हजारों नौजवानों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। काले पानी की सजा में वहां पर हजारों नौजवानों का बलिदान किया गया है इस देश की आजादी के लिए। ऐसी जगह पर राजीव गांधी ने जब समुद्र हिलोरे ले रहा था इस देश का करोड़ों रुपया बर्बाद किया। रणथम्भौर, लक्ष्यद्वीप, कितने ही नाम गिनाये जा सकते हैं। इस देश की करोड़ों जनता का खून-पसीने का, मेहनत का पैसा बहाया है। मुझे शर्म आती है कि हमारे साथी इस बात पर एतराज कर रहे हैं। 'जो करोड़ों रुपया बहाया गया उस पैसे से अगर हिन्दुस्तान में गांवों में थर्मल स्टेशन लगाया जाता तो 24 घण्टा किसानों को बिजली मिल जाती। हमारे देश की जो इकानामी नाइट मेयर आफ इण्डिया हुई है वह 40 साल में कांग्रेस के राज में चलते हुई है। देश के किसानों को अंधकार में धकेला गया है। देश के मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं की गई। आज सारे राजस्थान का पानी सूखा हुआ है कुओं में। अकाल के नाम पर करोड़ों रुपया कांग्रेस ने जेब में ले जाने का काम किया। कितना पैसा गांवों में लगा है ? आज गांवों की हालत देखते हुए एक भी गांव में हैण्ड पम्प ठीक नहीं है, एक भी कुएं में पीने का पानी नहीं है। हमारी माताएं और बहिनें पानी के लिए आपस में लड़ती हैं, झगड़ा होता है। यह देख कर हम को बड़ी शर्म लगती है। जब गांव के इलाके में जाते हैं तो 40 साल में....

(व्यवधान)

(5.27 सायं)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव, सभापति, पदासीन)

इन 40 सालों में हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, सिंचाई की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। इन्दिरा गांधी नहर अगर पूरी कर दी जाती तो आज अकेला राजस्थान हिन्दुस्तान को गेहूं खिला सकता था लेकिन उसका नाम बदल दिया गया इन्दिरा गांधी नहर। करोड़ों रुपयों का उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सामाजिक जीवन में जहर घोलने का काम 40 साल में किया गया है। लोग गांवों में एक-दूसरे की आपात स्थिति में मदद करते थे, उस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है। लोगों में जो भाई-चारे और प्रेम की भावना थी उसको भी खत्म करने का काम किया गया, साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने का काम देश में किया गया। इन 40 सालों में सामाजिक जीवन में जितना भी जहर घोला जा सकता था, घोला गया। जनता राज में शराब को बन्द किया गया था लेकिन 1980 में इसको हटाया और हर घर को बरबाद करने का काम किया। ऐसी कोई ढाणी और गांव नहीं छोड़ा जिसमें शराब का ठेका नहीं हो। आज हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों का पैसा उस शराब की भट्टी में झोंका जा रहा है। देश में अश्लील साहित्य और सिनेमा.... (व्यवधान) हां, हम करेंगे अब।

(श्री महीपाल यादव)

आपने जो शराब का जहर घोला है सामाजिक जीवन में, उससे कितने परिवार बर्बाद किये जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दलजीत सिंह : लाइसेंस के तहत शराब बनती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : शाम को एक बोतल मिल जाया करेगी, फिक्र मत करो।

श्री महीपाल यादव : देश में सिनेमा और अश्लील साहित्य को बढ़ावा दिया गया है। देश की सभ्यता और संस्कृति को नंगा किया गया है। एशियाड के अन्दर क्या हुआ था ? हमारे माननीय नेता स्व. चौधरी चरण सिंहजी ने एशियार्ड की अनुमति नहीं दी थी लेकिन दो हजार करोड़ रुपये उसमें बर्बाद किये गये। आज उन स्टेडियम के रख-रखाव के लिए कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है। हमारे गांवों में कितने खेल के साधन हैं ? आप सब लोग गांवों से आये हैं, माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गांवों के खेल स्टेडियम बने हुए हैं? कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? कितने स्वर्ण पदक हिन्दुस्तान आज प्राप्त कर रहा है ? जनता का सारा पैसा फिजूल खर्च किया गया है एशियाड के नाम से। नौजवान बहनों को होटलों में उनकी सेवा करने के लिए पेश किया गया, उनके हाथ से बीफ पेश किया गया होटलों में। हमारी सभ्यता और संस्कृति को नंगा करने का काम किया गया इन 40 सालों में। सामाजिक जीवन में जहर घोल कर देश के गांवों का, देश के कस्बों का सत्यानाश करने का काम किया। देश में भाई-चारे की जो भावना थी वह खत्म हो गयी। पहले यदि किसी परिवार में आग लग जाती तो गांव वाले मिल कर उस परिवार के मकान को दुरुस्त कर देते थे दो दिन में, उसको अहसास तक नहीं होता था कि मेरे ऊपर कोई संकट आया है। लेकिन आज पूरे राजस्थान में अकाल है, पानी की वजह से त्राहि-त्राहि मची हुई है। आपके राज में तो बरसात भी नहीं हुई।

हमेशा से कांग्रेस की नीयत और नीति पूंजीपतियों के लिये रही है। देश के करोड़ों रुपये जो कारखानों में दिये गये, आज उतना ही घाटा कारखानों में देखने में आ रहा है। कितने लोग एक फैक्ट्री कोटा में लगाकर, उसकी सब्सिडी का फायदा लेकर अलवर में आ गये। अलवर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिहार में चले गये और इस तरह करोड़ों रुपये कमा कर जाते हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी कोई चीज मोर्गेज नहीं होती है. उनकी कोई गारण्टी नहीं होती है। लेकिन एक किसान जब इंजिन लेता है, तो उसकी जमीन गिरवी रख दी जाती है, उसकी जमीन को मोर्गेज कर दिया जाता है। हमारे अलवर जिले में बैंक स्कैंडल हुआ जिसमें हमने सी.बी आई. से जांच करायी। वहां के नेशनलाइज्ड बैंक और भूमि विकास बैंक के छः मैनेजरों को हथकड़ी लगाई गयी और आज सी.बी आई. में वह केस चल रहा है। सब्सिडी के नाम पर, हरिजनों और मीणाओं के नाम पर मैनेजर और डीलरों ने करोड़ों रुपये हजम कर लिए। काश्तकार को पता भी नहीं था कि उस के नाम पर लोन उठाया गया है

(श्री महीपाल यादव)

जिससे उस मैनेजर और डीलर ने मिल कर करोड़ों रुपये से जेब भरने का काम किया। पांच करोड़ का स्कैंडल अलवर जिले का है। हमने हजारों किसानों की कुर्की वसूली रुकवा दी। वे मैनेजर जिनकी आज सी.बी.आई. में पेशियां लगी हैं, जेल भी जायेंगे। जो व्यवस्था किसानों की दी है उसमें किसानों को लोन दिया जाता है तो उसका सारा मोर्गेज कर लिया जाता है। इसलिए आज भी देश का किसान जब मण्डी में अपना अनाज ले जाता है, तो उसको आज भी अपने अनाज की बोली लगानी पड़ती है। सुई और माचिस बनाने वाला अपनी कीमत बोलता है, मगर पिछले चालीस साल की आजादी के बाद भी किसान अपनी कीमत आज नहीं बोल सकता। अब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जो किसानों को उसका उचित लाभकारी मूल्य दिया जायेगा। आपने तो घाटे में रखा है, लाभकारी मूल्य तो देने का प्रश्न ही नहीं है। आप की सोच ही नहीं है, आपकी सोच तो मरघट के लकड़हारे की तरह है। वही सोच आपकी चालीस साल में रही है। देश का करोड़ों रुपया फिजूल खर्ची में बर्बाद किया गया, वह चाहे एशियाड के नाम पर हो या और किसी नाम पर।

दूसरा मुद्दा है शिक्षा नीति का। देश की शिक्षा नीति को बर्बाद करने का काम भी इस कांग्रेस के राज में किया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश है। एक प्राथमिक पाठशाला में जो गांव का बच्चा पढ़ता है, उसको तीन जमा तक फेल नहीं करने का कह कर कि तीन जमा तक उसको फेल नहीं किया जाये, उसकी नींव को कमजोर करने का काम किया गया। मिडल स्कूलों को भी जिला परिषद् में देकर इसने इतना गलत काम किया है कि राजस्थान के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। शिक्षा नीति पिछले कुछ समय में जितनी दुर्गति की गयी उतनी पिछले चालीस साल में कभी नहीं हुई। नवोदय विद्यालय के नाम पर जो स्कूल खोले गये, उसमें आज क्या व्यवस्था है? वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। जितने मिडल स्कूल खोले गये उसमें आज तक कोई अध्यापक नहीं पहुंचा है। जितनी प्राथमिक पाठशालायें हैं उनमें ब्लैक बोर्ड तक की व्यवस्था नहीं है। पिछले चालीस साल में, शिक्षा नीति की जो दुर्गति इस कांग्रेस राज में हुई है उसके चलते हमारे देश की भावी पीढ़ी को निर्माताओं ने गर्त में ले जाने का काम किया है। जब तक देश में समान शिक्षा, सबको शिक्षा, रोजगार-परक शिक्षा नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। जो शिक्षा नीति टेन-प्लस-टू के नाम से शुरू की गई, उसमें आज तक प्रिंसिपल नहीं पहुंचे। अलवर क्षेत्र में जितने भी टेन-प्लस-टू स्कूल खोले गये, आज तक भी उनमें एक जगह छोड़ कर के कहीं भी प्रिंसिपलों की, अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गयी है। लड़कों के जीवन को बर्बाद किया गया है। उन्हें एक-एक साल पीछे ढकेल दिया गया। स्कूलों में अध्यापकों की जो नियुक्तियां हुई थीं उनमें दस-दस हजार, बीस-बीस हजार रुपये नौजवानों से लेकर तब जाकर उनको लगाया गया है। इस तरह से शिक्षा में भी भयंकर भ्रष्टाचार पनपाया गया।

जहां तक चिकित्सा क्षेत्र का सवाल है, जितने भी आज सब-सेंटर हैं गांवों में, उनमें कोई भी ए.एन.एम. या कम्पाउण्डर नहीं

(श्री महीपाल यादव)

लगाये गये हैं गांवों में। अलवर क्षेत्र में 90 प्रतिशत सब-सेंटर बंद पड़े हैं। बड़े-बड़े अस्पतालों में, रेफरल हास्पिटल में भी डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है। जहां ए क्लास हास्पिटल बनाया गया है, वहां पर ए. पी. सी. की गोली भी नहीं है। सारा पैसा हजम किया गया है दवाई खरीद के नाम पर, फर्नीचर के नाम पर। अस्पतालों में जो सौदेबाजी हुई है उसमें करोड़ों रुपया बर्बाद करके रिश्वतखोरी करके अस्पतालों की दुर्दशा करने का काम किया गया है। इस लिए अस्पतालों की दशा एकदम बूचड़खानों जैसी हो रही है।

जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के हितों के लिए इन चालीस सालों में भूमि सुधार के नाम पर जो काश्तकार अपनी जमीनों को कंसोलेटेड कराना चाहता है, उनका आज तक भी कानून नहीं बनाया गया। जहां तक बिजली की समस्या की बात है, काश्तकारों की बिजली के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र में एक-एक कनेक्शन के दस-दस हजार रुपये लिये गये हैं। जब से जनता दल और बी.जे.पी. की सरकार बनी है तब से अधिकारी पैसे वापस कर रहे हैं। कनेक्शन भी दे रहे हैं और पैसे भी घर देकर आ रहे हैं वापस। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, समाज के हर क्षेत्र में, समाज के जीवन में जहर घोलने का काम किया गया है।

(5.32 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री महीपाल यादव : माननीय सभापति जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाह रहा हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी सरकार ने जो वायदे किये हैं, जो राजनैतिक इच्छा शक्ति जाहिर की है, वह ऐतिहासिक है और आपकी समझ से बाहर है क्योंकि आपकी सोच एकदम दकियानूसी हो गई है। जहां तक विकास का सवाल है, सरकार की नीयत, हमारे नेताओं की नीति और नीयत स्पष्ट है कि देश के गांवों को, गरीबों को ऊंचा उठाने का काम करना है। देश के गरीब आदमी को, नीचे के गरीब आदमी को गणेश माना गया है। उसके जीवन को ऊंचा उठाने का काम किया जायेगा। गांवों में पानी और बिजली की व्यवस्था की जायेगी। कल हमारे बिजली मंत्री जी ने घोषणा की है कि किसानों को दस घंटे बिजली दी जायेगी, किसानों के 15 अप्रैल से पहले कोई कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार ईमानदारी से करोड़ों शोषित-पीड़ित लोगों को, प्रदेश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार की गारण्टी देने का काम करना चाहती है और मण्डल आयोग की सिफारिशें भी एक साल के अन्दर-अन्दर लागू की जायेंगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मण्डल आयोग का तो उल्लेख ही नहीं है इस अभिभाषण में। कब लागू करेगी सरकार? मण्डल आयोग लागू तो करवायें।

श्री महीपाल यादव : मैंने एक साल का नाम लिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें।

श्री महीपाल यादव : ये दो-चार छः महीने में आपको आभास हो जायेगा कि हमारी सरकार करना क्या चाहती है ? हमारी नीतियां और नीयत स्पष्ट है लेकिन जो दुर्दशा इन चालीस सालों में आपने की है, उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। माननीय भैरोंसिंह जी ने अन्त्योदय योजना चालू की थी, उस अन्त्योदय योजना के चलते प्रदेश में गरीब लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, आज पूरे प्रदेश में आशा की किरण भी जगी है। कांग्रेस ने तो विश्वास खत्म किया था चालीस सालों में, नेताओं की बात का कोई सभाओं में भी विश्वास करने से बच रहा था। विश्वास सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। आपने उस विश्वास को खत्म करने का काम किया है। ये सरकार उस विश्वास को कायम करने का काम करेगी। इसलिये मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और फिर उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप जी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामकरण सिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जरा एक मिनट के लिए बाहर गई थी, मेरा नाम....

श्री सभापति : जो क्रम आया हुआ है उसके अनुसार मैंने पुकार लिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्रम का अब क्या रहेगा ?

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : आपका कर्म तो अब विधाता देखेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको हंसने के अलावा कुछ आता ही नहीं ?

श्री सभापति : आपका नाम पुकार लिया गया था, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे क्रम मालूम नहीं था, मैंने जानने की चेष्टा की थी पर मुझे क्रम मालूम नहीं था।

श्री सभापति : आगे मौका दे देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके बाद ?

श्री सभापति : जिस तरह से जिनका नम्बर आ रहा है, मौका दे देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके बाद या अन्त में ?

एक माननीय सदस्य : कल बहस का जवाब दे देना आप तो।

श्री सभापति : मैं आपको समय दे दूंगा। इसके बाद तो जिस पार्टी का नम्बर है उसको देंगे। इसके बाद जैसे ही आपकी पार्टी का नम्बर आयेगा, आपको दे देंगे।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद चल रहा है और माननीय यदुनाथ सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उस बारे में मैं दोनों तरफ हूं, कुछ अंशों में उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और कुछ अंशों में उनका विरोध करना चाहूंगा। उन्होंने जो भी बात कही है वह निष्पक्ष ढंग से नहीं

(श्री रामकरण सिंह)

कही, पक्षपात लेते हुए कही है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर तो उनका विरोध करूंगा। लेकिन कुछ बातों पर विचार करेंगे, सोचेंगे और आगे जो सत्ता में पार्टी है वह यदि उन पर अमल करेगी तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति जी, यह मसला जो आज दो-तीन दिन से बहस का चल रहा है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का, इस पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां जयपुर शहर का सवाल है माननीय राज्यपाल महोदय ने कोई चिन्ता प्रकट नहीं की, न किसानों के बारे में कोई चिन्ता प्रकट की। केवल वही घिसी-पिटी बातें, जो पुरानी परम्परा रही है राज्यपाल के अभिभाषण की, वही है, नवीनता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सिविल लाइन्स जैसी जगह पर है, जहां हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय निवास करते हैं, मंत्री महोदय निवास करते हैं, सीवरेज की कमी है। वहां खड्डे हैं जिनमें गंदा पानी इकट्ठा होता है, कुओं-से बना कर जो रखे जाते हैं और बोरिंग करने के बाद में वही पानी हमको पीने के लिए मिलता है, नागरिकों को पीने के लिए मिलता है। यह एक बड़े अफसोस और शर्म की बात है। यही नहीं, जो कृषि भूमि पर लाखों मकान बने हैं उन लाखों मकानों का नियमन करने की बात नहीं आई। जो सत्ता में पहले थे उन्होंने नहीं सोचा। आपने भी जो सत्ता में पहले ढाई साल रह गये, उस समय भी नहीं सोचा और आज भी विकास शुल्क तय करने की बात से साफ जाहिर होता है कि कथनी और करनी में, जैसा माननीय मंत्री महोदया ने कल कहा था–फर्क जाहिर हो रहा है। कल हमारे केबिनेट के मंत्री महोदय ने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं मानती। मैं आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और माननीय सदस्य ने जो आज केबिनेट में बैठे हैं, 45 रुपये की बात पर एतराज किया था। जो आज विरोध पक्ष में बैठे हैं, उन लोगों ने जब तय किये तो उसके लिए एतराज किया था कि इतने नहीं होने चाहिए। हमारे केबिनेट मंत्री महोदय भंवर लाल जी शर्मा ने तो इतना तक कह दिया था कि लोग पैसा न जमा करायें। उसके बाद में कल जब केबिनेट की मीटिंग हुई और आज अखबारों में मैंने पढ़ा तो देखा कि वही 45 रुपये ज्यों के त्यों रख दिये। जो पुराना ढर्रा था वही ढर्रा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात जो आज सरकार करती है और कहती है, उसमें बहुत फर्क है। आज जनता बहुत समझ गई है। एक दफा माफ कर देगी, दोबारा नहीं करेगी।

इसी तरह से ढिंढोरा पीटा गया कि बारानी जमीन का लगान माफ किया जावेगा, मगर किसानों की बारानी जमीन का लगान माफ करने की बात इस अभिभाषण में नहीं कही गयी है। यही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों को दिन में बिजली देने की बात का, मेरे यहां जो लड़ने वाले थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने एलान किया था कि यदि मुझे जिता दिया तो मैं किसानों को दिन में बिजली दिलवाऊंगा। माननीय शेखावत साहब जब कोटपूतली पधारे तो उन्होंने अपने भाषण

(श्री रामकरण सिंह)

में इतनी बातें कहीं, बोले तीन मिनट ही, लेकिन इतना कह गये कि यह जो शेखावत साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। जो डॉक्टर शेखावत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वह मैं कह रहा हूं और ये चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूं। लेकिन आज उस भाषा में मुझे परिवर्तन लगा। आज उनकी भाषा बदल गई। डॉक्टर शेखावत और उनके शरीर में फर्क है। डॉक्टर शेखावत ने जो बात कही, उस दिन वह उनकी बात थी मगर आज वह कतई गायब है।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि भूमि पर जितने भी मकान बने हैं अगर वास्तव में करनी और कथनी में फर्क नहीं है तो मौजूदा सरकार एक महीने के अन्दर किसी भी तरह नियमन करके इन लोगों की लूट को रोकें। मैं कहता हूं कि आज अराजकता फैली हुई है। अभी मैंने उसका स्थगन भी दिया है, गंगा-यमुना की एक स्कीम है। चार सौ लोगों के प्लाट्स हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पुलिस के एडीशनल एस. पी., जो विश्वकर्मा के थानेदार हैं, इन्चार्ज हैं वे और एक ए.एस. आई., तीनों मिल कर अराजकता फैलाने के लिए ऐसे तत्वों को संरक्षण देकर उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और खड़े रह कर मकान बनवा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो अपोजीशन में बैठे हैं उनके टाइम में थाने में बलात्कार होते थे। पुष्कर जैसा काण्ड, दुनिया में हमारे हिन्दुस्तान को बदनाम करने वाली और खास कर राजस्थान को बदनाम करने वाली चीज आई थी, वह आज इतनी हद तक फैल गई है। वे उस समय तो बलात्कार कराने और करने तक ही सीमित थे लेकिन आज अराजकता फैला कर लोगों को बेघर करने पर तुले हुए हैं। यह स्थिति आज पुलिस की है बल्कि बढ़ी है। उस समय इतने तक तो था लेकिन अब तो लोगों को किसी प्रकार से किसी घर में रहने के लिए ही जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। उनको बेघर कर दिया जाता है और दूसरे उन घरों में जाकर बैठ जाते हैं, यह स्थिति है। ऐसी हालत में जे.डी.ए. भी उनका पक्ष ले रही है। अब बताइये वे लोग चार-चार सौ के प्लाटों में दूसरे लोगों से कब्जा सिस्टमेटिकली करवायें तो क्या राज्य सरकार सो रही है? पहले राज्य सरकार के लिए कहा जाता था कि सो रही है लेकिन अब क्या कर रही है, यह देखने की चीज है।

मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापतिजी, पानी के बारे में। आज हरियाणा से नहरें आ रही हैं। हरियाणा पानी के बारे में जिस प्रकार से वर्तमान और पूर्व मुख्य मंत्री के बीच में बातें हुई, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यह बात की बात है। वह अपनी बातें कहते रहेंगे, पुराने मुख्य मंत्री बातें कहते चले गये। क्यों नहीं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय इस भाषण में यह कह देते? हरियाणा के बोर्डर के पास चाहे झुंझुनूं का जिला हो, सीकर जिला हो, चूरू जिला हो, या अलवर-भरतपुर और धौलपुर जिले में जो नजदीकी तहसीलें हैं, उनके किनारे पर जो नहरें आई हुई हैं, उन में से पानी का सौदा करके दिखायें तो मैं जानूं कि वास्तव में पुरानी सरकार कुछ नहीं कर सकी और नई सरकार कुछ कर रही है। ताज्जुब की बात है कि एक पड़ोस के अन्दर हरियाली है और उसी दूसरे पड़ोस

(श्री रामकरण सिंह)

में हम सूखे पड़े हैं। पानी की एक बूंद हमारे पास नहीं है। हम पानी पीने के लिये तरसते हैं और उनके खेतों में पानी भरा है। उसके बाद में यह कहा जाय कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपकी आंखों में पानी है।

श्री रामकरण सिंह : आंखों में पानी तो आपके ज्यादा आ जाता है कभी-कभी और उसके लिये मुझे हमदर्दी भी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आंखों में पानी तो आपके आ रहा है।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो इतना खुश हूं कि....

श्री डूंगरराम पंवार : नहीं आये तो धुएं में घुस जाना, आ जायेगा।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापति जी यदि हमारे राष्ट्र को हम मजबूत करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां की 80 फीसदी जनता, जो गांवों में रहती है वह जब तक खूब अच्छी तरह सक्षम न हो, जब तक उनकी बहबूदी नहीं होगी तब तक किसी भी तरह से कोई देश बहबूदी पर नहीं पहुंच सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। आज आप राजस्थान की गरीबी दूर करना चाहते हो, बेरोजगारी दूर करना चाहते हो तो किसान को अच्छा बनाइये, किसान को समर्थ बनाइये, किसान में इतनी क्षमता पैदा करिये कि वह अपनी आवश्यक चीजों को भली प्रकार खरीद सके और उसी तरह से वह बेच सके।

सभापति जी, आज गांव का किसान न अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, न किसी प्रकार से अच्छी दवा दे सकता है, ना ही किसी प्रकार वह अपनी खेती-बाडी के लिये पानी ला सकता है। उसके साथ बहुत अन्याय होता है। यह बहुत गम्भीर मसला है। अगर देश को बचाना है तो किसान को बचाइये। बहुत सी पार्टियां कहती हैं कि हाथ मजबूत करो अपने-अपने नेताओं का, मैं कहता हूं किसान का हाथ मजबूत कीजिए देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। आप अगर उद्योगों को मजबूती से चलाना चाहते हो, उद्योगों में सामग्री अधिक से अधिक भिजवाना चाहते हो तो किसान को सक्षम बनाइये। वह पैदा करेगा तो आपको चीनी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं। इतना गन्ना पैदा करेगा कि चीनी आपको खूब मिलेगी। कपड़े की मिलों के लिये वह कपास पैदा करके आपको देगा। मैदा और दालों में आॅयल सीड्स वह पैदा करके देगा, आपका उद्योग चलेगा। लेकिन यदि किसान सक्षम नहीं होगा और किसान को आपने ज्यादा बजट और ज्यादा धन नहीं दिया तो आपके उद्योग वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आपके बाजारों और मण्डियों में लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ व्यवस्थाएं आपकी सरकार में हो सकें तो किसान को मजबूत कीजिए. किसान की बहबूदी बढ़ाइये, उन्हें शिक्षित बनाइये, उन्हें सक्षम बनाइये और उन्हें तंदरूस्त रखिये। अच्छी तरह से खान-पान और रहन सहन की उनकी व्यवस्था कीजिए तो देश मजबूत हो जायेगा।

इसी तरह से आप बेरोजगारी की बात

(श्री रामकरण सिंह)

कहते हैं। 100 अगर बेरोजगार है तो उसमें से 90 किसान के बच्चे हैं। अगर उनको आप खुशहाल बना देंगे तो वह 90 फीसदी लोग अपने आप रोजगार में लग जायेंगे। इसलिए, माननीय सभापति जी, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही चीज है कि आज देश के किसान को आप दिन को बिजली दीजए। आप ढिंढोरा पीटते हो कि हम उनको अच्छा खाद और अच्छा बीज देते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि अच्छा खाद और बीज लोगों के गोदामों में पड़ा रहता है और दो-तीन साल वही बीज कम कीमत पर बेचकर लोग मालामाल होते हैं। वह किसान के पास नहीं जाता। किसान जो खाद खरीदता है वह महगा खरीदता है। वह बीज खरीदता है आपका बीज या तो उसको मिलता नहीं है और मिलता है तो समय निकल जाने के बाद, और तब उसके कोई काम नहीं आता। यदि समय पर दे दिया जाता है तो कुछ लोगों की मिलीभगत से ऐसा खराब बीज मिलता है जिसके लिए पिछले दिनों इसी विधान सभा में उठा था कि बाजरा इतना खराब आ गया जिसकी वजह से लाखों किसान बरबाद हो गये। इसी तरह से गेहूं के साथ होता है। अन्य प्रकार के जितने भी कीटनाशक हैं वह किसी के यहां दुकानों में बिकते होंगे पर किसान के खेत में नहीं जाते, उन्हें किसान पैसे देकर खरीदता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी काम किया जाये........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह किसान के भले के लिये हो, देश का भला तभी होगा। राष्ट्र का भला होगा बेरोजगारी के उपाय होंगे वरना तो एक ढिंढोरा पीटना है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वह है आपके मण्डल आयोग की रिपोर्ट। आज माननीय सदस्य इधर बैठे हैं, और वह भी बिराजमान हैं जो सरकार में आज आये हैं। मैं यह कहता हूं कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट न यह सरकार कर सकी, वह सिफारिशें लागू न वह सरकार करेगी। मैं आज कहता हूं कि यह केवल भुलावा है, उन लोगों को भुलावा है जो लोग इससे फायदा लेना चाहते हैं। उनको बहकाया जाता है, भ्रमित किया जाता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ही तरफ के बुद्धिजीवी यह सोचते हैं कि अगर मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गयी तो लोग सक्षम हो जायेंगे, समझने लगेंगे उनको अधिकार मिल जायेंगे और वह हमको राज्य करने नहीं देंगे, हमारी नेतागीरी नहीं चलेगी। इसलिए मण्डल आयोग की रिपोर्ट के लिए तो हमें कभी भी आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई भी सरकार इसको लागू कर देगी। एक दिन जो गरीब से गरीब मुख्यमंत्री होगा और जो गरीब से गरीब प्रधानमंत्री होगा उस टाइम पर हम आशा कर सकते हैं कि ऐसी बात आ सकती है वरना यह आने की आशा नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्यों को जिन्होंने मेरी बात सुनी। धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारी तरफ से सिर्फ एक ही सदस्य बोल पाये हैं। सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री सभापति : ऐसा है सदन के सभी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वाद-विवाद में रूचि तभी आयेगी जब दोनों पक्षों के लोग बोलेंगे, ठीक रहेगा।

श्री नत्थी सिंह : यह बात सही है पर आप उनसे कहिये कि दो-दो घण्टे नहीं लें।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र किया है सही मायने में ऐसा लगता है कि राजस्थान की सारी दृष्टियों को न सोचे समझे, न देखे जो सरकारी दस्तावेज बना दिये गये उन्हीं को सामने रखते हुये यह राज्यपाल का अभिभाषण पेश किया गया। सभापति महोदय, अभिभाषण में जिक्र है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष बदल गया और सत्ता पक्ष की अपनी इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति जनता ने कर दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोग खुशी तो जरूर जाहिर करते हैं और यह भी बात सही है कि वे सत्ता पक्ष में बैठे हैं लेकिन राजस्थान की और देश की जनता ने इनको कितना मेण्डेट दिया है इस बात को अगर गम्भीरता से सोचा जाये तो मैं सोचता हूं कि शायद इतनी तालियां ये नहीं बजायेंगे। पिछले दिनों देश के अन्दर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। एक तरफ कांग्रेस को 194 सीटें प्राप्त हुई और कुछ और पार्टियां हमारे पक्ष में थी। बी जे.पी. 88 सीटों पर आई और जनता दल 141 पर आई। ऐसी स्थिति के अन्दर देश के प्रधान मंत्री पद पर जनता दल के नेता बैठ तो गये हैं लेकिन जो यह कहा जाता है कि जनादेश उनको मिल गया है वह एक थोथा दिखावा मात्र था और ऐसी परिस्थितियां देश में बन गयीं कि उनको भाग्य से कुर्सी मिल गयी। मैं आपको इसी सन्दर्भ में ले जाना चाहता हूं। अभी सुमित्राजी ने जिक्र किया राजस्थान की तरफ से....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाम नहीं लेते है, कांस्टीट्युएंसी का नाम लेते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप मेरे से बुजुर्ग हैं मैंने जी लगाया है। चिड़ावा से आने वाली माननीय सदस्य ने....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं चिड़ावा से नहीं आती हूं मैं पिलानी से आती हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अच्छा, पिलानी कह दो, साहब। अगर आप और चाहें तो मैं पिलानी भी कह दूं, उर्जा मंत्री भी कह दूं।

श्री सभापति : धीरे-धीरे आदत डाल लीजिए विधान सभा क्षेत्र को याद करने की।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसी स्थिति में जहां खुशी जाहिर करते हों ट्रेजरी बैंचेज में बैठे हुये लोग, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं राजस्थान के अन्दर ? राजस्थान के अन्दर केवल 25.13% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। दूसरी तरफ जनता दल को सही मायने में उनसे कम 21.46% वोट मिले हैं। मैं सोचता हूं कि जहां आपने जनादेश की बात कही तो आपको भी नेता और चुन लेना चाहिए।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

जनता दल के यदुनाथ सिंहजी हैं जो नाम मुझे याद है, और किसी का नाम याद नहीं।

श्री मदनलाल सैनी : सभापति महोदय, सन् 1966 में....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : जनता पार्टी ने 110 सीटों पर लड़ा था उन्होंने 80 के ऊपर लड़ा था अलग से। आपकी दो सौ सीटों का प्रतिशत हमारी सौ सीटों के बराबर है। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सच्ची बात से कतई नाराज नहीं होना चाहिए। तो मैं जिक्र कर रहा था कि जनता दल को 21.46 प्रतिशत वोट मिले हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको कितने वोट मिले हैं, वह तो बता दो आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर भैरोंसिंह जी को नेता मान लेते तो हम जोड़ लेते। जोड़ने का प्रश्न तो तब आता जब दोनों मिलकर एक हो जाते, एक पार्टी में शामिल हो जाते और एक नेता चुन लेते। मत्थीसिंहजी को चुन लेते चाहे भैरोंसिंह जी को चुन लेते तब तो हम मानते कि जनता ने जनादेश उनको दिया सही मायने में।

श्री डूंगरराम पंवार : जनता ने आदेश दे दिया।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इन परिस्थितियों में 33.5 प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिले। जहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि इतना जनादेश मिलने के बाद लोकतन्त्र की जड़ें बहुत मजबूत हो गयीं, मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि यह राजनीति में होता है। आप विरोधी पक्ष में बैठने वाले लोग उधर बैठे हैं और उधर बैठने वाले लोग इधर बैठे हैं। यह तो प्रजातन्त्र का नियम है। जनता जो पसन्द करती है वह सिर माथे पर है उसको कोई रोक नहीं सकता और उसे कोई गलतफहमी भी नहीं है। हमें भी इस बात की गलतफहमी नहीं है। हम तो खुद यह चाहते हैं कि लोकतन्त्र मजबूत हो लेकिन पिछले चुनावों में जिस प्रकार लोकतन्त्र को मजबूत किया गया है उसी तरह का लोकतन्त्र मजबूत नहीं हो जावे। असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर, इतने बड़े पैमाने पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में उनको टिकट दिये गये जो असामाजिक तत्व हैं, जिनके बड़े-बड़े केसेज लगे हुये थे, जिनके 302 के मुकदमे लगे हुये हैं, कई ऐसे मुकदमे लगे हुये थे। जिन-जिन के मुकदमे लगे हुये थे उन असामाजिक तत्वों को टिकट दी गयी।

श्री यदुनाथ सिंह : राजस्थान में कौन है, जरा बताइये ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उन असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर आज दिल्ली में राज पर हैं और राजस्थान के राज पर बैठे है। जरा बतायें बूथ कैप्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर की ..

श्री यदुनाथ सिंह : I object, Mr. Chairman. Point of Order.

श्री सभापति : क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि राजस्थान की सरकार और जनता का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आ गये हैं। सदन की गरिमा को ध्यान में रखिये, बैठा दीजिए इनको चुपचाप।

श्री सभापति : मैं पाइन्ट ऑफ आर्डर पर व्यवस्था कर दूं। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है मैं समझता हूं रिलेवेण्ट नहीं है। मैं उसको ओवर रूल करता हूं। माननीय सदस्य जो भी बोलते हैं जब उसकी रिप्लाई आयेगी तब उसका प्रति उत्तर दे देना।

श्री यदुनाथ सिंह : रिप्लाई से कोई सम्भावना नहीं है इस बात पर कि आपके एन्टी सोशल एलीमेण्ट हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान है कि अलग से उठा सकते हैं। यह पाइन्ट ऑफ आर्डर का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं चलने नहीं दूंगा जब तक आप एक्सपंज नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं। कौन है एन्टी सोशल एलीमेंट ? Are you anti-social element ?

श्री सभापति : किसी का नाम लेकर नहीं कहा है, माननीय सदस्य, कि आप पाइन्ट ऑफ आर्डर उठायें और मैं व्यवस्था दे दूं। यह तरीका नहीं है। आप जिस तरीके से इसको उठा रहे हैं नियमों में कोई प्रावधान नहीं है इसका।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते है कि कौन विधायक है जो 302 में होकर आये हैं। आप छोटी-सी बात को इतना बढ़ा रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : असामाजिक तत्व नहीं कह सकते।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक जी बोल रहे हैं और जब मुख्य सचेतक जी बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपने जिस नियम का उल्लेख किया है मैं नियम बताता हूं नियम 273 : "Procedure regard-ind allegation against a person.–No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless...." नियम बिल्कुल स्पष्ट है। इन्क्रीमीनेटरी और डिफेमेटरी वर्ड्स का यूज किया गया है। यह किसी एक आदमी के लिए नहीं है बल्कि पूरे हाउस के लिए है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, जो बात मैंने कही है उसको गलत लिया जा रहा है सदन में। मैंने खुद आप को कहा है कि कई जगह ऐसे असामाजिक तत्वों का सहारा लिया गया है जो जीत गये....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जो कहा गया कि जीत कर आ गये, इसका मतलब ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं खुद इसको करेक्ट कर रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अगर आप करेक्ट कर रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : इस विवाद को समाप्त करिये और अपना भाषण चालू रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रक्रिया के तहत एक मामला है, मेरी सुन लीजिए पहले।

श्री सभापति :- एक साथ दो व्यक्ति पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठा सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है उस पर मैं बोल सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सभापति : मैं सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जी को यह कहता हूं कि नियम 273 के अन्दर जो सरकारी मुख्य सचेतक जी ने प्रश्न उठाया है इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने सदन के ऊपर या सदस्य के ऊपर कोई डिफेमेटरी नहीं उठा कर जनरल बात कही है जो उनको कहने का अधिकार है। यदि किसी माननीय सदस्य के बारे में बात कहते तो मैं उसके बारे में रूलिंग देता। इसलिये इस विवाद को यहीं समाप्त किया जाय और करौली से आने वाले माननीय सदस्य अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री रामकरण सिंह : पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी चुनावों के बाद एक दिन धौलपुर चला गया। धौलपुर के लोगों ने कहा कि हमारे यहां से चार +++ लड़ रहे हैं। उनसे मैंने कहा कि कौन +++ लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक तो भैरोंसिह शेखावत, एक बनवारी लालजी, एक प्रद्युम्नसिंहजी और एक सालिगराम जी। तो मैंने कहा कि भाई डाका कौन-सा डाल दिया ? तो कहा, भाई, वोट पर डाका डाल दिया। तो इस तरह की बात आयी हो तो उसको आयी-गयी कर दें।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन हाल की घटी घटनाओं पर होता है। माननीय सदस्य, जारी रखें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था उसके संदर्भ को सदन मेरे ख्याल से समझ गया है। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य गये हैं तो मुझे आगे कहने का मौका दीजिए। मेरा कहना यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, इसलिये मैंने कह दिया कि लोकतंत्र की जड़ें किस तरह से मजबूत हुई हैं। इस सारे संदर्भ में मैंने बात की थी। महोदय, जहां तक जीतने का प्रश्न है अगर यह कहूं तो फिर मेरे माननीय सदस्य नाराज होंगे कि इस देश के अन्दर राम जन्म भूमि का नारा लगा कर सही मायने में इस देश के लोगों को गुमराह करने की साजिश नहीं की गयी क्या ? जब इस सदन के अन्दर कई माननीय सदस्य शपथ लेते हुए भी राम जन्म भूमि का नाम ले सकते हैं तो फिर प्रश्न इस बात का उठता है कि राम जन्म भूमि नाम का सहारा लिया

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

गया, बाबरी मस्जिद का सहारा लिया गया...

श्री बालचन्द आर्यवीर : आपको किस ने मना किया है राम का नाम का लेने से ? आप भी राम का नाम लेकर जीत जाते ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हारने के बाद भी राम का नाम ही लिया है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह सहारा लेकर भी यहां पहुंचते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मेरे अकेले की आपत्ति से क्या होगा ? देश की जनता और राजस्थान की जनता ने जिनको चुनकर भेजा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हिन्दुस्तान है यहां पर सुबह से शाम तक राम का नाम लिया जाता है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप तो रावण के वंशज हैं। रावण का नाम लो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें। आप अपने स्थान पर बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आपने राम का नाम नहीं लिया इसलिए आपका राम नाम सत्य हो गया।

श्री सभापति : आप अपने स्थान पर बिराजें, यह नियमों में प्रावधान है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुझे, माननीय सभापति महोदय, पता है कि कुछ कड़वी बातें कहीं जायेंगी तो तकलीफ होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सोचता हूं कि कड़वी बातें बड़ी बुरी लगती हैं और मैं सोचता हूं कि ऐसा स्वाभाविक है। सही बात तो यह है कि विश्व हिन्दू परिषद् के नाम पर घर-घर जाकर एक नोट लिया गया। वह नोट कहां इस्तेमाल हुआ ? राम मन्दिर के नाम पर तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। वह हिन्दू परिषद् का चन्दा, राम मन्दिर के नाम का पैसा इस चुनाव में इस्तेमाल हुआ। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय सदस्य, असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। कृपया बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थानों पर बिराजें।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : क्या भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिन्दू परिषद् से पैसा लिया है ? यह स्पष्ट कीजिए आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर बिराजें। राज्यपाल के अभिभाषण पर जब वाद-विवाद होता है उसमें माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं.... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह : माननीय सभापति महोदय, तो क्या सब कुछ बोल सकते हैं ?

श्री डूंगरराम पंवार : राम का नाम लेना उनके भाग्य में लिखा ही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आपको मौका मिले तो आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल तथ्यहीन बात है ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब काम निकल चुका है और जब काम निकल जाता है तो राम नाम सत्य हो जाती है।

श्री सभापति : जब आपको मौका मिलेगा तब अपनी बात कहें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, क्या सत्ता पक्ष में बोलने वाली बात ही सही होगी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने राम का अपमान किया है। राम का अपमान करके उनको यहां बैठने का.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : सभापति महोदय, इस प्रकार के व्यक्ति को तो सदन से बाहर निकाला जाना चाहिए जो इस प्रकार भगवान का नाम लेता है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताइये कि आपको क्या बोलने का अधिकार है और क्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप बाई ग्रेस टाइम पर बोल रहे हैं, इसमें कोई सब्सटैंशल बात कहें, इन्क्रिमिनेटरी और डिफेमेटरी बात कहने से फायदा नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मुख्य सचेतक महोदय को मेरी बात से कुछ तीखी तकलीफ हुई है इसलिए शायद उनको लग रहा है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : तकलीफ नहीं है, यह गलत बात है बिल्कुल। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट। पाइण्ट ऑफ आर्डर है। आप बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है, माननीय सभापति महोदय, कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राम जन्म भूमि और विश्व हिन्दू परिषद् ने सवा-सवा रुपया लेकर के जो चन्दा लिया उसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में....

श्री चन्दनमल बैद : बी. जे. पी. ने नहीं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब बता दीजिए किसने लड़ा।

श्री चन्दनमल बैद : यह कहा कि उस का रुपया चुनाव में काम आया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने यहां प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसी बात नहीं कहे जिसका जवाब यहां इस सदन में नहीं दिया जा सकता है। विश्व हिन्दू परिषद् या जिन्होंने चन्दा लिया है वे यहां आकर जवाब नहीं दे सकते हैं। यह सारा हिसाब विश्व हिन्दू परिषद् ने दे दिया है एक-एक नये पैसे का कि किस-किस से लिया है और वह कहां जमा हुआ है। नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है कि जिसका जवाब हाउस में आकर कोई नहीं दे सकता है उसके बारे में कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाये जा सकते हैं।

श्री सभापति : हिन्दू परिषद् के किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आरोप लगाया गया होता या बात कहते तो मैं समझता हूं कि उनको मैं निर्देश दे देता परन्तु उन्होंने जनरल बात कही है। जब जवाब आये तो इसका उत्तर दे देना। यह कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, इससे पहले वाले वक्ताओं ने क्या नहीं कहा ? हमने तो इतनी सी बात कही, छोटी सी बात की तकलीफ हो गयी। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा ? उस समय तो कोई बात नहीं थी, जब आप उस पक्ष में बैठा करते थे तो आप जो मर्जी आये बोला करते थे और हम सुना करते थे। आप सुनने की आदत डालिये।

राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां अपनी बात नहीं कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों को उठाया है, अगर सही मायने में उनकी सरकार उन्हीं की बात को माने, हमारी बात न भी माने, तो मैं समझता हूं कि वे जनता की सेवा करेंगे और राज्यपाल महोदय ने जिन बातों का जिक्र किया है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। अगर आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं तो हमें खुशी है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात भी कही गयी कि आपसी सामंजस्य से राजस्थान की आकांक्षाओं को यहां के विकास को आगे बढ़ायेंगे। किसके आपसी सामंजस्य की बात कर रहे हैं ? जनता के आपसी सामंजस्य की बात कर रहे हैं या जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के आपसी सामंजस्य की बात कर रहे हैं ? अभिभाषण में हम इस बात को समझ नहीं पाये। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य शायद ज्यादा समझ गये हों, इनसे ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर यह सामंजस्य वाकई जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के आपसी सामंजस्य की बात है तो देश के अन्दर पिछले दिनों जो घटनायें घटीं वह कोई देश की जनता से छिपी हुई नहीं हैं। आज जिस प्रकार जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का एक अनमेल विवाह हुआ है, भगवान करे, यह आगे चले। लेकिन प्रश्न इस बात का है (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, मुझे इस बात की चिन्ता है। देश के अन्दर आजकल बड़ी महाभारत चल रही है। आजकल महाभारत सब लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल धृतराष्ट्र का है। मुझे लगता है कि देवीलालजी एक तरह से धृतराष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। मोह के वशीभूत अपने बेटे दुर्योधन को बचाने के अन्दर जिस ढंग से वे लगे हुए हैं, वह यह देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए ऐसी स्थिति में....

श्री शांतिलाल चपलोत : दुर्योधन शब्द अपमानजनक है (व्यवधान) मैं किसी माव-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

नीय सदस्य को दुर्योधन कहूंगा तो इसका अर्थ यह लिया जायेगा कि यह अत्याचारी है, अन्यायी है। इसको आपको एक्सपंज करना चाहिए।

श्री सभापति : मैं सरकारी मुख्य सचेतकजी से आग्रह करूंगा कि वे अपने माननीय सदस्यों को थोड़ा समझायें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने 10 साल के अन्दर एकाधिकार की बात कही....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देश के उप-प्रधान मंत्री को इस तरीके से धृतराष्ट्र कहना उचित समझते हैं आप? एक्सपंज करवाइये आप इसे।

श्री सभापति : असंसदीय नहीं है धृतराष्ट्र कहना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपमानजनक है यह। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, धृतराष्ट्र को तो खत्म कर दिया सुदर्शन चक्र चलाकर श्रीकृष्ण ने। देवीलालजी ने जो चक्र चलाया है, धृतराष्ट्र वहां औंधा पड़ गया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जनता दल के नेता महोदय ने जो कहा है, मेरी शुभ-कामनाएं आपके साथ हैं। चलायें वह चक्र, भगवान करे आप....

श्री नत्थी सिंह : चला दिया, उसी का नतीजा दिख रहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में एका-धिकार की बात कही गयी है कि राजस्थान में कांग्रेस का 10 साल से एकाधिकार रहा है। यह एकाधिकार राजस्थान की जनता ने दिया है इसलिए एकाधिकार माना तो मैं सोचता हूं मेरी समझ में नहीं आता। अगर जनता एकाधिकार दूसरी पार्टी को को देगी तो यह जनता के सोचने की बात है। एकाधिकार हमको मिला तो जनता ने दिया, किसी की कृपा से नहीं मिला।

श्री बंशीलाल पटवा : सभापति महो-दय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : ऐसा है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने से पहले नियमों का हवाला दे दें कि इस नियम के अन्तर्गत वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा नियमों का हवाला है कि आप जिस आसन पर बिराजे हैं और जो व्यवस्था तय की गयी है, आपका कर्तव्य और दायित्व है कि उन व्यवस्थाओं का निर्वाह आवश्यक रूप से हो। समयावधि तय की गयी है, हर एक दल को समय दिया गया है। उसके अनुसार समय बचता है क्या, इसका आप विश्लेषण कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी व्यवस्था दीजिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : ऐसा है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना भाषण जल्दी से जल्दी पूरा करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कितना बीच में मुझे टोका गया है, वह समय कार्य-वाही में अंकित नहीं है।

श्री सभापति : वह मेरे ध्यान में है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जितना मुझे टोका जायेगा वह समय कार्यवाही से निकलेगा और जितना और टोकेंगे मुझे समय और मिलेगा।

श्री नत्थी सिंह : जितना आप टुकवाने का काम करेंगे, टोका जायेगा। दोष तो आपका ही है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कांग्रेस पार्टी को जो चार घण्टे दिये गये थे वह पूरे हो चुके हैं।

श्री सभापति : उस बारे में अध्यक्षजी के यहां बात कर लेंगे। अभी इनको अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऊलजलूल बातों के लिए समय दिया गया है।

श्री सभापति : करौली से आने वाले माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अगर वाकई समय के लिए चिन्तित हैं तो मुझे अपनी बात पूरी करने दें, परन्तु वह खुद ज्यादा समय लेकर सदन का समय जाया करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, एक तरफ एकाधिकार की बात कही गयी, लेकिन दूसरी तरफ पिछली बार देश के प्रधान मंत्री वी. पी. सिंहजी ने इस चुनाव के अन्दर जिस ढंग से जनता को गुमराह करने की कोशिश की, असत्य प्रचार किये गये, बोफोर्स के नाम पर जिस प्रकार पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान में ढिंढोरा पीटा गया, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहां गयी 30 दिन की उनकी बात, कि 30 दिन के अन्दर बोफोर्स काण्ड को साबित कर देंगे ? अगर 30 दिन में साबित कर देते तो बात समझ में आती थी। देश की जनता अब समझ चुकी है कि वह केवल चुनावी हथकण्डा था। इस हथकण्डे के साथ जनता बह गयी, गुमराह हो गयी। 30 दिन के अन्दर वह करना चाहते थे तो 30 दिन में निकाल देते।

एक माननीय सदस्य : एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी, नाम घोषित हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : राजीव गांधी के मामले में एक बात साबित नहीं कर पाये। अगर सही मायने में सच्चे हैं तो 30 दिन में पूरा नहीं करते ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जनता 1984 में काहे में बही थी ? माननीय सदस्य, 1984 में भी तो भावनाओं में बही थी जनता।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी है, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : यदि आपको नहीं आती है समझ में, तो डिक्शनरी देख लीजिए जरा। लोटस का मतलब कमल और कमल का मतलब राजीव।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय सरकारी घोषणाओं में जनता के हित में क्या किया गया ? अभिभाषण के अन्दर राज्यपाल महोदय ने कहा

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कि वित्त व्यवस्था चरमरा गयी है। कैसे चरमरा गयी ? चुनाव से पहले देवीलालजी और वी. पी. सिंहजी जहां भी भाषण देने जाते, कहते कि मुझे एक बार खजाने की चाबी दे दो, मेरे राज में आने के बाद खजाने की चाबी खोल दूंगा जनता के लिए। निहाल कर दूंगा, पानी की नदियां बहा दूंगा, बिजली पहुंचा दूंगा। और जब राज में पहुंचे तो यह कहने लगे कि राज का खजाना खाली है। जनता के सामने क्या कहें जाकर, क्योंकि उनके पास जनता को देने को कुछ है नहीं। इसलिए अब कहा कि राज के खजाने की चाबी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यही बात भारत सरकार के अन्दर भी कही गयी कि राज के खजाने में कुछ छोड़कर नहीं गये। मधु दण्डवते साहब ने यही कहा कि राज के खजाने में कुछ नहीं है। लेकिन एक वीकली अखबार में मधु दण्डवते का खुद का स्टेटमेंट पढ़िये। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं उस वीकली का नाम भी लेने को तैयार हूं। वित्त मंत्री मधु दण्डवते ने एक साक्षात्कार में यह कहा है कि खजाना खाली मिलने की बात की राजनीतिक शब्दावली और आर्थिक शब्दावली में प्रचार का बड़ा अन्तर है। राज का खजाना किसी प्रकार से खाली नहीं मिला, खजाना भरा हुआ मिला। लेकिन जनता में असत्य बातों के वायदे करके आने वाले लोग अब राज का खजाना खाली होने की बात करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : खजाना भरा मिला भ्रष्टाचार का।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अब वह आप साफ कर देना, भ्रष्टाचार साफ कर देना। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच-बीच में नहीं बोलें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो राजीव गांधी भी स्वीकार कर चुके हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ इसलिए खजाने की बात करते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसी प्रकार राजस्थान सरकार के लिए भी कहा गया कि पिछले दो महीनों के अन्दर सारा खजाना खाली कर गये। जनता ने हमको चुनकर भेजा था। हम जनता के सेवक, जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, अगर हम राज का खजाना जनता के लिए ही नहीं खोलते तो ऐसी निरर्थक सरकार में बैठने का धर्म नहीं। अगर आप लोगों ने संकल्प कर लिया है कि राज का खजाना जनता के लिए नहीं खोलना है तो आपकी मर्जी है। जब हमारा राज था तो हमने अपना खजाना खोला जनता के लिए, हमने किया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। जब चुनाव हुआ करते थे, कहते थे कि हमारा राज आ जायेगा तो हम यह कर देंगे, हमारा राज आ जायेगा तो वह कर देंगे और अब यह कह रहे हैं कि आपने जो भी किया हम उस पर पुनः विचार करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है। राजस्थान की जनता

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

इस बात को महसूस करेगी कि चुनाव से पहले आपके नेताओं के क्या भाषण थे। अगर आप हमारे किये हुए कामों को, हमारी की हुई घोषणाओं को वापस लेना चाहते हैं, जैसा कि इस राजनीतिक भाषण से इंगित लगता है, तो आपका स्वागत है। जनता ने अगर आपको इसीलिए भेजा है कि जनता के लिए हमारे किये हुए फैसलों को वापस लेकर आप खुश होना चाहते हैं, तो आपकी खुशी, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जे डी.ए. के अन्दर सरकारी जमीनों के अन्दर कहीं कोई नियमन का काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो फैसले हमने किये हैं वह फैसले राजस्थान की जनता के लिये, जो भी कच्ची बस्तियों में जहां बैठा है उसके नियमन का फैसला कांग्रेस की सरकार ने किया, जो कृषि भूमि पर बैठा है उसके नियमन का फैसला किया और जो....

श्री गुलाबसिंह : कोई फैसला नहीं हुआ।

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, आपको जब मौका मिले तो कह देना।

श्री जगतसिंह दायमा : सभापति महोदय, समय की तो पाबन्दी होनी चाहिये। समय की पाबन्दी सब के लिये है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बीच में व्यवधान नहीं करें। माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गुलाबसिंह : माननीय सभापति महोदय, हर आदमी पर समय की लिमिटेशन होती है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि कृषि भूमि पर बैठे हुए व्यक्ति की जमीन के नियमन का फैसला हमारी सरकार ने किया। मुझे मालूम पड़ा है कि राजस्थान सरकार एक और काला कानून बनाने जा रही है, अगर किसी का नाजायज मकान बना हुआ है तो उसके लिये 6 महीने की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। यह मुबारक हो काला कानून। जल्दी जायें। जिस जनता के बीच में आप वायदा करके आये हैं.... (व्यवधान) मुझे खुशी है।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : नाजायज मकान ही नहीं कोई भी नाजायज काम होगा उसके लिये सजा देने का काम यह सरकार करेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सीनियर सदस्य ने अभी भ्रष्टाचार की बात कही। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को और इस राजस्थान की जनता को कि 1977 में भी राजस्थान की सत्ता पर भैरोंसिंह जी बैठे थे और उन्होंने उस समय भी कहा....

श्री नवनीतलाल नीनामा : वह याद दिला दिया हिन्दुस्तान को और राजस्थान की जनता को, जिसकी गारण्टी आप दे रहे हो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उस समय यह कहा था कि राजस्थान में जिस किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा उनकी नाक में से निकाल लेऊंगा। 28 महीने तक कितनों की नाक में से निकाल लिया? और अब आप को मुबारक है जितना चाहे निकाल लेना।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो साम्प्रदायिक दंगे इस राजस्थान में हुए उन साम्प्रदायिक दंगों के अन्दर जिन्होंने भी ऐसे काम किये हैं जिन्होंने दंगे पैदा किये हैं उनसे सख्ती से निपटा जायेगा। भाई, मैं सोचता हूं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अगर हमारी पार्टी के लोगों ने दंगे करवाये हों तो मैं आमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को और ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हुए लोगों को कि कांग्रेस के लोगों पर केस लगायें, उनको फांसी लगायें अगर वह गलत हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ बैठे हुए, आपसे सम्बन्धित लोग, आप की पार्टी से सम्बन्धित लोग अगर साम्प्रदायिक दंगों के अन्दर शामिल हों तो सख्ती से फैसला करके दिखायें और हमारी तरफ हों तो हमको दिखायें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह मांग अपने शासन में क्यों नहीं की? माननीय सदस्य जो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, हमारे रामकिशन जी वर्मा के लड़के ने कोटा में दंगा करवाया, उस समय यह मांग करते कि भाई, उनको सजा दी जाय, उनका दंगे में हाथ था। आज यह मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस तरह का व्यवहार नहीं करें। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, और कितना समय देंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में व्यवधान होने से समय ज्यादा लग रहा है। मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वाद-विवाद सुनने की क्षमता रखें।

श्री मदनलाल सैनी : यह समय पर एकाधिकार चल रहा है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप यह बतायें कि दोषी व्यक्तियों पर कितने मुकदमे उठाये?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अब आप उसमें वापस करवा लीजिये। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : समय पूरा नहीं हुआ अभी? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं लेकिन माननीय सरकारी मुख्य सचेतक सुनना ही नहीं चाहते?

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें। आधा घण्टे से ज्यादा समय हो गया है। इसलिये जल्दी समाप्त करें। 5 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अच्छे शब्दों में कहा है "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय", पर मेरे को तो इस पर चिन्ता हो रही है कि कहीं यह "स्वजन हिताय स्वजन सुखाय" नहीं बन जाय।

जिस प्रकार से पुलिस और सरकारी अधिकारियों को बार बार इस सरकार के मंत्री और जिस प्रकार के लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया, उन्होंने गलत काम किया है उनको सख्ती से निपटा जायेगा, भाई, हमें बड़ी खुशी है निपटें सख्ती से। पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे अधिकारियों पर इस प्रकार का दबाव डाल कर, आरोप लगा कर, डरा कर एक ऐसा जाल फैलाना चाहते हैं कि सारे अधिकारी डर जायं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार राजस्थान के टैलेन्ट, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी डर जायेंगे ? पर उनको इस प्रकार से डराने और उन पर अंकुश लगाने की बड़ी साजिश चल रही है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, अब आप यह चाहते ही हैं कि मैं समाप्त करूं, माननीय सदस्य मेरी कड़वी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं तो मैं बहुत सारी बातों को छोड़ देता हूं। राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के मुद्दे तो बहुत थे पर मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे कभी बोल लूंगा। राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को मैं दिशाहीन पाता हूं। यह ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में अंधेरा रोशनी को गर्भवती करेगा। यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पूरा इस प्रकार का है कि इसकी भर्त्सना करने के लिये शब्द मेरे पास नहीं पाता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो कृपा कर यहां अभिभाषण दिया मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कुछ बातें कहना चाहती हूं। सर्वप्रथम मैं एक श्लोक के माध्यम से दो प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी :–

"विद्या विवादाय धनम् मदाय।
शक्ति परेशाम् परपीड़नाय।
खलस्य साधो विपरीतमे तत्।
ज्ञानाय दानाय दाना च रक्षणाय।।"

सभापति महोदय, जो असाधु लोग होते हैं और जो सज्जन लोग होते हैं उनमें दो ही प्रकार की विपतार्थ एक-दूसरे में पायी जाती है। एक के पास ज्ञान होता है वह ज्ञान देने के लिये होता है, धन देने के लिये होता है और जो शक्ति होती है वह रक्षार्थ होती है। जो दूसरी खल प्रकृति के लोग होते हैं शक्ति उनके लिये दूसरों को पीड़ित करने के लिये होती है। मैं समझती हूं कि यह मैंने जो व्याख्या की है इसको ध्यान में रखते हुए लोग अपना आचरण सुधारेंगे।

मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि जो संकेत राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिये हैं उसके अनुसार केन्द्रीय योजनाएं अधिक से अधिक राजस्थान में लायेंगे। क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि हमारी जो केन्द्र में लॉबी है काफी सशक्त है और उस माध्यम से हम राजस्थान के विकास के लिये वहां से योजनाएं लायेंगे। अपने हिस्से का पानी और बिजली, जिसके बारे में माननीय नेता महोदय बराबर कहते रहे, लायेंगे। उसके लाने से निश्चित रूप से राजस्थान का चहुंमुखी विकास होगा। एक दिन ऐसा आने वाला है कि मरुधरा लहलहा उठेगी, सर्वत्र खुशहाली होगी और राज्य धनधान्य से भरापूरा होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गांवों में 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत पैसा लगाने की योजना हमें मिली है। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्राथमिकता विलेज टैंकों को पूरा करने को दी जाय, पेयजल को दी जाए और साथ ही पर्याप्त बिजली को दी जाए। यदि विलेज टैंक बना लिए गये तो हमारे जो जल के स्रोत हैं, आने वाले समय में जल से भरेंगे। जो भरेंगे तो कुओं में सीम आयेगी, कुओं में सीम आने से वहां के पशु और अन्य लोगों को पानी मिलेगा। साथ ही जल योजनाएं अगर गांवों में लागू की गईं तो जो एक आधार कांग्रेस ने छोड़ दिया पेयजल के बारे में, हम पेयजल की आपूर्ति करेंगे, इस बात को हम पूरा कर सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो अरावली की पर्वत श्रृंखला राजस्थान में सीधी चली आई है उसके किनारे-किनारे से फाल गिरते हैं और उस पानी के आ जाने से भूमि में कटाव हुआ है। इस कटाव को पूरा सर्वे कराकर रोका जाए जिससे हमारे छोटे-छोटे किसान, जिनके पास एक-एक, दो-दो, चार-चार बीघा भूमि है, पूरा धान पैदा कर सकें और वे लोग खुशहाल रह सकें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ के लगे हुए एरिया से लेकर जयपुर में जो अरावली की श्रृंखला है, वहां आप देखेंगे कि कटाव से भारी क्षति हुई है और बड़े-बड़े खाले पड़ गये। अब इनको कन्दरा सुधार कार्यक्रम के माध्यम से लेकर अन्य मरुस्थलीय इलाकों में भूमि संरक्षण की योजनाओं की तरह यहां भी लागू किया जाय और इस कटाव को रोका जाए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सामुदायिक विकास की योजना भी यहां लागू की जाए, जिससे क्षेत्रीय विकास हो सके। लघु उद्योगों का यदि सर्वेक्षण कराया जाए तो गांवों में जो कुटीर और स्थानीय उद्योग लग सकते हैं, लगाये जाने से आप देखेंगे कि शहर की ओर बढ़ती हुई जो आबादी है उसका झुकाव गांवों की ओर फिर बढ़ेगा और शहरों में जो आपा-धापी और समस्याएं हैं वे कम होंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सुव्यवस्थित ढंग से गांवों में प्राथमिकता सड़कों को देनी चाहिए। उनको छोटी-छोटी लिंक रोड्स से जोड़ा जाए, जिससे वहां रहने वालों को बसेज की सुविधा उपलब्ध हों, उनको आवागमन के साधन उपलब्ध हों, और वह अपनी उपज आसानी से शहर ले जा सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसके साथ-साथ जयपुर में एक विभीषिका बनी हुई है कृषि भूमि पर बने हुए मकानों की। उनके नियमों का सरलीकरण करते करते कांग्रेस सरकार चली गई लेकिन नियमन नहीं कर पाई। उन्होंने 1142 योजनाओं में से केवल 439 योजनाओं को स्वीकृत

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

किया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि वह शेष योजनाओं को स्वीकृत करे क्योंकि उनका तोड़ा जाना असम्भव है लगभग सपूर्ण मकान बन चुके हैं और कोई मकान तोड़ा जाना उचित नहीं है। मैंने तो आज तक एक मकान की नींव भी नहीं रखी है और लोगों ने अपने घरों के जेवर, बर्तन बेच कर, पेंशन का पैसा लगा कर अपने मकान बनाये हैं। निश्चित रूप से उनका नियमन किया जाना चाहिए और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी विकास शुल्क की दरें हैं वे कम हों। लोगों ने लगभग विकास कर लिया है। इस प्रकार से जो एक आवासीय समस्या जयपुर और राजस्थान में बनी हुई है और जो हमें विरासत में मिली हैं, उसका समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि 1982 में कांग्रेस सरकार ने जो नियमन की राशि ली थी वह करोड़ों में थी, 56 करोड़ के करीब उन्होंने प्राप्त किये थे। 1982 से लेकर आज तक का ब्याज अगर जोड़ें तो हम उससे न केवल सड़कें बना सकते हैं बल्कि सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, नालियां, गटर बनाकर उन्हीं के पैसे से उन का विकास कर सकते हैं। मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहती हूं कि वह उन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास का कार्य हाथ में लें। वे लोग बहुत दुःखी हैं, उनके सिर पर तलवार लटकी हुई है कि कब कौन सा मकान तोड़ देंगे, कब कोनसा मकान छोड़ देंगे। एक जे.डी.ए. क्या बन गया भ्रष्टाचार का घर बन गया। वहां पर जो अधिकारी हैं निरीक्षक पुलिस वाले, प्रवर्तन अधिकारी, वे 5 हजार में बनवाते हैं 5 हजार में छोड़ते हैं, 5 हजार लेकर तोड़ते हैं। इस तरह से देखा जाये तो सारे शहर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था उसको ध्वस्त किया गया है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जयपुर में नगर निगम बना कर चुनाव कराये जायं और जे.डी.ए. को भंग किया जाए। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि 1971 की जो कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं और जो 85 का सर्वे हुआ है उन सब को आवासीय सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाय। साथ ही वहां पर पानी, बिजली और सड़कें मुहैया कराई जायें। मैंने कल-परसों भी कहा था कि कच्ची बस्तियों के लिए 1980-81 से लेकर अब तक कांग्रेस सरकार ने, शिवचरण जी माथुर ने अपनी सालगिरह पर 59 पट्टे बांटे। 59 वीं सालगिरह कब थी पहाड़िया जी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे ध्यान नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ध्यान नहीं है आपको, पर उनका राज था जब थी, यह बात तो तय है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उसके बाद उन्होंने अपनी स्थिति समझ ली और वे और पट्टे नहीं देंगे। जे.डी.ए. जाते-जाते लोगों की जूतियां फट गयीं, कच्ची बस्ती वाले दुःखी हो गये। जब उन्होंने यह कार्य नहीं किया तो अवैध निर्माण की बाढ़-सी आ गई, जिसको रोका नहीं हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह दुकानें बनी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। यह और कह गये कि पिछले चार महीने में जो अवैध निर्माण हुआ उसको नहीं तोड़ा जाय। कितना पैसा खाया है, यह आप सोच सकते हैं, हर चिन्तन करने वाला आदमी सोच सकता है। इस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

शहर को जिस विद्याधर ने बसाया था उस शहर की आकृति-प्रकृति को इन्होंने आघात पहुंचाया हैं। उसके विकास को क्षति पहुंचाई हैं, उसकी सुन्दरता को दाग लगाया है। मैं कहना चाहूंगी कि यह गुलाबी नगर विश्व के तीन नगरों में से एक था जिसका इन्होंने सत्यानाश किया है। माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जो हमारी ही नहीं सारे विश्व की आकांक्षाएं थीं उसके अनुरूप जयपुर के विकास का कार्य करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनका हमें सामना करना हैं। मजदूरों के लिए जो कानून बने हैं वे अपर्याप्त हैं। उन वर्गों की समस्याओं का समाधान करना है। महिलाओं के सामने दहेज दानव के रूप में इस देश में एक कुसंस्कार खड़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए सामाजिक कदम उठाने पड़ेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कई प्रवृत्तियां, जैसे शराब पिछली सरकार ने आते ही खोली। उसका भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे समाज स्वस्थ रहे और उसका अच्छा विकास हो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसी प्रकार हमें समुचित रूप से बाल विकास के कार्यक्रम हाथ में लेने पड़ेंगे। केवल बाल वर्ष मनाने से, केवल युवा वर्ष मनाने से, केवल महिला वर्ष मनाने से विकास के कार्य नहीं होते। सर्वांगीण विकास के लिये हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार इन कामों को करेगी। एक निवेदन और करना चाहूंगी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप घंटी बजायें या न बजायें मैं तो समय से पहले ही बन्द कर रही हूं। एक घंटा दस मिनट श्री जनार्दनसिंह गहलोत बोले हैं मैं बीस मिनट भी नहीं बोली।

श्री सभापति : व्यवधान के समय को हटाने के बाद करीब 13 मिनट वे बोले हैं और आपके मुख्य सचेतक जी ने 10 मिनट के लिये कहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे समाप्त करने का मौका तो देंगे।

श्री सभापति : दस मिनट हो गये हैं। आप एक-दो मिनट में जल्दी समाप्त कर दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि इन संकेतों का ख्याल रखते हुए राजस्थान के विकास में कार्य करें। इसी के साथ मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देती हूं। अब तो आप खुश ? नमस्कार

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल खाण्डा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की आज्ञा है?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन की आज्ञा से सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय से अभी थोड़ी देर पूर्व ही चैम्बर में वार्ता हुई थी। कल के लिए उन्होंने यह निश्चय किया है, सदन के नेता महोदय से विचार विमर्श करके, और उन्होंने मुझे भी बुलाया था कि कल जीरो आवर नहीं रखेंगे, प्रश्नकाल के बाद तुरन्त ही डिबेट स्टार्ट कर देंगे। ऐसी सूरत के अन्दर समय बढ़ाना उचित नहीं है कल हमारे पास काफी समय रहेगा। चूंकि अब आपने प्रस्ताव रख दिया और प्रस्ताव पारित कर दिया, इसलिये अब तो आधा घंटा बढ़ाना पड़ेगा। यदि पारित नहीं हुआ है....

अनेक माननीय सदस्य : पारित हो चुका है, समय बढ़ा दिया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बार सुनो आप। देखिये, माननीय महावीर प्रसाद जी, थोड़ा गम्भीरता से ले लें। अध्यक्ष महोदय से अभी कुछ देर पूर्व ही मेरी वार्ता हुई थी। सदन के नेता महोदय से उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपके दल की क्या राय है। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। एक दिन जीरो आवर को स्थगित करने से कोई प्राबलम नहीं होगी। तब समय बढ़ाना उचित नहीं होगा। आज समाप्त कर दें, कल इस पर बहस चलेगी, अग्रेतर वाद-विवाद चलता रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का कल के लिये कहना तो ठीक है। आज आधा घंटा और बैठ लें तो अच्छा ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने तो कहा....

श्री दिग्विजय सिंह : आप अगर पहले पाईंट आउट कर देते तो आधा घण्टा नहीं बढ़ाते!

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल जी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद विवाद

श्री बाबूलाल खाण्डा (सूरजगढ़) : माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ है उसके प्रति मैं मेरा समर्थन देते हुए संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। इस सदन में मेरा यह प्रथम अवसर है। मैंने बहस को सुना है। माननीय वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुने हैं और अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य जो करौली से आये हैं उनकी भी बुलन्द आवाज में मैंने सुना है ...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं जहां से आया हूं ओरिजिनली आप वहां के हैं।

श्री बाबूलाल खाण्डा : लेकिन आवाज में फर्क है, आपकी आवाज बुलन्द ज्यादा है मेरी कम है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हो जायेगी।

श्री बाबूलाल खाण्डा : लोकतंत्र मजबूत हुआ है या नहीं हुआ, सत्ता परिवर्तन सही रूप में हुआ है या नहीं हुआ है, यह सदन में कितनी ही ऊची आवाज में बोलें,

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

सदन से बाहर बोलें लेकिन यह सत्य है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। यह बिल्कुल सत्य है केन्द्र में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और यहां भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो सच्चाई है उसे नकारा नहीं जा सकता। अब, सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ उसके अलग-अलग मतभेद विचार हो सकते हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने तर्क दिये हैं और महामहिम राज्यपाल के भाषण की जो पुस्तिका है इसके लिये उन्होंने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियायें दी हैं। मैं एक-दो प्रतिक्रियायें बताऊंगा। बीकानेर से आये माननीय सदस्य जो आसन पर बिराजे हुए हैं उनकी प्रतिक्रिया है कि यह अभिभाषण बड़ा नीरस है। यह पुस्तिका मेरे हाथ में है। इसका रंग गुलाबी है। गुलाबी रंग की कोई पुस्तिका किसी के हाथ में आये, वह नीरस तो हो ही नहीं सकती। पता नहीं कैसे उन्होंने यह कहा होगा। शायद इसलिये कहा होगा कि इसमें कोई शेरो शायरी कम है। अन्त में एक अच्छा ज्ञानवर्धक श्लोक अवश्य है लेकिन शेरो शायरी नहीं है। दूसरे हमारे माननीय सदस्य अर्थशास्त्र में प्रोफेसर रह चुके हैं, आकड़ों में उनकी अधिक दिलचस्पी है। लेकिन इस अभिभाषण की पुस्तिका में आंकड़े बहुत कम हैं और जो बहुत कम आंकडे हैं उनके लिये भी एक हमारे दूसरे परम माननीय सदस्य ने कहा है कि आंकड़े गलत दिये हैं। उन्होंने कई रेफरेन्स के माध्यम से, रिकार्ड के माध्यम से उन्हें गलत सिद्ध करने की कोशिश की है। इसी पुस्तिका में पृष्ठ 14 पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, उन्होंने इसको गलत सिद्ध नहीं किया तो मैं समझता हूं कि वह बात सही है। वह क्या है कि खुद श्री राजीव गांधी, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने यह कबूल किया है कि हमारी व्यवस्था में, हमारे प्रशासन में कुछ ऐसा भ्रष्टाचार आ गया है, बिचौलिये इतने बढ़ गये हैं कि जो पैसा हम विकास कार्यों के लिये मंजूर करते हैं उसका एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही अन्तिम आदमी के पास पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि 85 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार के मत्थे पड़ता गया है। जिन माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया था कि आंकड़े गलत दिये हैं उन्होंने भी इसका खण्डन नहीं किया तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है।

दूसरे एक और माननीय सदस्य हैं जिनका मैं बड़ा आदर करता हू। वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहे हैं हमेशा। वे माननीय सदस्य तारानगर से है और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने यह कहा कि इस अभिभाषण में गाली गलौंच है। क्यों गाली गलौंच है ? क्योंकि पूर्व सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार करार दिया गया है। यह उनका आरोप है पर भ्रष्टाचार के लिए पृष्ठ 14 पर जो लिखा गया है कि 85 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार के पेट में चला जाता है भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने उसका खण्डन नहीं किया है। तो इसमें कुछ बातें हैं जिनमें मुख्य बात यह है कि सत्ता में परिवर्तन आया है। मेरी यह मान्यता है और मैं गांवों में जब गया तो उससे भी लगता है कि सत्ता परिवर्तन कोई बोफोर्स की नारेबाजी से या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के एकत्रित होकर जनता को बरगलाने से हुआ हो; ऐसी बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन आया है जनता की नाराजगी से। जनता इतनी नाराज थी कि

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

वह किसी भी सूरत में, चाहे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में समझौता होता या नहीं होता फिर भी वह कांग्रेस को सत्ता देने वाली नहीं थी यह बात तय है। 1977 में भी जनता की नाराजगी से सत्ता परिवर्तन हुआ और अब 1989 और 1990 में भी यह सत्ता परिवर्तन हुआ।

मैं आपको बताता हूं, 1977 की बात पहले बताता हूं बाद में 1989 और 1990 के एक दो दृष्टांत दूंगा, रुचिकर होंगे। आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आभारी हूं। 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई उससे पहले क्या हुआ कि तीनों-जनता, मतदाता तात्कालिक सरकार से नाराज हुए, उसका मैं दृष्टांत देता हूं। 1976 में संजय गांधी का बड़ा प्रभुत्व था। उनके सिद्धान्त अच्छे थे, मैं उनका पक्ष लेता हूं। उन्होंने कहा कि पेड़ मत काटो। वे बीकानेर भी गये। उस समय मैं बीकानेर में था, उन्होंने कहा कि पेड़ मत काटो। उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री से कहा कि आप राजस्थान में पेड़ कटवाना बन्द कर दीजिये नहीं तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। जिला कलक्टर को बुला कर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे ऐसा कहा गया है तो आप देखिये कि जिले में पेड़ न कटें, नहीं तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। बीकानेर कलक्टर ने जिलाधिकारियों की मीटिंग बुलायी। उस मीटिंग में जिलाधिकारियों की हैसियत से मैं भी था। कलक्टर साहब ने बताया कि मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा है, अत: जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर हैं उनकी यह ड्यूटी है कि यहां पेड़ नहीं कटने चाहिये वर्ना मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। यह सारी कार्यवाही थ्री-टायर-सिस्टम में चल रही थी। उस समय यह सख्त पाबंदी लगा दी गई थी कि पेड़ नही कटने चाहिये। पर किस प्रकार के पेड़ नहीं कटने चाहिये इसको परिभाषित नहीं किया गया था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बीकानेर से सम्बन्धित है।

श्री सभापति : दस मिनट की पाबंदी सब के लिये है।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अब टाइम बढ़ा दिया गया है।

बीकानेर में एक झाड़ होता है खोरा। इस खोर की जड़ें मिट्टी में होती है और ऊपर की ओर बहुत कम बढ़ता है। इसको भी पेड़ में ले लिया गया और इसको काटना बंद कर दिया गया। संजय गांधी के आदेश से इसको काटो मत। जबकि फैक्ट यह है कि किसान इसको खोद कर के ही खेती कर सकता है। हल नहीं चलता है जब तक कि इसकी जड़ें नहीं निकाली जाती हैं। इसकी जड़ें ईंधन के काम आती हैं और विशेषकर बीकानेर में इसका उपयोग होता है। वह बंद हो गया, बीकानेर में लकड़ी की सप्लाई बंद हो गई। त्राहि-त्राहि मच गई। शव दाह के लिये समस्या हो गई। वन विभाग के अधिकारियों की चांदी हो गई। पता नहीं वे कहां-कहां से पेड़ कटवा-कटवा कर लाते थे। मैं भी उस समय बीकानेर में था। यह कैसे हुआ? खोर को वृक्ष की श्रेणी में मान लिया गया, कैसे? कहा गया कि संजय गांधी की वजह से, मुख्यमंत्री की वजह से यह हो गया।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूलाल खाण्डा : इस तरह से बहुत सारे कारण थे कि 1977 में कांग्रेस क्यों हारी। मैं अब कहता हूं कि 1989-90 में क्यों हारी। इसके लिये मैं बताऊं और इस पुस्तिका में भी आया है निरंकुशता। हमारे जो विधायक थे वे अपने आपको राजा-महाराजा समझने लगे थे। मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। संक्षेप में करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरे पास बहुत मैटर है। मैं सूरतगढ़ से जीत कर आया हूं। यहां पर चार-चार भूतपूर्व मुख्यमंत्री विराजे हैं। मैं यह ऐलान करता हूं कि एक और मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में जो कभी चुनाव लड़ कर मुख्य मंत्री नहीं हुए लेकिन वे हमेशा यह कहते थे कि मैं मुख्य मंत्री हूं। वे एक पूर्व विधायक हैं। जिस समय हमारे माथुर साहब मुख्य मंत्री थे उस समय वे कहते थे कि मैं मुख्य मंत्री माथुर बोल रहा हूं। जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बन गये तो कहा कि मैं हरिदेव जोशी बोल रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूं। फिर उनकी भी आपस में अदला-बदली हो गई लेकिन वह हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने गांव की जनता को इतना आतंकित किया कि मैं तो देख कर चकित हो गया।

श्री सभापति : समाप्त करें। जल्दी समाप्त करें।

श्री बाबूलाल खाण्डा : एक मिनट। सभापति महोदय, उसने अपना मंत्रिमण्डल भी गठित कर लिया। उसने सिगाने के थानेदार को गृह मंत्री बना रखा था। रावाना का थानेदार गृह राज्य मंत्री बना रखा था और सूरतगढ़ के थानेदार को उप गृह मंत्री बना रखा था। इसी तरह से उस ने एस.डी.एम. खेतड़ी को चीफ सैक्रेटरी बना रखा था। सिगाने के डाक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना रखा था। इसी तरह से पेयजल विभाग के जे.ई.एन. को जन स्वास्थ्य मंत्री बना रखा था।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि 15 मिनट हो गये हैं।

श्री बाबूलाल खाण्डा : यह सारा मंत्री मण्डल मेरे क्षेत्र में अब भी कायम है। मेरे क्षेत्र की समस्या यह है कि वह मंत्रिमण्डल अब भी कायम है और वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व विधायक अब भी अपने आपको उसी स्थिति में समझता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल खाण्डा : समाप्त कर रहा हूं। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। टाइम बहुत ही कम मिला है फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपाल सिंह आप नहीं बोलना चाहें तो दूसरे को बुला लें।

श्री गोपालसिंह : कल बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

(अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा।

Page No. 166

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर आज बहस हो रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं लिया है मंत्रिमण्डल में।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह अभिभाषण एक तरफा, एकपक्षीय और सत्ता पक्ष की बात को स्वीकार करने वाला है। महामहिम राज्यपाल ने जो बातें कही हैं वह वास्तव में कांग्रेस सरकार, पिछली सरकार जिसने देश को आजाद कराया है, उस कांग्रेस सरकार की ज्यादातर बुराइयां की गई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस (आई) या दूसरी पार्टियों में सब पार्टियों में अच्छाई-बुराई होती है। अच्छाई को अवश्य कहना चाहिये और बुराई की निन्दा करनी चाहिये लेकिन यह कह देना कि कांग्रेस (आई) बुरी है और दूसरी पार्टियां अच्छी हैं, बहुत ही गलत बात है। हर पार्टी का एक इतिहास होता है। कांग्रेस (आई) का भी एक इतिहास है जिसके अन्दर नेहरू जी ने अपनी सम्पत्ति की कुर्बानी दी और उसकी बेटी इन्दिरा गांधी ने इस देश के लिये अपनी कुर्बानी दी। 32 गोलियां उन्होंने सीने में खाई हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में न बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने देश के लिये कुर्बानी दी थी। इसलिये मैं सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो एकतरफा बुराई की गई है वह बिल्कुल गलत है।

इसके साथ ही अभिभाषण में यह बताया गया है कि किसानों के लिये बहुत बड़ी राहत की घोषणाएं की गई हैं। मैं इस प्रकार की घोषणाओं को नहीं मानता क्योंकि वास्तव में देखा जाये तो यह हकीकत से दूर है। इस बजट में किसानों को जो बड़ी राहत देने की बात कही गयी है क्या उसी का नाम राहत है? डीजल के पैसे बढ़ा दिये, क्या यह किसानों को राहत है? डीजल का पैसा बढ़ता है तो किसान रोता है। किसान को 40 लीटर डीजल रोजाना चाहिये इसका मतलब है 20/- रुपया उसका रोजाना का खर्चा ज्यादा हो गया। क्या इसी का नाम है किसानों को फायदा? इसी के साथ-साथ किसानों को बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली के लिये क्या कहा गया है? केवल मात्र यह कह दिया गया है कि अब बिजली बढ़ा दी गयी है। लेकिन कहने मात्र से काम नहीं चलता। यह हालत भी देखें कि बिजली किस तरह से दी जा रही है। बिजली नहीं देने के कारण किसान को कितना नुकसान हो रहा है। जो बिजली के लट्ठे खेत में से होकर गुजरते हैं, यह मैं मेरे क्षेत्र टोडाभीम की बात बता रहा हूं कि वहां पर 6 भैंसें मरी हैं लट्ठों से चिपक कर। यह किसकी गलती है? क्या इस पर विचार नहीं होगा? यह किसान की मौत और जिन्दगी का सवाल बनता है क्या उन पर गम्भीरता से विचार करेगा सदन? इसलिये आज इस बात पर विचार किया जाए कि किसानों को बिजली तो दी जाती है लेकिन बिजली किस प्रकार से दी जा रही है। तीसरा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उदाहरण मैं दूं आपको कि किसानों को जो बिजली मिलती है वह झटकों के द्वारा मिलती है। जब झटकों में बिजली मिलती है तो उसकी मोटर जलती है। क्या इसी का नाम बिजली बढ़ाना है ? क्या इसी का नाम बिजली में सुविधा देना है ? इसलिये इस पर विचार किया जाय। बिजली दी जाय लेकिन सही दी जाय। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। पांच सौ रुपये लगते हैं एक बार जली मोटर को सुधराने के अन्दर। लेकिन अब बार-बार झटके आते हैं और यह झटके उसके दिल के अन्दर लगते हैं। इसलिये बिजली में सुधार किया जाय। जो मौतें होती हैं बिजली के द्वारा, उनकी जांच की जाय। बिजली के जो तार लगाये जाते हैं वह हल्के किस्म के लगाते जाते हैं, उनमें सुधार करवाया जाय। किसानों की इस प्रकार की समस्या को किसी ने सदन में नहीं रखा। इसलिये किसानों को जो भी सुविधाएं सरकार देना चाहती है, पिछली सरकार ने बहुत कुछ दिया था लेकिन जो कुछ दिया था उसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, अच्छाई को अच्छाई नहीं कहा। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि इस प्रकार की जो कमियां रह जाती हैं उनको आप अवश्य पूरा करें। इसके साथ-साथ दूसरी बात जो आती है वह आती है पशुधन के लिये चारे की। इस समय किसानों का पशुधन मर रहा है चारे के बगैर। क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर चारे का कोई डिपो नहीं खोला गया है। भयंकर अकाल में कुओं में पानी नहीं है। फसल अबकी बार पैदा नहीं हुई है। क्या चारे की आवश्यकता पशु को नहीं पड़ती है ? वह बेचारा मूक पशु जो बोल नहीं सकता है उसके बारे में कोई विचार यहां नहीं किया गया है। इसलिये मेरा इस सदन से निवेदन है माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि जो पशुधन है, जो मर रहा है भूखा प्यासा, उसके बारे में विचार किया जाय।

एक बात कही गई है नस्ल सुधार की। यह अभिभाषण के अन्दर भी आया है कि हम पशुओं की नस्ल को सुधारेंगे लेकिन साथ में हम को अपने आपको सुधारना होगा। एक बहुत बड़ी बात मैं शिक्षा के ऊपर कहना चाहता हूं। पशुओं की नस्ल की सुधार की बात कही गई है लेकिन मानव के सुधार की बात इसमें नहीं की गई है। हमारी शिक्षा के अन्दर एक बहुत बड़ी कमी है। उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाय, माननीय सभापति महोदय, नैतिक शब्द भी उस में जोड़ा जाय। अगर नैतिकता नहीं होगी तो सारी शिक्षा बेकार होगी। इस नैतिकता के अभाव में हम और आप लड़ते हैं, सही बात को नहीं सुनते हैं। इसलिये नैतिकता के शब्द को अवश्य जोड़ा जाय शिक्षा के अन्दर। क्योंकि इस नैतिक सभ्यता को फिल्मों के द्वारा, गानों के द्वारा, टेप रिकार्डर द्वारा नष्ट किया जा रहा है। ऐसे-ऐसे गाने-पंडितजी मेरे मरने के बाद थोड़ी शराब पिला देना, क्यों आते हैं ऐसे गाने ? क्या असर पड़ता है इनका लोगों की जिन्दगी पर ? इसलिये इस प्रकार की बातों को रोका जाय। नैतिक शब्द को जोड़ा जाय और नैतिकता की बात पर जोर दिया जाय। वर्तमान सरकार जो आई है, पिछली

Page No. 168

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बातों को आप कहने में हमेशा लगे रहते हो, अपनी बात को कहो, पिछली ने क्या कर दिया इसको सोचो। पिछलों ने तो चालीस साल राज किया था, कोई अच्छाई थी तभी राज किया था। (व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर बुराई होती तो तुरन्त हट जाती।

श्री सभापति : इस सदन की यह परम्परा रही है। आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मुझे रोक रहे हैं, मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : इस सदन की यह परम्परा रही है कि कोई माननीय सदस्य पहला वक्तव्य देता है उसको बीच में कोई इण्टरप्ट नहीं करता है।

एक माननीय सदस्य : मेरे को पता नहीं था।

श्री सभापति : अब हो गया क्या ? उनको बोलने दें। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी पूरा करें।

श्री हरिसिंह : मैं थोड़ा सा निवेदन करूं कि माननीय सदस्य की मेडन स्पीच है, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिये। इनको भी आप प्रोत्साहित करिये। ऐसी कोई आफेण्डिग बात नहीं कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के साथ-साथ अगली बात मैं कहना चाहूंगा पानी के बारे में। पानी पर बहुत विचार हुआ। बहुत समस्या रखी गई। लेकिन कैसे विशेष तौर से किसानों के लिये पानी की बात हल हो सकती है, मैं सुझाव दूंगा। फालतू बुराइयां नहीं करूंगा, एक ही सुझाव है मेरा, कि नदियों का जो पानी आता है उस पर एनीकट बनाया जाय। अगर यह एनीकट बनेंगे तो पानी का स्तर ऊपर आयेगा। पानी का स्तर ऊपर आयेगा तो किसानों के कुओं में पानी आयेगा। कुओं में पानी आयेगा तो किसानों को फायदा होगा। इस लिये एनीकट अवश्य बनाये जायं। इसके बारे में मेरे क्षेत्र के अन्दर जो गम्भीरी नदी है उस पर महावीरजी के पास एनीकट बनाया जाय तो क्षेत्र की सारी समस्या हल हो सकती है।

इसके बाद बतलाया गया है कि अपराध रोक दिये गये हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा इस बात को तो समय ही बतायेगा, जनता अपने आप जवाब दे देती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वर्तमान सरकार ने वायदे किये थे लेकिन आज भी भ्रष्टाचार बदस्तूर है। हमारे क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर ही पिछले सात दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं। एक डकैती भी पड़ी है। यह इस बात को साबित करता है कि भ्रष्टाचार और डकैतियां अब भी चल रही हैं। इसके साथ-साथ एक कैदी है जो अस्पताल से भाग गया था। साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। यह सब इस बात को साबित करते हैं कि अब भी वास्तव में वही हालात हो रहे हैं। इस लिये अपनी बातों को सोचो, विचारो और इसमें सुधार करें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अन्त में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो भी किया व जनता के हित में किया था। जनता के हित में उसने चाहे पानी की समस्या हो, हैण्ड पम्प लगवाये, चाहे बिजली की समस्या हो उस पर भी काम किया। शिक्षा की समस्या हो, उसमें नये-नये स्कूल वगैरह खोले। लेकिन वर्तमान सरकार क्या करेगी इस बारे में ? कितने स्कूल खोलेगी, कितने औषधालय खोलेगी ? ऐसी घोषणाएं विधान सभा के अन्दर होनी चाहिये बजाय इसके कि कांग्रेस सरकार ने यह किया। उस सरकार के नाम पर कहां तक हम जिन्दा रह सकेंगे ? पिछली बार भी यही हुआ था, आपने इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की रट लगा दी थी तो वह इंदिरा गांधी पुन: शासन में आ गई, अब भी आपने कांग्रेस आई की रट लगा दी तो कांग्रेस आई आयेगी, आयेगी, आयेगी। जय भारत।

एक माननीय सदस्य : दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीचंद जी मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वह एक ऐतिहासिक अभिभाषण है जिसकी मैं सराहना करता हूं। इसके अन्दर जिन-जिन बातों पर प्रकाश डाला गया है, सरकार की कमजोरियों के बारे में उसके कुछ उदारण मैं आपके सामने देना चाहता हूं जिससे यह साबित होता है कि चालीस साल में सरकार ने विकास नहीं किया है, किसानों का विनाश किया है।

जालौर जिले में चालीस साल पहले नदियों का पानी बहता था, फेंकने से गेहूं होता था। किसानों को जमीन में फेंक कर वापस काटने के वक्त जाना पड़ता था। आज वह सब इलाका उजड़ हो गया है। वहां गेहूं बोने के बनिस्बत पीने के पानी के सांसे पड़ रहे हैं। बबूल खड़े हो गये हैं। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की योजना नहीं है। शिक्षा पर हमने प्राथमिकता दी है। सांचौर तहसील में 17,200 बच्चे हैं, जहां 450 मास्टर होने चाहिये। इसके लिये सरकार ने 310 की सैंक्शन दी है मगर मौजूद 250 मास्टर हैं। यह प्राइमरी स्कूलों का हाल है। 250 में से 100 मास्टर पढ़ाते हैं और 150 मास्टर सरपंच और प्रधानों के आगे चक्कर काटते हैं या स्मगलिंग का धन्धा करते हैं। पंचायत समितियों में शिक्षा का बंटाढार हो गया है। अब हमने मिडल स्कूलों को पंचायतों के नीचे दिया है। उनका भी यही हाल होने वाला है। जहां तक हायर सैकण्डरी स्कूलों का मैं आपको हाल बताता हूं, सांचौर तहसील में 11 हाई स्कूल हैं। उन 11 हाई स्कूलों में प्रिंसिपल एक जुलाई से नहीं है। काब की स्कूल के अन्दर 17–18 अध्यापकों की सैंक्शन है, जहां तीन अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यह हाल हमारी प्रगति का है। क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। क्या आप उन बच्चों से आशा रख सकते हैं कि हमारी सरकार प्रगति के कदम उठा रही है ? इम्तिहान आ रहे हैं और स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। एक तरफ तो बेकारी बढ़ रही है, लोग सर्विस

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

के लिये चिल्ला रहे हैं दूसरी तरफ आप स्कूल खोले जा रहे हो और खोले जा रहे हैं पर उसकी पूर्ति नहीं करते। देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप क्या अन्याय कर सकते हैं ? 1977 के जनता राज में नर्मदा का पानी लाने की योजना बनाई थी। माननीय भैरोंसिहजी ने नर्मदा का पानी जालौर जिले में देने के लिये योजना बनाई थी। तीन करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इससे सांचोर तहसील, भीनमाल तहसील और बाड़मेर के कुछ गांव प्रभावित होते थे। किसानों की उन्नति होती थी। उस योजना को लटका दिया गया राजनैतिक कारणों से। यह किसानों की प्रगति की बात करने वाले हैं।

दूसरा, मैं भ्रष्टाचार का नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। पशु आहार के नाम पर बाजरी को खरीदा गया। उसका नाम रखा गया पशु आहार। सांचोर के अन्दर 150 रुपये क्विटल बाजरी मिलती थी, उसको गुजरात से 300 रुपये क्विटल के हिसाब से खरीद कर बिल में लिखा पशु आहार। वह पशु आहार इसलिये लिखा गया कि पशु आहार पर कोई टैक्स नहीं था। मगर टैक्सेशन विभाग ने उन गाड़ियों को पकड़ा और पकड़ कर कहा कि यह पशु आहार नहीं है, यह तो बाजरी है। इस पर टैक्स देना पड़ेगा। 33 पर्सेण्ट पैनल्टी लगेगी। इस प्रकार उस बाजरी को पशु आहार के नाम से खरीद कर लाखों-करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया।

इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और चिकित्सा के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सांचोर तहसील में 102 पद डाक्टर, कम्पाउण्डर और नर्सों के स्वीकृत हैं पर कार्यरत वहां 26 ही हैं–13 महिलाएं और 13 ही डाक्टर व कम्पाउण्डर हैं। 102 पदों में से 26 पद ही भरे हों और फिर आप प्रगति की बातें करो कि हमने प्रगति की है, हमने चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा दी है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि यदि आप वास्तव में शिक्षा में प्रगति करना चाहते हैं तो शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाय, पंचायत समितियों से इसको बिल्कुल हटा दिया जाय। अन्यथा यह शिक्षण संस्थाएं राजनीति के अड्डे बन जाएंगी और वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। आज यही कारण है कि साधन सम्पन्न लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में या बम्बई या दूसरे कालेजों में पढ़ाने भेजते हैं। इसलिए अगर यही हाल रहा तो शिक्षा का बंटाढार हो जाएगा।

जहां शिक्षा केन्द्रों का सवाल है 39 शिक्षा केन्द्र हमारे यहां चल रहे हैं मगर कार्यरूप में एक भी नहीं है। 39 का पैसा उठ रहा है। यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है ? कौन इसका जिम्मेदार है ? शिक्षा मंत्रीजी का दौरा वहां हुआ मगर वहां कोई सिक्कों से तोलने वाला नहीं था इसलिए इन स्कूलों को देखें कौन ? जंगल में उनको सिक्कों से तोला गया। क्या शिक्षा मंत्री का यह कर्तव्य नहीं था कि कौन-कौन से स्कूलों में अध्यापकों की कमी, बच्चों की कमी या और क्या कमी है, यह देखते ? मगर सिवाय माला पहनने, साफा बांधने या सिक्कों से तोलने के सिवाय कोई काम राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत ने नहीं किया। उसी के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं।

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

सड़कों के बारे में कहूं कि हमारे यहां सड़कें नहीं के बराबर हैं। डिफेंस सड़क का जहां तक सवाल है, जो बाड़मेर से गुजरात को जोड़ी गई है वह डिफेंस रोड जरूर है मगर 40 साल पुरानी सांचौर से भवतरा रोड, जिसको 40 साल हो गये हैं। 40 साल में सिर्फ 6 किमी. मेटल रोड बनी है। वह इसलिए 6 किमी. बीच में बनाई गई ताकि किसी प्राइवेट मालिक को बसें चलाने से रोका नहीं जा सके। कहीं अगर ज्यादा बनाई जाय तो शायद सांचौर से रोडवेज लग जाय। यही कारण है कि सरकार ने जनता के हित को कभी नहीं देखा है। सब व्यक्तिगत स्वार्थों से जूझ रहे हैं।

अकाल की दृष्टि से निवेदन करूं कि अकाल भयंकर है। हमारे 60 विलेजेज अकाल से जूझ रहे हैं, जो हर वक्त अकाल की चपेट में रहते हैं, जहां बिलकुल पानी नहीं होता है। पहले वहां गेहूं होता था। यह कांग्रेस सरकार की देन है या समझिये हमारा दुर्भाग्य है कि वहां सिवाय बबूल के कुछ नहीं होता है। वह बबूल भी काटने नहीं दिये जाते हैं। जो + + + बबूलों को काटकर, कोयला बनाकर अपनी आजीविका का निर्वाह करते थे उनको कोई वैकल्पिक साधन सरकार से दिये नहीं जा रहे हैं। फेमिन का काम चालू किया नहीं जा रहा है।

एक बहुत बड़ा प्रश्न है, किसान को अपनी उपज गुजरात की मण्डी में ले जाने के लिए सुविधा दी गई है मगर उसके लिए भी 18 सी. सी. का फार्म सिरोही से वाणिज्य कर अधिकारी से प्राप्त करना पड़ता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के बोर्डर पर भवतरा आया हुआ है और वहां से सिरोही 200 किमी. पड़ता है। दो बोरी जीरा अगर हो और कोई किसान सी. सी. फार्म लेने के लिए वहां जाए तो कितना समय और पैसे की बरबादी होती है? यह कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए रियायत करने वाली है। पर वह इतना नहीं सोचती कि जब हमारी चैक पोस्ट वहां मौजूद है। माखपुरा में चैक पोस्ट मौजूद है। उस ए.सी.टी.ओ. को यह पावर्स दिये जा सकते हैं कि वह वहीं 18 सी. सी. का फार्म किसान को दे दें ताकि कोई परेशानी नहीं हो।

सभापति महोदय, बातें बहुत हैं, मैं ज्यादा समय भी आपका नहीं लेना चाहता हूं कि आपको बार-बार घंटी नहीं बजानी पड़े मगर इतना मैं कह देना चाहता हूं कि इन राज्यपाल महोदय ने जो डाइरेक्शन दिये हैं, पुरानी सरकार ने जो गलतियां की हैं, वह वाकई में एक साहसिक कदम उठाया है। इसकी मैं तो क्या सराहना करूं, पूरे राजस्थान की जनता ने इसकी सराहना की है कि ऐसे राज्यपाल ने सरकार की कमजोरियों को सामने रखा है। जब तक सरकार की कमजोरियां राज्यपाल सामने नहीं रखेंगे तो सरकार का ध्यान आकर्षित कहां से होगा?

इसलिए, सभापति महोदय, जगह खाली पड़ी हैं, स्कूलों आदि का उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि अब

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहत)

परीक्षाएं हो रही हैं। तीन अध्यापक हैं और साल पूरा बीत गया है। ऐसी कई स्कूलें खाली पड़ी हैं। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब आपके व्यवस्था नहीं है तो आप घोषणाएं क्यों करते हो ? स्टाफ क्यों बढ़ाते हो ? चीप पापुलरिटी गेन करने के लिए दो महीने के अन्दर इतनी घोषणाएं कर दीं और पानी का तो यह हाल है कि पीने का पानी नहीं। एक योजना बनाई थी भैरोंसिंह जी के टाइम में 28 गांवों की वह भी पानी अब खारा हो गया। मीठे पानी के लिए जलकूप गहरे बनाये जायं। सरकारी कागजों से लोगों को पानी सप्लाई किया जाय लेकिन जो टंकियां बनी हुई हैं, कनेक्शन दिये हुए हैं उन टंकियों में पानी नहीं जाता। यह सरकार की अव्यवस्था है, कोई उस पर नियंत्रण नहीं। मंत्री जीते हैं उनकी हाजरी बजाने के लिए सब संतरी तैयार रहते हैं। जनता को कौन पूछे ! इसलिए हम यह आशा लगाये बैठे हैं, हमारी सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उन्होंने सबसे पहले जल पर जोर दिया है और जल की कमेटी बनाकर उसमें विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। आपके सहयोग से राजस्थान की जल समस्या का समाधान करने के लिए कमेटी बनाई है, उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ निवेदन करते हैं, सरकार ने जो वायदे किये हैं उन वादों के अनुसार जनता ने हमको चुनकर भेजा है। उन कामों को जल्दी नहीं किया तो जनता कल हमको उखाड़ करके जिस प्रकार से कांग्रेस वालों को फेंका है, हमें भी फेंक सकती है। इतना ही कह करके कि पानी तो सरकार ने पिलाया ही नहीं, अपने यहां कहावत है कि "इणरो तो पाणी ही खतम हुयग्यो" तो जिस आदमी का पानी खतम हो जाता है वह आदमी नहीं के समान होता है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस का पानी खतम हो गया इसलिए उसको बदला है। अब हम पानी पीने का देंगे, इन्हीं बातों के साथ राज्यपाल के भाषण का मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 23 मार्च, 1990 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.27 बजे शुक्रवार दिनांक 23 मार्च, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

वर्ष 1989–90 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

(1) कल्याणपुरा
(2) कोटगोद
(3) मूल जी की ढाणी
(4) जसोल (कन्या)

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

रावतसर से ग्राम खोड़ा एवं न्योलखी चैलासी तक सड़क निर्माण

29. श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गंगानगर जिले में रावतसर से ग्राम खोड़ा तथा रावतसर से ग्राम रामपुरा होती हुई न्योलखी चैलासी तक पक्की सड़क बनाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

रावतसर (धन्नासर) से ग्राम खोड़ा को जोड़ने वाली सड़क स्वीकृति अनुसार निर्माणाधीन है। जिसकी 3.00 कि.मी. लम्बाई का निर्माण किया जा चुका है और 0.5 कि.मी. लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। इस सड़क की शेष लम्बाई का निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा।

रावतसर (धन्नासर) से ग्राम रामपुरा होती हुई न्योलखी-चैलासी पक्की सड़क बनाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सड़क का कार्य भविष्य में धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा।

गांव डेह (नागौर) के हरिजन मोहल्लों में हैण्डपम्प

30. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत डेह, तहसील जायल, जिला नागौर के हरिजन तथा नायकों के मोहल्ले में हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं और बार-बार शिकायत के उपरान्त भी विभाग द्वारा उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम डेह में जल वितरण के लिये विभाग द्वारा टंकी बनाई हुई है फिर भी कई मोहल्लों में मांग करने पर भी टंकी द्वारा जल वितरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? मांग करने वालों को कब तक टंकी द्वारा पाइप कनेक्शन दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत डेह, तहसील जायल, जिला नागौर के हरिजन तथा नायकों के मोहल्लों में विभाग द्वारा कोई हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया।

(2) जी हां। टंकी की क्षमता कम होने व मोहल्ले ऊंचाई में स्थित होने के कारण वर्णित घरों में पानी नहीं पहुंचता है। तकनीकी मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत पुनर्गठन योजना डेह के अन्तर्गत नई टंकी बनने पर उक्त जगह पाइप कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता

31. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जुबेर खां)

(1) राज्य में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं तकनीकी डिप्लोमा और डिग्रीधारी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत बेरोजगारों की कुल कितनी संख्या है ? जिलेवार पृथक से सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन बेरोजगारों को रोजगार देने की निकट भविष्य में सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर, 1989 को 74629 स्नातक, 14955 स्नातकोत्तर, 4556 तकनीकी डिप्लोमाधारी एवं 3411 तकनीकी डिग्रीधारी बेरोजगार पंजीकृत थे। जिलेवार पृथक्-पृथक् सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। गैर पंजीकृत बेरोजगारों की सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(2) इन बेरोजगारों के लिये रिक्त स्थानों पर नाम संप्रेषित करने के अलावा स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग द्वारा व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार मेलों का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम को इस वर्ष और भी तीव्र गति से चलाने के लिये एक नया प्रकोष्ठ वर्ष 1990-91 में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है। अभी अभी इसका संकेत वित्त मंत्री जी ने संसद में अपने बजट भाषण में सूखा आशंकित और विकट बेरोजगारी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारन्टी स्कीम की घोषणा की है।

राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 को पंजीकृत बेरोजगारों की जिलेवार संख्या सूची

क्र सं.	रोजगार कार्यालय का नाम	स्नातक	स्नातकोत्तर	डिप्लोमा/ होल्डर्स	डिग्रीधारी/ इंजीनियर
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	2698	462	321	15
2.	अलवर	3247	355	399	12
3.	बांसवाड़ा	712	66	55	—
4.	बाड़मेर	626	46	55	—
5.	भरतपुर	1922	141	311	37

1	2	3	4	5	6
6.	भीलवाड़ा	1597	192	69	7
7.	बीकानेर	1749	182	286	2
8.	बूंदी	382	59	23	20
9.	चित्तौड़गढ़	1640	144	129	3
10.	चूरू	1139	50	53	2
11.	धौलपुर	586	43	99	4
12.	डूंगरपुर	714	67	44	2
13.	जयपुर	31352	2029	417	6
14.	जैसलमेर	370	43	22	—
15.	जालौर	542	37	33	—
16.	झालावाड़	859	83	50	—
17.	झुंझुनूं	2370	164	122	3
18.	जोधपुर	3266	216	731	4
19.	कोटा	3186	344	428	77
20.	नागौर	2436	389	5	49
21.	पाली	1143	60	81	—
22.	सवाई माधोपुर	2138	137	53	390
23.	सीकर	2480	341	59	73
24.	सिरोही	644	63	23	16
25.	श्रीगंगानगर	2727	160	262	—
26.	टोंक	896	103	40	7
27.	उदयपुर	2871	371	369	44
28.	पी. एण्ड ई.	—	7243	—	2209
29.	वि. रो. का. वि.	337	27	3	—
30.	यू. ई. बी. जयपुर	—	335	—	—
31.	यू. ई. बी. जोधपुर	—	587	—	296
32.	यू. ई. बी. उदयपुर	—	416	4	125
	योग	74,629	14,955	4,556	3,411

राजगढ़ (चूरू) तहसील क्षेत्र की पेयजल योजनाएं

32. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) एवं श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चूरू की तहसील राजगढ़ में वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 में कुल कितने गांवों में पेयजल हेतु एन. आर. ई. पी. एवं डी. डी. पी. में जी. एल. आर. बनाये गये ? नाम ग्राम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं में बनाये गये जी. एल. आर. पाइप लाइन द्वारा विभिन्न जलप्रदाय स्रोतों से जोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने जी. एल. आर. ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक जोड़ दिये जावेंगे तथा कितनी धनराशि उपलब्ध करवानी होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट 'क'

जिला चूरू तहसील राजगढ़ में डी.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन जी.एल.आर. की सूची व जल स्रोत से जोड़े जाने की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	ग्राम का नाम जिसमें जी.एल.आर. बनाये गये/बनाये जाने हैं	पूर्ण या निर्माणाधीन	स्रोत से जोड़े जाने की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	1987–88	शून्य	—	—
2.	1988 89	1–सूरतपुरा	पूर्ण	जोड़ दिया गया है
		2–रामपुरा	"	"
		3–गोठ्या बड़ी	"	"
		4–कामां	"	"
		5–रेबारियों का बास	"	"
		6–नीमा का बास	"	"
		7–सुखावास	"	"
		8–समरपुरा	"	"

1	2	3	4	5
		9-धनोठी बड़ी	पूर्ण	जोड़ दिया गया है
		10-भोजाण	,,	,,
3.	1989-90	1-लम्बोर छिपियान	,,	,,
		2-लम्बोर छोटी	,,	,,
		3-बेबु का बास	,,	,,
		4-भैंसली	,,	,,
		5-भैंसली-II	,,	,,
		6-सादपुरा	,,	,,
		7-नावां	,,	,,
		8-नावां-II	,,	,,
		9-चांदगोठी	,,	,,
		10-इन्द्रपुरा	,,	,,
		11-बीजा बास	,,	,,
		12-जमाउखारी	,,	,,
		13-नीमां	,,	,,
		14-काजला की ढाणी	,,	,,
		15-सरदारपुरा	,,	,,
		16-जसवन्तपुरा	,,	,,
		17-खेड़ छोटी	,,	नहीं जोड़ा गया है
		18-बेजवा	,,	,,
		19-लीलावटी	,,	,,
		20-सुलखानिया छोटा	,,	,,
		21-सुलखानिया बड़ा	,,	,,
		22-तूहन्द	,,	,,
		23-गुडान	,,	,,
		24-खारिया बास	,,	,,
		25-मामराज का बास	,,	,,
		26-ढींगली	,,	,,

1	2	3	4	5
	1989-90	27–ढाणी खुडाणी	निर्माणाधीन	—
		28–हरपालू पतराम	,,	—
		29–रामपुरा (खातियों का बास)	,,	—
		30–बालान	,,	—
		31–दन्देऊ सुलतान सिंह	,,	—
		32–थान मठुई	,,	—

परिशिष्ट "ख"

चूरू जिले में तहसील राजगढ़ में एन.आर.ई.पी. योजना में वर्ष 1987-88, 88-89, एवं 89-90 में निर्मित/निर्माणाधीन जी.एल.आर. की सूची

क्र.सं.	वर्ष	ग्राम का नाम जिसमें जी.एल.आर. निर्मित किये गये/निर्माणाधीन हैं।	पूर्ण/निर्माणाधीन
1	2	3	4
1.	1987-88	1–हमीरवास बड़ा (हरिजन बस्ती)	पूर्ण
		2–हमीरवास बड़ा (जगमाल की ढाणी)	,,
		3–जाट्वास	,,
		4–नीमां	,,
		5–बेवड़	,,
		6–बेवड (नई स्कूल)	,,
		7–डींगली (पश्चिम)	,,
		8–हमीरवास छोटा	,,
		9–थिरपाली छोटी	,,
		10–चांदगोठी	,,
		11–सांखू (महलाना बास)	,,
		12–सांखू (खेरली बास)	,,
		13–सांखू (विजयपुरा)	,,

1	2	3	4
		14-हरपालू कुशाला (मीणों का बास)	पूर्ण
		15-हरपालू कुशाला	,,
		16-ढाणी मौजी	,,
		17-भामरोड	,,
		18-भैंसली	,,
		19-ठिमाऊ बड़ी	,,
		20-नोरंगपुरा (चाहराणा का बास)	,,
		21-कामां	,,
		22-बेवड (उत्तर)	,,
2.	1988-89	23-खातीबास	,,
		24-ढाणी जी राम	,,
		25-भोजाण	,,
3.	1989-90	26-बेवड़	,,
		27-बास किरतान	निर्माणाधीन
		28-सुलखानियां बड़ा	,,
		29-भैंसली	,,

परिशिष्ट "ग"

डी. डी. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 निर्मित जी. एल. आर. छोटी साइज के पाइप के अभाव के कारण नहीं जुड़ सके हैं। इस कार्य को पूरा करने लिए 1 39 लाख रुपये की और आवश्यकता होगी।

एन. आर. ई. पी. के तहत 26 निर्मित व ३ निर्माणाधीन जी. एल. आर. जो परिशिष्ट "ख" में दर्शाये गए हैं। उनको जोड़ने के लिए 7.98 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त दोनों कार्य वित्तीय उपलब्धता के अनुसार वर्ष 1990-91 में पूर्ण किया जा सकेगा।

जोधपुर शहर की सड़कें

33. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जोधपुर शहर की सड़कों की मरम्मत के उत्तरदायित्व का सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर सुधार न्यास व नगर-परिषद् में कोई विभाजन किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें किस विभाग को दी गई हैं ?

(2) क्या उक्त सड़कों की मरम्मत का कोई समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क की कब तक मरम्मत की जावेगी एवं इन सड़कों पर क्या अनुमानित व्यय होगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) लक्ष्मी नगर व बी. जे. एस. कॉलोनी की सड़कें कब तक बन कर तैयार हो जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर नगर की चार दीवारी के अन्दर की सड़कों की मरम्मत का कार्य नगर परिषद, चार दीवारी के बाहर स्थित क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण (भवन एवं पथ) विभाग तथा नगर विकास न्यास के योजना क्षेत्र तथा सर्वेक्षित एवं स्वीकृत कच्ची बस्तियों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा कराया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधानुसार नगर विकास न्यास के योजना क्षेत्र तथा सर्वेक्षित एवं स्वीकृत कच्ची बस्तियों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण व मरम्मत का कार्य कराया जाता है। न्यास जोधपुर के विभिन्न 44 योजना क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष में सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर कुल 94 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिये चुनी गई सड़कों में से अधिकांश का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिन 7 योजनाओं में 19 कच्ची बस्तियों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत का प्रस्ताव है उनकी अनुमानित व्यय के विवरण सहित सूचियां परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब, परिशिष्ट क, परिशिष्ट-ख सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) नगर न्यास का दायित्व न्यास द्वारा विकसित योजना क्षेत्रों में विकास तक सीमित है। लक्ष्मी नगर व बी. जे. एस. कॉलोनी निजी कॉलोनियों हैं। ऐसी कालोनियों में नगर विकास न्यास सड़कों आदि का विकास कार्य तभी कर सकता है। जब संबंधित निजी कॉलोनी के भूखण्डधारियों द्वारा विकास शुल्क की राशि जमा कराई गई हो इन दोनों निजी बस्तियों के भूखण्ड धारियों द्वारा नगर विकास न्यास, जोधपुर में विकास शुल्क की राशि जमा नहीं करायी है। अतः इन बस्तियों में न्यास द्वारा सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लक्ष्मीनगर तथा बी. जे. एस. कॉलोनी की केवल दो मुख्य सड़कों के सुधार एवं मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है जिनके नवम्बर, 1990 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(नगरीय विकास मंत्री)

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

34. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार को विदित है कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा इससे आम आदमी की क्रय शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ा है ? आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों की वर्षवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार मूल्यों पर नियंत्रण करने और आम उपभोक्ता को महंगाई से राहत दिलाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, पिछले तीन वर्षों में राज्य में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के भावों में न्यूनाधिक वृद्धि का रुख रहा है। गत तीन वर्षों में जो औसतन वृद्धि हुई है, इस वृद्धि से आम आदमी की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा है। पिछले तीन वर्षों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में जो औसतन वृद्धि हुई है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा आम उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति तथा नियंत्रण-आदेशों के जरिये बढ़ते हुए भावों को रोकने की कार्यवाही की जाती है। उपभोक्ता की कुछ हद तक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गेहूं, चावल, चीनी, केरोसीन तेल, खाद्य-तेल तथा नियंत्रित वस्त्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्य पर वितरित की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आदेश पारित किये हुए हैं। जिनकी कठोरता से पालना करवाई जाती है। अनावश्यक जमाखोरी को रोकने के लिए बाजार में छापे मारे जाते हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में प्रतिशत वृद्धि:-

क्र.सं.	वस्तु का नाम प्रकार		1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
			(इकाई रुपये प्रति किलोग्राम)			
1	2		3	4	5	6
1-	गेहूं	1. सोना कल्याण	2.36	6.78	20.34	19.0
2-	चावल	1. सैला	4.35	5.29	17.47	26.2
3-	ज्वार		2.21	6.33	-0.45	4.98

1	2		3	4	5	6
4–	मक्का		2.24	6.70	11.16	8.04
5–	चना	1. देशी	4.28	7.94	70.33	75.0
6–	जौ		1.90	16.32	26.32	23.16
7–	बाजरा		2.31	7.79	–0.43	–9.09
8–	दालें	1. अरहर	7.01	42.80	57.20	50.50
		2. मूंग	6.47	22.72	67.70	65.6
		3. उड़द	7.12	12.08	36.10	53.2
		4. चना	5.00	9.80	73.80	80.80
9–	खाद्य तेल	1. मूंगफली	22.17	26.16	9.61	14.48
		2. सरसों	18.71	39.23	13.95	9.78
		3. तिल्ली	20.80	30.67	42.55	8.70
		4. वनस्पति घी	22.48	17.39	16.59	20.15
10–	शक्कर		6.48	11.85	13.73	36.73
11–	आलू		3.16	–26.26	–30.38	–32.9
12–	प्याज		1.86	70.43	35.48	9.14
13–	चाय की पत्ती					
		1. बुक ब्राण्ड (50 ग्राम)	2.06	4.37	4.37	31.55
14–	कपड़े धोने का साबुन (एक नग)		2.57	14.40	24.12	29.9

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची)

भू-अभिलेख निरीक्षकों के जिलेवार रिक्त पदों का मानचित्र
वर्ष 1989-90

क्र.स.	नाम जिला	सेवा निवृत्ति से हुये रिक्त पद	क्रमोन्नति पर नव सृजित पद
1-	अजमेर	2	12
2-	अलवर	4	10
3-	बांसवाड़ा	4	5
4-	बाड़मेर	1	6
5-	भरतपुर	3	11
6-	भीलवाड़ा	9	11
7-	बीकानेर	-	4
8-	बून्दी	1	5
9-	चित्तौड़	10	12
10-	चुरू	2	7
11-	धौलपुर	2	5
12-	डूंगरपुर	1	4
13-	गंगानगर	9	21
14-	जयपुर	12	17
15-	जैसलमेर	-	2
16-	जालोर	5	9
17-	झालावाड़	2	6
18-	झुन्झुनूं	3	6
19-	जोधपुर	4	6
20-	कोटा	2	15
21-	नागौर	5	11
22-	पाली	6	9
23-	सवाई माधोपुर	4	16
24-	सीकर	4	6
25-	सिरोही	1	6
26-	टोंक	2	10
27-	उदयपुर	25	25
	योग	123	266

सूची "अ"

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की सूची)

टोंक जिले में विगत पांच वर्षों में ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु
स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	श्रेणी	योजना अवधि	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम	ऋण राशि (लाख रु० में)
1–	पं. स. टोडारायसिंह	1984–85	आरएमएनपी	5 वर्ष	52	59.585
2–	पं. स. देवली	1985–86	एमएनपी	5	39	57.999
3–	पं. स. उनियारा	1986–87	एमएनपी	2	13	6.950
4–	पं. स. मालपुरा (प्रथम व द्वितीय)	1987-88	एमएनपी	5	29	58.262
5–	पं. स. टोंक	1988-89	एस. यू.	5	28	59.90

सूची 'ब'

टोंक जिले में वर्ष 1989–90 में विद्युतीकरण हेतु
प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	
		1971 जनगणना	1981 पुस्तिकानुसार
1	2	3	4
1.	मूण्डिया	11/4/132	11/4/132
2.	गालोद	112	112
3.	रहीमपुरा (नया गांव)	125	125
4.	इस्लामपुरा	113	113
5.	इब्राहिमपुरा टाथा	123	123
6.	हनोतिया	127	127
7.	अटलीकपुरा	128	128
8.	लंका	129	129
9.	बकीरपुरा	130	130
10.	दोडवाडी	131	131
11.	निमाहेडा	80	80
12.	मूमाना	82	82
13.	बीजवाडा	77	77
14.	कुरेडी	118	118
15.	कुरेडा	116	116
16.	आटोली	11/1/14	11/1/14
17.	बम्बोरी	72	72
18.	अजमेरी	74	74
19.	हरनोदा	31	31
20.	श्रीरामपुरा उर्फ हरनोदा	30	30

1	2	3	4
21.	चैनपुरा	29	29
22.	चोखला	69	69
23.	डेचवास	28	28
24.	गुरजहेड़ा	70	70
25.	राम मांवता	11/2/62	11/2/62
26.	सूरतरामपुरा	63	63
27.	रामचन्द्रपुरा	169	170
28.	देवड़ी	93	93
29.	मनोहरपुरा	30	30
30.	अभयपुरा	160	161
31.	दराबनगर	159	160
32.	बृजलालपुरा	11	11
33.	श्रीदयालपुरा	12	12
34.	विजयगोविन्दपुरा	75	75
35.	गिरधारीपुरा	95	95
36.	पन्नाहेड़ा	11/3/37	11/3/37
37.	थोर	14	14
38.	रिदलिया रामपुरा	11/3/13	11/3/13
39.	बनका खेड़ा	12	12
40.	धारेदा	36	36
41.	हमीरपुरा	43	43
42.	अलियारी	38	38
43.	गेडिया	53	53
44.	कूका	35	35

1	2	3	4
45.	खेजड़ा का बास	7	7
46.	खेड़लिया खुर्द	33	33
47.	गोविन्दपुरा	106	106
48.	मोर माटिया	95	95
49.	पथराज खुर्द	31	31
50.	पथराज कलां	17	17
51.	नीमेड़	18	18
52.	मूण्डिया कलां	19	19
53.	मोटुका	11/4/104	11/4/104
54.	लतीफगंज (रुस्तमगंज)	236	236
55.	जेवरिया	106	106
56.	बनवाड़ा	32	32
57.	आजमपुरा	50	50
58.	लोहारवाड़ा	49	49
59.	सोडा बावड़ी	1	1
60.	कान्तीचन्द्रपुरा	11/5/21	11/5/21
61.	आरनिया	23	23
62.	लछमीपुरा	98	98
63.	संग्रामपुरा	133	133
64.	सांवती	132	132
65.	कलन्द्रपुरा	125	125
66.	इडोडा	122	122
67.	बारोली	135	135
68.	धारोला	101	101

1	2	3	4
69.	सरदारपुरा	102	102
70.	ढीकला	104	104
71.	कंवरपुरा	121	121
72.	छारनेट	145	145
73.	भानोली (मानोली)	137	137
74.	बाजोली	136	136
75.	केवड़ा	134	134
76.	बालागढ़	11/6/29	11/6/29
77.	सरदारपुरा	34	34
78.	बून्दी	53	53
79.	गोविन्दपुरा	68	68
80.	हुन्सोलाई	33	33
81.	रामपुरा	98	98
82.	आमली	11/6/208	208
83.	गफूरपुरा	147	147
84.	कुम्हारिया	181	181
85.	रोहट	162	162
86.	गाडोली	128	128
87.	मल्लापुरा	131	131
88.	आमली	11/5/79	79

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची **तालिका "अ"**

राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक
अनुमानित विद्युत ऊर्जा उपलब्धि

क्रमांक	विद्युत स्रोत	विद्युत क्षमता (मेगावाट) (राजस्थान के लिये)	अनुमानित विद्युत ऊर्जा उपलब्धि (मिलियन यूनिट)
वर्तमान परियोजनायें			
1.	भाखड़ा	206.15	935
2.	ब्यास	408.60	1129
3.	चम्बल	193.00	575
4.	माही	140.00	325
5.	लघु जल-विद्युत परियोजनाएं	9.16	90
6.	सतपुड़ा	125.00	700
7.	कोटा तापीय विद्युत गृह	640.00	3600
8.	सिंगरोली सुपर ताप गृह	300.00	2020
9.	रिहन्द ताप विद्युत गृह	95.00	500
10.	अन्ता गैस	81.60	300
11.	औरैया	50.40	250
12.	राजस्थान अणु विद्युत गृह	440.00	1400
13.	नरोरा अणु विद्युत गृह	22.50	160
नई योजनायें			
14.	कोटा तापीय विद्युत गृह (पांचवीं इकाई)	210.00	840
15.	लघु जल-परियोजनाएं	16.2	151
16.	रामगढ़ गैस	3	22
17.	केन्द्रीय परियोजनाएं	–	अनुपलब्ध

कुल उपलब्धि	12,997 मिलियन यूनिट
13 वें सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित मांग	19,872
कमी	35%

परिशिष्ट "अ"

[redacted]ों के अन्तर्गत नियोजित
र सूची

	भुगतान की गई राशि (रुपयों में)				
[redacted]0	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90
-	1500928	1334762	2193000	1000041	—
·	1349920	1399970	571480	1260000	—
-	1152008	1529814	1698788	1342796	—
[redacted]60	797940	1310738	1111656	1340976	213752
99	855998	949806	2343796	1949990	386456
47	—	—	—	—	66196
506	5656794	6525090	7918720	5893803	866404

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची)

संवत् 2045 व 2046 में अभावग्रस्त गांवों की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या संवत् 2045	संवत् 2046
1.	अजमेर	226	618
2.	अलवर	-	52
3.	बांसवाड़ा	-	458
4.	बाड़मेर	836	721
5.	भरतपुर	-	-
6.	भीलवाड़ा	311	269
7.	बीकानेर	461	519
8.	बून्दी	50	606
9.	चित्तौड़गढ़	40	-
10.	चूरू	23	771
11.	धौलपुर	-	249
12.	डूंगरपुर	150	412
13.	गंगानगर	-	246
14.	जयपुर	71	1163
15.	जैसलमेर	570	559
16.	जालौर	423	380
17.	झालावाड़	-	1399
18.	झुन्झुनू	-	832
19.	जोधपुर	544	605
20.	कोटा	-	762
21.	नागौर	128	46
22.	पाली	173	332
23.	सवाई माधोपुर	-	1126
24.	सीकर	-	449
25.	सिरोही	204	86
26.	टौंक	5	937
27.	उदयपुर	282	418
	योग	4497	14015

(19)

परिशिष्ट-"ब"

संवत् 2045 में गैर आयोजना मद का आवंटन जिलेवार विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	जल परिवहन	पिवाई	टैंकरों की मरम्मत एवं टायर ट्यूब क्रय
1.	अजमेर	1.90	–	–
2.	अलवर	1.00	–	–
3.	बांसवाड़ा	–	–	–
4.	बाड़मेर	10.00	5.50	0.66
5.	भरतपुर	1.00	–	–
6.	भीलवाड़ा	1.00	–	–
7.	बीकानेर	5.04	0.10	0.07
8.	बून्दी	–	–	–
9.	चित्तौड़गढ़	0.50	–	–
10.	चूरू	4.00	0.30	0.28
11.	धौलपुर	0.50	–	0.02
12.	डूंगरपुर	–	–	–
13.	गंगानगर	0.50	–	–
14.	जयपुर	0.25	–	–
15.	जैसलमेर	3.75	0.45	0.22
16.	जालौर	1.45	0.20	0.05
17.	झालावाड़	0.25	–	–
18.	झुन्झुनू	–	–	–
19.	जोधपुर	2.00	–	0.22
20.	कोटा	0.75	–	–
21.	नागौर	1.85	2.65	0.06
22.	पाली	1.72	–	0.10
23.	सवाई माधोपुर	2.00	–	0.22
24.	सीकर	0.11	–	–
25.	सिरोही	0.85	–	0.05
26.	टौंक	0.40	–	–
27.	उदयपुर	0.40	–	–
28.	इकजाई (टायर ट्यूब)	–	–	5.80
	योग	41.22	9.20	7.75 = 58.17

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

आयोजना मद में अभिकरणवार आवंटित राशि का विवरण (राशि लाखों में)

संवत् 2045

क.सं.	मद	राशि	विभाग/अभिकरण/संस्था जिसको राशि का आवंटन किया गया है।
1-	पेयजल व्यवस्था		
	ग्रामीण जल व्यवस्था	429.50	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य
	शहरी जल व्यवस्था	573.00	अभियान्त्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
2-	लोक स्वास्थ्य	20.00	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
3-	पशु कल्याण	20.00	निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
4-	कृषि आदानों हेतु सहायता	97.00	निदेशक, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
5-	रोजगार कार्यक्रम	219.50	निदेशक, राजस्थान हैण्डलूम
		28.00	कार्पोरेशन राज. जयपुर।
		22.07	राज. लघु उद्योग निगम, राज. जयपुर।
		169.43	राज. खादी बोर्ड, राज. जयपुर।
		1359.00	

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

आयोजना मद में अभिकरणवार आवंटित राशि का विवरण (राशि लाखों में)

संवत् 2045

क्र.सं.	मद	राशि	विभाग/अभिकरण/संस्था जिसको राशि का आवंटन किया गया है।
1-	पेयजल व्यवस्था		
	ग्रामीण जल व्यवस्था	429.50	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य
	शहरी जल व्यवस्था	573.00	अभियान्त्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
2-	लोक स्वास्थ्य	20.00	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
3-	पशु कल्याण	20.00	निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
4-	कृषि आदानों हेतु सहायता	97.00	निदेशक, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
5-	रोजगार कार्यक्रम	219.50	निदेशक, राजस्थान हैण्डलूम
		28.00	कार्पोरेशन राज. जयपुर।
		22.07	राज. लघु उद्योग निगम, राज. जयपुर।
		169.43	राज. खादी बोर्ड, राज. जयपुर।
		1359.00	

6 की सूची)

[redacted]रित विद्युत उत्पादन परियोजनायें (दिसम्बर, 1989 को योजना आयोग की [redacted]र आधारित)।

ष्ठापित क्षमता मेगावाट)	निर्माण करने वाली संस्था/राज्य/जिला	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ (मे.वा.)	नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ (मे.वा.)
4	5	6	7
×250 = 1500	नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन/हि.प्र.- किन्नोर	—	1500
[redacted] ~~×180 = 540~~	~~नेशनल हाईड्रो~~ पावर कारपोरेशन/हि.प्र.	540	—
×150 = 600	पंजाब–गुरदासपुर	—	600
×47 = 94	पंजाब–गुरदासपुर	—	94
×15 = 30	पंजाब	30	—
×18+2×7 = 50	पंजाब	50	—
×100 = 300	नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन/हि.प्र.	—	300
×200 = 800	नाथपा झांकड़ी पावर कारपोरेशन/हि.प्र.–बिलासपुर	—	800

शुद्धि - पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	14	12	तहनील के दोषी सर ाचों	तहसील के दोषी सरपंचों
2.	59	फोलियो	माचं	मार्च
3.	83	26	श्री दिनेश चन्द दवेला	श्री दिनेश चन्द दलेला
4.	103	3	ि सका	जिसका
5.	160	7	श्री भैरोसिह शेखावत	श्री भैरोंसिह शेखावत
6.	168	1	श्री शिवचरण माथूर	श्री शिवचरण माथुर
7.	347	फोलियो	माचं	मार्च